राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का अठाइसवां दिवस [संख्या : 17

मंगलवार,

24 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम। नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्री शत्रुघ्न गौतम।

अजमेर जिले में गारंटी अवधि की सड़कों का रखरखाव नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही

332. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में गत पांच वर्षों में संवेदकों द्वारा गारंटी अवधि की निर्मित सड़कों का रखरखाव निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है? यदि हां, तो किस-किस सड़क का, किस-किस संवेदक द्वारा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गारंटी अवधि में सड़कों का रखरखाव नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरणों में किसी फर्म/संवेदक को ब्लैकलिस्ट किया गया है? यदि हां, तो किस-किस फर्म/संवेदक को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जिला अजमेर में गत पांच वर्षों में निर्मित 435 गारंटी अवधि की सड़कों में से 427 सड़कों का

(श्री युनुस खान)

रखरखाव सम्बन्धित संवेदकों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

आठ सड़कों का रखरखाव गारंटी अवधि में संवेदकों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जिन संवेदकों ने गारंटी अवधि में सड़कों का रखरखाव नहीं किया, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर अंकित है।

(3) जी नहीं। जिला अजमेर में उक्त प्रकरणों में किसी फर्म संवेदक को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। संवेदकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परिशिष्ट-1 में क्रम संख्या 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 2015 तक की गारंटी अवधि में हैं। क्रम संख्या 43,44 में आपके जवाब में अवधि नहीं दी गई। क्रम संख्या 54, 55, 57, 58, 59, 60 की अवधि 2017 तक है जबकि रोड पूरी टूटी हुई हैं। क्रम सख्या 62, 63, 64, 65, 66 की अवधि 2016 तक है, पूरा रोड टूट चुका है। क्रम संख्या 132, 133, 134, इसकी अवधि 2017 तक है; क्रम संख्या 200 की अवधि 2017 तक है; क्रम संख्या 234 की अवधि 8.6.2017 तक है; क्रम संख्या 268 की 15.12.2017 तक है। क्रम संख्या 316, 317, 318 की अवधि 2018 तक है। क्रम संख्या 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 की अवधि....

श्री अध्यक्ष: धीरे-धीरे।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): 2017 तक है।

श्री अध्यक्ष: धीरे बोलिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सभी रोड की स्थिति दयनीय है। पांच साल से इन रोड्स पर कोई काम नहीं हुआ।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनकी जांच कमेटी बिठाकर, यह रोड ठीक हुई, इसका डी पी आर कब बना, डी पी आर बना तो कितने का बना? रोड चार महीने के अन्दर टूट गई। जनता पांच वर्षों तक इन रोड्स पर परेशान रही। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन सभी रोड्स की स्थिति जानना चाह रहा हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि मैंने इस प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन किया है कि गत पांच वर्षों में 435 सड़कें बनीं; प्रत्येक सड़क के आगे उसका निर्माण वर्ष और उसकी डी एल पी कब खतम हो रही है, उसका लिखा।

जैसा कि केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि क्रम संख्या 42 और 43 पर डी एल पी और सड़क पूर्ण होने की दिनांक नहीं लिखी है, मैं आपके माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा कि इन 42, 43 और 44 का निर्माण 21.1.2010 को हुआ और इनकी डी एल पी 20.1.2015 को खतम हो गई। एक तो यह निवेदन था।

दूसरा, आपने विभिन्न वर्षों में डी एल पी अवधि खतम होने की बात कही, सड़कों का रखरखाव ठीक नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि डी एल पी अवधि के दौरान कोई भी संवेदक उसका वापस पैचवर्क या पुनर्निर्माण नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हैं। आपने एक शिकायत की है कि विभिन्न संवेदकों ने पिछले पांच वर्षों में उन सड़कों का रखरखाव नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की बात है और सड़कों की स्थिति खराब है तो केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में जो डी एल पी अवधि के अन्दर हैं, उन सड़कों की हम जांच करवा लेंगे। मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने क्वालिटी भी ठीक नहीं बनाई तो हमारे सी.ई., क्वालिटी कन्ट्रोल है, चीफ इंजीनियर, क्वालिटी कन्ट्रोल, वह इनसे सूची लेकर, अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित सड़कों की हम जांच करवा लेंगे।

कुछ संवेदकों ने, वास्तव में यह बात सही है, मैं इस बात को मान रहा हूं कि पिछले पांच वर्षों में जो निर्माण कार्य किया, वह नोर्म्स के अनुसार नहीं था। उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है। एक संवेदक जिसकी सड़कों ने, माननीय सदस्य ने विभिन्न माध्यम से हमें शिकायत की थी, जांच भी की है, उनको नोटिस भी दिया है, उसकी बैंक गारंटी भी जब्त की है, ब्लैकलिस्ट करने

(श्री युनुस खान)

के लिए उनको नोटिस भी दिया है। जब समयावधि पूरी हो जाएगी तो उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट ने स्टे दे रखा है, कोर्ट ने स्टे राशि पर दे रखा है, जांच और अन्य कार्यों पर नहीं दे रखा; ब्लैकलिस्ट करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार हम उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सी आर एफ में एक रोड 6 किलोमीटर का बना, उस रोड की स्वीकृति सात करोड़, 6 करोड़ 90 लाख रुपये थी, वह रोड बनने के तीन महीने बाद ही टूट गयी। उस रोड में 6 करोड़ 90 लाख के अगेंस्ट में विभाग ने तीन करोड़ रुपये में उसका फाइनल बिल बना दिया। वह पैसा लेप्स हुआ । वह रोड 2012 में बनी और 2012 में बनने के बाद तीन महीने में टूट गयी और 2014 में फाइनल बिल बना। तो ऐसे दोषी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, विभाग की सबसे बड़ी खामी, जो गारंटी पीरियड में रोड रहती है, उसकी वे ही लोग एम बी भरते हैं, या उसका गारंटी पीरियड का पैसा रिलीज करते हैं, जो लोग उसका भुगतान करते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक अलग सेल बनना चाहिए, एडिशनल चीफ इंजीनियर या चीफ इंजीनियर लेवल का एक अधिकारी होना चाहिए जो उस गारंटी पीरियड में उस सड़क की जांच करके, कि यह इतना गारंटी पीरियड खतम हो गया। उसके बाद उसका वहां से आथेंटिक एन ओ सी होने के बाद उस ठेकेदार का भुगतान होना चाहिए।

केकड़ी से जयपुर रोड है, उस रोड में 6 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृत राशि थी, उसके अगेंस्ट में 3 करोड़ रुपये में फाइनल कर दिया। तो इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी .....

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, यूं नहीं। जवाब आने दीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब आ जाता।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई बात नहीं, पूछ लेने दीजिए, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप एक जवाब दीजिए। इनका जवाब दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है। अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सी आर एफ की स्वीकृति की बात कही है, यह बात सही है कि 2011-12 के अन्दर 7 करोड़ रुपये की सी आर एफ की राशि स्वीकृत हुई थी और उसका उपयोग भी नहीं हुआ । उसका एक कारण तो यह है, सांगानेर, मालपुरा, केकड़ी, कादेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, पी पी पी पर हमारी जो सड़क बनी थी उसमें केकड़ी का बाइपास बन गया। इसलिए केकड़ी का बाइपास बनने की वजह से सी आर एफ की जो राशि थी, सात करोड़ में से मात्र तीन करोड़ रुपये की राशि इस सड़क पर उपयोग ली गई। विभिन्न चेनेज पर, 116, 118, 119 और 119/700 पर लगभग यह तीन करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। प्लान्ड वे में उसका खर्चा भी नहीं हुआ। चार करोड़ रुपये की राशि बची। तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में अगर अधिकारी सात करोड़ रुपये की राशि को खर्च करते तो केकड़ी के अन्दर से निकलने वाला यह मार्ग सात मीटर चौड़ा हो सकता था, सी सी भी बन सकता था और बहुत अच्छी पोजिशन में हो सकता था। इसकी अलग-अलग चेनेज में स्वीकृति दी गई, वह भी गलत थी। उसके बाद चार करोड़ रुपया लेप्स हुआ। वह पैसा हमें नहीं मिला और आज मिलने की स्थिति भी नहीं है।

फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 2011-12 में यह चार करोड़ रुपया, चूंकि यूटिलाइज नहीं हुआ और काम फाइनल करके दे दिया गया, तो सम्भावना तो बहुत कम है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने कहा तो हम इसकी कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है कि राजस्थान प्रदेश में आज की तारीख में 41,370 किलोमीटर सड़कें डी एल पी की हैं। जैसा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिया है, सड़कों की क्वालिटी अच्छी हो, उनका संधारण ठीक ढंग से हो, इसलिए हमारे विभाग ने यह फैसला किया है कि इन सभी डी एल पी की सड़कों को, जिम्मेदारी, मैंने जांच के लिए तो आर्डर कर ही दिये कि क्वालिटी को...

श्री अध्यक्ष: आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। इन 41,370 किलोमीटर सड़कों की, डी एल पी पीरियड, ये कब निर्मित

(श्री युनुस खान)

हुई, कब तक इनका डी एल पी पीरियड खतम हो रहा है, ये सारी सूचनाएं हम हमारी वेबसाइट पर लगा देंगे। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि केकड़ी की समस्त सड़कों की हम जांच कराएंगे; आपकी जो भी ग्रीवेन्सेज हैं, उनका सहृदयता से निवारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न। मोहनलाल गुप्ता। अजमेर से सम्बन्धित?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जी। जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। बैठिए। तीन पूरक प्रश्न होंगे। एक ये करेंगे, एक सुखरामजी करेंगे, एक भिण्डाजी करेंगे। बस। उसके आगे नो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिए आप। यूं नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे लिए कहा।

श्री अध्यक्ष: आपके लिये नहीं कहा। (व्यवधान) आपके लिये नहीं कहा। व्यवस्था है, दो पूरक प्रश्न कर सकता है प्रश्नकर्ता।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, आप मेरे पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये। तीन पूरक प्रश्न होंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सबसे ज्यादा गुस्सा है, अध्यक्ष महोदय, आपका मेरे ऊपर। कृपा रखो थोड़ी आप।

श्री अध्यक्ष: हां, बैठो आप। मैं गुस्सा भी करता हूं लेकिन आप पर नहीं। (व्यवधान) आप मेरे ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): कल मैंने एक पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत आपसे निवेदन किया था, ...(व्यवधान) आपने कहा, अंकित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। आप बैठिये। नहीं, आप बैठिये, प्लीज। (व्यवधान) राइट आफ इंफार्मेशन कौनसी व्यवस्था में है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे पूरक प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया। वे राजस्थान भर की सारी डिफेक्ट लायबिलिटी की सड़कों को वेबसाइट पर डाल रहे हैं; ताकि जनता जागरूक हो जाए और उन डिफेक्ट सड़कों के बारे में शिकायत कर सके। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम किया है। (व्यवधान) और सब खड्डे ठीक हो जाएंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, हो गया। (व्यवधान) श्री सुखराम विश्नोई। अजमेर से सम्बन्धित।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, अजमेर से।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ठेकेदारों को बिलो रेट पर टेण्डर दिये जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर कोर्ट में स्टे हो करके, माननीय मंत्रीजी ने कह दिया, स्टे हो गया; जब कोर्ट से स्टे हो जाता है तो राह पर चलने वाले सड़क के लिये भुगतते हैं। स्टे, क्या पता, कब टूटेगा। मैं आपके मार्फत पूछना चाहूंगा कि जब स्टे, कोर्ट से हो गया, हो सकता है कि आपका जो एग्रीमेंट संवेदक और आपके बीच में था, वह एग्रीमेंट गलत था, इसलिये कोर्ट ने स्टे दे दिया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने मेरा जवाब दिया इस प्रश्न का, उस समय मैंने निवेदन किया था, जिस विषय पर कोर्ट का स्टे हुआ है, वह मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने जो घोषणा की है, उस पर स्टे नहीं है। हम उसको ब्लैकलिस्टेड कर सकते हैं, हमारे को कानूनी अधिकार है, लेकिन इसकी राशि को निकालने पर, मतलब, राशि वसूल करने पर स्टे है। चूंकि इसकी राशि हम ग्यारह लाख के आसपास, पहले ही जो गारण्टी पीरियड में थी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की जो राशि थी, वह ले करके दूसरे संवेदक से हमने काम करवा लिया। लेकिन फिर भी इसके खिलाफ अन्य सड़कों की भी कार्यवाही लम्बित है। इसमें राशि रोकने का था। राशि हमने पहले ही यूज ले ली थी। उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों को यह भ्रम था कि इसके खिलाफ चूंकि कोर्ट में स्टे है, इसलिये कार्यवाही नहीं कर सकते। मैंने स्वयं ने पत्रावली मंगा कर देखी, तो मैंने कहा कि जिस विषय का स्टे है, उसको रोक सकते हो, बाकी कार्यवाहियां तो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोर्ट की आड़

(श्री युनुस खान)

में कोई संवेदक इस तरह से हमारी राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ करे, सरकार कतई बरदाश्त नहीं करेगी, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: भिण्डाजी। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। भिण्डाजी के बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं। फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पहले दो सत्रों में मैंने यह डिफेक्ट लायबिलिटी का मामला उठाया था, दोनों बार आश्वस्त किया गया था, लेकिन मेरी वह रोड अभी भी नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपकी रोड नहीं। अजमेर से सम्बन्धित। (व्यवधान) नहीं, अजमेर से सम्बन्धित।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट। उस पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, उस पर आ जाइये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अजमेर जिले के सदस्यों को तो बुला ही नहीं रहे आप। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि गारण्टी पीरियड की जो रोड है, उनको कितने दिन में बनाने वाला बनाएगा? मैं केवल इतना जानना चाहता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले वालों को तो बुला ही नहीं रहे हैं आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं इतना जानना चाहता हूं मंत्रीजी से कि ...(व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, यह अजमेर जिले से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आप अजमेर जिले के माननीय विधायकों को बुलाइये। यह अजमेर जिले से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, अजमेर वाले विधायकों को ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय एक साथ ही जवाब दे देते।

श्री अध्यक्ष: अजमेर जिले के सभी विधायकों को इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक को तो दे दो। (व्यवधान) आपसे एक के लिए निवेदन किया है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): आप तो एक को दे दें।

श्री अध्यक्ष: ना, तीन। (व्यवधान) बैठिये आप। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): वे अजमेर के ही नहीं हैं, आप जिनको बुला रहे हों।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सवाल यह नहीं है। पूरक प्रश्न के लिए उन्होंने हाथ ऊपर किया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे अजमेर के हैं ही नहीं, जिनको आप बुला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। कृपया विराजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि गारण्टी पीरियड की सड़क टूटते ही कितने दिन में ठीक होनी चाहिए, ऐसा कहीं न कहीं प्रावधान होगा। मेरी जिस सड़क का मैंने उदाहरण दिया, वह दो साल से टूटी रह गई, एक इंच भी रिपेयर नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आ जाएगा, जवाब आ जाएगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसका लाभ मिलता है। अधिकारी उसका लाभ देते हैं, उसी का लाभ देते हैं कि वह ...(व्यवधान) सम्भालेगा, तब देगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): टूटी हुई सड़क की मरम्मत कभी नहीं होती है। जब तक गारण्टी पीरियड खतम नहीं होता है, तो उसका इंतजार करते हैं। (व्यवधान) सड़कें टूटी हुई रहती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। उनका जवाब देने की जरूरत नहीं।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन ही अजमेर जिले का है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय, हमारी सड़कों का भी जवाब दे दें आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका भी जवाब दे देंगे; दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अभी मत दीजिये। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माफी चाहता हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब दीजिये। (व्यवधान) आप नहीं दे सकते जवाब।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इससे पूर्व सत्रों में भी इनके क्षेत्र में पड़ने वाली डी.एल.पी. सड़कों की शिकायत की थी। यह बात सही है कि मैंने उस समय यह घोषणा भी की थी कि हम इसकी जांच करवाएंगे। मैं आज माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जितनी डी.एल.पी. की सड़कें हैं, उनकी स्थिति देख करके, कानून जितना हम संवेदक पर दबाव बना करके कार्यवाही करा सकते हैं, जरूर कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला सवाल। श्री ललित कुमार।

बारां जिले में वन सुरक्षा समितियों का गठन

333. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) बारां जिले में वर्तमान में कितनी वन सुरक्षा समितियां कार्यरत हैं? विधान सभा क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वन सुरक्षा समिति के गठन के क्या नियम/उप-नियम निर्धारित हैं? वर्तमान में कार्यरत वन सुरक्षा समितियों में कुल कितने सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा है एवं इसमें सुरक्षा समिति की राशि कितनी है और इस राशि के उपयोग के लिए क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वन समितियों के किस-किस सदस्य के विरुद्ध किस-किस अपराध में किस-किस थाने में कब-कब मुकदमे दर्ज किये गये व उक्त दर्ज मुकदमों में किस-किस के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये?

राज्य मंत्री, वन (श्री राज कुमार रिणवां): (1) वर्तमान में बारां जिले में 75 वन सुरक्षा समितियां कार्यरत हैं। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद

(श्री राज कुमार रिणवां)

में कार्यरत 47 वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का गठन राज्यादेश संख्या एफ.7 (39)वन/90 दिनांक 17.10.2000 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्तमान में बारां जिले में कार्यरत वन सुरक्षा समितियों में कुल सदस्यों की संख्या 6,313 है। समिति के सदस्यों के खाते में कोई राशि विभाग द्वारा जमा नहीं की जाती है। सदस्यों के निजी खातों का विवरण विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

(3) उक्त समितियों के सदस्यों के विरुद्ध विभाग द्वारा किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है एवं न ही किसी न्यायालय में चालान पेश किया गया है।

(सूची व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि किशनगंज-शाहबाद में 47 वन सुरक्षा समितियां हैं, इनमें सक्रिय रूप से कौन-कौन सी समितियां सक्रिय हैं, इन्होंने कौन-कौन से विकास कार्य पूर्ण कर लिये हैं और वर्तमान में कितने चल रहे हैं?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 में वन समितियों का गठन किया गया था कि जहां भी वन भूमि वृक्षविहीन हो, उसे हरा-भरा करने के लिए और पेड़ लगाने के लिए जन सहभागी योजनाएं, उन लोगों के लिए जो राजस्व ग्राम के क्षेत्र की हैं, उन लोगों को शामिल किया जाए, उनकी समितियां बनाई जाएं। बारां जिले में इस तरह की 75 राजस्व गावों की बनाई थीं। उसका नियम भी है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति, किसी भी परिवार का, यदि उस राजस्व क्षेत्र में है तो वह उसका सदस्य बन सकता है। उन 75 समितियों में से 47 समितियां ऐसी हैं, जो एक्टिव हैं। बाकी लोग उसमें निष्क्रिय की तरह हैं और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है।

हम लोगों ने यही उन लोगों को, जो नये एक्ट के हिसाब से नियम हैं कि आप लोग वहां पेड़ लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं, वहां के फल-फूल,

(श्री राज कुमार रिणवां)

जो भी हैं, ले सकते हैं ओर जो भी लकड़ी है, जो वृक्ष से टूट जाती है, टहनियां, वगैरह, चारा है, वह अपने उनको खिला सकते हैं। छोटी-छोटी योजनाएं हैं, वे भी चल रही हैं।

तो उसके हिसाब से उनके कोई आय का हम हिसाब तो रखते नहीं हैं। वह तो उन्हीं के खाते में जाती है और वह पंचायत समिति के डवलपमेंट में अपना काम, ग्राम पंचायत के, उसमें करते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पूछना केवल यह था कि कौन-कौन से विकास कार्य किये जा रहे हैं? मेरा यह कहना है।

दूसरी बात यह है, राज्य सरकार द्वारा 17.10.2000 को समितियों को बनाने के लिए आदेश दिये गये थे, इनका कार्यकाल दो वर्ष का माना गया था; दो वर्ष में इनके चुनाव होने थे। मेरे शाहबाद में जनवरी, 2013 में चुनाव हुए। उन चुनावों के दौरान कई शिकायतें पाई गयीं और कई शिकायतें डिपार्टमेंट में मुख्य वन रक्षक, जयपुर को की गयीं। कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया और कौन-कौन दोषी पाये गये? सरकार कोई जांच कराने की मंशा रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी जिम्मेदारी है उस क्षेत्र की समितियों के जो वन रक्षक हैं, उन्हीं को दी जाती है। वे लोग तिमाही मीटिंग, दो माही मीटिंग वहां पर लेते हैं; लेकर वहां पर कोई भी समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह की कोई शिकायत, कोई बड़ी शिकायत तो मिली नहीं है कुछ। कोई छोटी-मोटी शिकायत आ जाती है, कर जाती है, कोई पेड़ काटने की, जैसे कोई फल ऊपर से तोड़ लिया, कर लिया, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ठीक है, राज़ी रहें, जो भूमि पुत्र हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उन्हें और कोई आय का ज्यादा सोर्स भी नहीं है। वे लोग छोटी-मोटी अपनी व्यवस्थाएं वन भूमि से करते हैं। उसके लिए इस तरह की कोई बड़ी शिकायत आई नहीं कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अभी भी हमारे जो वन अधिकारी हैं, वे तीन-तीन महीने, तिमाही मीटिंग्स वहां लेते हैं, जाते हैं। टाइम पर दो वर्षों में चुनाव होते हैं। उसके अन्दर में, जो भी उचित हो, उनको वह स्थान दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये। नहीं, जवाब आ गया। हीरालाल नागर पूरक प्रश्न करेंगे। आप फिर मिल लीजिये, विशेष। श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हर दो वर्ष में चुनाव होते हैं। ऐसी बारां जिले की कितनी समितियां हैं जिनके पिछले हर दो वर्ष में चुनाव हो रहे हैं? आपने कहा, 75 में से केवल 47 समितियां ही सक्रिय हैं और बाकी समितियों से सम्पर्क भी नहीं हो पा रहा। तो इसमें आप बताने की कृपा करें कि जिनसे सम्पर्क नहीं हो पा रहा है, वहां क्या सरकार दुबारा चुनाव कराने की या उन समितियों को पुन: सक्रिय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? उसका कारण बतायें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 में से 47 समितियां एक्टिव हैं और इन-एक्टिव हैं, उन लोगों से हमारे वन अधिकारी सम्पर्क करने का प्रयत्न करते हैं, मगर वे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। जो कुछ सदस्य थे, वे बाद में काम पर, नौकरी पर चले गये और कोई रोजगार की अपनी चेष्टा में चला गया है। तो वहां पर लोग उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे हैं। अब जो दो साल पूरा हो जाता है, उस टाइम जब हम चुनाव करवाएंगे, उसमें उस टाइम जो भी उसमें शामिल होना चाहे, जो भी जिम्मेदार सदस्य बनना चाहे, जिम्मेदारी लेना चाहेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बाकी और कोई भी इस तरह की शिकायत है तो आप मेरे को बताइए, मैं पूरी जांच उसकी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामपाल। पूरक प्रश्न।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आपका नहीं। हां।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वन समिति और वार्षिक कार्य योजना जो बनाई जाती है, क्या इसमें जन-प्रतिनिधि की सहभागिता होती है? और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब दीजिए।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): यह केवल ग्राम पंचायत, जो राजस्व ग्राम है, उसके सदस्यों का ही उसके अन्दर समावेश होता है, वे लोग ही उस कार्य को देखते हैं। उसमें अपने जो बड़े जन-प्रतिनिधि हैं, वे लोग जा सकते हैं; उसके अन्दर कोई राय देना हो, या कोई पथ-प्रदर्शन करना हो, या मार्ग-दर्शन करना हो, उनकी कई समस्याएं हैं, जैसा आप विधान सभा में उठा रहे हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं। बाकी, सदस्य राजस्व ग्राम के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वे ही बन सकते हैं और वे ही उस काम को अंजाम देते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामचन्द्र (डग): सम्मानीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो वन समितियां रेगुलर बनी हुई हैं उनके अध्यक्ष और जो चुनाव नहीं होते, उन्हीं का एकाधिकार है, क्या उनको समाप्त करने का विचार रखते हैं? और पुन: चुनाव कराने की कोई कोशिश करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब दे दीजिए।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि उस क्षेत्र की जो वन भूमि है, माननीय, जनजाति के लोग ऐसे पिछड़े हुए हैं, वे ही अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर उस काम को अंजाम दें, तो उससे वनों का भी विकास होगा, वे अपने मवेशियों को चराने के लिए घास, चारा, वे वहां पर उपलब्ध कर सकेंगे। उनको खतम करके हम दुबारा किसी को दें, ऐसा तो नहीं; जो सिस्टम में है, दो-दो साल से...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): मेरा निवेदन यह है कि पुन: चुनाव कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूछा है उससे अलग ही जवाब दे रहे हैं।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): चुनाव का दो साल का है।

श्री रामचन्द्र (डग): वे ही लोग बने हुए हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। उनको आप वापस चुनाव कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): दो साल का है। (व्यवधान)

श्री ललित कुमार (किशनगंज): दो साल में चुनाव हुए कि नहीं हुए?

श्री अध्यक्ष: बैठिए, आप बैठिए। सब एक साथ नहीं। बैठिए आप।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): दो साल पूरा होते ही हम उसका चुनाव करवा देंगे। अगर पहले कोई शिकायत है, इस तरह की शिकायत है कि वहां पर कोई ...(व्यवधान)

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय मंत्री महोदय, मैं तारीख बता रहा हूं, वर्ष बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): सवाल यह नहीं है। जो सक्रिय नहीं हैं, उनका चुनाव करवाना चाहिए न। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सिस्टम, जो कानून बना हुआ है दो वर्ष का, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो उस हिसाब से करवाते हैं और अगर कोई शिकायत है तो जल्दी पहले करवा लेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग): बोलो तो सही।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): मुख्य वन रक्षक को शिकायत की हुई है।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। बैठिए।

श्री रामचन्द्र (डग): फिर क्या मतलब?

पाली जिले में नवजीवन योजना में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार

334. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर में नवजीवन योजना में गत तीन वर्षों में किस-किस ट्रेड के कितने-कितने प्रशिक्षण केन्द्र कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों के, कितनी-कितनी अवधि के व कब-कब खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के बाद स्वयं का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कितनी-कितनी राशि का ऋण कब-कब स्वीकृत किया गया?

(3) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश प्रशिक्षणार्थी स्वयं का कार्य नहीं कर पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या कार्यक्रम व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) पाली शहर में नवजीवन योजना में गत तीन वर्षों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार हेतु दिये गये ऋण का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अधिकांश प्रशिक्षणार्थी स्वयं का रोजगार नहीं कर पाते हैं। नवजीवन योजना के दिशा-निर्देशों में वैकल्पिक रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण और ऋण/अनुदान सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। भविष्य में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का फालो-अप करने हेतु निर्देशित किया जाएगा ताकि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ा जा सके।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में इस योजना में कितनी राशि व्यय की जानी थी और कितनी राशि व्यय हुई? पहला तो यह।

अभी भी कई युवक-युवतियां हैं जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं लेकिन आपके विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं। जब बजट प्रावधान है, राशि है, तो क्या आप इस राशि का पूरा उपयोग, कुछ उपयोग इन प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने में लगाएंगे?

तीसरा मेरा यह है कि सरकार ने बहुत सारी जातियां तो इसमें जोड़ दीं और इस कारण परिवार बढ़ गये, तो जो बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा इस योजना में दी जा रही है, उन छात्रों की संख्या भी आप बढ़ाएंगे क्या? और चूंकि, अन्य कई जातियां इस योजना के प्रारम्भ के बाद जोड़ी गयी हैं तो बजट प्रावधान भी आप बढ़ाएंगे क्या? इस बात का आप मुझे आप जवाब दे दें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): तीसरा एक बार फिर, आप फिर से तकलीफ कर दीजिए, तीसरा वाला जो आपका है, उसको दुबारा क्लीयर कर दीजिए। तीसरा जो आपका प्रश्न है, वह क्लीयर कर दीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): तीसरा वापस पूछूं मैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दुबारा क्लीयर कर दीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इस योजना में जब शुरूआत हुई थी न, तब मात्र एक जाति थी। उसके बाद में सरकार ने कई जातियां जोड़ दीं लेकिन जातियां जोड़ने के बाद में बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं। चूंकि कई परिवार जुड़ गये तो आप इन परिवारों के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए यह संख्या जो है न आपकी अभी, उसे और बढ़ाने की मंशा रखते हैं क्या? और बजट प्रावधान और बढ़ाने की मंशा रखते हैं क्या? यह बता दें आप मुझे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उसमें 2011-12 में आबंटन जो हुआ था 29.92 लाख का हुआ और खर्च हुआ 28.92 लाख। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं न। दूसरा प्रश्न पूछने का आपको अधिकार होगा, अभी जवाब सुन लीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वर्ष 2012-13 में इसमें, ...(व्यवधान) शिक्षा के ऊपर 454 सर्वे पर 3717, प्रशिक्षण पर 200 लोगों को ऐसा किया गया। 2012-13 में 67.07 लाख का प्रावधान था, वह हुआ 61.79 लाख। इसमें 650 लोग शिक्षा और प्रशिक्षण पर, 200 लोग ऐसे लगे इसमें। 2013-14 में 28.62 लाख का प्रावधान था, 9.92 लाख खर्च हुआ। शिक्षा सर्वे नहीं हुआ, 686 लोग शिक्षा के नाते से चुने गये और 250 लोगों को प्रशिक्षण, लोनिंग 10 का हुआ और 2012-13 में लोनिंग 45 का हुआ। 2014-15 में 78.76 लाख का प्रावधान था, 61.77 लाख खर्च हुआ। सर्वे नहीं हुआ। 825 शिक्षा के ऊपर, 25 लोग प्रशिक्षण, ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया।

जो आपने कहा नये केन्द्र खोलने का और यह पुराने केन्द्र काम नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस नवजीवन योजना का, जो आपने कहा, जो कंसेप्ट था, शुरू में इसमें केवल एक जाति थी, 2009 में इसको प्रारम्भ किया गया था, 2010-11 में इसमें भाट भाण्ड, राणा, ढोली, नट, डोम जातियों को जोड़ा गया। 2011-12 में फिर नवीन गाइडलाइन जारी हुई। कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड,

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

नट, राणा, डोम एवं ढोली जातियों को और 4.3.2013 को मोंगिया (मोंग्या) बावरिया, बे़डिया, बागरिया, सीरकीवाला एवं चौबदार जातियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया।

यह बात सही है कि नवजीवन योजना जिस उद्देश्य को लेकर बनी थी, वास्तव में हम पूरी तरह से इसका फालो-अप, जिस तरह का काम होना चाहिए, वह नहीं कर पाए। इस कारण से नीचे तक जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं पहुंचा है।

हम समझते हैं कि एक बार हम इस पूरी योजना को रिव्यू करके और जो माननीय सदस्य पाली से आते हैं वे इस मामले में, सामाजिक सुरक्षा के और सामाजिक हितों से जुडे मामलों में काफी सजग हैं, आपसे भी इस मामले में हम सलाह करेंगे और करने के बाद एक डिटेल्ड गाइडलाइन्स बनें।

लोगों को एक दिक्कत इसमें आती है कि जो लोनिंग होती है, उसमें बैंकों को लोनिंग करनी पड़ती है और बैंकों की तरफ से अभी तक इसमें यही है कि हम इसमें लोनिंग सामान्य रूप से, उनकी जिस प्रकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से लोन सैंक्शन होने में काफी दिक्कत आ रही है। हम बैंकों के साथ भी बात करेंगे और बात करके इस लोनिंग की प्रक्रिया को कैसे सरल कर सकते हैं, जिससे कि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

हम चाहते हैं कि इसको चार प्रोसेस में पूरा किया जाए। एक तो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हो और आइडेंटिफिकेशन के साथ-साथ इसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और एम्प्लायमेंट, चार पार्ट इसके हैं, जब चारों पार्ट पूरे होंगे तो हम कहेंगे कि नवजीवन योजना सफल हो पाई है।

तीसरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भी 40 परसेंट, शुरू में यह योजना एक्साइज डिपार्टमेंट की थी और 2012 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इसको ट्रांसफर किया गया। 40 परसेंट इसमें, एक परसेंट, जो भी आबकारी विभाग की आय होती है, वह इस नवजीवन योजना के नाते से आबकारी विभाग हमें देता है। 40 परसेंट उन क्षेत्रों को, जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के नाते से खर्च करने का प्रावधान है।

मुझे लगता है कि जितना इसके ऊपर एम्फोसिस होना चाहिए, नीचे तक मिलना चाहिए, वह पूरा लाभ हम अभी तक नहीं दे पाये हैं। मैंने कहा,

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

इस बात को हम रिव्यू करके नीचे तक इसका लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चत करने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आबंटन राशि और निर्धारित राशि में बड़ा अंतर है। निर्धारित राशि वह है जो आबकारी की आय का 1 परसेंट और जो आबंटन राशि का जिक्र आप जो कर रहे हो न अपने जवाब में, वह तो वहां से जो डिमांड की आपको, उसमें काफी बड़ा गैप है। लाखों में गैप है बड़ा।

तो मेरा आग्रह यही है आपसे, जब आबकारी की आय का 1 परसेंट इस योजना में खर्च होना था और हजारों बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हैं, हजारों लोग प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ऐसे निर्देश देंगे विभाग को कि जो बच्चे एडमिशन चाहते हैं, नवजीवन योजना में उनको एडमिशन मिल जाये? और जो भी प्रशासन चाहता है, बजट से ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, जितना आपका बजट है, वह प्रशिक्षण देने की आप मंशा रखते हैं? क्योंकि अभी केन्द्र एक भी खोल नहीं रहे हैं और सैकड़ों लोग बार-बार आते हैं कि हम सीखना चाहते हैं। पाली में रोजगार की सम्भावना बहुत ज्यादा है टैक्सटाइल यूनिट में। तो आप यह व्यवस्था कर देंगे क्या, यह निर्देश दे देंगे क्या? यह मुझे आपसे पूछना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2013 में प्रशिक्षण के नाते, पहले तो हम प्राइवेट एजेन्सीज को भी इसमें जोड़ते थे और उनके माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराते थे, 2013 में सरकारी स्तर पर एक निर्णय हुआ कि हम केवल 'आरमोल' के माध्यम से इसमें हम प्रशिक्षण देंगे। अभी इसमें जिस तरह के रिजल्ट हैं, मैंने माना है इस बात को कि हम इस प्रशिक्षण के काम को बहुत ज्यादा गति और ज्यादा लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि इसमें नम्बर भी बढ़े और ट्रेड्स भी बढ़े और अधिक से अधिक लोगों को जितना टार्गेट है, उस हिसाब से दिया जाये।

तीसरी बात जो आपने शिक्षा की कही, उसमें भी हम 9,748 रुपये प्रति स्टूडेंट देने का प्रावधान है। मैंने कहा, प्रावधान है। हम अभी तक उसमें,

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

मैंने उसको स्वीकार किया है कि हम इसको पूरी तरह से नीचे तक लाभ नहीं दे पा रहे। यह जो 9,748 रुपये हम देते हैं, उसमें स्कूल की फीस, छात्रवृत्ति, परिवहन व्यय, गणवेश का पुनर्भरण किया जाता है। इन्होंने कहा; हम रिव्यू करके नीचे तक इन चीजों को पहुंचाया जाये, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं छात्र संख्या वाली बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय विधायक।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं चाहता हूं कि आप यह संख्या बढ़ायेंगे क्या? बढ़ायेंगे तो कितनी बढ़ायेंगे? यह थोड़ा आप बता दीजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जितना बजट में प्रावधान है, उस बजट प्रावधान के हिसाब से हम बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। पूरक प्रश्न, श्री मदन राठौड़। पाली शहर में नवजीवन योजना पर ही।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, हां। इसी योजना के तहत जैसे 2011-12 में दो संस्थाएं थीं, जिन्होंने प्रशिक्षण का काम किया। 2012-13 में भी उन्हीं दो संस्थाओं ने किया और 2013-14 में भी उन्हीं दो संस्थाओं ने किया। तो इन स्वयंसेवी संस्थाओं, को कितना भुगतान किया गया? एक तो कृपया यह बतायें। क्या इनसे अधिक संस्थाएं जैसे इन्होंने बताया कि दो संस्थाओं ने मिलकर 200 को प्रशिक्षण दिया; इसी प्रकार से 2012-13 में भी 200 को दिया और 2013-14 में 250 को दिया, तो पहला तो यह बता दें कि इसमें इन संस्थाओं को कितनी राशि आबंटित की गयी, इस पर कितना खर्चा आया? दूसरा, क्या और संस्थाएं इसमें प्रशिक्षण के लिये पात्र नहीं थीं क्या? बस, इतना बता दें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास उपलब्ध सूचना है, उस हिसाब से केवल दो ही संस्थाओं का है, और उसमें कितना पैसा दिया, क्योंकि अभी मूल प्रश्न में यह नहीं था, इसलिए मेरे पास अभी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

अभी उस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया। हम अब प्राइवेट इंस्टिट्यूशन के माध्यम से ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं कराते, अब 'आरमोल' के

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसलिये अब यह विषय रहा नहीं, प्राइवेट इंस्टिट्यूशन को और जोड़ने की बात समाप्त हो गयी।

बाकी जो सूचना, कितना कहां दिया गया, यह मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता। पूरक प्रश्न।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप केवल पाली शहर में नवजीवन योजना पर बोलें।

श्रीमती अनीता (नगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, पाली में नहीं, मेरे में भी है। उसमें अगर आप आज्ञा दें तो बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष: वह आप बाद में पूछ लेना। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं मंत्री महोदय को नहीं कह सकता।

श्रीमती अनीता (नगर): मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रही हूं, जिसका मंत्रीजी उत्तर नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: पाली शहर में नवजीवन योजना का आप पूरक प्रश्न ही कीजिये।

श्री जोगाराम।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आभार, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पाली जिले में नवजीवन योजना के तहत, जैसा अभी आपने बताया कि योजना बहुत अच्छी है, इसका ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो पाया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अगर आपने माननीय महिला सदस्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार रखा न, तो अगले जन्म में भी आपकी यही हालत होगी। कुंआरे ही रहोगे आप। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह ब्राह्मणों का आशीर्वाद है या शाप है? और नवरात्रा के टाइम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो शादी-शुदा हैं, वह तो इसको आशीर्वाद मान रहे हैं और कुंआरे हैं, वे उसको अभिशाप मानेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी के बाद आपको चांस दे दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हम सभी ब्राह्मण देवताओं से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया भविष्य में ऐसा कोई शाप आप नहीं देवें। उनको आशीर्वाद देवें ताकि अगले जीवन में उनको जीवन साथी मिल जाये।

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी, सवाल कीजिये।

एक माननीय सदस्य: यह दे दिया न आशीर्वाद।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये। इनके बाद। बैठिये आप।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, इसको आशीर्वाद मान रहे हो, तो साहब, इसमें भी कहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब इस पर चर्चा नहीं। (व्यवधान) जोगारामजी, सवाल कीजिये। सीधा सवाल कीजिये बिना भूमिका के।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह था माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि पाली जिले में नवजीवन योजना के तहत जो प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है, इसकी आपके जवाब के अनुसार, आपके स्पष्ट एडमिशन के अनुसार, इसकी खानापूर्ति हुई है, काम नहीं हुआ है। पर क्या आपने योजना बनाई, उसका टार्गेट तय किया; जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने इस टार्गेट में लापरवाही बरती, टार्गेट पूरा नहीं किया, सरकार की योजना का बिलकुल कुछ कार्य नहीं हुआ, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? और साथ ही साथ...

श्री अध्यक्ष: एक हो गया न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक साथ ही हो जाये। दूसरा यह है कि पाली जिले के रोहट तहसील में इस योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और उसके लिये कितनी राशि खर्च की?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है, उसमें तो इतना है कि यह बात सही है कि जानकारी आने के बाद हमने तुरन्त इसको रिव्यू करने का तय किया, पूरी स्कीम को। स्टेट लेवल की कमेटी है, उस स्टेट लेवल की कमेटी की मीटिंग बुलाकर सारे विषय को रखकर, अगर जरूरत पड़ी, तो आगे की गाइडलाइंस भी तय करेंगे और उनको नीचे तक इम्प्लीमेंट है, उसको सुनिश्चित करेंगे।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

जहां तक आपने कही अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की, मैं उसको एग्जामिन कराऊंगा और कहीं न कहीं उचित स्तर पर यह मेसेज पहुंचे, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से करूंगा।

श्री अध्यक्ष: केसारामजी, आप बैठिये। आप बार-बार ऐसे नहीं, यहां व्यवस्था है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : तीसरा, पूरे पाली जिले में किन-किन को प्रशिक्षण दिया गया, रोहट तहसील का मूल प्रश्न नहीं था, इसलिये रोहट तहसील में कितनों को प्रशिक्षण दिया गया; रोहट तहसील का अलग-अलग मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। रोहट तहसील का अलग है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष: चलो आ जाएगा आपका। हां, श्रीमती अनीता। सांगानेर के माननीय विधायक ने मुझे दबा दिया। बैठो-बैठो। नहीं, माननीय सदस्य, बैठिये। इस तरह नहीं, विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्षजी, +++ (व्यवधान) मैं कह रहा हूं अध्यक्षजी, +++ ।

श्री अध्यक्ष: हां, +++, +++। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन कभी +++ नहीं है। यह शब्द एक्सपंज कराओ, अध्यक्ष महोदय। आसन सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, आप ही +++ । तो यह शब्द निकलवाओ। माननीय सदस्य कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, +++ ।

श्री अध्यक्ष: इसको निकाल दो। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्षजी, आपका भी धन्यवाद और हमारे वरिष्ठ जो विधान सभा के सदस्य हैं, घनश्यामजी, उनका धन्यवाद कि उन्होंने समय दिलाया।

मैं तो माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि भरतपुर में जो मेरा नगर विधान सभा क्षेत्र है, उसके सीकरी कस्बे में सैकड़ों व्यक्ति, जो रायसिक जाति से आते हैं, वे नवजीवन योजना में चयनित हैं। क्या सरकार इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण केन्द्र यहां पर खोलना चाहती है, जिसमें यह अपना प्रशिक्षण कर सकें? और बच्चों की शिक्षा के लिए यहां पर क्या कर

(श्रीमती अनीता)

सकते हैं, ताकि वह जो उनका शराब का पुश्तैनी धंधा है, उसको छोड़कर रोजगार की ओर बढ़ सकें?

श्री अध्यक्ष: आपके पास जवाब नहीं हो तो आप मत देना।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक जनरल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हां, जनरल है तो देओ।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसमें प्रशिक्षण का मैंने पहले ही कहा कि निजी प्रशिक्षण संस्थाओं की कौशल योजना है, उसके आधार पर इनको देने की योजना है। उसमें नगर को भी जोड़कर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बैठिये। केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नवजीवन योजना केवल पाली जिले स्तर पर भी चलाई जा रही है, तो क्या दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में भी चलाने का विचार रखते हैं, कि नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बस, विराजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह तो सारे राजस्थान में है, सब विधान सभा क्षेत्रों में है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री हरिसिंह रावत।

भीम के गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु चम्बल से जोड़ने की योजना

335. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रत्येक ग्राम को बीसलपुर/चम्बल से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जनता जल योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना एवं पनघट योजना विधान सभा क्षेत्र भीम में कहां-कहां व किसके द्वारा

(श्री हरिसिंह रावत)

संचालित की जा रही है? क्या उक्त योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाएं समय पर बिल न भरने एवं संचालित करने वाले कर्मचारी को उचित दर पर भुगतान नहीं होने से विफल हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को समय पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु उक्त योजना को स्वयं द्वारा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): माननीय अध्यक्षजी, (1) जी नहीं। सतही जल स्रोत को लेकर किसी भी वृहद् पेयजल योजना का निर्माण, योजना हेतु आवश्यक जल आरक्षण, तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र भीम के प्रत्येक ग्राम को सतही जल स्रोत बीसलपुर एवं चम्बल से जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भीम के कस्बा देवगढ़ में सोपेरी बांध के अप-डाउन स्ट्रीम में निर्मित तथा स्थानीय जल स्रोतों से तथा 273 ग्रामों में भूजल/सतही जल स्रोतों से जल उपलब्धता अनुरूप विभिन्न जल योजनाओं एवं स्थापित हैण्डपम्पों से की जा रही है। पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्रामीण क्षेत्र में 20 जनता जल योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत पूर्ण की गयीं 15 योजनाओं एवं विभिन्न मदों में निर्मित 144 पनघटों (सिंगल फेज नलकूप) का सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा तथा नगरपालिका क्षेत्र देवगढ़ में स्थापित 28 पनघटों का नगरपालिका द्वारा सफलतापूर्वक संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत उक्त के अतिरिक्त 7 योजनाएं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संवेदक के मार्फत संचालित व संधारित की जा रही हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कार्यालय जिला परिषद, राजसमन्द से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र भीम की पंचायत समिति भीम एवं देवगढ़ में जनता जल योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं तथा कोई योजना विद्युत बिल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के भुगतान के अभाव में बंद नहीं है। जनता जल योजनाओं में अंशकालीन पम्प चालकों को समय पर भुगतान किया जा रहा है।

विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी योजना अन्तर्गत उक्तानुसार स्थापित पनघटों के विद्युत बिलों का भुगतान सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिका देवगढ़ द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत पूर्ण की गयीं समस्त जल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 1.4.2011 के पश्चात् से जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों के माध्यम से करने का निर्णय लिये जाने के कारण इन योजनाओं का संचालन कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं किया जाना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पेयजल की दृष्टि से बहुत ही विकट समस्या से जूझता है। आपने जवाब दिया है कि विधान सभा क्षेत्र भीम के प्रत्येक ग्राम को सतही जल स्रोत बीसलपुर एवं चम्बल से जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के लिए पानी जा रहा है करीबन 100 किलोमीटर दूर और मेरे क्षेत्र से पानी गुजर रहा है 80 किलोमीटर और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि बीसलपुर से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है। मंत्री महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब डी.पी.आर. बनी तो क्या आपके प्रोजेक्ट इंजीनियरों के पास में कोई स्पेशल चश्मे दिये गये थे कि 80 किलोमीटर तक मेरा भीम विधान सभा क्षेत्र उनको नजर ही नहीं आया? सीधी ही टाडगढ़ है जो, अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से भीम विधान सभा क्षेत्र बसती है, केवल टाडगढ़ और वह ही एरिया उसमें बीच में है। तो डी.पी.आर. बनाते वक्त उन इंजीनियरों ने मेरे क्षेत्र का ध्यान क्यों नहीं रखा? दूसरा, क्या मेरा क्षेत्र कोई पाकिस्तान में बसा हुआ है जो बीच में सब गांव को छोड़कर, केवल भीम विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर टाडगढ़ को पानी दिया जा रहा है?

(श्री हरिसिंह रावत)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या आप पुन: सर्वे कराकर मुझे पानी देने का विचार रखती हैं?

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं, आपके विधान सभा क्षेत्र को।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही तो बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप मेवाड़ से आते हैं, आप जानते हो कि पानी देने का मतलब क्या होता है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चार विधान सभा क्षेत्रों, एक तरफ ब्यावर, दूसरी तरफ कुम्भलगढ़, तीसरी तरफ माण्डल और चौथी तरफ आसींद, चार विधान सभा क्षेत्रों को मिलाकर, बीच-बीच में मेरे गांव इनके गांव पड़ते हैं। तो आने वाले भविष्य में, या जब भी डी.पी.आर. बनाएं, क्या उन बीच में पड़ने वाले सभी गांवों को पेयजल से जोड़ने का विचार रखते हैं, या नहीं? स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, अभी जिस पानी पिलाने की बात आपने कही, उसको तो माननीय सदस्य ने वहां पर उनके विरोधियों को पिला ही दिया है।

जो प्रश्न उन्होंने किया, उस प्रश्न में उन्होंने कहा कि जो उनका टाडगढ़ क्षेत्र है, जो ब्यावर के अन्दर हम लोगों की योजना बीसलपुर को पानी पिलाने की है उसमें वह छूट गया है और ऐसे कई क्षेत्र जो एन-रूट विलेजेज हैं वे भी छूट गये हैं। क्योंकि जब सर्वे होता है तो वह सर्वे काम्प्रीहेंसिव सर्वे नहीं किया जाता है। जब पेयजल की योजनाएं बनती हैं तो उस योजना के अन्दर अगर सर्वे करते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए, एक ऐसी काम्प्रीहेंसिव योजना बनायी जाए जिसके अन्दर अगर हमें उस क्षेत्र को पानी पिलाना है तो उसके अन्दर आने वाले समस्त गांव, जहां से भी वह पानी गुजर रहा है, उसकी पाइपलाइन गुजर रही है, तो वहां से उन सब एन-रूट विलेजेज को एड करना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अगर हमने बीसलपुर का पानी अजमेर जिले के लिए दिया तो सिर्फ अजमेर जिले को कर दिया। अब अजमेर जिले में ब्यावर जो है, ब्यावर और भीम, यह बिलकुल लगता हुआ, पास-पास जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें यह बात, उनका कहना सही है कि जब हम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ब्यावर पानी लेकर जा रहे हैं तो बीच में आने वाले, एन-रूट के अन्दर ही यह टाडगढ़ आ रहा है और टाडगढ़ के कुछ गांव, जो उसके अन्दर गुजर रहे हैं, वे भी जुड़ जाने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस योजना में, क्योंकि जब आपने पूछा कि ऐसा है, तो हमारे यहां पर अभी वर्तमान में जो योजना चल रही है उसमें ये गांव जुड़े हुए नहीं हैं।

यह बात सही है कि भीम को पानी पिलाने के लिए बीसलपुर ही एक आल्टरनेट है जहां से हम लोग ला सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे, सरकार की ओर से इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे हम भीम क्षेत्र के अन्दर बीसलपुर से पानी लाने के लिए क्या योजना बना सकते हैं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका देवगढ़ के पाइपलाइन के रिनोवेशन के लिए 17 करोड़ रुपया पास हुआ? अगर हां, तो उसका कार्य कब प्रगति पर होगा और कब पूर्ण होगा? थोड़ा स्पष्ट करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, देवगढ़ क्षेत्र, जो नगरपालिका क्षेत्र माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में आता है, उसके लिए एक 17.19 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना के तहत हमने अभी जो वाटर सोर्सेज डवलप करने की बात है, पांच खुले कुएं और दो नलकूप उसमें, मतलब उसका अभी काम शुरू हो चुका है, करीब 58 लाख रुपये उसके लिए सैंक्शन हुए हैं। इसके अलावा अब और जो दूसरा शेष रहने वाला काम है जिसमें उच्च जलाशय बनाना, और सारा जो करना है, पाइपलाइन डालनी है, उन सब का भी हमारी तकनीकी समिति के अन्दर स्वीकृति होना, यानी एक-दो दिन में हम उसकी भी स्वीकृति जारी कर देंगे ताकि इस काम को जल्द से जल्द, जो 17 करोड़ 19 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं देवगढ़ नगरपालिका के अन्दर रि-आर्गेनाइज करने के लिए पाइपलाइंस को, पुरानी पड़ी हुई पाइपलाइन को बदलना, उच्च जलाशय बनाना और पेयजल की व्यवस्था में सुधार करने हेतु जो पैसा स्वीकृत है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह। एक पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत हृदय से आभार।

श्री अध्यक्ष: अभी तो आप मुझे आरोपित कर रहे थे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, साहब, आरोपित नहीं कर रहा हूं; जीवन में कभी आरोपित नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। आगे चलो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आक्रोश जरूर, आप पर ही तो हम करेंगे, साहब; बाकी हम निवेदन किस से करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अच्छा, पूरक प्रश्न करो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और माननीय सदस्य से निवेदन है कि आप ब्यावर से उसको टारगेट नहीं बनाएं। ब्यावर को जो पानी मिला है, वह पूरा राजस्थान जान रहा था कि एक सदस्य 11 दिन का आमरण अनशन पूर्व सरकार के टाइम और एक महा पद यात्रा ब्यावर से लाकर, मैं जयपुर लेकर के आया, सात हजार आदमियों की। तब जाकर के उस अंधी और बहरी, उस कार्यकाल के अन्दर मुझे मिला है। इसलिए उसको टारगेट नहीं बनाएं।

श्री अध्यक्ष: सवाल करो। सवाल करो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 199 गांवों का पानी, 250 करोड़ की योजना पहली सरकार में हमने ली है और हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदया, माननीया वसुन्धराजी ने आते ही तुरन्त, उस सरकार में बजट अलाट नहीं किया गया था, सैंक्शन हो गया था लेकिन कार्य शुरू नहीं करवाया था, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने शुरू करवाया है। उसके लिए मैं हृदय से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि आप कोई भी योजना से जोड़ें लेकिन ब्यावर का पानी काट कर के नहीं जोड़ें। टाडगढ़ को और डाडगढ़ क्षेत्र को बनाएं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): भीम होकर के जाता है, रास्ता वहीं से जाता

(श्री शंकर सिंह)

है लेकिन उसको ऐसा नहीं कि आप टाडगढ़ के पानी को काट कर आप भीम को जोड़ें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप भीम को जोड़ें, मैं स्वागत करता हूं लेकिन ब्यावर का हक काट कर नहीं जोड़ें। धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह जो शंका हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के मन में है, तो मैं इस शंका का निवारण करना चाहती हूं। मैंने मेरे प्रश्न के उत्तर में भी यह कहा है कि हम लोग भीम को पेयजल देना चाहते हैं, बीसलपुर से देना चाहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम अभी वर्तमान में जो योजना चल रही है उसको कहीं डैमेज करना है। ऐसा कोई नहीं, लेकिन नई योजना बने, इसके बारे में निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। भीम से सम्बन्धित है। नहीं, जनरल नहीं करने दूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): चम्बल परियोजना से सम्बन्धित है, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बैठिये आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह चम्बल योजना की चल रही है चर्चा, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं। श्री छोटू सिंह।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: नहीं, तैयारी नहीं ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: भीम से?

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आई.जी.एन.पी. नहर से पेयजल योजना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं, नहीं।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वह ही मामला

(श्री छोटू सिंह)

है, जो जैसलमेर क्षेत्र से जाता है, फर्स्ट फेज और सेकण्ड फेज का मामला ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह मामला नहीं है। आप बैठिये। आफ-हैंड मैं मंत्रीजी को नहीं कह सकता कि जवाब दें। आपका रेलेवेंट सवाल नहीं है, आप विराजिये। चन्द्रकान्ताजी, आप भी विराजिये। नहीं। श्री बाबू सिंह।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं बात कर रही हूं, साहब, चम्बल परियोजना।

श्री अध्यक्ष: नहीं, चम्बल परियोजना का नहीं है, सवाल भीम का है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: भीम जल योजना?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): हां, भीम से सम्बन्धित।

श्री अध्यक्ष: हां, भीम से सम्बन्धित।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): जनता जल योजनाएं पंचायती राज आने के बाद में इनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गयी हैं, यह व्यवस्थाएं बिगड़ गयी हैं। तो, मंत्री महोदय, क्या आप भीम की सारी योजनाएं पुन: जनता जल योजना में लेकर के और उनको संचालित करने का विचार रखते हैं, या नहीं रखते हैं? एक।

श्री अध्यक्ष: होशियारी, होशियारी।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): इनका मानदेय और मरम्मत राशि को बढ़ाने का विचार रखते हैं, या नहीं? यह बताओ आप।

श्री अध्यक्ष: चतुराई से कर लिया आपने भीम को जोड़ कर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, शेरगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट अभी रखा 2015-16 का, उसमें उन्होंने बड़ा उदार मन रखते हुए जो जनता जल योजना, उस जनता जल योजना में 139 करोड़ रुपये उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो सैंक्शन किये हैं, उसके ऊपर अपनी डिमांड की रिप्लाई में भी मैंने कहा कि लगभग 2 हजार जनता जल योजना का सुदृढ़ीकरण इस साल में करेंगे जिससे कि वे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रिआर्गेनाइज्ड हों। कहीं पाइप टूटे हुए हैं, उनको रिपेयर करना, कहीं टंकी का काम करना, ये सब करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

अगला सवाल। श्री धीरज गुर्जर ने आपको अधिकृत किया है। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

प्रदेश में श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं में पंजीकरण

336. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) (श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) के स्थान पर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ लेने के लिए किसी श्रमिक का विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है? यदि हां, तो वर्तमान में प्रदेश में कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में प्रदेश के कुल श्रमिकों में से लगभग 10 प्रतिशत श्रमिक ही पंजीकृत हैं, जिस कारण प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत निर्धन श्रमिक अपने हित की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निचले स्तर पर सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ श्रमिकों के लिए उनके कार्य स्थल पर ही विभागीय पंजीकरण कैम्प लगाकर प्रदेश के श्रमिकों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) प्रदेश के सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए सरकारी (कल्याणकारी) योजनाओं में श्रम विभाग द्वारा लाभ देय नहीं होने के कारण सभी श्रेणी के श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में नहीं किया जाता है। श्रम विभाग द्वारा मात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की योजनाओं का लाभ लेने के लिये निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रदेश में 31.1.2015 तक कुल 5,25,297 निर्माण श्रमिकों का

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

पंजीकरण किया जा चुका है। जिलेवार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) श्रम विभाग में प्रदेश के सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए सरकारी (कल्याणकारी) योजनाओं में विभाग द्वारा लाभ देय नहीं होने के कारण सभी श्रेणियों के श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया जाता है, वरन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के द्वारा निर्मित कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ देने के लिए मात्र निर्माण श्रमिकों का ही पंजीयन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने गत वर्ष 90 दिवस कार्य किया है, वे पंजीयन हेतु योग्य हैं। वंचित व योग्य निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नियमित रूप से विभागीय कार्यालयों में तथा समय-समय पर पंजीयन कैम्प लगाकर व अभियान चलाकर किया जाता है। मंडल द्वारा 31 जनवरी, 2015 तक कुल 5,25,297 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण हिताधिकारी के रूप में किया जाकर मंडल की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

(3) मंडल की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए मंडल द्वारा जिला स्तर पर स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों द्वारा पंजीयन कार्यवाही नियमित की जाती है तथा समय-समय पर विभिन्न स्थानों व कार्य स्थलों पर भी पंजीयन कैम्प लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों का पंजीयन अभियान चलाये जाने हेतु दिनांक 9.2.2015 को दिशा-निर्देश व मार्गदर्शता जारी कर दिनांक 23 फरवरी से 31 मार्च, 2015 तक पंजीयन अभियान चलाने तथा माह फरवरी तथा माह मार्च के अंतिम सप्ताह को (23 से 27 फरवरी व 23 से 27 मार्च तक) 'पंजीयन सप्ताह' के रूप में आयोजित करने के निर्देश श्रम विभाग के सभी कार्यालय, सभी विकास अधिकारी तथा इंजीनियरिंग विभागों के समस्त सहायक अभियंताओं को दे दिये गये हैं। साथ ही, समस्त जिला कलक्टर गण को पंजीयन अभियान के सुचारु क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों का सहयोग व निर्देशन करने हेतु भी लिखा गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि निर्माण श्रमिकों की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित योजनाओं में जो आपने पंजीकरण बताया है 5,25,297, इनमें से कितने पात्र लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, जो इस योजना में पात्र हैं? उनको कितने बजट की आवश्यकता होगी? यह बजट केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या राज्य सरकार द्वारा? यह जहां से भी कराया जाता है, उसमें 2014-15 में कितने बजट की आपको आवश्यकता थी? कितना बजट मिला? इस बात का एक क्वेश्चन और फिर पूछूंगा।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार का एक अधिनियम बना है जिसके अन्दर 2 परसेंट सैस लगाने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में 1 परसेंट सैस हम वसूल कर रहे हैं और उसके अन्दर लगभग 800 करोड़ की राशि मंडल के पास जमा है। उस राशि में से जो भी हितकारी, हमारे जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनकी 11 अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं बनी हुई हैं, उन योजनाओं के अन्दर जो धनराशि की जरूरत होती है वह हम उस राशि में से देते हैं। उस राशि में से बहुत बड़ी राशि हमारे पास पड़ी है। जैसे-जैसे जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी योजनाएं जो अलग-अलग 11 तरह की योजनाएं हैं, जिनमें विवाह के लिए भी पैसा दिया जाता है, जिसमें मृत्यु होने पर भी दिया जाता है, जिसमें पूर्व में साइकिल पर भी दिया जाता था, टिफिन पर भी दिया जाता था, इसी तरह से जो इंटेलीजेंट बच्चे पढ़ते हैं उनको भी दिया जाता है। जितने भी पैसे की जरूरत होती है, जो कोष बना हुआ है उसके अन्दर 800 करोड़ रुपये जमा पड़ा है, उस कोष में से हम पैसा देते हैं। यह व्यवस्था एक्ट के द्वारा की गयी है और हम वह पैसा सैस के रूप में वसूल करते हैं।

पैसे की विभाग के पास कोई कमी नहीं है। जो भी योजनाएं हमारी लागू की गयी हैं, उनमें जो भी हिताधिकारी हैं, उनके लिए जितने पैसे की जरूरत होती है, मंडल के पास जो पैसा है उसमें से हम देते हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, केवल सीधा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक में ही निपटा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूछिये। पूछिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे कितने पात्र लोग हैं पूरे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्थान में, जो इन योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए पात्र हैं और आज भी उनको वह पैसा नहीं दिया गया है? केवल इस बात को बता दीजिये। जब आप कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपये पड़ा है तो हम जिलों में जब जाते हैं श्रमिक कार्यालयों में, तो वे कहते हैं कि बजट नहीं आया, इसलिए हम अभी आपको पैसे नहीं दे सकते। मैं तो, मंत्रीजी, आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कितने पात्र लोग हैं इन योजनाओं में, उनकी संख्या बता दीजिये और उनको कितना भुगतान किया जाना है और वह कब से नहीं किया जा रहा है? यह बात बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): मान्यवर, 5,25,297 जो हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनमें से 52 हजार श्रमिक हैं, जिनकी अलग-अलग बकाया राशि अलग-अलग योजनाओं में देय है। अलग-अलग जिलों में से किसी की विवाह सहायता के अन्दर है, किसी की बीमे के अन्दर है। कुल 52 हजार ऐसे हमारे श्रमिक हैं जिनकी पेंडेंसी बाकी है, जिनके केस अभी पेंडिंग हैं। उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हम करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो भी सही पाये जाते हैं, उन सबको हम समयानुसार उसका पैसा देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। श्री शुभकरण चौधरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 52 हजार श्रमिक हैं, आप 800 करोड़ रुपया पड़ा बता रहे हैं, मंत्री महोदय,...

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी। पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर भी पैसा नहीं दे रहे हैं। 52 हजार लोग 12 महीने से चक्कर लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें कृपा करके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, बात तो आने दीजिये। फिर प्रश्न लगाने का क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष: दो बार पूछने का अधिकार है आपको। तीसरा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो का उत्तर तो दिलायें न।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 52 हजार श्रमिक हैं उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब आ गया है। श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना जानना चाहता हूं कि यह संवेदनशील मुद्दा है और श्रमिकों से सम्बन्धित है। मेरे जिले झुंझुनूं में पिछले 3-4 साल से लगातार न तो कोई श्रम कल्याण अधिकारी है, क्योंकि विषय राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और न वहां कोई क्लेरिकल स्टाफ बैठता है। मात्र एक बाबू के भरोसे वह कार्यालय चलता है, जिस पर पूरा झुंझुनूं जिला आधारित है। कोई 2 साल पहले एक श्रम कल्याण अधिकारी लगा था जो कभी कहता है कि मैं सीकर में पोस्टेड हूं, कभी कहता है चूरू में पोस्टेड हूं। कैसी विडम्बना है कि पूरी शेखावाटी में मात्र एक श्रम कल्याण अधिकारी है। क्या मंत्री महोदय वहां कोई श्रम कल्याण अधिकारी लगाने की मंशा रखते हैं? अगर है तो कब तक लगा देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): मान्यवर, यह बात बिलकुल सही है कि विभाग के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। पिछली सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं की और विभाग में टू-थर्ड पोस्टें खाली पड़ी हैं। अगर केवल अधिकारियों की बात करें तो हमारे यहां 85 अधिकारियों की पोस्टें हैं लेकिन मात्र 35 हमारे पास हैं। इसी तरह से हमारे जो निरीक्षक हैं, वह 196 इंस्पेक्टर होने चाहिए लेकिन मात्र 37 हमारे पास हैं। हमने आते ही आर एफ सी से, राजस्थान वित्त निगम से 13 कर्मचारियों को लिया है; 23 और लेने की हमारी स्वीकृति लगभग मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा, हमने प्राइवेट सेक्टर से भी 297 कर्मचारियों को भी आउटसोर्सिंग से काम पर लगा रखा है।

आर पी एस सी में भी हमारा रोटेशन के अन्दर आ गया है। पहले हमारे इंस्पेक्टरों की और हमारे अफसरों की जो भर्ती होती थी वह एक विशेष परीक्षा से होती थी, लेकिन आर पी एस सी ने कह दिया कि छोटी सी भर्ती के लिये इतनी बड़ी परीक्षा लेनी पड़ती है। अब राज्य में जो हमारी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होगी, उसमें हमारे 151 अधिकारियों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब जब भी हमारी भर्ती हो जायेगी तो निश्चित रूप से अधिकारी पूर्ण हो जाएंगे।

अभी जहां हमारे अधिकारी नहीं हैं, वहां दूसरे जगह से चार्ज देकर के उनको व्यवस्थित कर रखा है। आउटसोर्सिंग से भी लिये हैं, आर एफ सी से भी लिये हैं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। विराजिए।

व्यवस्था

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही यथा समय नियमानुसार होगी

कल आसन पर राव राजेन्द्रसिंहजी विराज रहे थे, उस समय हमारे मित्र घनश्यामजी ने मुझको मेरा एक कर्तव्य पूरा करने की याद दिलाई और उस याद दिलाने के बाद आपने एक पाइंट आफ आर्डर रेज किया था। उसको उन्होंने सुरक्षित रख लिया, स्पीकर को जवाब देने के लिए। तो मैं उस पर रूलिंग देता हूं,

नियम यह है कि 'उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।'

अब इसमें न समय है न कुछ और है और यह मेरे विवेक पर निर्भर है। आपने मेरे विवेक को काम में लेने की याद दिलाई, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं उस नियम के अनुसार यथा समय यथा सम्भव कार्यवाही करूंगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए याद दिलाई कि आप विवेकवान हों; आप विवेकवान हों, इसलिए आप विवेक का जल्दी प्रयोग कर लें।

श्री अध्यक्ष: मेरा विवेक आपने पहचाना, इसलिए आपको धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विवेक को जाग्रत करने के लिए आपने कहा है, विवेक तो पहले से जाग्रत है इनका।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ...(व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए, अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

सदन की अवमानना

आसन के पांवों पर होने की स्थिति में शासकीय दीर्घा में अधिकारियों का आवागमन

दिनांक 20.3.2015 को आसन द्वारा सदन में व्यवस्था दिये जाने के दौरान आसन के पैरों पर होते हुए भी अधिकारी दीर्घा में उपस्थित कतिपय

(श्री अध्यक्ष)

अधिकारी दीर्घा से उठकर चले गये, इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न आया था जिसमें अधिकारियों को दण्डित करने का निर्णय लिया गया था।

आज दिनांक 24.3.2015 को प्रात: साढ़े दस बजे सदन का अवमान किए जाने वाले तीन दोषी अधिकारी मेरे वेश्म में उपस्थित हुए और बिना शर्त क्षमा याचना की और खेद प्रकट किया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने का उन्होंने आश्वस्त किया। उस समय प्रतिपक्ष के नेता माननीय रामेश्वरजी डूडी भी थे और संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र सिंहजी भी थे। उनके इस माफी मांगने के आधार पर यह राय बनी कि फिलहाल उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाय और ड्राप कर दिया जाय मैटर और आइन्दा वे ऐसा नहीं करें, यह उनसे कहा गया है।

एक अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, उन अधिकारी के खिलाफ मैं अलग से कार्यवाही करूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से पंचायती राज चुनावों में जिला प्रमुख पाली के पद पर निर्वाचित श्री पेमाराम चौधरी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आर एस आर डी सी द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में, रोड की साइड भी साथ-साथ बनाकर दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के पंचायती राज चुनावों में चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों द्वारा पेश दस्तावेजों में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ कथित अन्याय के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत की बिजली सम्बन्धी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार एवं श्री भंवर सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद के कतिपय गांवों की पेयजल की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ स्टेट हाइवे (सड़वा मोड़ से जमवारामगढ़-आंधी-एन.एच. 11ए) तक फोरलेन बनाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री खेमाराम, सदस्य की ओर से सुजानगढ़ रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री विद्याशंकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सुल्तानपुर कस्बे स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में।

(5) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से चाकसू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल व ट्रोमा सेंटर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवादी में अग्निशमन केन्द्र मय वाहन के खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से रणथम्भौर अभयारण्य के जंगली जानवरों द्वारा निकटवर्ती गांवों के पशुपालकों के मारे गए पशुओं का उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के सार्वजनिक पार्कों का सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) मास्टर मामन सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा की औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी खुले में छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से राज्य में नियुक्त किए गए कम्प्यूटर अनुदेशकों (शिक्षक) को स्थायी नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(11) श्री शैतान सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पोकरण के काश्तकारों को काश्तकारी अधिनियम, 1970 के तहत काश्त करने की इजाजत देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से राज्य की पालनहार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 69 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, चित्तौड़गढ़ के घाटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सादी में खातेदारी भूमि पर निर्मित मोडिया महादेव बांध के कारण ग्राम पालेर की झूम के डूब क्षेत्र में आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम, यह घनश्याम आपका नहीं है, यह इधर के घनश्याम हैं।

(2) घनश्याम मेहर, दौसा जिले के मण्डावर कृषि मण्डी में आये दिन डकैती व लूट की घटनाओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुशील कटारा, चिकित्सा विभाग में नर्सिंगकर्मियों की भर्ती के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, प्रदेश में मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन से होने वाली मौतों के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार, आप दो या तीन मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है। मेरे क्षेत्र में जनता जल योजना के तहत पिछले डेढ़ साल से पैसा नहीं मिलने की वजह से 20 से ऊपर ट्यूबवेलों के कनेक्शन....

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): त्राहि-त्राहि मची हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में डेढ़ करोड़ रुपये डेढ़ साल से नहीं मिले, 67 कनेक्शन काट दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। बिलकुल नहीं। बिलकुल नहीं। आप मिल लीजिए मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय से मिल लीजिए। (व्यवधान) रूलिंग दे रहा हूं। अंकित नहीं हो।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप विराजिए। केवल मनोज न्यांगली।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ कथित अन्याय

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के सामने विशेषकर ध्यान से। राजस्थान सरकार ने 25.7.2010 को अध्यापक पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की, 11.2.2011 को पैरा नम्बर 9 में आरक्षण निर्धारित किया- एस सी, एस टी, ओ बी सी को 10 प्रतिशत; एस सी, एस टी, ओ बी सी महिला को 15 प्रतिशत; नि:शक्तजन को 20 प्रतिशत। इसके आधार पर 2011-12 में परीक्षा का आयोजन किया गया और आरक्षण आधार पर प्रमाण पत्र जारी किये गये। 2012 व 2013 में तृतीय श्रेणी अध्यापक उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा करवाई गयी और उसमें विद्यार्थियों को पैरा नम्बर 4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि बिन्दु संख्या 7(1)(ख) एव 7(2)(ख) के क्रम में 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना राजस्थान सरकार

(श्री मनोज कुमार)

द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस एल पी संख्या इतना-इतना, राजस्थान राज्य बनाम विकास व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होते हुए; इसमें इन्होंने 2012 में परीक्षा कराकर 13,349 और 50 परसेंट से कम वाले अध्यापकों को नियुक्ति दे दी।

उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल बेंच में हाई कोर्ट ने आदेश दिया 55 प्रतिशत। उसके बाद डबल बेंच में सरकार और परिवादी गये और 60 प्रतिशत निर्धारित किया। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि जो भी इस अध्यधीन रहे उनको 50-60 परसेंट वालों को नियुक्ति दी जाए।

अब राजस्थान हाई कोर्ट ने 19.3.2015 को आदेश राज्य सरकार को कर दिया और उस आदेश को मैं अवलोकन करवाना चाहता हूं-

"In view of the above, the following general order in passed –

The State shall publish a common notice for all the districts in Rajasthan Patrika, Dainik Bhaskar and Dainik Navjyoti, which are having mass circulation in the State of Rajasthan, calling for the candidates who are covered in the first, second and third category to file their representations on or before 15.4.15. Such candidates will be provisionally allowed to participate in the selection process on the date as fixed by the respondents. I, however, clarify that no application or writ petition shall be entertained by this Court on behalf of the candidates after said cut off…."

श्री अध्यक्ष: आ गया, आपका पाइंट आ गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): "…dated 15/4/15."

स्टेट गवर्नमेंट ने इस आदेश के बाद भी न तो जिले में विज्ञप्ति जारी की और न कैंडिडेट्स के दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है और न उनको बुला रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपका पाइंट आ गया। आपका पाइंट आ गया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा, लाठियां नहीं, नौकरियां दे सरकार। उन्होंने स्पष्ट लिखा, आरटेट में 60 प्रतिशत से कम अंक वालों को शिक्षक नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बी एड और एस टी सी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसायीं, जो घोर निंदनीय है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आपका पाइंट आ गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उसी संवेदनशील सरकार से कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने आपको जब 19.03 को आदेश दे दिया कि सभी अखबारों में विज्ञप्ति जारी करके आप इनको वहां सम्मिलित करें...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। अब विराजें। बस, बस, विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप विशेषकर इन सबको नियुक्ति में शामिल करें और इनको नियुक्ति दें; सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके इनको योग्य करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य भंवर सिंह।

कोलायत में विद्युत समस्याएं

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से थोड़ा समय लेना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: थोड़ा नहीं, समय का ध्यान रखो आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ऊर्जा मंत्रीजी से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं जिनकी वजह से वहां की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 2008 में पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना' चालू की गयी थी। उस समय लाखों लोगों ने प्रदेश में इस योजना के तहत आवेदन किये और उन आवेदनों का पिछले 2008 से 2013 के कार्यकाल में पूरा निस्तारण किया गया, लगभग सभी लोगों को बिजली के कनेक्शन दे दिये गये। इसी दौरान वंचित रहे लोगों के लिए 2012-13 में पुन: इन लोगों के लिए इसी योजना के तहत 5 के समूह में आवेदन लिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में लाखों की संख्या में 'मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युतीकरण योजना' के तहत 5 के समूह में आवेदन लम्बित हैं। पिछले 15 महीने से इस योजना पर अघोषित रूप से रोक लगायी गयी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना में ढाणियों में रहने वाले किसानों को इस योजना का फायदा दिया जाय जिससे किसान को खेत में लाइट का फायदा मिल सके।

(श्री भंवरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि कुओं पर रहने वाले जो लोग हैं, जो अपना ट्यूबवैल बनाकर खेत में रहते हैं, 6 घण्टे उनको बिजली मिलती है। पूर्व की कांग्रेस की सरकार के समय इन किसानों को 6 घण्टे के अलावा 18 घण्टे सिंगल फेज बिजली मिलती थी जिससे किसान अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा सकता था, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, जून, 2014 में सरकार–आपके-द्वार कार्यक्रम के दौरान जब सरकार बीकानेर आयी तो उस समय बिजली कम्पनियों के चेयरमैन आर.जी. गुप्ता साहब भी वहां आये। उन्होंने एक आदेश निकालकर इन तमाम किसानों के घरों में, इनकी ढाणियों में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन किसानों को सिंगल फेज एल टी कनेक्शन अलग से दिया जाय। यह मैं मांग करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कोलायत विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं। आपने बिजली पर दिया है, वह मैंने अलाउ किया है, इंदिरा गांधी पर नहीं। विराजिए आप। इंदिरा गांधी पर अलाउ नहीं किया है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): नहरी क्षेत्र में सेम का पानी ऊपर होने की वजह से वहां सिंगल फेज कृषि कनेक्शन देने की मैं मांग करना चाहूंगा। क्योंकि सिर्फ 40-50 फीट की गहराई पर वहां पानी है और घरेलू कनेक्शन से वहां किसान अपना ट्यूबवैल चला सकता है। मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस योजना के तहत किसानों को सिंगल फेज कृषि कनेक्शन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: नियम 295। श्री गोरधन।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बैठिए। विराजिए। मैंने आपसे पहले कहा... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट में मैं बात समाप्त करूंगा।

बीकानेर जिले में हजारों किसानों ने दूसरा ट्यूबवैल खुदवा लिया है। एक ट्यूबवेल एक किसान के खेत में होता है और दूसरा ट्यूबवैल उन्होंने

(श्री भंवरसिंह)

खुदवा लिया। डेढ़ साल से वे लाखों रुपये लगाकर बैठे हैं, लेकिन डेढ़ साल का समय बीत जाने के बावजूद इन किसानों को दूसरा कृषि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि पिछले 15 महीनों से, पिछले ऊर्जा मंत्री यह कह रहे थे कि हमारी सरकार नई ऊर्जा नीति बना रही है और उस नई ऊर्जा नीति में राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के आम आदमी को फायदा देने वाली योजनाएं बनायी जाएंगी,...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपने ध्यान खींच लिया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): डेढ़ साल में नई कृषि नीति नहीं बनी, नई ऊर्जा नीति नहीं बनी। इससे राजस्थान के बीकानेर जिले का किसान परेशानियों का सामना कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, यह नहीं। अगली बार मैं आपको मौका नहीं दूंगा, आज कह रहा हूं, जब समय में नहीं बैठते तो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण का सवाल नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता से मैंने कहा था। (व्यवधान) आप विराजिए। विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): नीति जल्दी घोषित करें। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता से मैंने सवेरे कहा था कि दो-तीन हम लिया करेंगे, लेकिन आप समय ज्यादा न लें। भाषण देना चालू कर दिया। तीन-चार मिनट में आ जाय। यही स्थिति है। मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका सदन है, आपका समय है। इसलिए उसका सब ध्यान रखें।

श्री गोरधन।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

धोद में पानी की सुचारू व्यवस्था

श्री गोरधन (धोद): राजस्थान विधान के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में

(श्री गोरधन)

गर्मियों में पानी की सुचारु व्यवस्था के सम्बन्ध में नगरपालिका, लोसल में वार्ड-19, 5-6, वार्ड-1 तथा शास्त्रीनगर एवं ग्राम चन्द्रसिंह की ढाणी, पुंराछोटी, जस्सुपुरू, जाचाम, मुकुन्दपुरा, जीवणनगर, सेवदबड़ी तथा अन्य गांवों में पेयजल की ज्यादा समस्या है। इसका निराकरण किया जावे, जिससे गर्मी के समय जनता को राहत मिल सके। उपरोक्त सभी स्थानों पर नये थ्री फेज ट्यूबवैल लगाये जावें।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

(अनुपस्थित)

श्री खेमाराम।

सुजानगढ़ रोडवेज बस स्टैण्ड पर आवश्यक सुविधाएं

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सुजानगढ़ रोड बस स्टैण्ड का तत्कालीन एवं वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 10.4.2008 को लोकार्पण किया गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री युनूस खान एवं मैं स्वयं भी उपस्थित रहे। इस बस स्टैण्ड में सड़कें टूटी हुई हैं; सुलभ काम्प्लेक्स संचालित नहीं है; पर्याप्त मात्रा में लाइट की व्यवस्था नहीं है; शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तथा स्टाफ की कमी होने के कारण एवं बुकिंग क्लर्क की अनुपस्थिति में बुकिंग खिड़की तक नहीं खोली जाती है। साथ ही, बस स्टैण्ड भवन की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय व जर्जर हो गयी है। कई आवारा पशु देखरेख के अभाव में यहां घूमते रहते हैं।

अत: नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि इसमें एम ओ यू कर इस बस स्टैण्ड में उपरोक्त वर्णित समस्याओं का अविलम्ब निराकरण करने का श्रम करें ताकि आमजन को वांछित एवं उपयुक्त सुविधाएं मिल सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री विद्याशंकर नंदवाना।

सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई अनियमितताओं की जांच

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के सुल्तानपुर कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 1731-40 दिनांक 11.7.2013 के द्वारा स्वच्छता एवं साफ-सफाई हेतु राशि 2.40 लाख आबंटित की गई थी। सी एच सी, सुल्तानपुर में इसके लिए एक क्रय समिति का गठन हुआ जिसमें तत्कालीन बी सी एम ओ, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सी एच सी एवं लेखाकार को शामिल किया गया था। सी एच सी के तत्कालीन प्रभारी डा. परवेज खान द्वारा उक्त बजट के विरुद्ध राशि 3.25 लाख व्यय कर दी गयी, किन्तु निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं राजस्थान लोक उपादान में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना नहीं की गई। तत्कालीन प्रभारी द्वारा उक्त कमेटी को दरकिनार कर स्वयं के स्तर से ही सारी कार्यवाहियां की गईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बिना एस्टिमेट प्राप्त किए ही सारे कार्य करवाये गये। इन कार्यों की न तो समाचार पत्रों में निविदाएं जारी की गईं एवं न ही कार्यों में पारदर्शिता रखी गई। एक ही प्रकृति के कार्य होते हुए भी इन कार्यों को टुकड़ों में करवाया गया। कार्यों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर ही संधारित की गईं एवं सम्बन्धित फर्मो को जारी किए गए पत्र भी स्वयं के द्वारा ही डिस्पेच किये गये। यहां तक कि वित्तीय कार्यों में लेखकार को दरकिनार कर स्वयं के स्तर से ही सभी निर्णय लिये गये। इस प्रकार तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा. परवेज खान द्वारा उक्त मद में राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि 2.40 लाख से भी अधिक 3.25 लाख व्यय करने के उपरांत भी कार्य नहीं करवाये गये एवं सरकारी राशि का केवल कागजों में कार्य दिखाकर फर्जी बिल तैयार कर गबन कर लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त समस्त प्रकरण की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा से करवाई गई एवं उनके द्वारा की गई विस्तृत जांच में भी सी एच सी सुल्तानपुर के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा. परवेज खान को दोषी माना गया है।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चिकित्सक महोदय के पदस्थापन के दौरान अस्पताल परिसर में पीछे की ओर चिकित्सक आवास के सामने बनी हुई बाउंडरी वाल को तोड़कर आस-पास के मकान वालों द्वारा परिसर को ही आम रास्ता बना लिया गया एवं परिसर में स्वयं के वाहन खड़े करने लग गये। यदि समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाता अथवा बाउंडरी तोड़ते समय ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की जाती, तो सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान से भी बचाया जा सकता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत दिए गए निर्देशों की भी इन चिकित्सक महोदय द्वारा धज्जियां उड़ाई गयी हैं। इनके द्वारा एक माह में ही 145 पर्चियों पर ब्राण्डेड दवाइयां लिखी गईं जिसकी जांच उपरान्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा दिनांक 8.9.2014 को इन्हें निलम्बित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को दिये गये एवं प्रभारी सी एच सी सुल्तानपुर द्वारा इन्हें निदेशालय हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकारी सिस्टम की बानगी देखिये कि डा. परवेज के निलम्बन का अनुमोदन नहीं किया जाकर इन्हें पुन: सी एच सी सुल्तानपुर में लगा दिया गया। जब मेरे द्वारा यह सब विषय माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के सामने लाया गया तो उनके द्वारा पुन: डा. परवेज को ए.पी.ओ. कर दिया गया एवं बाद में अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया। किन्तु इनके द्वारा वहां जाइनिंग नहीं दी गई एवं सी एच सी सुल्तानपुर के राजकीय आवास में बैठकर प्रैक्टिस की जाती रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि उक्त समस्त विषयों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जावे एवं राजकीय राशि के गबन, राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं राज्यादेशों की अवहेलना करने के क्रम में उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही अमल में लाई जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

चाकसू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू को सैटेलाइट अस्पताल व

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

ट्रोमा सेंटर में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्धी इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाकसू कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है जहां प्रतिदिन 600-700 मरीज ओ पी डी में आते हैं; गर्मियों में ये 700-800 हो जाते हैं। अस्पताल प्रारम्भ से ही पुराने भवन में संचालित किया जाता रहा है। 30-35 किलोमीटर की परिधि में बसे कौथून, चाकसू, डीडावता, फागी, कोटखावदा, मांजी रेनवाल, शिवदासपुरा आदि के मरीज इस अस्पताल में इलाज हेतु आते हैं। उक्त क्षेत्र का बड़ा अस्पताल तथा फर्स्ट रेफरल यूनिट और प्रसव सुविधा अन्यत्र नहीं होने के कारण सभी मरीजों को यहां रेफर किया जाता है। चाकसू कस्बे से होकर गुजरने वाले नेशनल हाइवे 12 पर होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को भी इलाज हेतु यहीं लाया जाता है। जयपुर से 35-40 किलोमीटर दूर होने के कारण आये दिन यहां गम्भीर पीड़ितों के इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अस्पताल पर क्षेत्र की लगभग 5-6 लाख की आबादी निर्भर रहती है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि चाकसू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता के आधार पर सैटेलाइट अस्पताल व ट्रोमा सेंटर में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें। साथ ही, मौजूदा सत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर सैटेलाइट अस्पताल व ट्रोमा सेंटर की स्थापना की जावे ताकि पीड़ितों को तत्काल उपचार मिल सके और मानव जीवन की रक्षा हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सरकार द्वारा अग्निशमन केन्द्र खोलने एवं अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पिछले तीन-चार वर्षों में आगजनी की अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जिनसे क्षेत्र के लोगों के जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। आम गरीब व्यक्ति के घर में आग लगने से सब कुछ जलकर राख होने पर उसकी पीड़ा कितनी दुखदायी होती है, इसका अनुमान वह ही लगा सकता है जिसके साथ यह हादसा होता है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आग लगने पर उसको बुझाने के लिए करीब 40-50 किलोमीटर दूर सीकर या झुन्झुनूं से अग्निशमन वाहन बुलवाया जाता है। तब तक आगजनी में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। कई बार तो स्थिति यह होती है कि झुन्झुनूं जिले में एक भी अग्निशमन वाहन सही स्थिति में नहीं होता है; यदि सही स्थिति में है तो ड्राइवर उपलब्ध नहीं होता है; और अगर सब कुछ सही रहा, तो उस मशीन का उपयोग सम्बन्धित क्षेत्र में ही किसी अन्य जगह आग बुझाने में हो रहा होता है। इस स्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आग लगने पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जबकि अग्निशमन कार्यालय में कार्य करने हेतु सरकार ने दो कर्मचारी भी लगा रखे हैं, किन्तु अग्निशमन वाहन ही उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारियों का वहां होना भी बेमानी है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को आगजनी से राहत देने के लिए अग्निशमन केन्द्र खोलकर तथा उसमें अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जावे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर तुरन्त प्रभाव से आग पर काबू पाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

रणथम्भौर अभयारण्य के जानवरों द्वारा मारे गए पशुओं का मुआवजा

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर अभयारण्य की सीमा मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के नजदीक आती है। रणथम्भौर अभयारण्य में कई जंगली जानवर रहते हैं। अभयारण्य में निवास करने वाले जंगली जानवर विचरण करते हुए सीमा के समीप देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आ जाते हैं। जंगली जानवर, बाघ-बघेरे ग्रामों में घुसकर पशुपालकों के महंगे पशुओं को मार रहे हैं जिससे उनको लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है, किन्तु सरकार द्वारा इन पशुपालकों को बहुत ही कम राशि सहायता के रूप में देने से असंतोष व्याप्त हो रहा है। मैं आपसे निवेदन

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

करना चाहूंगा कि पशुपालन ग्रामीणों का रोजगार का साधन है। अभी कुछ दिनों पूर्व ग्राम पंचायत गोठड़ा के ग्राम कल्याणपुरा में भी पशुपालकों की सैकड़ों भेड़ों को जंगली जानवरों द्वारा मार देने पर सरकार द्वारा उनको भी नाम मात्र की सहायता राशि दी जा रही है जिसके कारण पशुपालकों में असंतोष व्याप्त है।

अत: इन जंगली जानवरों को रोकने के लिए कारगर उपाय किये जायं तथा इस प्रकार की घटनाओं से पशुपालकों को उनके मृत पशुओं की कीमत के अनुसार अधिकतम मुआवजा दिया जाए। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर शहर के सार्वजनिक पार्कों का सौन्दर्यीकरण

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में स्थित पार्कों को गन्दगी के ढेर के रूप में तब्दील कर दिया गया है एवं असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बना लिया है जिससे वहां के आमजन को जे डी ए, नगर निगम एवं आवासन मण्डल द्वारा छोड़ गए पार्कों से सुविधा की जगह दुविधा बन गई है। पार्कों में शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं होने से दीवारें गन्दी हो रही हैं। मुख्यत: विवेकानन्द पार्क शास्त्रीनगर ए सेक्टर, सेनापति भवन स्थित पार्क, सरस्वती नगर, मधुबन हाउसिंग बोर्ड तथा एयरफोर्स स्थित आहूजा कालोनी में सार्वजनिक पार्क, गोल्फ कोर्स, मालवीय नगर के पास स्थित पार्क, डी डी पी नगर स्थित समस्त 7 पार्क, भगत की कोठी विस्तार योजना स्थित मरुधर उद्यान पार्क, डा. माथुर लायन्स पार्क अग्निशमन केन्द्र के सामने, शास्त्रीनगर ई सेक्टर का सौन्दर्यीकरण, अजीत कालोनी स्थित सार्वजनिक पार्क का सौन्दर्यीकरण, रातानाड़ा सब्जी मण्डी के बीच में स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण, डी डी पी नगर सरोजनी राठौड़ पार्क में चारदीवारी का निर्माण अधूरे पड़े हैं। इसके अलावा जूनी मण्डी, सर्राफा बाजार पार्क का पुनर्निर्माण और शौचालयों का निर्माण, मोहनपुरा स्थित सिद्धेश्वर मंदिर पार्क, अभयगढ़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर पार्क, इत्यादि पिछले कई वर्षों से विकास के अभाव में अधूरे पड़े हैं। इसी के साथ पार्क का भी सौन्दर्यीकरण नहीं होने से वहां की जनता को उसका फायदा नहीं मिलने से वहां की जनता में रोष व्याप्त है।

(श्री कैलाश भंसाली)

जोधपुर शहर के उम्मेद उद्यान, नेहरू पार्क उद्यान, मण्डोर उद्यान, जयनारायण व्यास पार्क फूला रोड, शास्त्रीनगर ई सेक्टर स्थित महाराणा प्रताप पार्क, सत्यनारायण मंदिर पार्क, 5वीं पाल रोड स्थित अहिंसा पार्क, इन सभी बड़े पार्कों की कर्मचारियों के अभाव में सही ढंग से देखरेख नहीं होने के कारण सभी पार्क उजड़ गये हैं। जबकि जोधपुर स्वयं पानी पर तैर रहा है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है परन्तु बागवान नहीं होने के कारण इन प्रमुख बगीचों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उक्त समस्त सार्वजनिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु अतिशीघ्र निविदाएं निकाल कर मरम्मत करवाई जाएं तथा अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किया जाए तथा इन सभी पार्क एवं बगीचों में सुलभ शौचालयों की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि वहां के वृद्धजन, महिलाएं एवं बच्चे आमोद-प्रमोद हेतु भ्रमण करने एवं झूलों का आनन्द ले सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मामन सिंह यादव।

तिजारा में औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी की निकासी की समस्या

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, खुशखेड़ा-टपूकड़ा, कमालपुर-सलारपुर में स्थापित उद्योगों द्वारा दूषित पानी उद्योगों से बाहर आवासीय आबादी क्षेत्र एवं किसानों के खेतों में छोड़ा जा रहा है। यह दूषित पानी पहले किसानों के खेतों से होते हुए हरियाणा सीमा में जाता था लेकिन हरियाणा सरकार ने दूषित पानी को हरियाणा सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। इससे यह दूषित पानी सड़कों व किसानों के खेतों में भरा हुआ है। इससे आमजन का सड़कों से जाना बहुत ही मुश्किल है। इससे किसानों की फसल खराब हो रही है, साथ ही बीमारियां फैलने का खतरा भी हो रहा है।

अत: माननीय उद्योग मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस समस्या पर ठोस कार्रवाई कर औद्योगिक इकाइयों को दूषित पानी को खुले में नहीं छोड़ने के लिए पाबंद करने के साथ-साथ दूषित पानी निकासी व

(मास्टर मामन सिंह यादव)

निराकरण और उक्त उद्योगों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई कराई जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर अनुदेशकों की स्थायी भर्ती

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र 2013 में पृष्ठ संख्या 20 पर क्रम संख्या-5 में लिखा गया है कि कम्प्यूटर शिक्षा हेतु सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जायेगी, परन्तु भाजपा का शासन आते ही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती तो दूर की बात, जो अनुबन्ध पर थे, उनको भी हटा दिया गया। कम्प्यूटर शिक्षा का प्रथम चरण 31 दिसम्बर, 2013 को पूर्ण होना था, परन्तु दिसम्बर, 2013 में भाजपा सरकार आने के बाद अप्रैल, 2014 में लोक सभा चुनाव होने की वजह से कम्प्यूटर अनुदेशकों को नाराज नहीं करने के वास्ते 30 अप्रैल, 2013 तक के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की सेवाएं बढ़ाकर, लोक सभा चुनाव होते ही कम्प्यूटर अनुदेशकों को हटा दिया गया। जहां चुनावी घोषणा पत्र में 15 लाख युवाओं को रोजगार का वादा किया गया है, दूसरी तरफ योग्यताधारी एवं अनुभवी कम्प्यूटर अनुदेशकों (शिक्षकों) को बेरोजगार कर दिया गया।

बेरोजगार कम्प्यूटर शिक्षकों द्वारा उद्योग मैदान, जयपुर में जून-जुलाई-अगस्त, 2014 में 64 दिन का धरना देने के दौरान कम्प्यूटर शिक्षक महिलाएं 7 जुलाई, 2014 को उद्योग मैदान से सिविल लाइन फाटक तक 50 डिग्री तापमान में तपती सड़क पर दण्डवत करती हुए अपनी मांगों को मुख्य मंत्री तक पहुंचाने के लिए गई, परन्तु मुख्य मंत्री से मुलाकात तो दूर, गर्मी की वजह से छह महिलाएं बीमार होने से अस्पताल पहुंच गईं। फिर भी आज तक कम्प्यूटर शिक्षकों की जायज मांगों पर सरकार द्वारा सुनवाई नहीं हो पाई। 13 अगस्त, 2014 को बेरोजगार कम्प्यूटर शिक्षक अपनी मांगें मनवाने के लिए सचिवालय की टंकी पर आत्महत्या के लिए चढ़ गये थे, जिनको शिक्षा मंत्री कालीचरणजी सराफ ने कमेटी बनाकर, लिखित में आश्वासन देने के बाद भी, अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पृष्ठ संख्या-37 के क्रम संख्या-5 पर सभी अस्थायी कर्मचारियों के साथ कम्प्यूटर शिक्षकों को नियमित करने के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त समिति बनाई जाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु अभी तक केवल कमेटियां ही बनीं, किया कुछ भी नहीं।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कम्प्यूटर अनुदेशकों को स्थायी नियुक्ति देकर राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शैतानसिंह राठौड़।

पोकरण में काश्तकारों की समस्याएं

श्री शैतान सिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण, जिला जैसलमेर में केन्द्रीय जल बोर्ड द्वारा मंजूर फलौदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्षेत्र में पोकरण तहसील के बड़े गांव नोख, तालरिया, बोडाना, बीठे का गांव, ढालेरी ठाकरबा, गैलाबा, मेघवालों की ढाणी, इत्यादि गांवों की राजस्व भूमि राजस्व से उपनिवेशन विभाग में सन् 1987 के गजट में अनुसूचित हो गई थी।

(2) सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड 35 वर्षों से राजस्व तहसील, उपखण्ड कार्यालय, जिलाधीश कार्यालय जैसलमेर में रहने के कारण हजारों किसानों को उपनिवेशन अधिनियम की आड़ में काश्तकारी अधिनियम, 1970 से महरूम रखा जा रहा है।

(3) उपखण्ड अधिकारी इस अधिसूचना का हवाला देकर धारा 136, 188 के दावों को यह कहकर खारिज कर देते हैं कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(4) उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना, जैसलमेर के यहां दावा किया जाता है। वह यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि राजस्व रिकार्ड तहसीलदार, पोकरण उपखण्ड कार्यालय, जैसलमेर के पास है। वे सभी दावों का निस्तारण कर सकते हैं। ऐसा आदेश भू.अ. 2010/533-43 दिनांक 2.3.2010 राज्य सरकार से निकल चुका है।

(5) उपनिवेशन की धारा का हवाला देकर 1972 से 1978 में सैकड़ों भूमि आबंटन, 1987 से पूर्व मिली खातेदारी को एक नोट लगाकर पुन: गैर-खातेदार कर दिया गया है। पुन: खातेदारी प्राप्त करने के लिए महरूम हो गये हैं। आज तक कोई सुनने वाला नहीं है।

(श्री शैतानसिंह)

(6) नोख ब्रांच, नोख माइनर, नेतावता ब्रांच, अन्ना माइनर, इत्यादि सन् 2000 से पूर्व किसानों के खेतों में से निकालकर हजारों बीघा भूमि बिना कोई नोटिस दिये अवाप्त कर ली गई तथा पटवारियों ने सेट-अपार्ट कर दी, कब्जा दे दिया, परन्तु सरकारी रिकार्ड में इसी नियम की आड़ में नहर विभाग के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया, जिससे सैकड़ों किसानों को न मुआवजा मिल सकता तथा न ही अपनी भूमि पर काश्त कर सकते। इसमें कई किसानों की आधी से अधिक भूमि नहर में अवाप्त हो चुकी है। कोई दावा सुनने वाला नहीं है।

(7) राजस्व पटवारी अपनी मनमर्जी से रिकार्ड में हेराफेरी करते पाये गये, जिसमें तरमीम बदलने, पट्टे बट्टे नम्बर साफ कर देने से सैकड़ों किसानों की भूमियों में विवाद उत्पन्न हो गया है। सक्षम अधिकारी इसी नियम की आड़ में हाथ खींच लेते हैं एवं अपना अधिकार क्षेत्र न बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पटवारी राजस्व की रिपोर्ट पर राजस्व नियम के तहत सभी परिवर्तन सम्भव हैं, परन्तु उसके विरुद्ध आमजन की आपत्तियों को सुनने के लिए उपनिवेशन कानून उनके आड़े आ जाता है।

(8) हम मानते हैं कि यह मामला पूर्व सरकार में अपने चहेतों का हित साधने हेतु लटकाये रखा गया है। हमें तो जनता को सुशासन देना है, त्वरित कार्रवाई करनी है ताकि आमजन किसान को राहत मिल सके।

(9) दावा/वाद सुनने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को दिया जाये, चूंकि सम्पूर्ण रिकार्ड तहसील पोकरण एवं उपखण्ड कार्यालय पोकरण में ही व्यवस्थित है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री किशनाराम।

पालनहार योजना का प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पालनहार योजना चल रही है तो वह कौन से वर्ष से प्रारम्भ की गई थी? इस योजना में सरकार के द्वारा क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? उन लक्ष्यों में बीकानेर जिले एवं खास तौर पर डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्या-क्या लक्ष्य

(श्री किशनाराम)

निर्धारित किये गये थे? उन लक्ष्यों की पूर्ति में विभाग कहां तक सफल हुआ और कितना असफल रहा? इस पालनहार योजना में अब तक कितने लोगों को कहां-कहां पर कब-कब लाभान्वित किया गया है? खास तौर पर बीकानेर जिले और श्रीडूंगरगढ़ तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में समस्त लाभान्वित हुए व्यक्तियों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध करायें। इस योजना में नये लोगों को और जोड़ा जा सकता है तो उसके लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

यदि विभाग और सरकार इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते तो इस योजना से और ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते थे। इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार में किस स्तर पर लापरवाही रही है और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? मेरी सरकार और विभाग से मांग है कि इस पालनहार योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

अत: नियम 295 के तहत मेरा महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया इस पालनहार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें ताकि इससे अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चित्तौड़गढ़ के घाटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सादी में मोडिया महादेव बांध के डूब क्षेत्र में आयी भूमि का मुआवजा

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिला चित्तौड़गढ़ के घाटा क्षेत्र ग्राम पंचायत सादी में खातेदारी भूमि पर जल संसाधन विभाग द्वारा मोडिया महादेव बांध का निर्माण कराया गया। वह करीब 1979-80 के आसपास बनाया गया था। इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले गांव पालेर की झोपड़्या के निवासियों को न तो कभी न किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया और न ही इन्हें कहीं अन्यत्र विस्थापित किया गया। पालेर की झोपड़्या गांव के निवासियों की खातेदारी भूमि डूब क्षेत्र में आने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि कृषि के अभाव में आदिवासी किसान भूखे मरने को मजबूर हैं। पूर्व में भी जन प्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या बाबत

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था किन्तु विगत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। चित्तौड़गढ़ के उक्त घाटा क्षेत्र के आदिवासी किसान लगभग 30 वर्षों से मुआवजे व जमीन की मांग सरकार से कर रहे हैं।

अत: आदिवासी किसानों के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जिला चित्तौड़गढ़ के घाटा ग्राम पंचायत सादी में खातेदारी भूमि पर निर्मित मोडिया महादेव बांध के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले पालेर की झोपड्या ग्राम के अन्यत्र विस्थापितों को इनके बदले वन भूमि 50.15 बीघा दी गई थी। वह दो-तीन साल पहले उस जमीन को खाली भी करवा दिया गया। ये भील जाति के लोग हैं, करीब वहां 100-150 मकान हैं पर उनकी जितनी भी जमीन थी वह सब इस डूब क्षेत्र में आ गई। आज की तारीख में उनके पास न तो एक इंच जमीन है, वहां रहने के मकान जरूर हैं, और यह बताया जाता है कि उनको वहां कहीं दूसरी जगह 40-50 किलोमीटर पर दूसरी जगह जमीन अलाट हुई है पर उस जमीन पर भी आज दिन तक किसी ने कब्जा नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि उन लोगों को अगर आपने कहीं जमीन दी है तो उनको जल्दी से जल्दी आप कितने टाइम में दे देंगे? उनको अभी तक यह पता नहीं है कि हमको जमीन दी है। अगर कहीं जमीन दी भी है तो उनको आप कब्जा कब तक सौपेंगे, कितने टाइम में सौपेंगे? क्योंकि यह 25-30 साल पुराना मामला है और वे लोग इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं, आये दिन धरना भी देते हैं। उनकी उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम मेहर। आप रेस्पोण्ड कर रहे हैं?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आदिवासी लोगों का जो 34-35 साल पुराना मुद्दा है, इन्होंने हाउस में उठाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको पता है कि बांध बनने के बाद में जो लोग वहां से विस्थापित हुए थे, तो वे वन भूमि ही लेना चाहते हैं और वह नियम क़ायदों के हिसाब से हो नहीं सकती। इसी उधेड़बुन में इतना लम्बा समय निकल गया। आज की तारीख में ये 12 परिवार हैं, इनको जिला

(डा. रामप्रताप)

कलक्टर, चित्तौड़ ने जमीन अलाट कर दी है, लेकिन वे थोड़ी जाने में आनाकानी कर रहे हैं।

तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि आप उनको मोटिवेट करें। उनको जमीन मिल चुकी है और कोई कमी-खामी है तो वह भी बतायें, उसको भी दूर करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम मेहर।

दौसा जिले में बढ़ती लूट व डकैती की घटनाएं

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पड़ोस के विधान सभा क्षेत्र महुवा का मामला है, एफ आई आर नम्बर 86/14, 274/14, 52/15 और 206/13 थाना मण्डावर जिला दौसा की हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कहती है कि हमने अपराध, लूटपाट, डकैती कम की हैं, जबकि अभी हाल ही में विधान सभा क्षेत्र महुवा के मण्डावर कस्बे में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मण्डी व्यापारी अपनी फर्म लक्ष्मी बारदाना स्टोर में बैठा हुआ था, दोपहर के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति आये और दुकान पर मौका देखकर दस लाख रुपये लेकर चले गए, जिस पर आज दिन तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस मूक-बधिर बनकर बैठी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ ही एक घटना आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि दिनांक 26 अप्रैल, 2014 को मण्डावर मण्डी में फर्म घनश्यामदास मुरारीलाल का बैंक में चार लाख रुपये लेकर आ रहा था। रास्ते में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके बैग को काटकर रुपये निकाल लिये गये, जिसकी थाना मण्डावर में एफ आई आर संख्या 86/14 दर्ज कराई गई है परन्तु घटना पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, न कोई अपराधी पकड़ा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आये दिन हो रही घटनाओं में पुलिस बिलकुल नाकाम हो रही है। यह कैसा प्रशासन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है लेकिन सरकार व पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की एक घटना फिर वहीं मण्डावर थाने में 10 दिसम्बर, 2014 की है। दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को

(श्री घनश्याम)

गढ़ हिम्मतसिंह में श्रीमती शीला सोनी, राजू सोनी के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में घुस कर मारपीट की गई। सोने की चूड़ी और जेवरात को लेकर दिन-दहाड़े वे चले गये। पुलिस द्वारा आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है और न ही अपराधी पकड़े गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला दौसा में इसी प्रकार भय व्याप्त हो रहा है। एक शरीफ व्यक्ति भयमुक्त होकर नहीं जी सकता। सरकार के मंत्री महोदय कहते हैं, हमने अपराधों पर अंकुश लगा दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घटना मैं जिले के मण्डावर कस्बे की और आपके सामने उजागर करना चाहता हूं, जिसमें एफ आई आर संख्या-52/15 अभी हाल में घटित हुई है। इसमें फर्म बाबूदयाल बृजमोहन, जो दोपहर के एक बजे अपनी दुकान पर माल नीलामी करा रहा था, 9 लाख 42 हजार रुपये गल्ले में रखे हुए थे, दिन-दहाड़े अज्ञात व्यक्ति उनके पैसे को निकालकर ले गये, जिस पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आज दिन तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं आये दिन हो रही हैं। अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में एक घटना मैं आपके सामने और उजागर करना चाहता हूं। सितम्बर, 2013 को दौसा जिले के ग्राम ईसरीखेड़ा में अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई जिसमें पुलिस के एक हैड कांस्टेबल की मौत हो गई। आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गये हैं कि आज, जनता की सुरक्षा तो दूर की बात है, पुलिस प्रशासन भी इससे बच नहीं पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे पुलिस कर्मचारियों को सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिये जाने के उपरांत भी परिजन को किसी प्रकार का रोजगार व नौकरी नहीं दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना दिनांक 19 मार्च, 2015 थाना हलैना की है जिसमें श्री वासुदेव गुप्ता, पूर्व संरपच, हलैना के घर पर रात के समय छत का जाल काटकर बदमाशों द्वारा संगीन घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 11 लाख रुपये और डेढ़ किलो सोना, चालीस लाख रुपये का माल लूटकर फरार हो गये। जबकि वारदात थाने के बिलकुल नाक के नीचे घटित हुई है जिसकी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(श्री घनश्याम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, आप आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दौसा जिले में जिस प्रकार की घटना आये दिन हो रही हैं, पुलिस नाकाम होकर बैठी हुई है और सरकार भयमुक्त प्रदेश का नारा दे रही है। मुझे नहीं लगता, यह भयमुक्त प्रदेश या लूटमुक्त प्रदेश बन गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि आप इन प्रकरणों पर अविलम्ब कार्रवाई करावें और दौसा जिले की आम जनता को भयमुक्त करावें। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा। आप रेस्पोण्ड करेंगे क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया है, वास्तव में उनमें जो सफलता पुलिस को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली। मैं उसको स्वीकार करता हूं। अभी-अभी की जो घटना हुई अनिल खण्डेलवाल की और आपकी मण्डी में था और वह बाहर माल तौल रहा था, पीछे उसी के कैम्प्स में से 9 लाख के समथिंग ले गये। हम उस केस में जहां से पैसा इन्होंने बैंक से विथड्रा किया है, उसकी फुटेज और उसको देख रहे हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। जिन प्रकरणों को आपने गिनाया और मण्डावर के साथ आपने भरतपुर को भी जोड़ दिया, इतना तो एकदम मेरे पास सारा नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह बिलकुल लगा हुआ थाना है। यह कोई ज्यादा दूर की घटना नहीं है, इस थाने की सीमा लगी हुई है।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): दिनांक 19.3.2014 की ही घटना है।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि हलैना थाने की जो घटना हुई वे डकैत घर पर थे और उनका एक परिवारजन थाने पहुंच गया और थानेदार का जवाब था कि पैसे वाले नहीं लुटेंगे तो क्या गरीब लुटेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम ऐसे थानेदार को सस्पेण्ड करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): उस थानेदार का बहुत अभद्र व्यवहार था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पर्ची के माध्यम से ऐसी चर्चा नहीं होती।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, यह सही बात है, पर ये पास का थाना है। इसलिए, मंत्री महोदय, मैंने निवेदन किया है।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थाना आदर्श थाना और है और हाइवे 11 पर थाने के बिलकुल नाक के नीचे यह घटना घटी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप भी स्थान ग्रहण कीजिये। पर्ची के माध्यम से आदान-प्रदान नहीं हो सकता सवालों का। विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपकी किसी बात को नकारा नहीं है और न मैं यह कह रहा हूं कि ये घटनाएं नहीं हुईं और इन घटनाओं में हमको सफलता मिली, यह मैं नहीं कह रहा हूं। हुई हैं निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो इतना कहा कि चूंकि आपने जो अभी यहां प्रस्ताव उठाया, वह केवल मण्डावर का उठाया और इस कारण से राजस्थान के बाकी सारे केसेज के बारे में एकदम मैं यहां उत्तर दे सकूंगा, वह तो मेरे लिए सम्भव नहीं था। इस कारण से मैंने हलेना के बारे में कहा। वह भरतपुर की घटना है, उससे इसको जोड़ लिया।

मैं आपको यह कहता हूं, निश्चित रूप से मेरी स्वयं एस पी से बात हुई, आपने तो प्रस्ताव आज लगाया, मैंने उसके पहले ही उनसे बात की है और वास्तव में मैंने हिदायत दी है कि लगातार आपके मण्डावर में एक के बाद एक घटना हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपका जो अधिकारी है वह कंपीटेंट नहीं है तो तुरन्त उसे बदलिये और नहीं तो मैं यहां से कोई अधिकारियों की टीम बना करके भेजूंगा और इन सब केसेज को खोलने का प्रयास करूंगा।

इसमें आपने जो उठाया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं पर मैं यह भी गारंटी नहीं कर सकता हूं कि मैं राजस्थान की हर घटना को खोल ही दूंगा, लेकिन मैं आज यह बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में पिछले एक साल में जितनी भी बहुत ही बड़ी घटनाएं जो जन चर्चा का विषय बनी हैं, उनमें 90 परसेंट घटनाओं को पुलिस खोलने में सफल हो गयी है। ये चोरी की घटनाओं में अभी भी हम कमजोर पड़ रहे हैं; जितनी चोरी की वारदातें या जो लूटखोरी की वारदातें हो रही हैं इनमें हमारा जो परसेंटेज है वो कम है।

मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि मुझे यहां से भी कोई टीम भेजनी पड़ी तो टीम बना करके, ये जो मण्डावर की घटनाएं हैं, इन सारी को क्लब करके, एक साथ इसकी तफ्तीश के लिए प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं; बिलकुल नहीं। सवाल-जवाब नहीं हो सकते। कोई सवाल-जवाब नहीं।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हलैना की घटना हुई है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) घटना और है उनकी, आपको मैं लिखित में दूंगा। (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (वैर): ...(व्यवधान) थाने में और इनमें हुई है। वह भी आप जांच करायेंगे क्या?

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): ...(व्यवधान) मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अब अंकित नहीं हो।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): ×××

श्री भजन लाल जाटव (वैर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, यह चर्चा नहीं चलायी जा सकती। आप मिल लीजिये।

श्री सुशील कटारा।

चिकित्सा विभाग में नर्सिंगकर्मियों की भर्ती में अनियमितता

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कल चिकित्सा विभाग में आठ हजार के लगभग नर्सिंगकर्मियों की भर्तियां की गई। निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक..., नर्सिंग सीधी भर्ती 2013, कल आठ हजार जारी की, जिसमें रोटेशन पद्धति पर जो भर्तियां होनी चाहिए थीं, निदेशालय ने उस ओर ध्यान नहीं दिया।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि निदेशालय द्वारा जो कट-आफ-मार्क्स के बाद में सूची जारी की है पूरे राजस्थान की, जनरल मेल की 70.85 परसेंट, फीमेल की 66.66 परसेंट; एस सी पूरे राजस्थान की 62.99 परसेंट, फीमेल की 57.53 परसेंट; जनरल

(श्री सुशील कटारा)

एस टी जो पूरे राजस्थान की 58.77 और महिलाओं की 46.85; ओ बी सी पूरे राजस्थान की पुरुष की 67.85, महिला की 62.98; एस बी सी पुरुष की 63.53 और महिला की 59.66; टी एस पी क्षेत्र की जो एस टी की कट-आफ-मार्क्स सूची जारी की है, उसमें जो अंतिम पुरुष की है, 62.30 परसेंट और महिला की है 59.88 परसेंट।

मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में आज तक जितने भी विभागों में भर्ती हुई है, उन तमाम विभागों में रोटेशन पद्धति के तहत टी एस पी क्षेत्र को अलग से आरक्षण दिया गया है, 12 परसेंट तो संविधान के तहत राजस्थान में हमको दिया गया है। ये जो भर्ती की गई है, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो प्रोविजनल लिस्ट आपने जारी की है, आरक्षण एस टी में मेरिट लिस्ट में कट-आफ हमेशा विभिन्न भर्तियों में रोस्टर प्रणाली के तहत जारी होती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है और टी एस पी में एस टी की कट-आफ सूची जनरल एस टी से ज्यादा है। जहां टी एस पी क्षेत्र में 62.30 परसेंट, मतलब, पूरे राजस्थान के टी एस पी क्षेत्र के एस टी हैं वो राजस्थान के जनरल एस टी से ज्यादा हैं। तो होना यह चाहिए था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 62 परसेंट से जितने भी ऊपर, या 58 परसेंट जो राजस्थान की जनरल एस टी की जो मेरिट जो रखी है, उसके ऊपर जितने भी बच्चे थे, अगर वे पूरे राजस्थान की जनरल की सूची में आते तो उनको वहां लेना चाहिए था, या 58 परसेंट से ऊपर जितने बच्चे थे उनको राजस्थान की जनरल एस टी की मेरिट में लेना चाहिए था। 12 परसेंट आरक्षण के बाद शेष जो बचते 45 परसेंट, उनको टी एस पी एरिया में लिया जाता। जहां महिलाओं की, माननीय अध्यक्ष महोदय, 46.85 परसेंट पूरे राजस्थान के एस टी की महिलाओं का और टी एस पी क्षेत्र की महिलाओं का 59.88 परसेंट; मतलब, 14 परसेंट का गैप है। 46 परसेंट से ऊपर जो महिला का टी एस पी क्षेत्र की है, उसका सलेक्शन ही नहीं हुआ है इसमें।

इसमें, माननीय मंत्री महोदय, बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। मेरे वहां का ओ बी सी का छात्र है राजेन्द्र कुमार लबाना पुत्र श्री ईश्वर लबाना; आपने ओ बी सी और एस बी सी की लिस्ट जारी की है, ओ बी सी की 67.85 पुरुष और 62.98 महिला, एस बी सी की 63.53 और महिला की 59; यह बच्चा एस बी सी का है और उसके 70 परसेंट है, इसके बाद भी उसका किसी भी

(श्री सुशील कटारा)

सूची में नाम नहीं आया है। एस बी सी में भी नहीं और राजस्थान की ओ बी सी में भी नहीं आया। मतलब, कहां विसंगतियां हुईं?

हम कल टी एस पी क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए इतनी सारी बात कर रहे थे और कल ही ये सूचियां जारी हुईं। इसके बाद में टी एस पी क्षेत्र के जो राजस्थान की जनरल की 58 परसेंट एस टी की मेरिट में उसके ऊपर जितने बच्चे हैं, किसी का 80 परसेंट होगा, उसको जनरल की सूची में लेना चाहिए था, उसको नहीं लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इन विसंगतियों को दूर करायें और जितनी भी परिवेदनाएं हैं ऐसे बच्चे जो रह गये हैं, संविदा पर लगे हुए, जो तीन-तीन, चार-चार साल तक संविदा पर पी एच सीज में लगे हुए हैं, उनका भी कहीं सूची में नाम नहीं आया है, वे आपने परिवेदनाएं मंगवाई हैं, बच्चे दे भी रहे हैं, पर इन विसंगतियों को दूर करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कल 14,200 नर्स ग्रेड सेकंड और ए एन एम की मेरिट के आधार पर एक सूची जारी हुई है। ये सारी वे हैं जो 26.2.2013 को तत्कालीन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकालकर आवेदन पत्र प्राप्त किये थे। उस समय जो सेवारत कर्मी थे एन आर एच एम में, उनको एक वर्ष का दस नंबर बोनस, दो वर्ष के बीस और तीन वर्ष के तीस-दस, बीस, तीस के आधार पर बोनस अंक दिये गये थे। यह मामला उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की वृहत् पीठ में गया और उच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि आप दस, बीस, तीस नहीं, पांच, दस, पन्द्रह के आधार पर इनको बोनस अंक दे सकते हो। तत्कालीन सरकार इसमें सर्वोच्च न्यायालय में गयी और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला 26 फरवरी, 2013 से लेकर 5 जनवरी, 2015 तक सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रहा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक नीतिगत निर्णय लिया, हमने एस एल पी वापस ली और इस भर्ती की प्रक्रिया को, जो पूर्ववर्ती सरकार ने 26.2.2013 को जारी की थी, इसको हमने लागू किया।

यह बात भी सही है कि इस बार टी एस पी का जो आरक्षण है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, आपने घोषणा तो पच्चीस हजार की की थी, फिर चौदह ही क्यों कर रहे हों? ये तो बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, वह भी बता रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टी एस पी का जो आरक्षण है वह जनसंख्या के अनुपात में आठ परसेंट, टी एस पी में एस टी का 45 परसेंट और एस सी का 5 परसेंट और सामान्य का पचास परसेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, पचास परसेंट में तो इसलिए हम इसको विचारार्थ नहीं ले सके क्योंकि उस समय जब यह आदेश जारी हुआ था, विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें स्थानीय तौर पर पचास प्रतिशत भरे जाने का आदेश जारी नहीं हुआ था। यह आदेश जारी हुआ है सामान्य का 16.6.2013 को और यह विज्ञप्ति जारी हो गई थी 26.02.2013 को।

(13.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो टी एस पी में है यह 45 परसेंट और 5 परसेंट, इनकी अलग से आरक्षित सूची बनाई गई। टी एस पी में जनरल लिस्ट थी, उसमें जो टी एस पी के बच्चे आ गये जनरल में, वे तो टी एस पी में आ गये, परन्तु टी एस पी क्षेत्र के जो इसमें अभ्यर्थी थे, उनकी 45 और 5 परसेंट के आधार पर जब हमने अलग से सूची बनाई..., अध्यक्ष महोदय, यह पहला पखवाड़ा है, इसमें यह सही कह रहे हैं कि हमने घोषणा की थी; अध्यक्ष महोदय, मैं आज की तारीख में निवेदन कर रहा हूं कि अभी 36,599 पैरामेडिक्स की भर्ती हम इस 30 अप्रैल तक पूरी कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हमने चालू कर रखा है। मैं समझता हूं, राजस्थान बनने के बाद एक साथ इतनी भर्तियों की प्रक्रिया, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि सबको रोजगार मिले, उस दृष्टि से हमने ये कदम उठाये हैं। टी एस पी एरिया में जो अभ्यर्थी थे उनकी अलग सूची बनाने पर, जो आपने अभी इंगित किया, निश्चित तौर पर वही प्रतिशत है, मेरे पास भी वह सूची है। आपने कहा कि जनरल की एस सी और एस टी से टी एस पी एरिया में जब हमने अलग से 45 और 5 परसेंट के आधार पर सूची बनाई, अब सवाल यह उठता है कि उनको जनरल में शामिल क्यों नहीं किया जाये? अध्यक्ष महोदय, दोहरा लाभ कैसे? जनरल में अगर उनको शामिल करें तो जनरल में भी उन्होंने लाभ ले लिया, जनरल एस सी और एस टी में और टी एस पी में भी लाभ ले लिया।

अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात भी इन सारी विसंगतियों की बात जो यह कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, एक परिवेदना समिति बनाई गई है जिसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिशन निदेशक एन आर एच एम जो आई ए एस अफसर हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है; उप शासन सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य (ग्रुप-3) को सदस्य बनाया गया है; निदेशक, जन स्वास्थ्य को सदस्य बनाया है? अतिरिक्त निदेशक को सदस्य बनाया है; रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को सदस्य बनाया है और एक इसमें ला का है। इन सारी परिवेदनाओं के आधार पर जितनी परिवेदनाएं आई हैं, हमने कट-आफ-डेट से, जिस तरह आपने एक नाम दिया, कट-आफ-डेट से एक अभ्यर्थी के अंक ज्यादा हैं ओ बी सी के, लबाना के और उसको इस सूची में शामिल नहीं किया गया, तो ऐसी सारी परिवेदनाएं, हमने एक सप्ताह का समय लिया है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने दो स्तरीय परिवेदना समिति बनाई है और एस सी, एस टी और विशेष तौर पर शिड्यूल्ड एरिया के जो लोग हैं उनका हक राजस्थान की सरकार किसी तरह मारना नहीं चाहती।

अध्यक्ष महोदय, वहां जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा आगे भी भर्ती होगी और यह जो भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ की है, अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पास 17,347 पद तो ऐसे हैं जो एन आर एच एम में हैं। अभी एन आर एच एम की पी आई पी का भारत सरकार की तरफ से पूरा अनुमोदन हुआ नहीं है, उसके अनुमोदन के बाद हम भर्ती करेंगे और 36,599, अलग-अलग संवर्ग हैं, उनको भर्ती करने का काम हमने प्रारम्भ किया है।

इसमें माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि उनको जनरल एस सी में भी लिया जाये और उसके बाद शिड्यूल्ड एरिया के ट्राइब्स की अलग से और शिड्यूल्ड कास्ट्स की अलग से लिस्ट बनाई जाये, मैं इसको दिखवा लूंगा। डी ओ पी के सचिव ने हमारे विभाग को जो राय दी, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि आप शिड्यूल्ड एरिया के एस सी और एस टी की अलग से सूची बनाओ और जनरल की अलग से बनाओ, उस हिसाब से हमने बनाई है। परन्तु फिर भी अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी बेसी-रही तो परिवेदना के लिए हमने एक कमेटी बना रखी है और मैं व्यक्तिशः इसको दिखवा लूंगा कि इसमें किसी प्रकार से हमारे एस सी, एस टी का, विशेष तौर से ट्रायबल एरिया के लोगों का हक नहीं मरे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इसमें मुझे भी एक टिप्पणी करनी है...(व्यवधान) आप बैठिए, एक टिप्पणी करनी है कि सब जगह रोस्टर मेनटेन

(श्री अध्यक्ष)

हो रहा है या नहीं, यह आप विशेष तौर से दिखवा लेंगे तो कई उलझनें दूर हो जायेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा। नहीं, बैठिए, अब इसमें बहस नहीं। मैंने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, रोस्टर मेनटेन हो जायेगा तो आधी से ज्यादा गड़बड़ी दूर हो जायेगी।

मोबाइल टावरों से कारित रेडिएशन एवं स्वास्थ्य पर घातक दुष्प्रभाव

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में जो मोबाइल टावर लगे हुए हैं, ये मोबाइल टावर नहीं हैं, ये मौत के टावर हैं। कई अनुसंधानों से भी यह बात साबित हो चुकी है कि प्रदेश में जो भी मोबाइल टावर लग रहे हैं, उन मोबाइल टावरों से जो रेडिएशन लग रहा है उस रेडिएशन का प्रभाव इंसान के ऊपर ही नहीं, पक्षियों के ऊपर भी पड रहा है; इस सृष्टि के जो अन्य प्राणी हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, यू डी एच मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में जो आपके स्थानीय निकाय हैं, उन स्थानीय निकायों में जो टावर लगे हुए हैं ये टावर लगने से पहले क्या उन कम्पनियों ने आपकी स्थानीय निकाय से एन ओ सी ली है? और यदि एन ओ सी ली है तो स्थानीय निकाय ने एन ओ सी जारी करने से पहले जो उनका वाणिज्यिक उपयोग है उनके उपयोग की लैंड यूज चेंज करने का काम भी किया या नहीं किया? यह एक बार देखने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर में यह मोबाइल टावर कम्पनियां हैं, ये गांवों में प्राइवेट व्यक्ति के मकानों के ऊपर भी टावर लगाने का काम कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत की भी एन ओ सी उनके पास नहीं है, न ही उनके लैंड यूज चेंज करने का काम भी उन्होंने किया है। अध्यक्ष महोदय, जिन कम्पनियों ने अपने टावर लगाये हैं उन्होंने अगर स्थानीय निकाय से या ग्राम पंचायत से एन ओ सी भी ली है तो वह एक टावर लगाने के लिये है लेकिन, अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामलाल शर्मा)

अगर आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखोगे तो उस एक टावर के ऊपर विभिन्न कम्पनियों के सर्वर लगे हुए आपको मिलेंगे, रिलायंस के भी मिलेंगे, एयरसेल के भी मिलेंगे, आइडिया के भी मिलेंगे। अनुमति वे एक टावर लगाने की लेते हैं लेकिन विभिन्न सर्वर उस पर लगाने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन टावरों से निकले वाला जो रेडिएशन है उसके इतने घातक परिणाम निकलकर सामने आये हैं और जिस प्रकार से आज वर्तमान में सदन के सभी माननीय सदस्य चिंता करते हैं कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है जो गंगानगर होती हुई गुजरती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है; अध्यक्ष महोदय, समय रहते अगर हम नहीं चेते तो आने वाले समय में, वह एक ट्रेन चलती है, यहां हर घर में एक कैंसर का रोगी आपको मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से, चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने रिप्लाई इस बात का जिक्र जरूर करें कि जहां-जहां टावर लगे हुए हैं उन टावरों की 100 मीटर की परिधि में रहने वाले जो लोग हैं, एक टीम बनाकर उन लोगों की जांच करायें कि क्या इन टावरों से निकलने वाली रेडिएशन से वहां रहने वाले लोग गम्भीर रोग से ग्रसित हैं। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं, पिछली बार भी मैंने सदन में कहा था, मेरे चौमूं में धोलीमंडी में एक टावर लगा हुआ है। एस डी एम को भी ज्ञापन दिया, कलक्टर को भी ज्ञापन दिया, अभी तक उनकी जांच एजेंसी की टीम वहां नहीं पहुंची। अध्यक्ष महोदय, लगभग दस व्यक्ति ऐसे हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं और उनमें से तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। 100 मीटर की परिधि में ही दस लोग कैंसर से ग्रसित हैं। अगर इस मामले की पूरे प्रदेश में चिकित्सा मंत्रीजी जांच करायेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में जो आबादी बसी हुई कालोनियां हैं उन कालोनियों में भी जो टावर लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, पहले कई बार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इन टावरों के बारे में छपा, वह आपने भी पढ़ा। हमने भी पढ़ा। आपने देखा होगा, सेंट्रल पार्क के आसपास आपका मोबाइल भी काम नहीं करता क्योंकि वहां जो टावर लगा हुआ है उसकी गति बहुत धीमी कर रखी है। वह गति धीमी इसलिए कर रखी है ताकि उसका प्रतिकूल प्रभाव इंसान पर नहीं पड़े। सेंट्रल पार्क की परिधि को आप पार करोगे तो आपका मोबाइल का टावर उस वेग से पकड़ेगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

जिस तरीके से आधुनिक विज्ञान प्रगति तो कर रहा है लेकिन यह प्रगति आने वाले समय में मनुष्य पर भारी न पड़ जाये, इस ओर ध्यान दिलाना आपके माध्यम से चाहता था।

आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि यू डी एच मंत्री महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इस गम्भीर समस्या के ऊपर वे अपना वक्तव्य जरूर दें।

श्री अध्यक्ष: आप में से रेस्पोंड करेंगे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो रेडिएशन टावर विदिन परमिटेड रेडिएशन पर लगने वाले टावर्स पर परमिशन के बारे में चर्चा कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, 4जी के लिए 31 अगस्त, 2012 को एक आर्डर राजस्थान सरकार ने जारी किया जिसके तहत राजस्थान में 4जी के टावर लग रहे हैं। साफ तौर पर उसमें इस बात को लिखा गया है "Before operationalising antenna installed over the residential rooftop, test report of radiation level will be taken from the approved agency like IIT approved by the State Govt." अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इस आर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है- "The radiation from the towers shall not exceed the limits prescribed by the Govt. of India." इसमें एक ओर राइडर है- ''10% of the total GBM will be inspected by the Technical Department concerned of Govt. of India as also State Govt. He will get the technical testing of at least 25% of the total GBM through independent technical agencies such as IIT to check the radiation norms every year."

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिपार्टमेंट आफ टेलीकम्यूनिकेशन में एक सैल बनी हुई है जिसे कहते हैं टर्म, उसका नाम है 'Telecom Enforcement Resource and Monitoring Cell'. अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को भी यह लगता है कि यह जो लिमिट है, रेडिएशन की लिमिट है, उसके एक्सेस में किसी जगह रेडिएशन हो रहा है, या उनको लगता है कि यहां टावर नहीं होना चाहिये, जैसे स्कूल के 500 मीटर की दूरी के आसपास टावर नहीं होना चाहिये, अस्पताल के 500 मीटर में कोई टावर नहीं होना चाहिये, जेल के 100 मीटर दूर तक टावर नहीं होना चाहिए, किसी हेरिटेज मोन्यूमेंट के 100 मीटर दूर तक टावर नहीं होना चाहिए; इस प्रकार किसी भी प्रकार का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कोई वायलेशन टावर लगाने वाली कम्पनी ने अगर किया है तो उस वायलेशन के खिलाफ शिकायत करने के लिए इस एजेंसी, जिसे मैं टर्म कह रहा हूं, यह मेंडेटरी है टर्म के पास में कि शिकायत दर्ज होने के बाद में उस पर रेडिएशन इमिशन, रेडिएशन का एमिशन है उसके लेवल को टैस्ट करेगी। टैस्ट करने के बाद में अगर रेडिएशन का इमिशन लेवल नोर्मल प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसको एक्सीड करता है तो वह उस पर पेनल्टी लगा सकती है, रेडिएशन के इमिशन को कन्ट्रोल करने के लिए एडवाइज कर सकती है, चाहे तो टावर को वहां से हटाने के लिए भी कह सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टावर चाहे 2-जी का हो, चाहे 3-जी का हो, चाहे 4-जी का हो, उसके रेडिएशन के नोर्म्स तय किए हुए हैं। रेडिएशन के नोर्म्स हैं, टू-जी के टावर में 900 से 1800 मेगाहर्टज, इससे ऊपर का रेडिएशन नहीं होना चाहिए; 3-जी के टावर में 2100 मेगाहट्र्ज से ऊपर का रेडिएशन नहीं होना चाहिए; 4-जी के टावर में 2300 मेगाहट्र्ज से ज्यादा रेडिएशन का इमिशन नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने परमिशन के साथ ही बाय-लाज बनाये हैं, इन बाय-लाज में भी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। इसका सेक्शन 8 कहता है, ''भारत सरकार द्वारा निर्धारित रेडिएशन एवं अन्य मापदण्डों की पालना व नगर निकाय को जांच का अधिकार।'' इस 'टर्म' के अलावा भी नगर निकायों को भी रेडिएशन का लेवल जांचने का अधिकार है। ''भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित रेडिएशन की मात्रा व अन्य समस्त मापदण्डों के अनुसार रेडिएशन के मापदण्ड सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। टावरों के रेडिएशन की जांच सेवा प्रदाता कम्पनी के खर्च पर कराए जाने का नगर निकाय को अधिकार होगा। नगर निकाय को मोबाइल टावर, पोल, एंटीना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। शिकायतों का टावर कम्पनियों द्वारा समाधान किया जाएगा तथा नगर निकाय द्वारा टर्म...,'' जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, ''...दूरसंचार विभाग को भी शिकायतों से अवगत कराया जाएगा।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रेडिएशन का लेवल जितना प्रेस्क्राइब्ड है, जितनी उसकी परमिशन है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया से परमिशन है, इसके विदिन दैट रेडिएशन लिमिट तो मोबाइल टावर रेडिएशन

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडिएशन का जहां तक ताल्लुकात है, रेडियो रेडिएशन करता है। जहां-जहां भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रो-मैग्नेटिव वेव्ज क्रीएट होंगी, जहां-जहां भी, इलैक्ट्रो-मैग्नेटिव वेव्ज का फल्क्स क्रीएट होगा, वहां पर रेडिएशन का इनिशियल टेस्ट करके देखा जाएगा। रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, मोबाइल, डाटा ट्रांसमिशन, सभी जगह, माननीय अध्यक्ष महोदय, सब में रेडिएशन है। सब में रेडिएशन की एक लिमिट तय है। लिमिट तय करने के पीछे साइंटिफिक रिसर्च, कि किस लेवल तक के रेडिएशन से किसी मानव जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं, बाकी रेडिएशन की लिमिट एक्सीड करने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में तो राजेन्द्रजी राठौड़ बता पाएंगे, मैं तो बता नहीं पाऊंगा; मैं इतना कह रहा हूं कि जहां तक पूरी दुनिया में अभी तक रिसर्च हुई है, उन तथ्यों के आधार पर अभी ऐसा कोई कंक्लूजिव प्रूफ नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि रेडिएशन के इमिशन से कैंसर काज होता है, या मोबाइल टावर से कैंसर काज होता है।

आपने यह भी कहा है कि कई मोबाइल टावर्स के ऊपर मल्टीमास्क लगे हुए हैं। आप शिकायत देंगे, निश्चित रूप से अभी तक जो परमिशन मिली है उस परमिशन के अन्दर मल्टीमास्क परमिटेड नहीं हैं। यह अलग बात है कि सरकार से परमिशन मांगने के लिए जो कम्पनियां आई हैं, 3-जी के मोबाइल टावर में अभी तक जो परमिशन दी गई है, उसमें लिखा है-" Only single user mask will be erected instead of multiple operators which causes radiation problems."

मैं निवेदन करना चाहता हूं, रेडिएशन प्रोब्लम कौनसी है, जो नोर्म्स को एक्सीड करे। जिन नोर्म्स की मैंने चर्चा की उनके खिलाफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर उनको स्पेशल टावर के बारे में कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से उस शिकायत के आधार पर उस स्थान का रेडिएशन का लेवल टैस्ट करा लिया जाएगा। रेडिएशन का लेवल जितना प्रेस्क्राइब्ड नोर्म है इमिशन का, उससे एक्सीड करता है, तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी, आप भी बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। रेडिएशन और इलेक्ट्रो-मैग्नेटिव वेव्ज के बारे में अभी यू डी एच मंत्री महोदय कह रहे थे। इस फ्रिक्वेंसी की, एक फ्रिक्वेंसी तक तो सब ठीक है पर एक्सीड करने के बाद, अध्यक्ष महोदय, एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात याद दिला दूं? इसी सदन में यह रेडिएशन का मामला पहले माननीय राजेन्द्र सिंहजी ने उठाया था और उधर से जवाब आया था। तो जवाब देने से पहले इसको जरा आप पढ़ लेना कि पहले वाले जवाब और आज के जवाब में कोई फर्क नहीं आ जाए।

श्री अध्यक्ष: सामयिक चेतावनी है, सामयिक चेतावनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसके द्वारा मोबाइल टावर और मोबाइल से होने वाले रेडिएशन के बारे में एक अध्ययन कराया गया था। उस अध्ययन में यह पाया गया कि 300 मीटर पर, जहां यह मोबाइल टावर लगा है, वहां के रहने वाले निवासियों के सिरदर्द की बात भी उठी, स्किन ड्राई होने की उस अध्ययन के अन्दर बात आई, कैटेरेक्ट होने की बात भी आई, स्पर्म काउन्ट कम होने की बात भी आई। इसी तरह, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, संसद में 2010 के अन्दर एक कमेटी बनाकर इसका अध्ययन करवाया था, उस कमेटी की यह बात आई कि मानव के स्वास्थ्य का और इस मोबाइल टावर के रेडिएशन का को-रिलेशन तो कोई न कोई है।

अध्यक्ष महोदय, जिस बात का जिक्र अभी माननीय मंत्री महोदय कर रहे थे, कोई साइंटिफिक स्टडी तो नहीं, पर कई विदेशी जर्नल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैंसर का रोग भी इस रेडिएशन के साथ सम्बन्ध रखता है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह उचित समझता हूं कि जहां ये टावर्स लगे हैं उनके 100 मीटर की परिधि के अन्दर, हम भी हमारे विभाग की तरफ से एक अध्ययन करवाएंगे कि वहां किस प्रकार के रोग और किस प्रकार के रोगी हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात होगी तो चिकित्सा विभाग कार्यकारी योजना बनाकर उस पर आवश्यक कदम उठाएगा।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सोना देवी।

याचिका

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

मान्यवर, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के आधार पर एक मिनट बोलना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से...

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है ही नहीं अपनी व्यवस्था में कहीं भी, अच्छा, बोल लीजिए आप।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): एक मिनट, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष: आप कम बोलती हैं, इसलिए एक मिनट बोल लीजिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): गंगानगर जिले के समस्त विधान सभा क्षेत्र, जितने भी विधान सभा क्षेत्र आते हैं, उनमें रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा है लेकिन रायसिंहनगर क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है। इस याचिका के माध्यम से अनुरोध है।

सूचना

अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र में लम्बे समय से जारी धरना

पाइंट आफ इफोर्मेशन। आधा मिनट और, सर। अनूपगढ़ जिले में समस्त किसानों ने और वहां के क्षेत्र निवासियों ने धरना लगा रखा है। धरना लगाए हुए 2,190 दिन हो गये कि अनूपगढ़ को जिला बनाया जाए। अनूपगढ़ जिला परिषद चुनाव रिजल्ट में भाजपा का सफाया हो गया। इसका मुख्य कारण यही है कि.....

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): 2,190 दिन से धरना लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गई सरकार के ध्यान में।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मेरा अनुरोध है कि मिशन 20 में इसको शामिल किया जाए।

श्री अध्यक्ष: सरकार के ध्यान में आप बात ले आई हैं।

श्री गौतम कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री छोटूसिंह।

याचिका

बीदा ग्राम पंचायत (जैसलमेर) की अस्थायी पुलिस चौकी का स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तन

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जिला जैसलमेर की पंचायत समिति सम ग्राम पंचायत बीदा की अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

(अनुपस्थित)

श्री झाबर सिंह खर्रा।

मांगलियावास (अजमेर) को बीसलपुर पाइपलाइन से पेयजल की उपलब्धि

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति, से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार मांगलियावास (अजमेर) को बीसलपुर पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

कुशलगढ़ स्थित मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ स्थित मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पीजी) महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

पादरड़ी बड़ी ग्राम पंचायत (डूंगरपुर) में जी एस एस की स्थापना

1 ग्राम पंचायत पादरड़ी बड़ी, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में जीएसएस खोलने बाबत्; एवं

ओबरी ग्राम पंचायत (डूंगरपुर) में पुलिस थाना खोला जाना

2 ग्राम पंचायत ओबरी, तहसील-सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में पुलिस थाना खोलने बाबत्।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 । डा. रामप्रताप पुर:स्थापित करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 । द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री गजेन्द्र सिंह मांग प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42–उद्योग की प्रस्तुति

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31

(श्री गजेन्द्रसिंह)

मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,15,84,76,000/- (दो अरब पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

मांग संख्या 43–खनिज की प्रस्तुति

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,50,77,71,000/- (चार अरब पचास करोड़ सतहत्तर लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): एक और है।

श्री अध्यक्ष: एक और है? अच्छा।

मांग संख्या 9-वन की प्रस्तुति

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,51,88,95,000/- (आठ अरब इक्यावन करोड़ अठासी लाख पिच्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे एक निवेदन करना है। हम सब यहां पधारते हैं, बहस में भाग लेते हैं और हरेक की इच्छा होती है कि बहस में भाग लिया जाये। लेकिन इस बार अपवादस्वरूप जो यह चल रहा है, सात दिन से लगातार विधान सभा चल रही है। अपनी विधान सभा के साथ विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी भी हैं, सुरक्षा कर्मचारी भी हैं। इन सबकी दृष्टि से एक निश्चित समय पर हमको इस बहस को खतम करके एडजोर्न करना चाहिए।

(श्री अध्यक्ष)

मेरा आपसे निवेदन है कि बोलने वाले कम बोलें, मितव्ययता से बोलें, सूत्रों में बोलें और छह बजे तक यह बहस चले। अभी हमारे पास पांच घण्टे हैं और छह बजे मंत्रियों के उत्तर के लिए निश्चित कर दिया जाए। मैं तीन इधर से लूंगा और एक इधर से लेंगे। 40 इधर हैं, 160 इधर हैं। छह जहां भी बजेंगे, वहां मैं बहस को समाप्त कर दूंगा और मंत्रियों के उत्तर आएंगे। यह मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन करता हूं। क्योंकि अभी तो तीन दिन और चलना है। सारे सुरक्षा कर्मचारी भी हैं, सचिवालय के कर्मचारी हैं। आप और हम भी थक जाते हैं, ऐसा नहीं है, रोज आने में। मेरा यह निवेदन है, इसलिए बोलने वाले बंधु इसका विशेष ध्यान रखें।

आज की बहस को प्रारम्भ करेंगे, श्री रामहेतसिंह यादव।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक निवेदन है। सत्ता पक्ष के लोग घण्टा, पौन घण्टा बोलते हैं, हम दस मिनट ही बोलते हैं। बराबर व्यवहार करें।

श्री अध्यक्ष: बराबर बोलिये आप। पहला वक्ता जरा ज्यादा लेता है। बाकी आप सब बराबर ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्यों ज्यादा लेता है? सब बराबर हैं।

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था है, पहले वक्ता की हर जगह है। आपकी बात वाजिब है। पहला वक्ता ज्यादा लेता है, ऐसी आज तक परम्परा है। बाकी सबको 10-10 मिनट लेने चाहिए, यह मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अपने स्वयं पर अनुशासन रखें। अब कहां तक हम टोकें? यहां जब बैठते हैं तो कई बार, दो मिनट और; नहीं, एक मिनट और। वह दस मिनट के बजाय, एक मिनट साहब, एक मिनट। एक के बाद एक, बड़े होशियार हैं हम सब समय लेने में। अपने को अक्ल है कैसे समय लें, साहब; एक मिनट इम्पोर्टेण्ट। अब उस समय उसको रोकना जरा मुश्किल पड़ता है।

लेकिन मैंने निवेदन कर दिया कि छह बजे, चाहे कोई आपकी सूची में आये हुए नाम बोलने से वंचित हो जाएं तो भी हो जाएं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से छह बजे मैं मंत्रियों को उत्तर देने के लिये निवेदन करुंगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामहेत सिंह यादव।

मांग संख्या 42, 43 व 9 पर विचार

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग, 43-खनिज और मांग संख्या 9-वन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी का भी आभारी हूं कि इस बजट में नौजवानों को रोजगार मिले और रोजगार के लिए उनको अवसर मिलें, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाये, इसका बजट में प्रावधान किया गया है।

जहां तक हमारे अलवर जिले की बात है, अलवर जिला औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत सम्पन्न है, जहां पर 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, बहरोड़, शाहजहांपुर, नीमराणा, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, टपूकड़ा, तिजारा, चौपानकी, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया-अलवर, एम.आई. एरिया, इटाराणा, राजगढ़, खेड़ली, खैरथल और थानागाजी, इस तरह से बीस औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर अलवर जिले के नौजवान की कल्पना थी कि हमको रोजगार मिलेगा। लगभग छह लाख लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह की विसंगति है, जिस तरह की कमियां हैं, जिस तरह का वातावरण बना है, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है।

अध्यक्ष महोदय, किसान की जमीन उद्योग के लिए एक्वायर होती है तो किसान का सपना होता है कि मेरे खेत पर बनने वाली फैक्टरी पर मेरा यह बेटा इंजीनियर बनकर, आई.टी.आई. करके, डिप्लोमा करके, या कोई अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके, मेरे इस खेत में लगने वाली फैक्टरी में नौकरी करेगा। जिस तरह से राजस्थान के भू-भाग की व्यवस्था रही है, लगभग 30 सालों में 24 बार कभी सूखा पड़ा, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी ओले पड़ने से या शीतलहर के कारण बार-बार किसान की फसल खराब हुई है। उसकी चिंता से मुक्ति मिले, किसान की ऐसी कल्पना थी। हमने उद्योग तो खूब लगाए लेकिन, अध्यक्ष महोदय, क्या उस उद्योग को लगाने के पीछे जो कल्पना थी, उस जिले के लोगों की सोच थी, वह नौजवान जो सपना देखता था, किसान जो सपना देखता था, क्या हम उस कसौटी पर खरे उतरे हैं? उस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।

हम देखें, हमने जहां से भी उद्योगपति आया, सरकार ने नीति बनाई,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आइये राजस्थान, उद्योग लगाइये। राजस्थान सरकार की इन्कम बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योगपति आया। अलवर में एम.आई.ए. क्षेत्र में उद्योग लगे। हमने उद्योग नीति बनाते समय, नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने से पहले क्या विचार किया कि अलवर का जो एम.आई.ए. क्षेत्र है, जिसमें पांच गांवों की जमीन गई थी, पांच हजार बीघा जमीन एक्वायर की गई थी, उसमें जो उद्योग लगा था, क्या वह चल रहा है? जो उद्योग चल रहा है, उसमें श्रमिक जो हैं, नौजवान हैं, वह कहां का व्यक्ति है जिसको रोजगार मिला है? क्या हमने यह कल्पना की थी कि भिवाड़ी में जब उद्योग लगेगा, वहां के रहने वाले आस-पास के बीस-तीस गांवों को रोजगार मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा? शाहजहांपुर में जब एक्वायर हुई थी तो यह कल्पना थी क्या? क्या हम उस कसौटी पर उतर रहे हैं?

मैं आपको यथार्थ बताना चाहता हूं, अलवर के औद्यागिक क्षेत्र में आज की डेट में तीन प्रतिशत भी उद्योग सक्सेस नहीं हैं, सब बंद हो गये। जो उद्योगपति आया था, आर.एफ.सी. से, बैंक से लोन ले करके, सब्सिडी खा करके, सरकार की सुविधाओं को ले करके और उस जमीन को औने-पौने भावों में बेच करके चला गया। जिस परपज से जो जमीन एक्वायर की थी, उसका मोटो सर्व नहीं हुआ; ना तो लोगों को रोजगार मिला, किसान की जमीन चली गई, उसको वह उचित मुआवजा नहीं मिला।

मैं तिजारा का रहने वाला हूं, तिजारा के माननीय विधायक मामनसिंहजी बैठे हैं, डा. जसवंतजी बैठे हैं, इनका गांव भी मेरे क्षेत्र में पड़ता है, हम तीनों विधायक इस दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं, अलवर जिले के सभी विधायक भी जानते हैं, मुण्डावर के माननीय विधायक भी इस दर्द को जानते हैं। जिस परपज से किसान की जमीन ली थी, आज उस किसान का सपना था, उस नौजवान को रोजगार मिलेगा। वह किसान का बेटा जो फौज में भर्ती हो गया था, वहां कोशिश करता है कि मुझे बंदूक का लाइसेंस मिल जाए, अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता है, वहां के जिला कार्यालय पर घूमता है कि पन्द्रह साल की सेना की नौकरी करके जब मैं मेरे गांव जाऊंगा तो मेरे खेत में जो फैक्टरी लगी है, उसमें मुझे चौकीदारी मिल जाएगी। एक छोटा सा आई.टी.आई. करने वाला बालक सोचता है कि मैं आई.टी.आई. करके मेरे इस खेत में जो फैक्टरी लगी है, उसमें रोजगार मिल जाएगा। उस पहलू पर हमको

(श्री रामहेत सिंह यादव)

विचार करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए जो उद्योग लगाया, उस कसौटी पर क्या इस ब्यूरोक्रेसी ने इस बात को चेक किया, जांच किया इस श्रम विभाग ने, या रीको ने इस बात की चिंता की कि उस उद्योग को जिस परपज से जमीन दी थी, उसका उपयोग उस क्षेत्र की जनता के लिए हो रहा है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है, सरकार किसी की आए, किसी की जाए, लेकिन यह सतत प्रक्रिया हुई। उस श्रमिक के साथ, उस किसान के साथ ठगी हुई हैं, नाइंसाफी हुई है; उस नौजवान के साथ नाइंसाफी हुई है। आज हालात ये है कि अलवर जिले का नौजवान, इतने बेरिकेड्स लगा दिये जाते हैं कि एक भी उद्योग में उसको नौकरी नहीं है। वह कहां जाएगा? जो फैक्टरी चलाने आता है जी.एम. वह गढ़वाल से आता है, बिहार से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, दूसरे हिमाचल प्रदेश से आता है, वह अपने साथ चार ठेकेदारों को ले आता है, लाता है और सारे वर्कर जितने भी हैं, चौकीदार से लेकर लोडिंग और अन-लोडिंग का काम करने वाला, गार्डनर का काम करने वाला, अन्दर फैक्टरी में वर्क करने वाला, सब ठेकेदार व्यवस्था है। क्या श्रम कानून उस उद्योगपति पर लागू नहीं है? इसकी चिंता कौन करेगा? क्या उद्योग नीति जब हम बनायें, नया औद्योगिक क्षेत्र बनायें तो क्या उस पर एम्प्लीमेंट होता है? जिस गांव की जमीन गयी थी, उसकी चिंता है क्या? उसमें जाने के रास्ते हैं क्या? कहीं स्कूल बना है क्या? हास्पिटल है या नहीं, इसकी चिंता उस समय औद्योगिक क्षेत्र बनाते समय, उसकी चिंता की है क्या?

(13.32 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मेरे हिसाब से वे सब कमियां रही हैं। उद्योगपति संगठित रहता है, वह अपनी बात रख देता है, प्रभावशाली रहता है, ब्यूरोक्रेसी उसके प्रभाव में रहती है। किसान जिसकी जमीन जाती है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। स्थानीय नौजवान को कहा जाता है कि यह हड़ताल करवा देगा, फैक्टरी को चलने नहीं देगा। ऐसा सोच बनाकर वहां के लोग, नौजवानों के साथ जो अन्याय होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज उद्योग की इस बात पर, जब डिमांड है, तो इस पर कहना चाहता हूं कि आप उद्योग नीति बनायें तो उस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि आप जो उद्योग लगाना चाहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको आपने कंसेशनल भूमि दी है, उसके गांव के आस-पास के इलाके के लोगों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जो भी है,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

और उसके लिए आवश्यक है कि वहां पर एम्प्लायमेंट आफिस है, आपने क्या, सरकार जैसे नीति बनाती थी कि जिसका नाम एम्प्लायमेंट आफिस में होगा, वह ही फार्म भर सकेगा, उसमें अपना एम्प्लायमेंट नम्बर लिखना पड़ेगा, कार्ड लगाना पड़ेगा; क्या उद्योगों पर भी यह नियम लागू करने की सरकार मंशा रखती है? उद्योगपति जिस उद्योग में, जिसको बुलाना चाहता है, उस औद्योगिक कार्यालय, जहां पर वह है, उसके माध्यम से ही; कोई कहीं पर भी हो, आई.टी.आई., जो भी आपको चाहिए, क्या उसके माध्यम से लेते हैं? क्या यह ठेकेदारी प्रथा है, इसको बंद करने की योजना है? सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए माननीय मंत्रीजी से मैं आग्रह करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि जब भी आप आज रिप्लाई दें तो आप यह सुनिश्चित करें कि जिस भी क्षेत्र में नया उद्योग लगेगा, या नई औद्योगिक इकाई है, उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था है या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा।

आज हालात ये हैं, उद्योग लग गये तो उसका पानी कहां पर जाएगा? भिवाड़ी के, उदाहरण के रूप में, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी का जो गंदा पानी निकलता है, उसको लाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के आकुली गांव में छोड़ दिया। हरियाणा ने उस पानी को लेने से मना कर दिया, उन्होंने बांध बांध दिया। गांवों के चारों तरफ गंदा पानी उद्योग का आ गया। उद्योगपति एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देता और गंदा पानी जनता को झेलना पड़ता है। थोड़ा-सा दबाव बनता है तो रि-साइकिल सिस्टम, कहते हैं कि हम तो प्यूरिफाई करके अच्छा पीने योग्य, खेती योग्य पानी, ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, उस पानी को छोड़ते हैं। तो मेरा आग्रह है, मंत्री महोदय, यह आदेश निकाल दें कि जो गंदा पानी निकलता है, उनके पास स्वयं का ट्रीटमेंट प्लांट, खुद ही औद्योगिक एसोसिएशन चलाता है तो रि-साइकिल करके उसको उद्योग में ही काम क्यों नहीं लेते?

आज ऐसी हालत है, अभी तीन दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गौ-शाला है, उस गौ-शाला में खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी घुस गया। गांव के लोगों ने रातों-रात दीवार बनाकर उसको रोका है। यही नहीं, वहां के आस-पास के लगभग 30 गांवों में पीने का पानी जो है वह इतना प्रदूषित हो गया है कि जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होने लग गयी हैं।

एयर पोल्यूशन है, मैं बताना चाहता हूं कि बायलर इंस्पेक्टर एक

(श्री रामहेत सिंह यादव)

मिनट में आपको, पोल्यूशन बोर्ड का जो अधिकारी है, वह एक मिनट में आपको एन.ओ.सी. दे देता है। हर साल एन.ओ.सी. सब्मिट करते हैं कि यह प्रदूषण रहित फैक्टरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान की फैक्टरीज का सर्वे हुआ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर्वे करवाया कि कितने उद्योग ऐसे हैं जिनको पोल्यूशन के कारण आगे एन.ओ.सी. नहीं दी जाए, उनको बंद कर दिया जाए। पूरे भारत की 88 फैक्टरियों का ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अलवर जिले में मैसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड कम्पनी ने हजारों श्रमिकों को बेघर कर दिया, उसके बारे में भी तो आप दो मिनट अपनी सरकार को कहिए न।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपको अवसर मिलेगा, साहब, डोटासराजी, आप भी कहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): आप अलवर के हैं, इसलिए कहा है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): हां, हम कहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप श्रमिकों के हित की बात करने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): हां, बिलकुल कहेंगे।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, यह मेरे तिजारा का मामला है। जब मेरा नम्बर आएगा तो मैं इस पर निवेदन करूंगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ बास): विशेषाधिकार है माननीय सदस्य को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अलवर के हों तो अपनी बात तो कहें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं मेरी बात कह रहा था

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने जब यह जांच करवाई कि कितने औद्योगिक क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप इनके बहकावे में नहीं आएं। आप अपना विषय रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, हम तो आपके बहकावे में आने को तैयार हैं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): जितने माननीय सदस्य हैं, जो सब कह सकते हैं कि अच्छी राय है तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति: उद्योग में कई चीजें बहकने वाली होती हैं और अलवर में कुछ बहकने वाली चीजों की बड़ी-बड़ी फैक्टरियां लगी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये बहक रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। हजारों श्रमिक बेघर हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिए, माननीय सदस्य, बोलिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): 88 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र थे जहां पर पोल्यूशन की, हाइली पोल्यूटेड थे, उनको बंद करने का सरकार ने तय किया; पोल्यूशन बोर्ड ने कहा कि हम इनको एन.ओ.सी. नहीं देंगे। उसमें भिवाड़ी, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें छठे नम्बर पर था। जब इतना पोल्यूटेड है, उसमें पानी पीने लायक नहीं है, गंदा पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो रोज नये-नये उद्योग आएंगे तो क्या वह जनता जो आस-पास रहती है, जिनकी जमीन गयी है और वहां पर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में तो स्वयं दस गांव तो पहले से ही थे और खुशखेड़ा चौपानकी होने के बाद में लगभग इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर, उसके परकोटे में लगभग 25 से अधिक गांव हैं, उनकी हालत क्या है? उनकी दुर्दशा है। इसलिए उद्योग मंत्रीजी से चाहता हूं कि आप उद्योगों को तो डवलप करें लेकिन उनके बारे में भी चिंता करें कि उनको क्या आप फैसिलिटी देंगे। क्या इस पोल्यूशन से आप मुक्ति दिलाएंगे? रोजगार उनको आप दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय डोटासरीजी से एक बात, उन्होंने प्रश्न किया श्रीराम पिस्टन का, माननीय, मैं बताना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य से प्रश्न नहीं करता है, माननीय सदस्य।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, 2012-13 में जब कांग्रेस का राज था तो रेडीमेड उद्योग के लिए टपूकड़ा में 250 एकड़ भूमि अवाप्त की गयी और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस सदन में घोषणा की बजट में कि 36 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 56 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजें।

माननीय श्री प्रद्युम्न सिंहजी, एक अपने व्यवस्था है, आपको ध्यान होगी कि कोई भी माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य से प्रश्न पूछें तो उसकी भी एक प्रक्रिया अपने यहां पर है। आपको ध्यान हो तो बताइए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपका आब्जर्वेशन सही है। माननीय सभापति महोदय, आम तौर से आसन के माध्यम से ही बात कही जाती है। डाइरेक्ट प्रश्न कभी पूछते ही नहीं हैं। कभी भावावेश में आकर पूछ लें तो वह बात दूसरी है। आम तौर से शांत वातावरण में ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यहां एक बार यह माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है कि आम तौर पर माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, सरकार के मंत्री उसका जवाब देते हैं, लेकिन कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य से प्रश्न पूछना चाहे तो लिखित में अध्यक्ष महोदय को अगर देता है और उसकी स्वीकृति देते हैं तो फिर उस प्रश्न का जवाब आता है। यह भी एक व्यवस्था है, एक बार ऐसी विधान सभा में हुई है। इसलिए आप लोगों का ध्यान दिलाने के लिए इतनी बात मैंने बतायी है। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न नहीं पूछा, मैं तो याद ही दिला रहा हूं।

श्री सभापति: आपके प्रश्न पर नहीं है। यह जनरल सूचना के लिए बताया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत आप लोग भी काम में ले लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा, यह तो कह ही सकते हैं, अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करते हुए कि माननीय फलां सदस्य को यह चीज याद तो होगी। इतना जरूर कह सकते हैं।

श्री सभापति: हां, कह सकते हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पूर्ववर्ती सरकार ने भी 2009-10 के बजट में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री, कांग्रेस का राज था, उन्होंने कहा था कि हम ग्लोबल सिटी नीमराना और ग्रेटर सिटी भिवाड़ी बनाएंगे और उद्योगों में एक नया इतिहास रचेंगे। सभापति महोदय, यह पिछले पांच साल की, आज जो स्थिति बनी है, वह कांग्रेस के कार्यकाल के कारनामे हैं, जिनको अलवर जिले की जनता भुगत रही है। ऐसे हालात कर दिये वहां के उद्योगपतियों ने कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। पोल्यूशन पर ध्यान नहीं रखा वहां पर और जो व्यवस्था फैसिलिटी होनी चाहिये थी, उन पर ध्यान नहीं रखा।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, हमारा जो अलवर जिला है, उसमें नौजवान को रोजगार देने की बात नहीं की। उसमें जो वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जो भी एम्पलायी उससे जुड़े हैं, श्रमिक लाभ जिनको मिलना चाहिये, उनको भी बार-बार आवश्यकता थी, अलवर जिले में सबसे ज्यादा श्रम विभाग के लेबर कोर्ट में मुकदमे हैं, लेकिन श्रम न्यायालय नहीं हैं। वहां पर सबसे ज्यादा, पूरे जयपुर सम्भाग में, भरतपुर सम्भाग को, दोनों को मिलायें तो भी हमारे यहां पर जितने श्रमिक हैं, लेकिन ज्वाइंट लेबर कमिश्नर का आफिस नहीं है। एडिशनल कमिश्नर का आफिस, जो पहले था, उसको पूर्ववर्ती सरकार राजनीतिक भेदभाव करते हुए झुन्झुनूं ले गयी। इसी तरह से यह ई.एस.आई. का ज्वाइंट डायरेक्टर का पद भी हमारे यहां पर होना चाहिये। जिस तरह की फैक्टरियां हैं, हमारे यहां एडिशनल चीफ फैक्टरी एण्ड बायलर इंस्पेक्टर का पद भी होना चाहिये। लेबर कोर्ट भी होनी चाहिये ताकि व्यक्ति... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आज जिस चीज को खोज रहे हैं, वह आपके कक्ष में चली गयी है। हां, जिस चीज को आप खोज रहे हों, आपके कक्ष में गयी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, अलवर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए हमको उपाय करने पड़ेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए 31.1.2015 तक 17,295 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया है, ताकि उन स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और यही नहीं, जो

(श्री रामहेत सिंह यादव)

होण्डा सी.एल. की जो सहायक इकाइयां बनेंगी, उसमें भी हमारे नई योजना के हिसाब से लगभग 20 हजार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी की पहल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और जो हमारी तकलीफ हैं, उनको माननीय उद्योग मंत्री जब जवाब दें, उस पर जरूर विचार करें।

दूसरा विषय है, डिमांड, वन एवं खनिज, जिसमें हमारे यहां खनिज और वन की बात है। सभापति महोदय, जिस तरह का पिछले पांच साल में अवैध खनन कांग्रेस के राज में हुआ है, हम उसमें...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो अवैध आबंटन का बता दो, जो आपकी सरकार ने किया है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): जिस तरह अलवर जिले में अवैध खनन होता था और जिसके कारण से सारा पर्यावरण बिगड़ा, वन क्षेत्र भी बिगड़ा और बार-बार सदन में घोषणा की गयी कि हम यहां पर खनन के लिए एक वन रक्षा दल बनायेंगे जिसमें हजार लोगों की भर्ती करेंगे, यह घोषणा की। यही नहीं, बोर्डर होम गार्ड की व्यवस्था करेंगे ताकि अवैध खनन रुक जाये। इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की कि खनिज रक्षा दल है जिसमें एक हजार नौजवानों की एक बटालियन बनायेंगे और स्थानीय लोगों को खनिज क्षेत्र में रोजगार मिले, यह व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ; बजट में घोषणा रही, लेकिन जनता को फायदा नहीं मिला।

आज हालात ये हैं कि अलवर अवैध खनन का एक अड्डा बन गया है। उस पर भी विचार करना पड़ेगा। यही नहीं, वन क्षेत्र जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उस पर भारी मात्रा में अवैध खनन होता है। हमको खनन नीति को चेंज करना पड़ेगा। जो स्थानीय नौजवान हैं, उनको वहां पर एक सोसायटी बनाकर खनिज पट्टे अलाट...(व्यवधान)

श्री सभापति: नया कानून बन गया है भारत सरकार का।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): जी। इसलिए हमारे वहां पर अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ऐसी नीति बनाये ताकि उसको रोकें।

एक और सर्कुलर में, वन मंत्रीजी, खनन मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार का एक सर्कुलर जारी हो गया कि जहां खनन क्षेत्र है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके पांच किलोमीटर के अन्दर कोई जे.सी.बी. या

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कोई ट्रैक्टर या कोई पोकलैण्ड या ऐसी मशीन नहीं रखेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको भी फोरेस्ट एक्ट में बंद किया जाएगा। मेरा विनम्र आग्रह है, चूंकि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री में भी रोज क्रेन की आवश्यकता होती है, पोकलैण्ड की आवश्यकता होती है और ट्रैक्टर और इस तरह के संसाधन की आवश्यकता होती है, श्रम विभाग में जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको भी आवश्यकता होती है, तो यह बैरिकेडस आप जो लगाना चाहते हो, आप अपनी वहां रक्षा करिये, रक्षा दल बनाइये, खनिज रक्षा दल बनाइये, फोरेस्ट गार्ड लगाइये, आप अधिकारी लगाइये, उनके आफिस खोलिये, लेकिन जो आपने ग्रामीणों के लिए बैरिकेड लगाये एक सर्कुलर निकालकर, मैं चाहता हूं, उस सर्कुलर को जरा परीक्षण कराकर, उस सर्कुलर को वापस लें, कि कहीं जनता पर उसका दुरुपयोग तो अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं।

एक बात और कहूंगा, दो मिनट का समय और चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले में जिस तरह से अवैध खनन हुआ है और जिस तरह की व्यवस्था है, उसके लिए हमको अलग से, चाहे वन के लिए, चाहे खनिज रक्षा दल के रूप में अलग से एक पैरा-मिलिटरी, पैरा-पुलिस या होम गार्ड या ऐसी व्यवस्था करने की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पैरा-मिलिटरी फोर्स बनाने का अधिकार अपने पास नहीं है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उसको खनिज रक्षा दल कह दें, दूसरी भाषा में। ऐसी कोई न कोई पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी वरना वह अरावली पर्वत श्रृंखला है, वह..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने की थी, आपने निरस्त कर दी। एक हजार पद सृजित किये थे, आपने निरस्त कर दिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने कांग्रेस के राज के अन्दर यह खनिज रक्षा दल बनाया था, उसके बाद जिन होम गार्डों को लगाया, बड़ी संख्या में उनको ट्रैप किया गया आपके राज में, इल्लीगल माइनिंग कराते हुए, करप्शन के पैसे लेते हुए। मंथली, पर-डे वसूली का काम किया, उन्होंने रक्षा का काम नहीं किया। इसलिए आपकी परम्पराओं को रोकने के लिए थोड़ा समय लगेगा।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि अच्छे पुख्ता इंतजाम करें ताकि इल्लीगल माइनिंग रुके और वहां के स्थानीय लोगों को खान मिले, वहां पर रोजगार के अवसर मिलें, उद्योगों में अवसर मिलें और उद्योगों का जो यह पोल्यूटेड पानी है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण है, उन पर रोक लगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री ज्ञानचन्द जी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज समय...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि 6 बजे तक ही बोलेंगे, तो कम से कम इनका, यह धीमी गति के समाचार पढ़ेंगे तो समय तो निर्धारित हो, कम से कम।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं धीमी गति से पढ़ता हूं तो मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति: बोलने की सबकी अपनी-अपनी स्टाइल होती है, आप उस पर नहीं कहें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इनको समझ में देरी से आता है, इसलिए मुझे धीरे बोलना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जिन मांग पर चर्चा हो रही है, उन सारे विषयों में प्रदेश में इतनी प्रबल सम्भावना है कि यदि उनका पूरा उपयोग कर लें तो राजस्थान देश के सबसे धनी और सम्पन्न राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। देश में कहीं औद्योगिक प्रगति की सम्भावना अगर सबसे ज्यादा कहीं हैं तो वह अपना प्रान्त राजस्थान है। क्योंकि देश में जितने भी बड़े-बड़े उधमी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी अगर आप सूची मंगवा लो, तो उसमें से आधे से ज्यादा हमारे प्रदेश के उधमी हैं।

श्री सभापति: यह उधमी शब्द नहीं है, उद्यमी शब्द है। उधमी का मतलब होता है बदमाशी करने वाला, उद्यमी का मतलब होता है उद्योग लगाने वाला।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उद्यमी।

श्री सभापति: हां, ठीक। उधमी नहीं, उधमी तो बदमाशी करने वाला होता है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): लेकिन जैसा वातावरण उनको यहां मिलना चाहिये था, वह वातावरण उनको यहां मिला नहीं और उनको उन प्रान्तों की ओर अपना रुख करना पड़ा, जहां औद्योगिक वातावरण थोड़ा-सा उनके अनुकूल था।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और जिसको लेकर हम घोषणा पत्र में भी और बाद में सदन में भी बार-बार किसी न किसी के माध्यम से रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन जितने लोगों को रोजगार देते हैं, उससे ज्यादा वापस बेरोजगारों की संख्या खड़ी हो जाती है। अगर बेरोजगारी की इस समस्या से मुक्ति पानी है तो हमें राजस्थान में जो उद्योग हैं वो किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लग जाएं, उस दिशा में कोई न कोई प्रयास करना होगा।

मैं मेरे पाली की बात कर लूं क्योंकि पाली भी हिन्दुस्तान में टैक्सटाइल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और लगभग 30 हजार परिवार ऐसे हैं जो टैक्सटाइल उद्योग के बूते अपने परिवार को पालते हैं, पर, माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ कि इसकी चिंता हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने की, यह पहली बार हुआ, और मैं आज उनको विशेष तौर से धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो-जो समस्याएं हमने बतायीं, जो-जो कठिनाई हमने बतायी, उनका समाधान करने का उनका प्रयास भी रहा और समाधान किया भी और आज पाली के जितने भी टैक्सटाइल उद्योग हैं वे बे-रोकटोक आराम से चल रहे हैं।

यह बात भी सही है कि जहां उद्योग होंगे वहां प्रदूषण होगा। तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने प्रदूषण की समस्या का समाधान भी अपने इसी बजट भाषण में किया कि हम पाली को जेड एल डी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट प्लांट देंगे ताकि प्रदूषित पानी नदी में नहीं जाए और आगे किसानों की खेती भी बरबाद नहीं करे। दोनों प्रयास ...

श्री सभापति: उद्योग मंत्रीजी, ऐसा ही सांगानेर के लिए भी करवा दो, पाली जैसा ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पारखजी, सांगानेर का जिक्र आप कर दीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सदस्य...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, सीरियसली; मैं मजाक में नहीं कह रहा। सिमिलर प्राब्लम है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सांगानेर वाले खुद इतने सक्षम हैं ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके पाली की प्राब्लम और सांगानेर की प्राब्लम करीब-करीब सिमिलर है।

श्री सभापति: एक ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सीरियसली। हंसी-मजाक की बात नहीं है।

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बालोतरा को भी जोड़ लिया जाए।

श्री सभापति: जी। बालोतरा, सांगानेर और पाली, इन तीनों की एक ही समस्या है, मंत्रीजी, आप जरा ध्यान करेंगे। दोनों मंत्री ही बहुत समझदार हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, एक नजर डालें न अन्य प्रांतों की और अपने प्रदेश की ओर, तो पिछले 50 सालों में अन्य प्रांतों में जितनी औद्योगिक प्रगति हुई, उसकी तुलना में हम अब भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। राजस्थान में इस दौरान कितनी मिलें बंद हुईं, चाहे कोटा सुदर्शन मिल हो, वह भी हमारी व्यवस्था के चलते बंद हो गयी; ब्यावर की एडवर्ड मिल हो, तो वह भी बिना सरकार के सहयोग के बंद हो गयी और हमारे पाली में ऊन मिल भी थी, हड्डी निल भी थी, ये ही छोटे-मोटे विवादों के कारण बंद हो गयी। रोजगार तभी मिलेगा जब ये मिलें चालू रहेंगी। मिलें बंद होने से रोजगार हो जाए, यह सम्भव नहीं है। इसलिए कहीं आवश्यकता लगे, जब कोई विवाद पैदा हो जाए तो वहां सरकार को बीच में पड़ कर इस प्रकार का सकारात्मक प्रयास करना चाहिए कि मिल भी बच जाए और श्रमिक के हित की रक्षा भी हो जाए। वरना होता क्या है, एक तरफा बात सुनी जाती है, वह उसमें जीत जाता है और बाद में परिणाम वह ही भुगतता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पहले उद्योग की सुरक्षा करें और उसके साथ-साथ श्रमिक हित की सुरक्षा भी सरकार के माध्यम से बराबर समय-समय पर होती रहे। इसके लिए भी लगातार प्रयास हों।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सम्भावनाओं की कमी है। ज्यों ही सरकार का रुख सकारात्मक हुआ तो हम खुद गवाह हैं कि आज देश का बड़े से बड़ा उद्योगपति राजस्थान में अपना उद्योग खड़ा करने के लिए उत्सुक है, आतुर है और पिछले एक साल में सरकार

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

के साथ उनके कई सारे एम.ओ.यू. भी हुए। उसकी वजह एक ही है कि हमने एक विश्वास पैदा किया कि आप जो पूंजी यहां लगा रहे हो, उसकी सुरक्षा, और जो आपका उद्योग यहां खड़ा हो रहा है, उसकी सुरक्षा में सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास रखेगी और उसी का परिणाम है कि आज एक के बाद एक उद्योग लगने की ओर राजस्थान अग्रसर हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली सरकार के कार्यकाल में पाली के दो प्रोजेक्टों को खतम होते हुए देखा है। मेरे ही क्षेत्र में रोहिट के पास 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ था, वरुण इंडस्ट्री का स्टील प्लांट लगाने का, वहां 400 करोड़ लगने थे, सरकार ने एम.ओ.यू. कर दिया लेकिन बाद में जहां पानी पहुंचाना था, बिजली पहुंचानी थी, जमीन देनी थी, बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी जब उनको नहीं मिला तो वह सारा का सारा इंवेस्टमेंट जो वहां होना था, नहीं हो पाया।

पाली मिल, जो 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, अपनी खुद की बाजू में जो जमीन है, उसको मात्र जमीन का लैंड यूज चैंज कराना था, एग्रीकल्चर थी उसको इंडस्ट्रियल परपज से चैंज करवाना था, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, मिल के अधिकारी छह महीने तक सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाते रहे और बाद में उस दौरान गुजरात में इन्वेस्टर मीट हुआ और उनको भी वहां आमंत्रित किया। तो जो इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ का पाली में होने वाला था, जिसके कारण पाली में हजारों और मजदूरों को रोजगार मिलता, वह पाली से गुजरात चला गया, जबकि उनकी एक बहुत बड़ी मिल पाली में है।

अब रुख बदला है, अब जिस तरीके से प्रयास हुए हैं उसमें पाली में तेजी से उद्योग बढ़ने की सम्भावना बन गयी है। हमारी सरकार ने आते ही जो टैक्सटाइल उद्योग है, जिसके ऊपर आज तक सरकार का फंदा रहा, पर पहली बार हमारी सरकार ने हमारे उस टैक्सटाइल उद्योग को फंदे से मुक्त किया। फैक्टरी चली है 40 साल से 50 साल तक, आज तक कन्सेंट-टू-आपरेट कभी नहीं मिली, सरकार की ओर से, पाल्यूशन बोर्ड की ओर से; पर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से आज लगभग हर फैक्टरी को कन्सेंट-टु-आपरेट मिल गयी।

एक और पाबंदी थी कि आपने अपनी इंडस्ट्री में जो मशीन लगा रखी है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जबकि समय के साथ परिवर्तन की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मांग थी। आज ज्यादा प्रोडक्शन लेने वाली, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन देने वाली ऐसी कई सारी मशीनें आ गयीं। ज्यों ही यह जानकारी हमने हमारी मुख्य मंत्रीजी को दी तो उन्होंने निर्देश देकर पाली में चेंज आफ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उसकी भी शुरुआत करवायी।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग से भी कई सारे प्रकरण जो लम्बे समय से बिना बात ही अटके हुए पड़े थे, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को अपनी ओर से और पाली के उद्यमियों की ओर से धन्यवाद दूंगा कि ज्यों ही एक बार इनकी जानकारी में लाये, आज की तारीख में एक भी काम ऐसा बाकी नहीं जो हमने उद्योग मंत्रीजी को बताया और इन्होंने वह काम नहीं करवाया। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका यही रुख रहा ना, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी इकाइयां आज खड़ी हैं पाली में, उतनी ही और इकाइयां पाली के उद्यमी, उद्यमी कहा है मैंने, उद्यमी नहीं कहा है मैंने, आप सुन लेना थोड़ा-सा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चार महीने में ही कल्याण हो गया?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपका भ्रम है यह। पाली में आकर पूछ लो, आपको बता देंगे कि आपकी सरकार के काल में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, कितना शोषण हुआ था। लाखों-करोड़ों रुपये आपके मंत्री ने खाये थे, लाखों-करोड़ों रुपये, और उसके बाद में भी फंदा उनके गले से बाहर नहीं निकाला था। आज एक भी फैक्टरी वाला यह नहीं कह सकता कि मैंने जयपुर जा कर पैसे देकर यह काम करवाया है। आप पाली मेरे साथ चलो, मैं आपको सबसे मिलवा देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खानों वाले तो कह रहे हैं न?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक भी इण्डस्ट्री वाला यह कह दे न, एक भी, तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या बात है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, इतना कड़ा कदम मत उठाओ। आप तो बोलो।

(14.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, एक के बाद एक जितनी समस्याएं हैं, उनका समाधान हमारी यह सरकार आने के बाद में निकला है, लेकिन पाली में और भी बहुत सारे उद्योग स्थापित होने की सम्भावनाएं हैं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, पाली में एक आपका 'नया गांव' औद्योगिक क्षेत्र नया बना है। पिछले शासन काल में पूर्व मुख्य मंत्रीजी आये थे पाली में, उद्घाटन करके चले गये लेकिन प्लाटों का आबंटन नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद में अब वह आबंटन की प्रक्रिया चालू हुई है। पाली में पावरलूम उद्योग की भी बहुत प्रबल सम्भावना है। पाली में टैक्सटाइल उद्योग में जो कपड़ा जाता है वह सारा का सारा ही इचलक्वेंडी, भिवंडी, त्रिपूर के पावरलूमों में बनता है। वह भी रोज का करोड़ों मीटर में आता है, लाखों में भी नहीं है। अगर पावरलूम उद्योग के लिए वहां रियायती दर पर जमीन मिल जाये, जैसा पहले निर्धारित हुआ था कि हम पावरलूम उद्योग को 600 रुपये प्रति स्कवायर मीटर जमीन देंगे और लगभग 68 फाइलें आपके पास आ गयी थीं और आपने उन फाइलों को सही भी मानते हुए उनकी राशि भी लम्बे समय तक रोके रखी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वह राशि बढ़ गयी। तो उनको पुरानी राशि में ही, पुराने मूल्य पर ही वह जमीन मिल जाए तो पाली में पावरलूम उद्योग की बहुत ज्यादा सम्भावनाएं हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही वहां बहुत बड़े-बड़े पावरलूम के कारखाने खड़े हो जाएंगे। बिना रियायत दिये पावरलूम उद्योग को पनपाना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में त्रिपूर, इचलक्वेंडी में बिजली में भी सब्सिडी दी जाती है पावरलूम उद्योग को। हमने सरकार से मांग की थी, क्योंकि सबसे भारी खर्चा जो आता है, वह बिजली का आता है; अगर हम बिजली में उनको थोड़ा सहयोग दे दें, थोड़ी सब्सिडी दे दें तो वहां कंपीटिशन में वे टिक जाएंगे, उनकी लागत में यह कपड़ा पाली में बन जाएगा। हो सकता है, आपको लगे कि यह खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन उससे जो रोजगार मिलेगा और दूसरे जो अन्य कर सरकार को आयेंगे, वे आपकी बिजली की दरों में कमी से जो घाटा हो रहा है, उसकी पूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, पाली में चूड़ी उद्योग की भी प्रबल सम्भावनाएं हैं। मैंने मांग की थी कि पाली के जो चूड़ी उद्योग हैं, वे आवासीय बस्तियों में चल रहे हैं; उनका अपना अलग से कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। चूड़ी उद्योग ज्यादातर उन लोगों के हैं जिनको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती रही है। उन्होंने कांग्रेस के शासन काल में भी अनेकों बार मांग की थी कि हमारे लिए कोई नया औद्योगिक क्षेत्र या जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें कुछ भाग हमारा हो जाये। आज से कुछ दिनों पहले हमारी सरकार ने, 68 चूड़ी उद्योग

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पाली में हैं और 68 को ही 'नया गांव' स्थित औद्योगिक क्षेत्र में चूड़ी उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी। इसके लिए मैं उद्योग मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

लेकिन पाली में और भी सम्भावनाएं हैं। आपके पास भू-खण्ड भी पड़े हैं। ग्रेनाइट का काम भी पाली में बहुत बड़ा है। वैसे जालौर राजस्थान में नम्बर एक पर है लेकिन जिस औद्योगिक क्षेत्र में ग्रेनाइट इकाइयां लगी हुई हैं, वहां अब एक भी भू-खण्ड खाली नहीं बचा है और 'नया गांव' में आपके पास अभी भी बहुत से भू-खण्ड खाली भी हैं। अगर आप ग्रेनाइट उद्योग के लिए वहां एक ब्लाक तय कर लें तो बहुत सारे उद्यमी वहां ग्रेनाइट उद्योग लगाने को तैयार हैं।

माननीय सभापति महोदय, पाली जिले में जितना खनिज है, आज पाली जिले में 4 सीमेंट फैक्टरियां हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है, जहां हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। पाली जिले में आज भी सीमेंट फैक्टरियां लगने की बहुत ज्यादा सम्भावनाएं हैं। आपके पास कुछ प्रस्ताव आए हुए भी हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जब वहां बहुत ज्यादा सम्भावनाएं हैं और पूरे देश में सीमेंट की मांग भी बहुत है तो जो प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं, आप उनका निस्तारण करके उनको जल्दी से उद्योग लगाने की स्वीकृति वहां दे दो तो हमारे जिले के हजारों युवकों को वहां रोजगार मिल जायेगा।

साथ में जो बात बार-बार आती है न कि उद्योग लगने से प्रदूषण वाला मैटर भी खड़ा हो जाता है, उद्योग लगने से श्रम विवाद भी पैदा होते हैं, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। आज कहीं भी किसी परिस्थितिवश दुर्घटना हो गयी तो वहां निश्चित रूप से हंगामा खड़ा होता है। सरकार को एक पालिसी निश्चित रूप से बनानी चाहिए कि यदि किसी भी इंडस्ट्री में कोई दुर्घटना हो गयी तो सरकार की ओर से मिलने वाले बेनिफिट के अलावा, उसके मालिकों की ओर से भी कुछ न कुछ उसको सहायता राशि दी जाएगी, वरना हर बार वहां बारगेनिंग होती है, लाश को कई दिनों तक रोक कर रखते हैं, उसके कारण फैक्टरी बंद होती है। यह हमने प्रयास किया पाली में कि जितने भी श्रमिक संगठन हैं, उनसे बात कर लें कि मान लो, किसी परिस्थितिवश कोई दुर्घटना हो गयी, पुलिस अपना काम करे, जांच करे,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लापरवाही हो तो जो कार्यवाही करनी है वह कार्यवाही करे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन उसकी वजह से जब तक बहुत बड़ी राशि मुआवजे के रूप में नहीं दी जाती, तब तक इकाई को नहीं चलने देना, या लाश को वहां से नहीं उठाना, यह रोजमर्रा की बात होती जा रही है। कहीं न कहीं आप अपने जिला कलक्टर को यह निर्देश दें कि वह आपस में बैठकर, जो औद्योगिक जगत के प्रतिनिधि हैं और जो श्रमिक प्रतिनिधि हैं, एक कोई पालिसी बना दें ताकि न तो श्रमिकों को परेशान होना पड़े और न उद्यमियों को परेशान होना पड़े। अगर हमने यह किया तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनके उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पाली में...

श्री सभापति: आपको फिर इधर भी आना है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या?

श्री सभापति: आपको इधर भी आना है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप बात कहिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दो मिनट में। काफी काम हो गये और जहां काम होते हैं वहां मांग भी लगातार बढ़ती रहती है।

पानी का ट्रीटमेंट प्लांट 6 नम्बर 12 एम एल डी का बहुत जल्दी चालू होने वाला है। 2007 के बाद में टैक्सटाइल उद्योग में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी करने की सरकार की ओर से रोक है। क्योंकि अब तक जितने ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनकी क्षमता उतनी ही है कि 2007 के पहले जितनी मशीनें थीं, उनके पानी को वह साफ कर दें। अब वह 6 नम्बर तैयार हो गया है। माननीय पर्यावरण मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि जब 15-20 दिनों में यह ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने वाला है तो 2007 के बाद में जो मशीनें विभाग द्वारा सीज की गयी हैं, एक बार उनकी सूची मंगाकर, मैंने आपको पत्र भी दिया है, इस शर्त के साथ कि जब सीईटीपी ट्रस्ट पानी लेने को तैयार हो जायेगा तो आपकी सीज की हुई मशीनों को उत्पादन के लिए स्वीकृति दे दी जायेगी। एक काम तो यह है।

दूसरा काम यह है कि टैक्सटाइल उद्योग में पानी की ज्यादा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आवश्यकता रहती है। बिना पानी के वह उद्योग चलता नहीं है। पानी दूर से लाना पड़ता है, बहुत दूर से। पानी का भी कुछ आरक्षण उद्योगों के लिए भी तय कर लिया जाये सरकार की ओर से और अगर आज नहीं किया जा सकता है तो यह जो हमारा जवाई पुनर्भरण का प्रकरण बहुत जल्दी चल रहा है, उसके साथ-साथ, या जोधपुर से कहीं अतिरिक्त पानी लाया जा सकता है तो उसके माध्यम से, पर टैक्सटाइल उद्योग को भी पानी मिल जाये। अभी पानी तो ला ही रहे हैं वह, जमीन से दोहन कर रहे हैं; वह पानी मिल जायेगा तो उनकी लागत में कमी होगी। वह निश्चित रूप से देश के अन्य शहरों की तुलना में अपने उद्योगों को ज्यादा पनपा सकेंगे, कंपीटिशन में टिक सकेंगे।

आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य ज्ञानजी, आपने ज्ञानवर्द्धन किया।

मेरे पास दो नाम एक नम्बर पर लिखे हुए हैं। मास्टर मामन सिंह यादव।

(14.11 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज उद्योग पर चर्चा है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2015-16 के बजट में उद्योग, निवेश, युवाओं को रोजगार, श्रमिक कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। सदियों से कृषि कार्य, और भी कार्य, पशुपालन, यह हमारे राजस्थान का प्रमुख धंधा रहा है। इसमें जब तक किसी भी प्रदेश में उद्योग का निवेश नहीं होगा, उद्योग नहीं लगते, तब तक विकास असम्भव-सा लगता है। उद्योग के कारण पहले के समय में बड़े-बड़े खेत होते थे, अब छोटे-छोटे हो गये हैं और जनसंख्या बहुत कम थी, अपने खेत में कृषि कार्य में, पशु धन से ही काम करके गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई कि रोजगार की बहुत कमी हो गई। कृषि क्षेत्र में छोटे-छोटे खेत हो गये और एक ही घर में दस-दस बेरोजगार हो गये। उनके रोजगार के लिए उद्योग बहुत आवश्यक हैं।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

माननीया मुख्य मंत्रीजी का निवेश पर बड़ा फोकस रहा है इस बजट में और उन्होंने एक साल के अन्दर ही कितने ही निवेशकों से मीटिंग करके, उनसे विचार विमर्श करके, प्रोत्साहित करके, राजस्थान में लाने का बड़ा प्रयास किया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर बताना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी के निवेश पर ध्यान दें और उद्योगों को बढ़ावा दें, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, हमारा राजस्थान सम्पन्न हो, खुशहाल हो और राजस्थान, जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा में संकल्प लिया था कि नया राजस्थान बने, उसको ध्यान में रखते हुए भी बजट में काफी घोषणाएं कीं।

अलवर जिला राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आता है, पहले नम्बर पर है; पूरे राजस्थान में ही क्या, अन्तरराष्ट्रीय नक्शे पर है भिवाड़ी। तो यह औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर विशेष ध्यान है माननीया मुख्य मंत्रीजी का। तीन बार, तीन बार एक वर्ष में माननीया मुख्य मंत्रीजी स्वयं पधार चुकी हैं और वहां के उद्योगों पर और वहां के पर्यावरण पर इन पर बहुत ध्यान दिया है। जैसे 2014 में ही होण्डा का उद्घाटन किया, जो कार की कम्पनी है, बहुत बड़ी है, पूरे हिन्दुस्तान में शायद कार की सबसे बड़ी कम्पनी है। उसके बाद नीमराना में हीरो का। अब इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अलवर जिले पर विशेष ध्यान दिया। बजट में भी अभी अलवर जिले के भिवाड़ी में, टपूकड़ा, कारोली, इनमें एक बहुत बड़ा सयंत्र बन रहा है। उद्योगों के विकास के लिए उसमें सवा सौ एकड़ और पचास एकड़ भूमि आरक्षित की है, विशेष रूप से ध्यान दिया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि उद्योगों का विकास हो और निवेश के लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो, शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो, ताकि हमारे प्रदेश में ज्यादा निवेश आए और उद्योग मिलें, और उद्योगों को जब बढ़ावा मिलेगा, बढ़ेंगे, तब ही निवेश आएंगे, यहां पर शांति मिलेगी।

हमारे युवाओं ने सपना देखा, बेरोजगारी से त्रस्त होकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। क्योंकि हर घर में, हर गांव में, हर वार्ड में, हर शहर में बेरोजगार थे और उनमें इतना आक्रोश बढ़ गया; कांग्रेस पार्टी का इसीलिए सफाया हो गया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अब एकदम युवाओं में आक्रोश आया किस पर? भारतीय जनता पार्टी का शासन, पहले हमारे

(मास्टर मामन सिंह यादव)

राजस्थान में वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व में 163 सीटें दीं, फिर दिल्ली में राज बनाया। यह युवाओं का सपना है कि सरकार हमें रोजगार देगी, रोजगार तभी मिलेगा जब निवेश बढ़ेगा।

अब अलवर जिले में भिवाड़ी की बात करना चाहता हूं। भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड़, अब हमारे सभी 18-20 जगह, थानागाजी में भी छोटे उद्योग लग रहे हैं, रामगढ़ इनमें भी छोटे-छोटे निवेश अभी लगे हैं। अलवर में भी एम आई ए जो ठप्प हो गया था, उसका भी विकास करने की आवश्यकता है। यह सब तो माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान है और किया जा रहा है। अब इसके साथ-साथ कुछ हमें सुधार करना होगा, माननीय उद्योग मंत्रीजी को। जो कमियां हैं, जैसे अभी किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें हमारी जो कमियां हैं कि किसान की जमीन ली जाती है मन्दे भाव में, सस्ते भाव में, कौड़ियों के भाव में, क्योंकि कानून ही ऐसा था। अब यह नया विधेयक आ रहा है, इसमें चार गुना, पांच गुना, छह गुना का भी हो रहा है, उससे फायदा मिलेगा। किसान से सस्ती दर पर जमीन ली जाती है, कम पैसे मिले। उसका घर, जो सदियों से पूरा परिवार उसी भूमि से कमा कर खा रहा था, वह खत्म हो गया। उनको रोजगार मिलना चाहिए। उनकी सोच में उन लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। उनकी सोच यह नहीं होनी चाहिए कि यह स्थानीय है, हम तो बाहर से ले आएंगे। उनका यह रहता है। मालिक नहीं करता है गड़बड़, उनका मैनेजर लगाया जाता है, वह मैनेजर निवेशक, उद्योगपति के अन्दर यह भय बना देता है कि ये लोकल हैं, ये उदण्डता करेंगे और आपको इनको नहीं लगाना है, क्योंकि वह अपने यहां से, जहां का वह है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, जहां से वह मैनेजर है वह वहां अपने लोगों को ले आता है और यहां लगाता है। हमें उनसे ईर्ष्या नहीं, पूरा हिन्दुस्तान अपना है लेकिन जहां की जमीन, हम बेघर हो गए, जमीन हमारी चली गई, जिस क्षेत्र की, उस क्षेत्र में सुनिश्चित उद्योग मंत्रीजी, व्यवस्था हो कि वहां के स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिले। यह तय हो, पहले ही एग्रीमेंट हो उद्योगपति को जमीन देने से पहले कि वहां के उस परिवार को, परिवार के साथ-साथ गांव के जो खेतिहर मजदूर हैं, जो खेती पर निर्भर थे, उनके लिए भी व्यवस्था हो। यह तय होना चाहिए तभी वह समन्वय बढ़ेगा। जब रोजगार भी मिलेगा, खुशहाली होगी तो वहां के लोगों का, गांव के लोगों का, युवाओं का और सबका और उद्योगपति का तालमेल होगा, शांतिपूर्ण

(मास्टर मामन सिंह यादव)

वातावरण होगा और पूरा क्षेत्र भी और प्रदेश भी विकसित होगा और जय जय राजस्थान भी होगा, नया राजस्थान भी होगा और विकास भी होगा। माननीय सभापति महोदय, यह उनमें सोच बदलनी पड़ेगी। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी से विचार विमर्श करके, माननीय उद्योग मंत्रीजी, उनकी मीटिंग करके उनकी सोच बदलने की आवश्यकता है।

अब इसके साथ-साथ एक हमारे भिवाड़ी में देखा कि कई फैक्टरियां जिनके केवल बीस बीघा में, बीस एकड़ में, दस एकड़ में, पन्द्रह एकड़ में, केवल वह मकान बना रखे हैं, जमीन ले रखी है दो सौ बीघा, कहीं ले रखी है चार सौ बीघा। तो यह भी सुनिश्चित हो कि किसान की जमीन बरबाद करने के लिए नहीं है। वह उसकी मां है। तो उतनी ही जमीन उद्योगपति को दी जाए जितनी उसको आवश्यकता है। वह मंदे समय में ले ली और उस समय मंदी होती है, कौड़ियों के भाव मिलती है, फिर वह जमीन का बेचान कर देता है उद्योगपति। तो यह किसान के साथ इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करना होगा।

अलवर जिले की जो इकाइयां हैं, या राजस्थान जिले में जो भी इकाइयां हैं, एक निश्चित रूप से तय हो, चलो, टेक्निकल आदमी पूरे देश से लाये जा सकते हैं, विदेश से भी लाये जा सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्तर प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जहां पर भी उद्योग लगें, सत्तर प्रतिशत। यह कानून भी बना हुआ है, 96 में बना था, 70:30, 70 परसेंट अकुशल, 30 परसेंट कुशल, इस तरह से लोग लगेंगे, यह तय है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता। उद्योग मंत्रीजी, यह जांच जरूर करा लें कि वे उद्योगपति, जैसे ही कागज लेकर जाएं, वे युवा पढ़-लिखकर अपना इंजीनियरिंग या आई टी आई का डिप्लोमा लेकर जब उनके द्वार पर जाता है तो अपने को ठगा सा महसूस करता है और वह अपमानित होकर वापस आ जाता है। वे पढ़ते हैं कि यह फलां गांव का है, स्थानीय नहीं चाहिए। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप जांच कराइये हर कम्पनी में, चाहे वह भिवाड़ी में हो, चाहे बहरोड़ में हो, चाहे टपूकड़ा में हो, चाहे नीमराना, अलवर, राजगढ़ में हो। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच हो। हर कम्पनी में निश्चित रूप से जो निर्धारित मापदण्ड हैं, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय, ऐसा निवेदन है।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

अभी मैंने 295 में कहा है, उद्योगपतियों ने फैक्टरियां लगा लीं, आपके मापदण्ड भी हैं, मापदण्ड के आधार पर भिवाड़ी में काम नहीं हो रहा है; चाहे नीमराना हो, चाहे बहरोड़ हो, किसी में भी नहीं हो रहा है। दूषित पानी को बाहर निकाल देते हैं; गंदा पानी, बिलकुल गंदा, नरक जैसा माहौल। बोरिंग करके उसको नीचे डाल देते हैं। नीचे बोरिंग करके हमारे भिवाड़ी क्षेत्र के गांवों में इतना दूषित पानी हो गया कि पानी पीने लायक नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट वे लगाएं, इसके लिए मंत्री महोदय निर्देशित करें और हर कंपनी को पाबंद करें कि अपने पानी को बाहर नहीं निकालें। उन्होंने 200-300 बीघा जमीन खरीद रखी है, उसमें ही पानी काम लें। जैसे अभी भिवाड़ी से पानी निकल रहा है, 15-20 गांवों में उस दूषित पानी से नरक का सा माहौल बना हुआ है। निकलने की बात तो अलग है, वहां से आदमी मरने जैसी स्थिति में है, बदबू आ रही है। अन्दर तक पानी चला गया है। इतना दूषित पानी हो गया है। उसकी भी कोई सुनिश्चित, ठोस व्यवस्था हो। निकासी तो हरियाणा वाले करने दें या न करने दें, लेकिन ऐसा नियम तो करें। कम्पनियों से एग्रीमेंट होते हैं, उनको जो मान्यता दी जाती है, उन नोर्म्स में है कि पानी को कोई भी उद्योग अपने प्लांट से बाहर नहीं निकालेगा, ट्रीटमेंट लगाकर ही बाहर निकालेगा। यह भी उनको आदेशित किया जाय। इसकी मोनिटरिंग हो, निरीक्षण हो, सुनिश्चित निरीक्षण हो।

पोल्यूशन का है, चिमनियां ऊंची नहीं लगा रखीं। खुशखेड़ा में फैक्टरी है सीमेंट की। इतना बुरा नरक-सा कर रखा है, जो आसपास के 5-10 गांव हैं उनमें सो नहीं सकते; टीबी होने लग गई सबके, क्योंकि गर्त आ रही है। पूरे चौक में गर्त आ जाती है, कपड़ों पर गर्त लग जाती है। पूरा माहौल ऐसा हो रखा है कोई वहां रुकने को राज़ी नहीं है। मैनेजरों ने अपने यहां तो शीशे लगा रखे हैं। उनमें काम करने वाले श्रमिक भी परेशान हैं, उनमें भी बीमारियां हो रही हैं। उसमें चिमनी लगनी है, और कुछ नहीं है, चिमनी को ऊंचा करना है, या फिर ऐसे उद्योगों को बाहर जंगलों में लगाओ जैसे चित्तौड़गढ़ में लग रहे हैं। आबादी के पास सीमेंट जैसे दूषित उद्योग नहीं लगाएं, दूषित उद्योग पहाड़ों की तरफ लगाये जाएं।

पिछली सरकार ने हमारे अलवर जिले में ऐसी जगह, जो पहाड़ी क्षेत्र है, नाला है, पर्वतमाला के पास लिख दिया मास्टर प्लान में, यह आर जोन है और जहां बहुफसलीय क्षेत्र हैं, बहरोड़, नीमराना, टपूकड़ा, ये इस तरह के क्षेत्र हैं

(मास्टर मामन सिंह यादव)

जो अच्छे क्षेत्र हैं जिनके अन्दर उपजाऊ फसल होती है, 4 की बजाय 6 फसल होती हैं, वहां औद्योगिक क्षेत्र कर दिया, जबकि आर जोन बनाया गया है। वहां फैक्टरियां लगायी जा सकती थीं मेवात क्षेत्र के अन्दर। वहां पैदा होती ही नहीं है, यों ही जमीन पड़ी है। नला है, खाले हैं, उनको समतल करो और उनमें लगा लो, जैसे चौपानकी के अन्दर लगायीं, लेकिन नहीं किया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, दुरु मियां काबिना मंत्री थे, भंवर जितेन्द्र भी उन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने वहां मास्टर प्लान को उनको लाभ देने के लिए गलत बना दिया। दलगत राजनीति के कारण एक ही सम्प्रदाय के वहां रहते हैं, उनको लाभ देने के लिए कर दिया। जो बहुफसलीय जमीन थी उसको औद्योगिक क्षेत्र बना दिया। इसमें भी विचार करना होगा।

पोल्यूशन के बारे में एक आफिस खुल रहा था पहले भिवाड़ी में, वह जांच करता था फैक्टरियों की भी या और पोल्यूशन के लिए, लेकिन उस इंस्पेक्टर को बदलकर उसका आफिस ही हटा दिया। भिवाड़ी में बिल्डिंग बनी हुई है, उसको अलवर लगा दिया कि वहां जांच करेगा, अंकुश लगेगा। खुले में भ्रष्टाचार करो।

अभी कृषि नीति में मुआवजे की बात तो हो गयी। जो जमीन एक्वायर कर ली, 10-15 गांवों की कर रखी है, इसमें मेरे खुद का गांव कमालपुर भी है; टपूकड़ा, सिलारपुर, कारोली, शाहपुर, बलबीरपुर, ढाढमका, ये सब गांव कर रखे हैं। हमारे अधिकारी महोदय भी इनकी असत्य बात कहते हैं। यहां मैंने पिछले सत्र में प्रश्न लगाया और अब भी लगाया है कि वहां जो जमीन एक्वायर की है, वह बहुफसलीय है और उनकी सस्ती रेट पर कांग्रेस सरकार ने वह जमीन लूट ली। जो दो करोड़ बीघा की जमीन थी, उसको 14 लाख रुपये में एक्वायर कर लिया। आज 4 साल हो गये, कब्जा नहीं लिया, 10 गांवों में कब्जा नहीं हुआ, यह मैंने लिखा था। अधिकारियों की रिपोर्ट आयी कि हमने कब्जा ढोल-नगाड़ा बजाकर ले लिया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की कमेटी गठित करो और उन 10 गांवों में, जो टपूकड़ा, भिवाड़ी में गांव हैं, जिसमें मेरा खुद का गांव भी है, वहां आप जांच कराइये, कोई आज तक कब्जा लेने न गया और न कब्जा हुआ। 10 गांवों में पूरी भरपूर फसल खड़ी है, सब ढाणियों में बस रहे हैं, सब खेतों में बस रहे हैं, मकान बन रहे हैं, पशु भी वहीं हैं, स्कूलें बन रही हैं और सड़कें भी निकल

(मास्टर मामन सिंह यादव)

रही हैं, पूरा अमन-चैन है, बहुफसलीय जगह है लेकिन कहते हैं, हमने तो कब्जा कागजों में ले लिया। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

उनकी जो ग्रीवांसेज हैं, समस्याएं हैं, उनको सुलझाकर कब्जा लो, खूब फैक्टरियां लगाओ, उद्योग लगाओ, कमिटमेंट करो कि हम रोजगार देंगे वहां के लोगों को। बिलकुल सहर्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 परसेंट भूमि का उन्होंने लगा रखा है। किसान के ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, वे यह कहते हैं कि हमें 25 परसेंट विकसित भूमि दो, लेकिन वे कहते हैं, उस समय आपने दरख्वास्त नहीं लगायी। कभी भी लगायी दरख्वास्त, लेकिन कानून तो है। उद्योग नीति का नियम है कि 25 परसेंट विकसित भूमि दी जा सकती है, जो मुआवजा नहीं ले। जिसने दरख्वास्त लगायी या न लगायी, कब्जा तो उन्हीं के पास है। कब्जा आपको लेना है तो सबको भूमि दे दो। विकसित करने से किसान को भी लाभ मिल जाय, वह अपने को ठगा-सा महसूस न करें। आपका उद्योग भी लग जाय। वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दे दो। अमन-चैन, राज़ी-खुशी सारा काम सम्पन्न होगा और पूरा डवलपमेंट भी होगा। इस पर उद्योग मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात थोड़ी समेट लें आप, सीमित कर दें, जितना जल्दी हो सके।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): भिवाड़ी अलवर में नहीं, पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उद्योग पर आज डिमाण्ड है तो 5 मिनट तो ज्यादा लेने का मुझे हक है क्योंकि सबसे ज्यादा इण्डस्ट्रीज मेरे भिवाड़ी में ही हैं।

अब रोजगार की बात आ गयी। अभी माननीय सदस्य ने कोई कम्पनी में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी। श्रीराम पिस्टन, भिवाड़ी के पास ही चौपानकी गांव है, उस चौपानकी के अन्दर चार-पांच साल पहले लगी थी। वहां पर करीब 1800-2000 श्रमिक काम करते हैं। एक साल पहले वहां श्रमिकों व मैनेजमेंट का कोई आपसी झगड़ा हो गया, कोई मांग होगी उनकी। वैसे तो उन्होंने कोई यूनियनबाजी बनानी चाही थी कांग्रेस के झण्डे के नीचे, लेकिन जो भी है, श्रमिक थे। वह गलत हुआ है, उन श्रमिकों को निकाल दिया गया। उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था, लेकिन 1400 आदमी निकाल दिये गये। आज तक उनको नहीं लिया गया है। कई बार

(मास्टर मामन सिंह यादव)

मीटिंग भी हो चुकी, हमने भी कहा है कि इनके ऊपर विचार-विमर्श करके, जो उद्दण्डी हैं, जो अशांति पैदा करना चाहते हैं, ऐसे 100-50 हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। निर्दोष भी हैं, अच्छे श्रमिक भी हैं। 1500-1600 में से 100-50 उद्दण्डी होंगे। उनको छोड़कर, उनकी जांच करके, जो निष्पक्ष हैं, उनका किया जाय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब बात समाप्त करें आप।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उन निष्पक्ष को रोजगार दिया जाय। उन पर मुकदमे लग रहे हैं। अब उनकी धरपकड़ और हो रही है। उन मुकदमों को भी वापस लो। उद्योग मंत्रीजी, आप उनसे बात करके उन्हें रोजगार.....

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त करें अब आप।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक मिनट, साहब। तो कम से कम उनके मुकदमे तो वापस लो ताकि रोजगार तो छिन ही गया पर जेल में तो नहीं जाएं। (व्यवधान)

एक मिनट, साहब, खनन का और है। मेरे यहां तिजारा में सबसे ज्यादा खनन होता है, अवैध खनन इतना धड़ल्ले से हो रहा था कांग्रेस शासन में, दुर्रू मियां काबिना मंत्री और भंवर जितेन्द्र सिंह दिल्ली में मंत्री, जो धड़ाधड़ हो रहा था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस पर अंकुश लगा है। अब 70-80 परसेंट कम हो गया है, ताकत के साथ कम हुआ है। फिर भी एक विशेष जत्था और एक अलग मानिटरिंग हो क्योंकि पुलिस अकेली से नहीं हो सकता।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री रमेश मीणा। माननीय सदस्य, अब आपका अंकित नहीं होगा।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): ×××

श्री सभापति: धन्यवाद आपको। अब आप विराजें। आप पहले से ही बहुत ज्यादा वक्त ले चुके हैं। अब विराजें आप। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42, मांग संख्या 43....

श्री सभापति: एक मिनट। जितने भी माननीय सदस्य आज मांग पर

(श्री सभापति)

बोलने वाले हैं और जैसे अध्यक्ष महोदय ने आसन से व्यवस्था दी थी कि आज 33 माननीय सदस्यों को बोलना है और 6 बजे तक अपनी बात उन 33 सदस्यों को कहनी है। इसलिए आप पहले से ही अपनी समय सीमा खुद ही तय कर लें, आसन को टोकने का अवसर नहीं मिले और आपकी बात भी पूरी सदन में अंकित हो जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा माननीय सभापति महोदय से निवेदन है कि प्रतिपक्ष से मैं पहला वक्ता हूं तो मुझे समय उसी हिसाब से दिया जाए जैसे आपने सत्ता पक्ष की पार्टी के प्रथम वक्ता माननीय सदस्य को दिया है। शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य। हम तीन के बाद ही बोल रहे हैं और हमारे समय के हिसाब से ही बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पिछली दफा तीन हम बोलते थे तभी तो तीन और एक का रेश्यो हो गया न। यह जनता ने ही कर दिया। तभी तो आप लोग मनमानी कर रहे हो।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग, मांग संख्या 43 और मांग संख्या 9-वन पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, हम उन भाग्यशाली प्रदेशों में हैं जिसकी धरती के गर्भ में अथाह खनिज सम्पदा छिपी हुई है। यह प्रदेश वह प्रदेश है जहां के उद्यमियों ने कुशाग्र बुद्धि से अपनी साख और विश्वसनीयता के आधार पर विदेशों में, देश में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अपना परचम लहराया। आज राज्य में वही उद्यमी आएगा जिसको अपने राजस्थान में निवेश का वातावरण मिलेगा। ऐसा वातावरण जिसमें वह जो उद्योग डालना चाहता है, उसमें सारी आवश्यकताएं हों; बिजली, पानी, अन्य जो रॉ मैटेरियल, सारी सुविधाएं होंगी तब वह निवेश करने आएगा। हमारे राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का जो वातावरण है, हम काफी बार यहां कैम्प लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, यहां बड़े-बड़े फंक्शन करते हैं, बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस राजस्थान में कोई भी उद्यमी उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उसकी जो शुरुआत होती है, कोई उद्यमी यहां राजस्थान में आएगा तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर उसको जो यहां का वातावरण, यहां का जो सिस्टम है, उसकी वजह से वापस वह निराश होकर चला जाता है। उसको कई चीजों की

(श्री रमेश)

आवश्यकता होती है, उसको विद्युत कनेक्शन भी लेना है, पानी की व्यवस्था भी करनी है, रॉ मैटेरियल भी ईजी-गोईंग उसको मिलना चाहिए और फैक्ट्री बायलर्स, अन्य काफी विभागों में उसको एन.ओ.सी. लेने की आवश्यकता होती है, तो वह चक्कर काटते-काटते थक जाता है और निराश होकर दूसरे प्रदेश में अपना उद्योग लगाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी बड़े बुद्धिजीवी हैं और अच्छे समझदार हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान में उद्योग का ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा सिस्टम पैदा करें और विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस प्रकार की योजनाओं के बारे में तन्दुरुस्त करें कि हमारे यहां लोग उद्योग लगाएं। जो उद्योग हमारे नीमराणा, भिवाड़ी में लगे हुए हैं, जहां की बात करते हैं, तो वहां तो दिल्ली के लोगों की मजबूरी है, वे लोग वहां पर आ रहे हैं क्योंकि उनको दिल्ली में जगह नहीं मिल रही है और राजस्थान पास में पड़ता है तो उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन जो अन्य हमारे जिले हैं जहां पर हमारे पास रॉ मैटेरियल भी है, पानी भी है, बिजली भी है, फिर भी लोग उद्योग लगाने नहीं आ पा रहे हैं।

हमारी जो एक कम्पनी है, जो सरकारी कम्पनी है, जिसको औद्योगिक विकास के लिए एक्सीलरेंट या उत्प्रेरक कहते हैं, वह जो रीको है, उसका सिस्टम है कि मनमर्जी से करता है। उसके पास एक पावर है, उसका नाम है इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी, आई.डी.सी., वह चाहे तो किसी को उद्योग लगाने दे, नहीं चाहे तो किसी को नहीं लगाने दे। किसी को छूट देना है तो छूट दे दे, किसी को अग्रिम दे दें, किसी को जमीन अलाट की है उसको कैन्सिल कर दे, पुनर्जीवित कर दे, यह उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। उनको एक ही बहाना रहता है कि राजस्थान के उद्योग के निवेश के लाभ की बात है, प्रोफिट की बात है कि हम बड़ा उद्यमी ला रहे हैं, इसलिए उसको भूमि में छूट दे रहे हैं, रेट में भी छूट दे रहे हैं। तो इस प्रकार का यह जो वातावरण बना है, मैं यह नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है या कांग्रेस की सरकार ने किया है, एक सिस्टम ऐसा डवलप हो गया है, जब से यह व्यवस्था यहां उद्योग की की है, आपके रीको की की है, या अन्य व्यवस्थाएं हैं। उद्योग को यहां बढ़ाने की बात तो हम करते हैं, बहुत सारी योजनाएं लाते हैं, बड़ा सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं लेकिन जब तक राज्य सरकार की मन्शा नहीं होगी तब तक हम इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

(श्री रमेश)

मैं आपको छोटे-मोटे एग्जाम्पल हैं, जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट है और वह 2006-07 से लेकर 2013 तक की रिपोर्ट आ गई है, आर.एफ.सी. ने तो बिलकुल राज्य सरकार का भट्ठा ही बिठा दिया। क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आई.डी.सी. कहो, आर.एफ.सी. कहो, ये कुछ ही लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए, या कहो कि जो राज्य सरकार प्रजेंट में होती है उसके लिए पिछला दरवाजा खुला हुआ है कि किसको लाभ देना है, किसको भगाना है, किसको रखना है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर।

प्रतिवेदन 4, वर्ष 2011 में सैकड़ों पैरा हैं जिनमें तकनीकी संस्थान को भूमि के आबंटन की बात करें कि बिना पात्रता के जमीन आबंटित कर दी। केवल पावर पाइंट प्रजेंटेशन के आधार पर एक शिक्षा समिति को जमीन दे दी और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसी तरह वाल्मार्ट इण्डिया प्रा. लि. की भूमि का जो आबंटन हुआ, औद्योगिक चरण-फर्स्ट में 25 एकड़ भूमि आबंटित कर दी बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, जबकि वह उस क्षेत्र में आती थी जिसको नीलामी द्वारा दिया जाता था और इस प्रकार सरकार को उसमें एक करोड़ 36 लाख रुपये की हानि हुई। इस तरह का जो उद्योग था, वह जल प्रदूषण होने के कारण वहां पर उसको यह भूमि का अलाटमेंट नहीं होना चाहिए था और वह गलत अलाटमेंट किया और फिर भी उसको इन्होंने यह लाभ दिया। इसी प्रकार, लाफार्ज वोरल जिप्सम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम छूट दो प्रतिशत नकद दे दी और इस प्रकार सरकार को 22.76 लाख रुपये की हानि पहुंचाई।

कुछ इस तरह के मैटर हैं जिनको पुन: नवीनीकरण प्रभारों का परित्याग कर, मूलचन्द सालेचा, उद्यमी बालोतरा को थर्ड फेज में आबंटित की और बिना पेनल्टी के उसका दुबारा नवीनीकरण कर दिया, जो कि नियम विरुद्ध था। उसने भी 26.88 लाख रुपये की हानि सरकार को पहुंचाई।

इसी तरह भूमि आबंटन में अनियमितताएं। सोना आटो एग्रो, जो ट्रैक्टर्स कम्पनी थी, उसको बिना भौतिक सत्यापन किये हुए, कागजों में उसको कब्जा दिखाया और उसको एन्क्रोचमेंट की वजह से भूमि नहीं मिल पाई। तो राज्य का जो निवेश था 175 करोड़ रुपये का, वह बाहर चला गया। हालांकि वह बाद में आ भी गया।

(श्री रमेश)

तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, उद्योग आयें, किस तरह से यहां के उत्पादन और उत्पादकता उद्योग के क्षेत्र में बढ़े, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें पारदर्शिता हो।

आपके हम रीको की बात ले लें, अभी इसको बरसों लग जायेंगे आनलाइन होने में। आज मंत्रीजी पूछ लें कि कौन से सन् में कितने, कहां-कहां कितने लोगों को राजस्थान में आबंटित की और प्रजेंट में उन पर कब्जा किसका है और उस भूमि पर उद्योग का काम कौन कर रहा है? राजस्थान में अभी इन्हीं तीन-चार चीजों को हम पूछ लें तो इस पूछने में ही और जवाब आने में ही छह महीने लग जायेंगे। तो रीको का जो सिस्टम है, इसको अपडेट करने की जरूरत है।

ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आपने आज तीन विभागों की मांग एक साथ रख दी, तो ज्यादा नहीं बोल पायेंगे। आपकी आर एफ सी के माध्यम से जो लोनिंग व्यवस्था है, इसको तो बिलकुल बंद कर दें, नहीं तो आने वाला समय है, जिस तरह रीको में व्यवस्था है, आर एफ सी की तरह रही, तो इस डिपार्टमेंट को बंद करके इसकी भूमि को बेचकर सरकार एक नया डिपार्टमेंट खोले तो आपको अरबों रुपये आ जायेंगे और इस राजस्थान के विकास में एक अहम् भूमिका इन पैसों की होगी।

अब मैं बात करना चाहता हूं आपके खान विभाग की। तो सदन का ध्यान मैं, खान विभाग में अभी-अभी बात चल रही थी कि खानों का आबंटन हुआ और खानों के आबंटन में किस प्रकार की अनियमितताएं हुईं और बात अभी सदन में भी आई थी चार खानों की कि चार खानों का आबंटन अनियमितता के आधार पर किया गया। उसके अलावा, 500 खानें भी और अलाट हो गईं और प्रत्येक जिले में जहां स्टोन है या आयरन है या सीमेंट के ब्लाक्स हैं या जहां-जहां राजस्थान में माइनिंग का एरिया है, वहां 500 से अधिक खानें अलाट कर दी गईं और अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने का जो प्रयास किया है, वह बड़ा सोचनीय है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार इन्होंने खानों का आबंटन किया है कि तुरत-फुरत में, आनन-फानन में ऐसी क्या जरूरत थी कि इनको इतनी जल्दी खानों का आबंटन 31 दिसम्बर को...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको यह परिपाटी पता होगी, जो विषय एक बार सदन में आ जाता है, दुबारा उस पर आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...उस पर चर्चा कर सकता है। नहीं, नहीं, सभापति महोदय, फिर तो इस पर चर्चा ही मत कराओ। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): चर्चा कर सकते हैं और सभापति महोदय, इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, जो विषय एक बार यहां उठ चुका है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आ गया, खान का मुद्दा तो आ गया। नहीं, आब्जेक्शन है मेरा।

श्री सभापति: ...और काफी बार उठ चुका है वह। फिर बार-बार क्या वही बात है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, आ चुका है तो आपकी ...(व्यवधान) है क्या?

श्री सभापति: फिर आप दूसरी बात करो ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको सीट पर वहां बैठे-बेठे तकलीफ हो रही है क्या? जब खान की मांग पर चर्चा खान की नहीं करेंगे तो क्या पानी की मांग पर करेंगे हम चर्चा? नहीं, यह नहीं चलेगा।

श्री सभापति: खान की बात पर एक बार चर्चा हो गई ना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप यह क्या बात कर रहे हों? ऐसे क्या बात कर रहे हों आप? (व्यवधान) किस तरह बात कर रहे हों आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, यह नहीं चलेगा। नहीं चलेगा यह। नहीं चलेगा यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन से ऐसे बात करोगे क्या आप? नो। नो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खान विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, नहीं। आसन से इस तरह बात करोगे आप?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह आप धमकी देकर बात कर रहे हो। (व्यवधान) आप धमकी देकर बात मत करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह अधिकार नहीं है आपको। आसन सर्वोपरि है। आसन से बात करोगे इस तरह? (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): आसन को धमका नहीं सकते आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके पास दम है ना। यह कौनसा तरीका हुआ?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह आसन से कैसे बात कर रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सभापतिजी,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कोई बात हुई, सभापतिजी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कौनसा तरीका हुआ?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापतिजी, माननीय सदस्य को ध्यान होना चाहिये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आसन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आसन को धमकाने का काम नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह माननीय सदस्य का व्यवहार कतई ठीक नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापतिजी...

श्री हीरालाल (निवाई): आपने ऐसे कैसे बोला आसन के प्रति? नहीं बोल सकते आप। (व्यवधान) आसन के प्रति ऐसा कतई नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सभापतिजी, आसन को इस तरह से नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल ठीक है। बिलकुल ठीक है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बोलने की तमीज सीखो पहले। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं सभापति महोदय से निवेदन कर रहा था...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये आसन को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप तो, माननीय सदस्य, मर्यादा का ध्यान रखें। आप मर्यादा का उल्लंघन करते जा रहे हैं। आसन के लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकते।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आसन के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम आसन का सम्मान करते हैं। यह सचेतक के नाते मेरा आब्जेक्शन करने का धर्म बनता है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आपको कोई अधिकार नहीं है आसन पर इस तरह से टिप्पणी करने का। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, ये शब्द जो आपके लिए काम में लिये हैं, कार्यवाही से निकाला जाये उनको। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आसन का सम्मान ऐसे शब्दों से नहीं होता, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, समझ में नहीं आई। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): यह कार्यवाही से निकाला जाये, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम आपका भी सम्मान करते हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल (निवाई): खान पर चर्चा हो रही है तो आप क्यों कर रहे हों? और इस तरह के शब्द आसन के लिए कहना कहां तक उचित है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 272 के (10) की ओर दिलाना चाहूंगा। उसमें लिखा है, अध्यक्ष को हटाने के मूल प्रस्ताव के माध्यम से, को छोड़कर उसके आचरण पर आक्षेप नहीं होगा। सभापति महोदय,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने आसन पर आक्षेप कब किया। हमारे दल के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, हमारा धर्म है। जब खान की मांगों पर चर्चा है तो खान की चर्चा कैसे बंद करा सकते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनका यह कहना कतई ठीक नहीं है। (व्यवधान) मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह ऐसा है, राठौड़ साहब, संसदीय गरिमाओं का ख्याल रखो। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। रोजाना मुद्दे उठते हैं, पर्ची से भी उठते हैं, 295 से भी उठते हैं, हर सब्जेक्ट पर उठते हैं। फिर मांगों पर चर्चा भी होती है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मुझे आपने अनुमति दी है। मुझे आपने अनुमति दी है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, आसन सर्वोपरि है। हम आसन की मर्यादाओं से सब बंधे हुए हैं। मैंने एक नियम को यहां उद्धृत किया है। अनेकों नियम यह बात बताते हैं कि हम आसन पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकते। कौल एण्ड शकधर भी यही कहता है और हमारी परम्पराएं भी यही कहती हैं और इस बारे में सैकड़ों अध्यक्षीय व्यवस्था भी हैं। प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने आसन को इंगित करते हुए जिन ओछे शब्दों में टिप्पणी की है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके पेट में मरोड़े हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन के ऊपर जो टिप्पणी है, उसको कार्यवाही से निकलवायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसको कार्यवाही से निकाला जाये, सभापति महोदय। (व्यवधान)

दूसरा, सभापति महोदय, आसन ने बिलकुल सही कहा था कि ये माननीय सदस्य डिमांड पर बोलें। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, माननीय मंत्री उत्तर देंगे। वरना वह सारे दस्तावेज हैं, जिन खानों की ओर इंगित करते हैं, उन खानों की नीलामी के लिए किसने आवेदन पत्र मांगे, कितने...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं उसमें जाना नहीं चाहता, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, फिर यहां मामला उठेगा और फिर आसन टोकेगा। कोटेचा की माइन्स में क्या हुआ था, किस प्रकार अपने चहेतों को खानें बांटी गई थीं, वे सारी बातें उठेंगी।

इसलिए मैं कहता हूं, सभापति महोदय, आसन ने सही कहा, जिस विषय पर एक बार यहां सदन में चर्चा हो चुकी है, उस विषय पर दुबारा चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: आसन यह व्यवस्था दे चुका है कि जिस विषय पर चर्चा हो गई, दुबारा वह सदन में नहीं उठेगा। आसन यह व्यवस्था दे चुका है। (व्यवधान) आप दूसरी बात करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजें। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आपका भी अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा। आप विराजें। आपका अंकित नहीं होगा। माननीय रमेशजी मीणा, आप अपनी बात बोलें। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन से दिला दो अनुमति। मैं अभी बता देता हूं कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। दिला दो अनुमति। बात करते हो बिना मतलब की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप हो। आपकी तरह बेलगाम नहीं हूं। मैं आसन के अनुशासन से बंधा हूं। बेलगाम नहीं हूं आपकी तरह। आसन का आदर करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: रमेशजी, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा जो निवेदन है, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो सवाल उठाया कि कोई चीज सदन में आ जाये और आपने भी इस बात को कहा है...

श्री सभापति: यह बात कई बार आ चुकी है। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप बोलो ना। कौन मना करता है आपको।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। आप सुनिये तो सही। सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री सभापति: बात आ चुकी है। कई बार आ चुकी है। कई बार आ चुकी है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरी बात सुन ले पहले, उसके बाद में बोलें आप। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि संसदीय मंत्री ने जो व्यवस्था दी है उससे मैं सहमत हूं और आपकी बात से भी सहमत हूं, लेकिन जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, इन्होंने सिर्फ चार खानों की बात की है, मैं चार खानों की बात नहीं कर रहा। ठीक है? मैं पांच सौ खानों की बात कर रहा हूं और तेरह मेजर मिनरल जो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): इन्होंने उसमें चेंजेज किया है और बाद में 12 जनवरी को जो अधिसूचना जारी हुई है भारत से, उसको इन्होंने अनियमितता के आधार पर मेजर मिनरल की जो खानें आबंटित की हैं, उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं चार खान की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति: ये सारी बातें सरकार की जानकारी में आ चुकी हैं। सरकार की जानकारी में सारी बातें आ गई हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय मंत्रीजी मुझे बतायें कि इनकी चर्चा हो गई है। इसमें भी नहीं बोलेंने देंगे क्या? यह तो हठधर्मिता है, दादागीरी है आपकी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप आसन से किस तरह बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह नहीं चलेगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: आप बैठिये, आप भी बैठिये। अंकित नहीं होंगी, ये जो टिप्पणी हैं ना।

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार पांच सौ खानें जो इन्होंने आबंटित कीं और हमारे 31 मेजर मिनरल जो नियमों में नहीं आते थे, उनकी खानें भी इसमें सम्मिलित हैं, ये आबंटित कीं, वे क्यों की, किस आधार पर कीं? माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने आर्डिनेंस नवम्बर, 2014 में जारी किया तो राज्य सरकार से भी सुझाव मांगे गये कि जो आबंटन नीति है, पारदर्शिता के लिए, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की पारदर्शिता कहें, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि खानों के जो आबंटन हों, वे खुली नीलामी में हों और उसके लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे गये। हमारी राजस्थान सरकार ने भी इस सुझाव में सहमति दी कि नीलामी के द्वारा आबंटन हों। जब आबंटन की नीलामी के बारे में भारत सरकार ने आर्डिनेंस जारी किया तो राजस्थान सरकार को पता लग गया कि ये अधिसूचना और ये नियम आने वाला है। उससे कुछ दिन पहले इन्होंने दिसम्बर से लेकर 12 जनवरी तक पांच सौ से अधिक खानें राजस्थान में प्रत्येक जिले में कहीं चालीस, कहीं पचास, कहीं सौ खाने जहां माइंस विभाग है या माइनिंग का एरिया है, मिनरल की खानें इन्होंने आबंटित कर दीं। इतना बड़ा घोटाला कि आयरन की खानें, मेजर खानें आबंटित कर दीं। नई पालिसी जो 12 जनवरी, 2015 को आई है उसके तहत ये अलाट नहीं कर सकते।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): आप विराजिए, मेरे पास सब चीज है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): एल ओ आई जारी हो गया, आबंटन का अभिशंसा पत्र भी जारी हो गया। यह अलाटमेंट ही है, और क्या है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठो आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का जो पूरे राजस्थान में जिन्होंने जो आबंटन पत्र की एल ओ आई जारी की है, वह पारदर्शिता से होनी चाहिए थी, प्रत्येक जिले में लोगों को पता होता। अभी जब पूछते हैं, मैं करौली जिले से आता हूं, मेरे यहां भी चालीस खाने हैं, कुछ माइनर और कुछ मेजर खानें हैं, अभी उनकी एल ओ आई जारी की है, तो मैंने पूछा लोगों से, तो कहा कि डिपार्टमेंट में इतना भय है कि कोई बताने को तैयार नहीं है। (व्यवधान) हमने पूछा, तभी तो पता है।

सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो मंत्रीजी हैं, बहुत साधारण और अच्छे खानदान से आते हैं। इनसे तो दबाव में साइन करा लिये और काम कराने वाला कोई और है। किसी के दबाव में इन्होंने काम किया है। कोई दिल्ली से आया है, पता नहीं, नाम है कि पहले लोग सिंहों से डरा करते थे; कोई सिंह से प्रमोशन हो गया, कोई सिंह भी आ गया इस राजस्थान में और इसने इस तरह का पूरे माइनिंग डिपार्टमेंट में भय का वातावरण पैदा कर दिया है।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) फिर आप हमें नहीं बोलने देंगे, तो हम यहां क्या करने आये हैं? (व्यवधान) जो भ्रष्टाचार हुआ है राजस्थान में खानों के मामले में, उस पर नहीं बोलने दे रहे हों आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): आप कौन से कानून के तहत बोल रहे हों?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, जो खानों की नीलामी इन्होंने

(श्री रमेश)

की प्रत्येक जिले में एम ई और असिसटेंट एम ई के द्वारा और तुरत-फुरत में किन्हीं लोगों को, अपने चहेतों को, ये मेजर और माइनर मिनरल की खानें आबंटित कीं। इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया। सरकार बात करती है पारदर्शिता की, नियम आया था केन्द्र सरकार का...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको आरोप लगाना है तो आप नियमों के तहत आओ ना। कौन मना करता है?

श्री रमेश (सपोटरा): मैं नियमों के तहत ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: नियमों के तहत आओ ना, आरोप लगाना है तो आपको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री सभापति: आपको यह भी नियम की जानकारी होगी जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके ऊपर आरोप इस सदन में लग नहीं सकता। आपने नाम लिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): नाम नहीं लिया है किसी का भी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: नाम लिया है आपने। आरोप लगाना है तो नियमों के तहत आओ ना आप। थोड़ा संयमित बोलें आप।

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने राज्य सरकार के लिए बोला है कि राज्य सरकार को नीलामी के द्वारा करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति होती।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो अलाटमेंट आनन-फानन में किये इन खानों के, तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से इन्होंने इतनी जल्दी इनका आबंटन किया? दूसरा मेरा निवेदन है, सरकार को पूरा पता था कि भारत सरकार यह नियम लाने जा रही है, यह अधिसूचना 12 जनवरी को होगी। उससे पहले-पहले इन्होंने तुरत-फुरत इतनी बड़ी अनियमितताएं कीं। यदि राज्य सरकार थोड़े दिन और रुक जाती और नीलामी के द्वारा यह आम आदमी को, या जो सिस्टम से, प्रोसीजर से, जो एप्लीकेंट थे, उनको मिलती, तो हमें क्या आपत्ति थी?

(श्री रमेश)

(15.00 बजे)

लेकिन सरकार को स्पष्ट पता था कि नीति आने वाली है, ये 31 मेजर मिनरल्स हैं तो उन्होंने उनको माइनर मान कर खानें आबंटित कर दीं। तो इसमें भी अनियमितताएं कीं। जो खानें थीं, जो अपने चहेतों को दे दीं, यदि ये ही नीलामी के माध्यम से होतीं तो कम से कम दो हजार से तीन हजार करोड़ की राजस्व प्राप्ति होती।

तो यह जो काम किया है राज्य सरकार ने, वह राज्य हित में नहीं किया, जनता के साथ कुठाराघात किया है और कुछ लोग हैं, जिनको व्यापारी कहो, या कम्पनियां कहो, या उनके चहेते कहो, उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक राज्य हित को तिलांजलि देना, यह कहां का न्याय है? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को और राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि समय रहते इनको निरस्त करें और नये सिरे से इनका आबंटन करें, नहीं तो हम आज तो यहां सदन में चिल्ला रहे हैं, लोग हमसे भी अधिक बुद्धिजीवी हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये गैलेरी में बैठे हैं और जो लोग हैं न, फिर इनको भी जाना पड़ेगा, जहां गये हैं लोग पहले।

तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें आप पारदर्शिता अपनायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपको बहुत समय दिया। बहुत समय दे दिया आपको।

श्री रमेश (सपोटरा): अब, साहब, वन विभाग पर बोलूं? कुछ अवैध खनन पर बोलूं? या बंद कर दूं? नहीं तो दूसरा बोल लूं।

श्री सभापति: आपका समय हो गया है।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, अभी समय नहीं हुआ है।

श्री सभापति: आपका समय हो गया। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): साहब, मैं बोला कितना सा हूं, 4 या 5 मिनट बोला हूं। आप देख लीजिये रिकार्ड उठा करके।

माननीय सभापति महोदय, अवैध खनन की जहां बात आती है, पूरे सदन के लोग हमारे, और ये आज से नहीं, वर्षों से अवैध खनन की बात चलती है; जब भी आती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, और चली जाती हैं, लेकिन अवैध खनन एज-इट-इज चलता है। राज्य सरकार की मंशा भी रहती है

(श्री रमेश)

कि अवैध खनन बंद हो लेकिन अवैध खनन बंद नहीं होता है, इसके कारण से कि अवैध खनन नहीं चलेगा तो पुलिस और वन विभाग और माइनिंग अधिकारी कर्मचारी क्या करेंगे, ये भी बैठे रहेंगे चुपचाप। तो इनको अवैध खनन चलाना जरूरी रहता है।

यदि अवैध खनन को बंद करना है राज्य सरकार को, तो, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मेरा अनुरोध है कि जहां पर ऐसी जगह हैं जहां पर केवल माइनिंग के द्वारा ही, खनन के द्वारा ही उनकी रोजी-रोटी चलती है, वहां पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है, न कोई वहां पर कोई औद्योगिक विकास है, न कोई सिस्टम है, कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है, तो वहां पर छोटी क्वारी के लाइसेंस दिये जाए और जहां फोरेस्ट है, जहां पर बिलकुल उजड़ा हुआ है, वहां पर डी-फोरेस्ट कर दिया जाए, तो वहां पर लोगों को मदद मिलेगी और अवैध खनन बंद हो सकेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): एक तीसरा और है। दो पाइंट वन विभाग के हैं, ज्यादा नहीं है। आप मुझे बोलने दें।

अभी राज्य में नाबार्ड पोषित योजना के अन्तर्गत 236 करोड़ रुपये की प्लांटेशन की योजना बनाई गई थी, उसमें से 232 करोड़ रुपये प्लांटेशन पर खर्च कर दिये गये। राजस्थान में इन दो-तीन सालों में जो पैसा खर्च किया है पौधे लगाने पर, पौधों को संरक्षण करने पर, एक भी पौधा जिन्दा हो और जो आंकड़े दिये हैं उन्होंने, हमने 131 का जवाब भी देखा है, और सारे फर्जी आंकड़े हैं। तो मैं, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी से इसका इंस्पेक्शन कराया जाए और इस व्यवस्था में सुधार किया जाए।

वन विभागों में जितना भ्रष्टाचार है, या इनका नियम-कानून दुनिया से अलग हट कर चलता है, ये किसी नियम और कानून की परवाह नहीं करते, इनका नियम अलग ही है। आप बनास परियोजना की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार की बू आती है। आज वाइल्ड लाइफ में जो लोग रहते हैं उनको रात-दिन लोग परेशान करते हैं...।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। डा. जसवन्त सिंह यादव। आपका अब अंकित नहीं होगा। आपको पर्याप्त समय दिया है। डा. जसवन्त सिह यादव। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-42, 43 और 9 पर ...(व्यवधान) आप बैठो। रमेश जी, आप बैठें।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कोई नहीं दबा रहा है आपको। अच्छी बात है, अब बैठो आप। हमारे भाग्य में तो ना पक्ष में ही लिखा है।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आप इन्हें बैठाइये। बैठिये आप। धन्यवाद। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-42, 43 और 9 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राजस्थान में उद्योगों की बात, अभी हमारे साथी लोग भी बोल रहे थे, यह हकीकत है, जबरदस्ती एक तो तारीफ करने वाली बात होती है, एक रियल्टी होती है, वास्तविकता होती है। यह सरकार बनी है, जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने मेहनत की है, जिस तरह मंत्रीजी ने मेहनत की है और जो उद्योग में वातावरण बना है, इसमें तो पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको खुले दिल से माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि यह राजस्थान के विकास का सवाल है, राजस्थान के लोगों के रोजगार का सवाल है। आज ऐसा कौन सा उद्योगपति, हिन्दुस्तान का बड़े से बड़ा उद्योगपति भी लालायित है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मुख्य कारण है, सरकार की कार्यशैली, माननीया मुख्य मंत्रीजी का कौशल, मुख्य मंत्रीजी की मेहनत, मुख्य मंत्रीजी का बनाया हुआ वातावरण और उसका ही परिणाम है कि हर बड़े से बड़े उद्योगपति के अन्दर होड़ लगी है, चाहे वह पावर सेक्टर में हो, चाहे पावर डिस्ट्रिब्यूशन में हो, चाहे और उद्योगों में, चारों तरफ से होड़ लगी है कि कितनी जल्दी कौन अपना उद्योग स्थापित कर सकता है और इसमें बढ़ावा भी मिला, निवेश भी मिला। नेशनल और इन्टरनेशनल तक माननीया हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह की मेहनत की है, जा रही हैं पूरी टीम को लेकर, चाहे विदेशों में जाना पड़ा कि किसी तरह राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हो जाए और राजस्थान विकास की गति पकड़े, यहां का विकास हो जाए, इस बात के लिए तो मैं यह कहूंगा कि पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहिए। यह तो प्रैक्टिकल है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अभी मैं उद्योग पर ही पहले बोल रहा हूं, पर अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि 31, बहुत जोर से बोल रहे थे कि 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान घोषित कर दिया। इससे इन्हें यह पता नहीं कि कम से कम 98 परसेंट पट्टे तो जारी होंगे ही, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी रेवेन्यू आएगी। तो इससे नुकसान क्या है? सत्ता पक्ष को कोई बताये कि ये 31 से क्या नुकसान है? (व्यवधान) नहीं, आपको क्या नुकसान है? मुझे नहीं मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा। पारदर्शिता से इसका बंटवारा हो रहा है। ये चीजें जो एक हित में हैं, उसमें भी शोर मचा देना कि साहब, ऐसा काम क्यों कर लिया कि आसानी से किसी को खान मिल जाए? और इसमें पारदर्शिता हो रही है, लाटरी सिस्टम पर सारा सिस्टम ही बदल रहा है। खैर, अब इसी तरह से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अच्छा हुआ क्या, माननीय सदस्य?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अच्छा हुआ है। लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा और निश्चित रूप से खनिज को बढ़ावा मिलेगा। इससे तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। (व्यवधान) बात यहां की हो रही है, देश की नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश को क्या लाभ हो सकता है, हमारी प्रदेश की जनता का किस तरह से विकास हो सकता है, देश के नौजवानों को...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को इंगित करके बात कहो न अपनी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जी हां। यह मेरी गलती है कि मैंने इनकी तरफ देख लिया।

राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन योजना को, जो 2014 की थी, 2014-15 में जो लागू हुई, उससे निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे वह सेरेमिक क्षेत्र हो, चाहे वह थ्रस्ट सेक्टर हो, डेयरी हो, कोई भी हो, सब में निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। मतलब, सरकार के प्रयास सही हैं।

अब कुछ समय कम है, आपने ज्यादा समय देना नहीं है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और जिस जिले से आता हूं, वह जिला औद्योगिक जिला है और आज पूरे हिन्दुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड मैप पर आ रहा है। उद्योग लगें,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

विकास हो, रोजगार मिले, राजस्व आये, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती और इसी बात के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी प्रयास कर रही हैं, सरकार प्रयास कर रही है।

अब माननीय उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, उद्योग मंत्रीजी, मैं तो दो-तीन चीजें जानता हूं कि हमसे पहले गाजियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया डवलप हुआ, हमसे पहले नोएडा का इंडस्ट्रियल एरिया मजबूती के साथ डवलप हुआ, हमसे ज्यादा इन्वेस्टर फरीदाबाद में आये, अब एक भी बड़ा उद्योगपति उन इंडस्ट्रियल एरियों की तरफ देख नहीं रहा है। राजस्थान में आप प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में बहुत खुशी के साथ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इसलिए कि यहां का वातावरण अच्छा है, आप उसको भरोसा दिला रहे हैं कि आपके सब काम तुरन्त होंगे, आनलाइन होगा, आपके लिए लैंड बैंक बना दिया, कहीं भी आपको सरप्लस जमीन की जरूरत पड़ेगी, तुरन्त देंगे, लेकिन आप विकास के साथ-साथ कभी विनाश की तरफ भी देखो। झारखंड से ज्यादा पीस फुल एरिया था नहीं, पर वहां गलती क्या की कि बडे-बडे खनिज व्यापारियों को दे दिये, वहां लोकल लोगों की सहभागिता नहीं हुई, इसी तरह छत्तीसगढ़ में हुआ और आज यह हाल है कि वहां की सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आज जो बड़ी खान लेना चाहते हैं, उनको जाते हुए दस बार सोचना पड़ता है, या उनको वहां पर मंथली देनी पड़ती है। इसी तरह गाजियाबाद, फरीदाबाद में चाहे वहां की सरकारें जो मर्जी में आये उद्योगपतियों को सपने दिखा दें, वे नहीं आयेंगे। उन्हें पता है, या तो डकैती में मारे जायेंगे, या किडनेपिंग हो जायेगी, या कुछ लूट-खसोट हो जायेगी।

यही हाल अलवर जैसे जिले में, जिसमें कभी क्राइम नाम की चीज नहीं थी, और आज अलवर जिला राजस्थान में क्राइम में नम्बर वन पर आ गया। उसका मूल कारण यह है कि हम वहां के बाशिंदों को भूल गये कि इनको जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिये। आप किसी तरह की उनको सहभागिता नहीं दे रहे। जापानी आ रहे हैं, कोरियन आ रहे हैं, वे हमारे यहां के लोगों को एक पैसे का बिजनेस नहीं देते। जोब वर्क तो करा लें तो करा ले, वरना उन्हीं का पूरा सेटअप है, यहां तक कि होटल तक उनके हैं। जो उद्योग लगा रहे हैं, उन उद्योगपतियों से एक ही जवाब मिलता है कि साहब, हमने जमीन का मुआवजा दिया है। यह बात सही है कि मुआवजा दिया है, आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हो, यह बात भी सही है; राजस्थान के विकास

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

में आप हिस्सेदार हो, यह भी सही है, पर क्या यह सही है कि जो पोल्यूशन दे रहे हो, जो वातावरण खराब कर रहे हो, उसका भी कहीं मुआवजा दिया है क्या?

हमारे यहां आई टी आई खूब हैं, अभी प्रधान मंत्रीजी ने नारा दे रखा है मेक-इन-इंडिया और राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिया है मेक-इन-राजस्थान।

आप एक बार ध्यान तो दो वहां के लोकल बच्चों पर, वहां के उद्योगों को प्रोत्साहन दो, आपका मेड-इन-राजस्थान बन जायेगा; बाहर के लोग वहां आकर बनाने की बजाय, वहीं के लोग वहां बनाने लग जायेंगे। उनको किस तरह प्रोत्साहन दिया जाये?

एक बार थोड़ा-सा उद्योगपतियों को समझाओ कि आपने बहुत लम्बे समय तक यहां कमाना है, पर यहां का जो वातावरण बन रहा है, पहले बहरोड़ में करोड़ों रुपये लेकर चले जाये रात को, कभी कोई देखने वाला नहीं था। आज डेली हत्या हो रही है, डेली किडनेपिंग हो रही है, डेली चोरियां हो रही हैं चाहे आप होम मिनिस्टर जी से रिपोर्ट दिखवा लें। इसका अन्त क्या होगा? दो साल में ऐसा वातावरण बन जायेगा, यह आपको हकीकत बता रहा हूं, जिस तरह छत्तीसगढ़ और वहां हुए हैं, यहां के बच्चे उसी राह पर शुरू हो गये। हर गांव में छोटे-छोटे बच्चे, दसवीं और बारहवीं के बच्चों ने गिरोह बना लिये हैं, लूटना शुरू कर दिया है। एक बार कोई व्यापारी तगड़े तरीके, से या बाहर का लुट गया, किडनेप हो गया तो आप जितना चाहे वातावरण बना लेना, उनके आगे-पीछे घूम लेना, वह जिंदगी में लौट कर वापस अलवर जिले में तो नहीं आयेगा और पूरे राजस्थान का नाम खराब करेगा। इस ओर ध्यान दो।

कमजोरी क्या है कि उनकी जमीन है, कोई छोटा-सा उद्योग लगाना चाहते हैं, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आती हैं। इनके पीछे तो एक परिवर्तन आ गया। पहले सरकारों के पीछे उद्योगपति घूमते थे, अब उद्योगपतियों के पीछे सरकारें घूमती हैं। आसमान में उनके दिमाग हो गये, किसी की सुनने वाले नहीं, कि सरकार हमारी मुट्ठी में है, इनको हम रेवेन्यू दे रहे हैं, हमें दस तरह से प्रयास करके लाया गया है। छोटा आदमी वहां उद्योग लगाता है तो मुझे आज भी याद है एक लोकल उद्योगपति के पास सरप्लस जमीन थी, उसने कहा कि पैसा आप इन्वेस्ट करो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको जमीन दूंगा, दोनों मिलकर उद्योग लगा लेते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो गया, सारे पैसे जमा

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

हो गये, आज 20-20, 30-30 साल से इंडस्ट्री लगी हुई है। उद्योग लगाने के लिए, वह भी साझे का, तो उसको रेवेन्यू विभाग से परमिशन लेनी पडती है, जो फिजूल का अड़ंगा है। जब इंडस्ट्रियल एरिया ही घोषित हो गया तो रेवेन्यू के पास फाइल जाने का मतलब क्या है? और उस रेवेन्यू विभाग ने एक डेढ साल तक उस फाइल को पटके रखा; जब तक उससे पैसा नहीं ले लिया, उसको क्लीयरेंस नहीं दी। यह मैं पिछली सरकार के टाइम की बात बता रहा हूं आपको।

आज आप लोगों से निवेदन है कि जो इंडस्ट्री लगती है, बड़े उद्योग घरानों का तो मुझे पता नहीं पर लोकल आदमी जो इंडस्ट्री लगाता है, उसके अगर मीटर लगना होता है, किसी के पास सोचने का समय भी नहीं है, वह अपने मीटर टैस्टिंग के लिए जयपुर भेजता है और जयपुर में पैसे देते जाओ, और कुछ नहीं करना होता है, और सर्टिफिकेट ले जाओ। माननीय उद्योग मंत्री जी, आप यहां बैठे हो, आपके सारे अधिकारी बैठे हैं, इसमें कुछ परिवर्तन करो। कोई आदमी अपने खेत में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वह सालों तो अपनी जमीन को कन्वर्ट नहीं करा सकता, कन्वर्ट करा लिया तो उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता, कनेक्शन मिल गया तो उसको किसी राष्ट्रीय बैंक से लोन नहीं मिलेगा, कहीं उसने ज्यादा बड़ा लगाना चाहा, रीको से लोन ले लें, सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो रीको उसको लोन नहीं देगा। बैंक यह कह देते हैं कि 7 घंटे बिजली आयेगी उसमें क्या कर लोगे?

राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आप बड़े इन्वेस्टर को लाओ पर उनको समझाओ, सारे उद्योगपतियों की मीटिंग लो कि जब तक लोकल लोगों की साझेदारी नहीं होगी, बहुत लम्बे समय तक हम सुरक्षित नहीं रख सकते इलाके को, क्योंकि भूख के लिए तो सबको रोटी चाहिये। आपसे मेरा आग्रह है कि इस ओर ध्यान दो।

नया औद्योगिक एरिया बनता है, जैसे अभी मामन सिंह जी ने कहा, रामहेत जी ने कहा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, यह किसकी गलती है? मेरे यहां बन रहा है दमादम, दमादम, वेस्ट पानी को कहां ले जाओगे? वह अभी किसी को पता नहीं है। आपसे मेरा आग्रह है कि इन चीजों पर पहले ध्यान दो।

मैं चार बता रहा हूं मेरी उनसे कोई द्वेषता नहीं है पर माननीय उद्योग

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मंत्रीजी आप अपने सरकारी लवाजमे को ले कर जो मेरे यहां दो-तीन स्पिरिट फैक्टरियां हैं, ग्लोबस है कारोडा में, एक घूती में है, कैमिकल फैक्टरियां हैं, एक घंटा उस इलाके में बैठकर दिखा दो तो आपको पता लगेगा कि हकीकत क्या है, लोग किस तरह से नरक में जी रहे हैं। सरकार को तो रेवेन्यू मिल रहा है, वे उससे कई गुणा कमा रहे हैं, पर जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कैंसर मिल रहा है। कभी हमारे गांव में कैंसर नहीं होता था। इसका यहां क्वेश्चन लगा लिया, 295 में उठा लिया, वैसे मैंने कह लिया, आखिर ऐसा ब्लास्ट होगा, या गांव वाले रहेंगे, या वे उद्योगपति रहेंगे जिस तरह के हालात हो गये वहां पर। वहां आदमी एक मिनट नहीं बैठ सकता, मक्खियों का बुरा हाल है; खाना नहीं खा सकता। तो कम से कम उनको शिफ्ट कर दो मानवीय आधार पर। हमारे राजस्थान के ही लोग हैं, वे झेल रहे हैं, उनकी सहनशक्ति देखिए। कहीं उद्योगपतियों को भी नुकसान नहीं हो और उनका जीना भी आसान बन जाये। ना उन्हें नौकरी, नीचे का सारा पानी खराब हो गया; ट्रीटमेंट प्लांट, जिस दिन सरकारी अधिकारी आता है, यह पता लग जाता है।

उद्योग मंत्रीजी, खान मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, देखो। हमारे इन भाषणों को भाषणों में मत लो। आप केवल एक क्षेत्र के मंत्री नहीं हो। जब से यह एक विधान सभा जिले के मंत्री बनने का सौभाग्य मिल रहा है आप लोगों को, तब से दिनोंदिन राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। आपको कौन कहता है कि आप तिजारा में मत जाइए? माननीय मंत्रीजी, आपको कौन रोक सकता है? आपको अधिकार है, पर आप लोगों का मूवमेंट नहीं होता। आपके अधिकारी आपके साथ जायेंगे तो असलियत आपको मालूम पड़ेगी कि असल में लोगों की परेशानी क्या है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है और कहां अनदेखी हो रही है। मेहरबानी करके इस अलवर जिले को भी बचाओ। जो मुख्य मंत्रीजी का सपना है, मुख्य मंत्रीजी का प्रयास है, मुख्य मंत्री जी जो मेहनत कर रही हैं बड़े-बड़े उद्योग को यहां लाने की, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार धरातल पर आकर आप मेहरबानी करके खुद जांच कर लो, जो मैंने बताया है। यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दे दो; कुछ तो सहभागिता दे दो।

सबसे पहले तो उन्होंने यह नाश कर दिया कि सीधा ठेकेदारी प्रथा कर दी, उनका भविष्य नहीं कुछ भी। अब हमारे यहां आई टी आई, आई आई

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

टी, पोलीटेक्निक, बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कालेज से, दुनिया के बढ़िया से बढ़िया शिकागो, हार्वर्ड, सब जगह से हमारे यहां पढ़े-लिखे बच्चे आते हैं उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं यह कहकर कि आप तो लोकल हैं। यह तिरस्कार बहुत लम्बे समय तक नहीं हो सकता, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री श्रीराम भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42, 43 व 9 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर चाहे किसी भी विभाग के कोई भी नियम, कानून, कायदे अगर बनें तो वे सबके लिए समान होते हैं। बड़े आश्चर्य का विषय है कि हमारे मकराना के अन्दर जो खनिज नीति बनी हुई है वह राजस्थान से हटकर बनी हुई है। राजस्थान के अन्दर जहां भी पत्थर निकलता है, वहां पर खानों पर रायल्टी लगती है, लेकिन मकराना के अन्दर बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे फिनिश्ड गुड्स पर रायल्टी लगती है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां ट्रैक्टर द्वारा छोटे-छोटे खण्डे, जो ट्रैक्टर में भरकर जाते हैं और जहां पर ये लघु उद्योग लगे हुए हैं, जहां पर चकला, खरल, छोटी-छोटी मूर्तियां जो चार, छह, आठ इंच की बनती हैं, पहले ट्रैक्टर पर 65 रुपये प्रति टन रायल्टी ली जाती है और उसके बाद में, जब छोटे-छोटे खरल, मूर्तियां, वगैरह बनकर आती हैं, तो फिर उस पर रायल्टी ली जाती है।

तीसरी बात, राजस्थान के अन्दर सभी खानों पर जब पत्थर खान से निकलता है तो वहां पर रायल्टी ली जाती है। मकराना के अन्दर सबसे पहले खानों से किराया वसूल किया जाता है, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स पर रायल्टी अलग से ली जाती है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि मकराना की भूगर्भीय स्थिति बिलकुल विचित्र है। मकराना के अन्दर छोटे-छोटे खनिज पट्टे हैं। मकराना के अलावा जहां भी खानों का, माइन्स का, मार्बल का काम चल रहा है, वहां पर लीज दी

(श्री श्रीराम भींचर)

जाती है। लीज के अन्दर कम से कम सवा छह बीघा से लेकर, उसके बाद चाहे दस बीघा हो, बारह, पन्द्रह, बीस बीघा हो, उतनी लीज दी जाती है।

(15.23 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मकराना की जो भूगर्भीय स्थिति है, उसको देखते हुए आप वहां पर एक सर्वे कराएं; सर्वे कराकर वहां की जो स्थिति है उसके हिसाब से भी नियम बनाएं। वहां का धंधा है वह पूरे विश्व के अन्दर प्रसिद्ध है। मकराने का माबल है, संगमरमर पत्थर है, संगमरमर पत्थर है, वह पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के अन्दर, संगमरमर पत्थर है तो वह सिर्फ मकराना में है। इसके अलावा, चाहे वह राजनगर का पत्थर हो, चाहे उदयपुर का हो, ग्रीन हो, चाहे पिंक हो, चाहे सिरोही का हो, चाहे कहीं का भी हो, वहां संगमरमर नहीं है, वह स्टोन है। संगमरमर है तो वह सिर्फ मकराना में है।

माननीय मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। निवेदन है कि मकराना जो कि करीब 300-400 वर्षों से संगमरमर के खनन में लिप्त है, यहां के लोगों के लिए कोई दूसरा जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, क्योंकि यहां पानी की कमी व उपलब्ध पानी घोर फ्लोराइड-युक्त है व दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक मात्र जीविका का साधन खनन व संगमरमर आधारित उद्योग ही है। अत: खनन के संरक्षण की आवश्यकता है जिससे डूबते हुए खनन उद्योग को नया जीवन मिल सके व लोगों को आगामी 100 वर्षों तक रोजगार मिल सके, इसके लिए आपसे निवेदन है कि मकराना खनन क्षेत्र के लिए अलग से एक खनन नीति बनाई जाए जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से आपका ध्यानाकर्षित करता हूं।

मकराना की खानें वर्षों पुरानी हैं जिसमें ज्यादातर खानों के क्षेत्रफल 0.2 से 0.5 हेक्टेयर से कम होने के कारण माइन्स एक्ट 1952 व मेटोलिफेरस माइन्स रेग्यूलेशन 1961(1) के नियमों के अध्याय 11 से मकराना की खानों को मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये खानें मकराना मार्बल क्वारी रूल्स 1922 के तहत अलाट हुई थीं। अगर 1952 और 1961 के नियम इन पर लगाए जाएं तो ये खानें चल ही नहीं सकती हैं। ये नियम बड़ी-बड़ी खानों के लिए हैं। अत: मकराना की खानों को इन नियमों से मुक्त किया जाए।

(श्री श्रीराम भींचर)

मकराना की खानों में मार्बल बैंड 60 से 80 डिग्री, मकराना की खानें हैं ये ऊपर से लेकर पूर्व की तरफ नीचे तिरछी चलती हैं। खानें बहुत छोटी-छोटी हैं। अत: खानों को नापने के लिए, नापने की प्रक्रिया खान के डिप के अनुसार करावें। एम एम सी आर 1986 के रूल 13 में संशोधन कराए व 90 डिग्री पर खनन नहीं होने पर अवैध खनन की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए।

मकराना में सभी स्थानों पर पूर्व-पश्चिम दोनों तरफ खानें हैं। उन खानों के विकास, एक्सटेंशन, बढ़ोतरी के लिए गैप एरिया है। जहां कहीं भी गैप एरिया है उसमें यदि खनन कार्य होता है तो उसे इल्लीगल माइनिंग नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि मार्बल रेंज का इन्क्लीनेशन डिप पूर्व की तरफ है तथा गैप एरिया का खान मालिक का आबंटन किया जाना चाहिए।

मकराना में वर्तमान में खानों के पास खनिज विभाग की 5 सड़कें हैं। इन सड़कों को आम सड़क अर्थात् राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग में परिवर्तित कर घोषित किया जाना चाहिए। एम एम सी आर 1986 के नियम 26 में जो सड़क का स्पष्टीकरण दिया है, वह गलत है। रास्ते का पक्का होना मात्र पब्लिक रोड नहीं बनता। इसलिए जो भूमि के नियम बनाये हैं, वे खानों की सड़कों के सम्बन्ध में लागू नहीं होने चाहिए क्योंकि यहां की कच्ची माइनिंग सड़कों को खान विभाग द्वारा ही विभिन्न स्कीमों में खनन की सुविधा के लिए पक्का किया गया है। अत: उन्हें पब्लिक रोड मानना गलत है।

मकराना की खानें लाइसेंस की खानें हैं इसलिए एम एम सी आर 1986 के नियम 29(9) से शासित होती हैं। इनके पास में वर्तमान में राज्य मार्ग या राष्ट्रीय मार्ग नहीं निकलता, केवल एक सड़क घाटी चौराहे से बोरावड़ रोड में मिलती है। उसको अवैध रूप से राजमार्ग 52-बी कर दिया है। इस सड़क पर कई खानें हैं। रोड के सेंटर से 15 मीटर में खानें लगभग खतम हो जाती हैं। इसलिए कई खानें बंद हैं। यह सड़क खानों का मूल रास्ता था जिसे सड़क का रूप दे दिया गया है। इसी प्रकार अन्य माइनिंग रास्तों को पक्का करके सड़क का रूप दे दिया गया है जिससे इस नियम के अन्तर्गत खानों का उत्पादन व संचालन दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सड़क सम्बन्धित नियमों को हटा दिया जाना चाहिए। कोई राष्ट्रीय मार्ग खानों के पास से नहीं निकलता है, परन्तु खानों के रास्तों को पक्का कर राजमार्ग में घोषित करने

(श्री श्रीराम भींचर)

की प्रवृति को रोका जाना चाहिए। साथ ही, घाटी से बोरावड की सड़क को पुन: माइनिंग रोड घोषित किया जाना चाहिए। वह असल में स्टेट हाइवे 52 जो कि अतिक्रमण की वजह से उपयोग में नहीं आ रहा है, उसे नया स्टेट हाईवे 52 बनाया जाए।

माइनिंग रोड, मकराना की माइनिंग रोड कम से कम 100 साल से अधिक पुरानी है। उसके पास जो पुरानी खानें थी, वे बहुत पुरानी होने से गहरी हो गई हैं। माइनिंग रोड धीरे-धीरे आबादी व इंडस्ट्रियल गतिविधियों के लिए उपयोग में आ रही है। उक्त सड़कों से यदि 45 मीटर छोड़कर खनन कार्य करने के नियमों में बाध्यता रहती है तो कई खानें बंद करनी पड़ सकती हैं। अत: रूल (29)(9) में शिथिलता प्रदान कराने की कृपा करें व निवेदन है कि विभाग नई एप्रोच रोड बनाए। इसमें विभाग को प्राइवेट जमीन एक्वायर करनी पड़ सकती है। इन माइनिंग सड़कों में गुणावती रोड, बिदियाद रोड, माताभर रोड, आदि हैं। अगर ये नई सड़कें निकाल दी जाएं तो नीचे दबा करोड़ों रुपये के खनिज का खनन हो सकता है एवं सरकार को बड़ी आमदनी भी हो सकती है तथा यहां की जनता को अगले 100 वर्षों तक रोजगार उपलब्ध हो सकता है।

खानों का नवीनीकरण 30 साल कर दिया गया है। अत: लाइसेंस के किराये की रसीद की प्रविष्टी लाइसेंस में होने की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में कोई नियम भी नहीं है एवं किराये की रसीद को ही लाइसेंस के रिन्यू होने का प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए, क्योंकि रसीद की कापी विभाग को दी जाती है। रसीद को ही लाईसेंस का रिन्यू होने का प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए एवं इस सम्बन्ध में प्रदूषण बोर्ड को भी पाबंद किया जाना चाहिए।

एम एम सी आर 1986 के नियम 31 में आया हुआ समान कैटेगिरी का शब्द हटाया जाना चाहिए। इससे खानों का विकास रुकता है। क्योंकि ये खानें बिना डेलीनेशन के अलाट हुई थीं व अलाटमेंट के समय किसी विशेष कैटेगिरी को अलाट नहीं हुई थीं, अत: अब किसी भी श्रेणी के आदमी को स्थानान्तरण करने के नियम में शिथिलता प्रदान की जाए।

रेवेन्यू रिकार्ड के, जो रेवेन्यू रिकार्ड के खसरे गैर-मुमकिन पहाड़ या खनन क्षेत्र के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हैं, उन पर यदि खानधारी के

(श्री श्रीराम भींचर)

अलावा किसी ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको हटाने के लिए खान विभाग को विशेष अधिकार दिये जाएं, क्योंकि अवैध कब्जाधारी खनन में बाधा डालता है और खानधारक को अनावश्यक सिविल लिटिगेशन में उलझना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक हानि व उत्पादन तथा राजस्व हानि का नुकसान होता है।

चालू खानों की अगवाड़ में खाली जमीन, जिसमें खनिज है, उस जमीन को 45 मीटर की दूरी तथा वाजिब मुआवजा दिलवाकर खानधारी को यह जमीन दिलवाई जाए जिससे मकराना के बहुमूल्य संगमरमर का उत्पादन अगले 100 वर्षों तक सम्भव हो सके।

जो खानें कृषि की जमीन में अलाटेड हैं, 20 वर्षों से खनन हो रहा है व खानों पर जाने का रास्ता खानधारी इस्तेमाल कर रहा है, मगर कुछ खान व रास्ते की जमीन की तरमीम रेवेन्यू रिकार्ड में सम्बन्धित विभाग ने आज तक इन्द्राज नहीं की, जिसके फलस्वरूप पुराने खातेदार खानधारियों का आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 89 के अन्तर्गत कृषि भूमि में काश्तकार का केवल सतह, सरफेस राइट होता है। सरफेस राइट के लिए जो भी खनिज हैं वे राजकीय सम्पत्ति हैं। इसके लिए नई नीति में इसको रोकने के लिए प्रावधान किये जाने चाहिये।

मकराना की खानें क्वारी लाइसेंस के अन्तर्गत अलाटेड हैं व राजस्थान की अन्य मार्बल की खानें माइनिंग लीज हैं। माइनिंग लीज की खानों का वार्षिक किराया उनकी रायल्टी में समायोजित हो जाता है, यानी उनका सालाना किराया लगता ही नहीं है; जबकि हमारी खानों पर किराया रायल्टी में समायोजित नहीं होता है, यानी हमारे किराया व रायल्टी दोनों लगती हैं, मकराना के अन्दर। यह हमारे ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार है व सौतेला व्यवहार है। अत: इसके लिए हमें अन्य खानधारियों के समकक्ष लाया जाये। इसके समाधान के लिए किराये के बराबर कूपन देकर रायल्टी में छूट प्रदान की जानी चाहिये।

मकराना की खानें वर्षों पुरानी हैं, जिनमें ज्यादातर खानें 0.5 हेक्टेयर से कम हैं। अत: इन खानों के क्षेत्रफल छोटे-छोटे होने के कारण इन पर माइनिंग स्कीम का अनुमोदन सम्भव ही नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में मकराना मार्बल को जीवित रखने के लिए मार्बल क्वारी लाइसेंस को अनुमोदित

(श्री श्रीराम भींचर)

माइनिंग प्लान स्कीम से मुक्त कराने हेतु नियम या पालिसी के तहत छूट प्रदान की जाये।

खानों के खनन में यदि धार्मिक स्थल रुकावट पैदा करते हैं तो उन्हें सम्बन्धित समुदाय से मिलकर ससम्मान अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाये, जिससे जीवन निर्वाह के इस अमूल्य धरोहर को बचाया जा सके।

वन विभाग की जमीन, अगर कहीं वन विभाग की जमीन है और वहां पर अगर संगमरमर है तो सरकार को चाहिये कि वन विभाग को उसकी एवज में अलग से जमीन दी जाए। वन विभाग के भूगर्भ के अन्दर अगर संगमरमर है तो वह वहां के लोगों को अलाट की जानी चाहिए।

खातेदारी की जमीन, पूर्व के अन्दर, काफी दिनों पहले अगर कोई खातेदार व्यक्ति अपनी खातेदारी की जमीन में अपनी माइंस अलाट कराना चाहता था तो पहले होती थी, लेकिन अब सरकार ने वह बन्द कर दी है। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो खातेदार स्वयं अपनी जमीन के अन्दर अगर कोई माइंस अलाट कराना चाहे तो सरकार को चाहिए कि वह उनको खान अलाट करे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मुख्य रूप से मात्र मकराना की खानों को सुचारु रूप से चलाने के लिए राजस्थान की खनन नीति से हटकर एवं स्थानीय भूगर्भ की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक खनन नीति बनानी आवश्यक है, जिससे कि मकराना की छोटी-छोटी खानों को चालू रखते हुए नीति बनाई जा सके, ताकि मकराना के व्यापारी व मजदूरों को रोटी-रोजी मिल सके। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मकराना की भूगर्भ स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारी की अध्यक्षता के अन्दर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि मकराना की भूगर्भीय स्थिति को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माइंस, सिंघवी साहब अच्छी तरह से यह बात जानते हैं, तो उनकी अध्यक्षता के अन्दर एक कमेटी का गठन करके, वहां की भूगर्भीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अलग से नियम बनायें। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप मकराना की जनता पर, व्यापारियों पर विशेष कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42, 43 एवं 9 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपकी आभारी हूं।

सभापति महोदय, जहां व्यापार होता है वहां खुशहाली होती है और हमारे राजस्थान के मारवाड़ियों ने तो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी में अपने फन का लोहा मनवाया हुआ है। हमारे उद्यमी अपनी बुद्धि, साख और विश्वसनीयता के धनी हैं। अध्यक्ष महोदय, ट्रेड और इंडस्ट्री किसी भी राज्य की बैक-बोन होती है; उद्योग होगा तो विकास होगा, रोजगार होगा, सरकार की आय बढ़ेगी। बड़े दु:ख का विषय है, सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में देश का 1.07 प्रतिशत ही उद्यम है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनके विकास के लिए या उद्यमियों से यहां निवेश करवाने के लिए कोई भी नई नीति नहीं बनाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को जिन्होंने उद्यमियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई। उन्होंने आनलाइन प्रक्रिया चालू करवाई है और मोबाइल-एप चालू किया है, जिससे कि डीलर्स अपने मोबाइल पर ही सारी चीजें देख सकें।

सभापाति महोदय, 2015-2016 उद्योग व व्यापार को बढ़ावा देने वाला होगा। इसके लिए हमारी सरकार ने नारा दिया है, इज आफ डूइंग बिजनेस। हर सम्भाग के इंजीनियरिंग और जो एम.बी.ए. कालेजेज हैं वहां पर इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की है जिससे कि जो यंग एन्टरप्रिन्योर हैं, जो अपनी शिक्षा पूरी करके खुद के उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, उनको उसकी पूरी नालेज मिले और एक तरह से उनके लिए वे अपने स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर सकें ताकि वे खुद रोजगार चालू कर सकें।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय निवेश में, राजस्थान का हमारी सरकार के समय देश में छठा पायदान था, और पूर्ववर्ती सरकार ने उस छठे पायदान से राजस्थान को निवेश में स्थान पहुंचा दिया, पन्द्रहवां। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने हमारी सरकार आने के बाद राजस्थान निवेश नीति 2014 की घोषणा की। उसके अन्तर्गत नवम्बर, 2015 में रिसर्जेण्ट राजस्थान का आयोजन हमारे यहां किया जाना है। जो एन.आर.आइज. हैं, जो उद्यमी बाहर से आना चाहते हैं, जो निवेशक आना चाहते हैं, उनके लिए एक लैण्ड-बैंक की स्थापना की है ताकि जैसे ही उद्यमी यहां निवेश करने का इच्छुक हो,

(श्रीमती अलका सिंह)

उसको ऐसा माहौल मिले, उसको जमीन मिले। हमारी मुख्य मंत्री का तीन लाख लोगों को रोजगार देने का एक सपना है इस रिसर्जेण्ट राजस्थान के माध्यम से। ई-आक्शन की एक प्रक्रिया भी चालू की है ताकि उद्यमी डाइरेक्ट ऑन-लाइन ही जमीनों की रजिस्ट्री करवा सकें और 750 करोड़ से ज्यादा जो निवेशक होगा, उसको कर में छूट देने का प्रावधान भी हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने किया है।

अब मैं थोड़ा-सा बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भी यहां पर रिसर्जेण्ट राजस्थान हुआ था और उस समय की जो स्थिति थी, मैं थोड़ा-सा समय लेते हुए बताना चाहूंगी, उस समय के अख़बार रंगे हुए थे कि 'मंत्री से बोलते नहीं बना', 'निवेश को भूले, भाषणों पर भड़के', 'न भायो म्हारो देश', क्योंकि प्रवासी भारतीयों को आठ वर्ष से चक्कर कटाये जा रहे थे और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। मंत्री निवेशकों को फटकार रहे थे कि हम तो यही भाषण देंगे। निवेशकों ने बोला कि आप निवेश पर बात करिये, आपका भाषण सुनने नहीं आये हैं; उन्होंने कहा कि हम तो यही बात करेंगे। एक बहुत अच्छी हैडिंग एक पेपर में आई थी, मोदी छाये और हम लज्जाए।

सभापति महोदय, जो निवेश का वातावरण यहां पर बनाया गया था, वह था राजस्थान में निवेश करने के लिए, लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि उस वक्त के जो हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के मुख्य मंत्री महोदय थे, मोदीजी, वे सारा निवेश ले गये राजस्थान के खर्चे पर।

अब हमारी सरकार के आने के बाद काफी निवेश यहां हुआ है। शार्ट में बताना चाहूंगी, जे.सी.बी. ने भारत में फोर्थ इकाई स्थापित की है, जिससे हजार लोगों को यहां रोजगार मिलेगा; होंडा कार इंडिया ने 6,144 करोड़ का निवेश किया है, जिससे 11,600 लोगों को रोजगार मिलेगा; नीमराणा में हीरो मोटोकार्प ने 583 करोड़ का निवेश किया है जिससे 866 लोगों को रोजगार मिलेगा; महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी ने 1,989.06 करोड़ का निवेश किया है, जिससे 5,844 को प्रत्यक्ष और 2,893 अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहां वस्त्र प्रदर्शनी भी हुई थी, सभापति महोदय, 29 से 31 अक्टूबर तक, जिसमें 80 मिलियन डालर्स का व्यापार हुआ था। अडानी ग्रुप से अभी सोलर एनर्जी के लिए 40 हजार करोड़ निवेश करने का एम.ओ.यू. हुआ है और स्किल डवलपमेंट एकेडमी खोलने के लिए अभी वाल्टर हेस्टन यूनिवर्सिटी से भी एम.ओ.यू. हुआ है। यह तो हमारी एक साल की उपलब्धि है। हमारी माननीया

(श्रीमती अलका सिंह)

मुख्य मंत्री महोदय ने आजीविका मिशन की स्थापना की थी। कांग्रेस के समय उसमें कोई अलग से मुख्य कार्य नहीं किया गया लेकिन हमने उस आजीविका मिशन को पुनर्जीवित किया, स्टेट लेवल पर मिशन लाइवलीहुड के साथ इनको जोड़ा ताकि युवा स्व-रोजगार के लिए प्रेरित हो सकें।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे दौसा जिले में मूर्तियां बनाने का, लाल पत्थर से मूर्तियां बनाने का बहुत बड़ा उद्योग है। आप यहां से बालाजी की तरफ या आगरा जाएंगे तो दोनों तरफ इंडस्ट्रीज हैं। हमारी सरकार जब 2008 में, जाते-जाते हमारी सरकार ने वहां पर स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की थी लेकिन कुछ लीगल, कानूनी पेचीदगियों में वह काम नहीं हो पाया और हमारी सरकार चली गयी। पूर्ववर्ती सरकार ने भी वहां पर स्टोन पार्क की जगह, नाम शिल्प ग्राम कर दिया। जो वहां के उद्यमी हैं उनके लिए एक जगह चिन्हित करने की योजना बनाई थी ताकि वे सारे उद्योग एक तरफ आ जाएं, श्रमिक संगठित हो जाएं, श्रमिकों को भी लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि उस स्टोन पार्क के सम्बन्ध में जरूर थोड़ा सोचें ताकि वहां के उद्यमियों को प्रोपर जगह मिल सके क्योंकि वह उद्योग बहुत बढ़ता हुआ लघु उद्योग है।

एक और निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रीको की औद्योगिक इकाई बनाने के लिए सर्वे हो चुका है, कलक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन वहां पर अभी तक कोई इस तरह का औद्योगिक पार्क या औद्योगिक जगह विकसित नहीं है। तो उसको विकसित करने का भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं वन क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। केन्द्र की एजेंसी है फोरेस्ट सर्वे आफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट है कि पिछले चार साल में राजस्थान का वन क्षेत्र 3 परसेंट कम हो गया है, 5.93 परसेंट ही राजस्थान का वन क्षेत्र रह गया है। देश का वन क्षेत्र 23 परसेंट है। वन क्षेत्र में अतिक्रमण की घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। 633 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमियों के कब्जे में है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर थोड़ा-सा ध्यान दें क्योंकि पर्यावरण का जो

(श्रीमती अलका सिंह)

असंतुलन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण यह वन क्षेत्र की जो बुरी स्थिति है, वह है।

आप देखिए, विभाग के अधिकारियों के आप अगर रजिस्टर या रिकार्ड देखेंगे, उन रिकार्डस के हिसाब से आप देखें तो हमारे यहां इतना वन क्षेत्र होना चाहिए कि पेड़ों के बिना जमीन ही नहीं होनी चाहिए। पेड़ लगा दिये जाते हैं, पैसा उठा लिया जाता है लेकिन उसके बाद उसमें मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि इस चीज पर जरूर निगाह, थोड़ी-सी मानिटरिंग की जाए। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में माइनिंग हो रही है, पेड़ कट रहे हैं लेकिन अगर कोई विकास का काम हो, मान लीजिए, पानी कहीं और नहीं निकला है, फोरेस्ट के एरिया में निकलेगा तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि साहब, फोरेस्ट है, अनुमति नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में भी थोड़ा-सा रिलेक्सेशन किया जाए।

एक निवेदन और करना चाहूंगी कि मनोहरपुर से दौसा एक रूट जाता है, उस रूट पर दोनों तरफ हाई-वे बना हुआ है, बहुत चौड़ी रोड है लेकिन बीच में एक पेच आता है, जो कहा गया है कि फोरेस्ट क्षेत्र में है और उसमें आए दिन बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर बोर्ड भी नहीं लगाया है। तो एक तो बोर्ड लगा दिया जाए और अगर सम्भव हो सके तो उस हाई-वे को कम्प्लीट कर लिया जाए तो वह रोड बहुत छोटा हो जाएगा।

एक और निवेदन करना चाहती हूं कि माइनिंग क्षेत्र में, अब मैं माइन्स पर आना चाहूंगी, माइनिंग क्षेत्र में जैसे जहां भी माइन्स होती हैं वहां पर बहुत ट्रक्स चलते हैं। ट्रक्स के लिए रोड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए और सड़क मोटी होनी चाहिए, नहीं तो रोड्स डेमेज हो जाती हैं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पर खानें हैं, वहां से जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी रोड की जो एक्स्ट्रा कोस्ट है, वह उन माइनिंग आनर्स से वसूली जाए ताकि जनता को सुविधा रहे। नहीं तो, सरकार रोड बनाती है और उस पर ट्रक्स चलते हैं और फिर वे रोड्स डेमेज हो जाती हैं।

दूसरी एक प्राब्लम बताना चाहूंगी कि माइन्स के लिए एन.ओ.सी., एनवायरनमेंट क्लीयरेंस बहुत बड़ी समस्या है। टोंक के व्यापारी आज सुबह मुझे मिले थे, बजरी खनन की लीज उनकी हो गयी थी और करीब डेढ़ से दो

(श्रीमती अलका सिंह)

साल हो गया है इस लीज को, वैसे यह केन्द्रीय मामला है, केन्द्रीय सरकार के अधीन है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनको लीज अभी तक नहीं मिली है। एनवायरनमेंट एन.ओ.सी. वहां से, लीज होने के बाद में सॉरी, एनवायरनमेंट एन.ओ.सी. अभी तक वहां से नहीं मिली है और इस कारण से वहां अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन होने से राज्य को भी राजस्व की हानि हो रही है। तो थोड़ा-सा, मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में अगर केन्द्र सरकार को लिखा जाए और अगर वह एन.ओ.सी. उन लोगों को मिल जाए तो राज्य को भी उससे लाभ होगा और राजस्व प्राप्ति होगी और अवैध जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगेगी।

एक और समस्या टोंक के बजरी खनन से सम्बन्धित ही बताना चाहूंगी कि वहां पर रायल्टी नाका लगा हुआ है। ट्रक्स पर ओवर-लोड बजरी वहां पर, जो बजरी के व्यापारी हैं वे ओवर-लोड भर देते हैं। ओवर-लोड होकर वहां पर रायल्टी नाके पर आता है और वहां पर एक तरह माफिया का कब्जा है। 100 से 150 लोग जो कि अपने राज्य के नहीं हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, वे लोग वहां पर बैठे रहते हैं और मिसबिहेव ट्रक आनर्स के साथ, ट्रक ड्राइवर्स के साथ वहां पर होता है और जो ओवर-लोड बजरी है, वह वहां पर खाली करवा ली जाती है रायल्टी नाके पर। तो वहां जो लीज है, वहां से वह भर कर लाते हैं और वहां पर खाली हो जाती है और उस बजरी को फिर वे मार्केट में बेचते हैं। तो ट्रक आनर को इससे डबल नुकसान हो रहा है। तो इस पर भी थोड़ा आप ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा-सा वह बता दूं जिसके लिए अभी ये कांग्रेस के बंधु बोल रहे थे? इन लोगों का कहना है कि वे माइन्स अलाट अभी आपने कैसे कर दीं जबकि अभी 12 जनवरी को ही वह अधिसूचना जारी होनी थी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2011 से लोक सभा में लम्बित था वह बिल और यह एक संयोग है कि जब हमारी सरकार ने यह खनन पट्टों के लिए जो मंशा-पत्र जारी किया, उसके थोड़े समय बाद ही वह अलाटमेंट, वह अधिसूचना जारी हो गयी। इन खनन पट्टों के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इसके अतिरिक्त, निदेशालय के उच्चाधिकारियों की एक कमेटी बनाई गयी थी। वह कमेटी भी इनके समय पर ही बनाई गयी थी और उस कमेटी ने मार्च, 2013 से मार्च, 2014 तक व्यक्तिगत सुनवाई की थी

(श्रीमती अलका सिंह)

और उस कमेटी की सिफारिश पर ही गवर्नमेंट ने ये जो चार खानें हैं, इनका मंशा-पत्र जारी किया है। तो थोड़ा-सा अप-डेट कर लें आप लोग। 12.1.2015 के बाद एम.एम.डी.आर. जो एक्ट है, उसके अमेंडमेंट के बाद, उसकी अधिसूचना के बाद, जितने भी 18,965 प्रधान जो खनिज हैं उनके आवेदनों को अयोग्य करार दिया गया है। तो जो कुछ हुआ है बिलकुल नियम और कानून के दायरे में हुआ है और आप लोगों की सरकार ने जो चालू किया था उसी के अकोर्डिंग हुआ है। इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिमांड चल रही है, उद्योग, खनिज और वन।

मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिला, विशेषकर भीलवाड़ा शहर जो कि एशिया में कपड़े के मामले में सबसे बड़ा उद्योग-स्थल है और इसको एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। कई वर्षों के पश्चात् स्थानीय उद्यमियों ने वहां पर अपनी मेहनत के बल पर इतना बड़ा उद्योग स्थापित किया है लेकिन सरकार की लापरवाही से और समय पर देख-रेख नहीं होने से इस उद्योग में कई कठिनाइयां आती हैं। आज उस टैक्सटाइज्ड उद्योग में सबसे जरूरत की चीज है टैक्सराइज्ड यार्न; लगभग एक लाख टन टैक्सचराइज्ड यार्न की भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यकता होती है। हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के कारण से और पिछली सरकार की जो नीतियां थीं, उन्होंने 5 परसेंट वैट टैक्सचराइज्ड यार्न पर लगा दिया; अगर यहां राजस्थान में कोई प्रोडक्शन करेगा तो उस पर 5 परसेंट वैट लगेगा। इस कारण से एक भी इंडस्ट्री राजस्थान में नहीं लग पा रही है। मेरा निवेदन है कि यह सारा टैक्सराइज्ड यार्न सिलवासा से आता है जहां पर जीरो परसेंट वैट है। इससे राजस्थान को कोई फायदा नहीं हो रहा है और यहां का रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है, अगर सरकार यह नीति बनाये कि जो टैक्सचराइज्ड यार्न का प्रोडक्शन करेगा, उस पर एक प्रतिशत आप वैट रख लें चाहे, तो एक प्रतिशत वैट भी रखेंगे तो उस पर 20-25-30 करोड़ का नया रेवेन्यू अपने भीलवाड़ा से जनरेट हो सकता है। आज की तारीख में सारा बाहर

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

से आने से यहां हमारे टैक्सचराइज्ड यार्न ट्रांसपोर्टेशन के कारण से महंगा पड़ता है और सिलवासा से वहां से लाना पड़ता है, जहां जीरो परसेंट वैट है। मेरा निवेदन है उद्योग मंत्रीजी से, सरकार से, जब 26 तारीख को जवाब आये तो अगर इसमें एक प्रतिशत आप वैट लगा देंगे तो भी 20 करोड़ रुपया मिलेगा। आप अगर इसके लिए सरकार की घोषणा करवा दे, टैक्सचराइज्ड यार्न पर वैट कम कर दिया जाये तो निश्चित रूप से टैक्सटाइल उद्योग भीलवाड़ा और राजस्थान में बहुत विकसित होगा। मेरा ऐसा निवेदन है।

हमारे भीलवाड़ा शहर में हजारों फैक्टरियां हैं, जो कपड़ा बनाती हैं। आज की स्थिति में जमीन की बहुत कमी है और नये उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन वहां मिलती ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि रीको के माध्यम से, या एक लैण्ड बैंक की स्थापना वापस की जाये। सारा लैण्ड बैंक समाप्त हो चुका है। वहां नये उद्योग लगाने के लिए जो जमीन की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई उद्यमी यहां आना चाहते हैं लेकिन जमीन उनको अवेलेबल नहीं होने से वे उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। हमारा यह जो टैक्सटाइल उद्योग है, यह एक्सपोर्ट भी करता है। यहां से कपड़ा बाहर जाता है, विदेशों में और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भारत में आती है लेकिन वहां कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। एक शुष्क बंदरगाह की स्थापना हुई थी, लेकिन उसकी भी व्यवस्थाएं सही नहीं होने से वह भी गड़बड़ा गया है। रेलवे से हमारे उद्यमियों ने बात की है, मेवाड़ चैम्बर्स आफ कामर्स की वहां भीलवाड़ा में ब्रांच है, तो वहां उन्होंने बात करके रेलवे से यह तय करवाया कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए उस स्थान के लिए, रेलवे लाइन के सहारे, एक किलोमीटर लम्बी और 125 मीटर चौड़ी रेलवे पट्टी अगर मिल जाये तो निश्चित रूप से सारा पैसा उसके लिए रेलवे लगाने को तैयार है। मेरा निवेदन है उद्योग मंत्री महोदय से कि इस बारे में अगर रेलवे को वह जमीन मिल जाये एक किलोमीटर लम्बी और 125 मीटर चौड़ी, यह पट्टी रेलवे के सहारे-सहारे मिल जायेगी तो रेलवे सारा डवलपमेंट करने को तैयार है अपने खर्चे से।

भीलवाड़ा सिरेमिक जगत में एक बहुत जाना-पहचाना नाम है और लगभग हर तहसील में भीलवाड़ा की सिरेमिक से सम्बन्धित सोडा, फेल्सपार, क्वार्टज का उत्पादन होता है। माइनिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र वहां विकसित हो चुका है। लगभग हर तहसील में यह माइनिंग चलती है। गैस पाइपलाइन हमारे भीलवाड़ा के एकदम नजदीक कांदा गांव तक आ चुकी है। अगर वहां पर

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सिरेमिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सिरेमिक हब की स्थापना हो जाये तो ब्यावर की लगभग एक-डेढ़ हजार फैक्टरियां, जो बोन मील कहलाती है और भीलवाड़ा जिले में भी लगभग 300-400 फैक्टरियां नई लग चुकी हैं, उनको सबको एक बहुत बड़ा वह सारा माल मिल जायेगा। पाउडर पिसकर वह गुजरात जाता है मोरवी और वहां जाकर सिरेमिक की टाइल्स वगैरह जो निर्माण होती हैं, वह होती हैं। लेकिन अगर गैस पाइपलाइन आ रही है और जानसन एण्ड जानसन जैसी बड़ी-बड़ी कम्पनियां भीलवाड़ा में अपना उद्योग लगाने के लिये तत्पर हैं, तो मेरा निवेदन है कि अगर एक सिरेमिक हब वहां डवलप करने की घोषणा कर दें तो ब्यावर, भीलवाड़ा मिलकर और राजसमंद एकदम अटैच जिला है, चित्तौड़ एकदम अटैच जिला है, उसकी जो मार्बल स्लरी निकलती है, वह भी सिरेमिक उद्योग में काम आती है, तो एक बहुत बड़ा हब वहां बन सकता है। मेरा निवेदन है कि उद्योग मंत्री महोदय इस बारे में भी विचार करके हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है खनिज मंत्री महोदय को कि भीलवाड़ा में जो ग्रेनाइट, जो सैण्डस्टोन, जो सोडा, फेल्सपार, क्वार्टज, यह जितना खनिज है, वह सब खनिज बड़े-बड़े उद्योगपति लेना चाहते हैं। आयरन भी वहां निकलता है, जिंक भी भीलवाड़ा में निकलता है। लेकिन जो छोटे-छोटे खेत के काश्तकार हैं, जिनके पास एक-दो-चार-पांच बीघा जमीन है, जैसा अभी रमेशजी ने भी कहा था, माननीय सपोटरा से आने वाले विधायक की बात का मैं समर्थन करता हूं कि अगर एक बीघा, दो बीघा, पांच बीघा, जो काश्तकार हैं, उनको अगर माइनिंग लीज के पट्टे दे दिये जायें और 15 बीघा की अनिवार्यता या 20 बीघा की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाये, तो वह काश्तकार शोषण से निश्चित रूप से बच सकेगा। आज स्थिति यह है कि उस पांच बीघा के, दो बीघा के काश्तकार को किसी से मिलना पड़ता है और वह उसके लेन-देन का शिकार होता है। केवल उसको फोकट में पार्टनरशिप देनी पड़ती है अपनी जमीन की। तो मेरा निवेदन है कि जब बदनौर जैसे एरिया में सैण्डस्टोन निकलता है, क्वार्टजाईजट जिसको कहते हैं, वहां दस बाई दस मीटर की भी लीज अगर हम अलाट कर सकते हैं तो ये फेल्सपार, क्वार्टज, सोडा और ग्रेनाइट में दो बीघा, तीन बीघा, पांच बीघा की लीज भी आप जारी करने की कृपा करें जिससे आम काश्तकार, जिनके खेत में वह खनिज निकलता है, वह निश्चित रूप से आपका अहसानमंद रहेगा, उसको

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

अपना खुद का धंधा करने का अवसर मिलेगा और उसको शोषण से मुक्ति मिलेगी।

आज भीलवाड़ा जिला माइनिंग की रेवेन्यू देने के मामले में राजस्थान में सबसे टाप पर है, लगभग एक हजार करोड़ की रायल्टी केवल भीलवाड़ा जिले से माइनिंग की मिलती है और सरकार का ध्यान उस उद्योग पर नहीं है। मेरा निवेदन है कि बदनौर, जो भीलवाड़ा जिले की तहसील है, उसमें सैण्डस्टोन निकलता है और लगभग सन् 1977 से वहां माइनिंग एरिया गवर्नमेंट ने अपने गजट में शाया कर रखा है लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट का आपस में विचार-विमर्श नहीं होने से, जब माइनिंग एरिया घोषित हुआ था, उस वक्त से रेवेन्यू रिकार्ड में वह आज भी चरागाह और बिलानाम चल रहा है, जिससे आम जो खननकर्ता हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी, और ब्लैकमेल करने वाले उनको बार-बार कहते हैं कि यह चरागाह है। जबकि वह खनन एरिया है, खनन के पट्टे जारी हो चुके हैं। आर.सी.आर.एल. के पट्टे हैं, वे हर साल अपनी रेवेन्यू रायल्टी जमा कराते हैं और उसके बावजूद, उनके नाम पर खानें होने के बावजूद, वह जमीन आज भी चरागाह में बोल रही है जिससे उनके ब्लैकमेल करने वाले बार-बार उनको जाकर परेशान करते हैं कि चरागाह पर रोक है, हम इसको बंद करवा देंगे।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करवाये। उस खनन क्षेत्र का नाम है बिकरिया, जो बदनौर क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र की पूरी जांच करवाकर और जो 1977 से आज तक खनिज विभाग के अन्तर्गत आकर खनन कार्य चल रहे हैं, उनको चरागाह से निकालकर रेवेन्यू रिकार्ड में माइनिंग दर्ज कराने से उन सारे खननकर्ताओं को राहत मिल सकेगी। पिछली सरकार के समय पर भी मैंने यह मुद्दा विधान सभा में उठाया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी पूरी जांच कराकर इसका समाधान करेंगे। मेरा खनिज मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बिकरिया क्षेत्र को चरागाह से निकालकर माइनिंग दर्ज करवायें रेवेन्यू रिकार्ड में, जिससे उनको ब्लैकमेलर से मुक्ति मिल सके।

इसी तरह से मोकर क्षेत्र, जो बदनौर तहसील का ही एक गांव है, वहां भी क्वार्टजाइज निकलता है और यह सारा पत्थर एक्सपोर्ट होता है। एक फुट भी पत्थर भारत में नहीं बिकता, सारा विदेशों में जाता है। उसे पूरे क्षेत्र की

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

यह समस्या है कि जो माइनिंग लीज 1977 में जारी हुई थी, सब लोगों के नाम पर पट्टे जारी थे और वह 'बिलानाम पहाड़ियां' रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज होने से एक सरकार ने आदेश निकाला कि जितनी भी बिलानाम पहाड़ियां हैं, वे फोरेस्ट में दर्ज कर दी जायें और मोकर का जितना भी खनन क्षेत्र था, वह सरकार के रिकार्ड में खनन विभाग में, खनन के नाम दर्ज था और आर.सी.आर.एल. के पट्टे वहां जारी हो रहे थे, लेकिन वहां बिलानाम होने से एक ही आदेश से वह फोरेस्ट में चला गया। मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र को भी वापस माइनिंग में लिया जाकर, वे जो पट्टेधारी थे, उनको वापस उनका काम शुरू करने की इजाजत दी जाये।

आपने मुझे इस विषय पर बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

(16.00 बजे)

श्री सभापति : डा मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूंगी; आज भी वह प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है। जब हम पढ़ते थे, हमेशा यह आता था कि सिद्ध कीजिए, भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन व्यक्ति निवास करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधान क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी क्षेत्र है लेकिन फिर भी वह औद्योगिक संसाधनों की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से विकास के बिलकुल अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बड़ी खाटू का जो क्षेत्र आता है वहां पर सैंडस्टोन की खानें हैं और वहां का जो पत्थर है उसकी विदेशों में भी काफी मांग है और वह विदेशों में भी निर्यात होता है और सरकार को काफी मात्रा में उसकी रायल्टी भी प्राप्त होती है।

इसके अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गोठ, मांगलोद और खेरात क्षेत्र जो है, वहां पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जहां तक

(डा. मंजू बाघमार)

मुझे जानकारी है, राजस्थान में एक तो बीकानेर में और एक मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिप्सम काफी प्रचुर मात्रा में निकलता है और वहां पर खनन का कार्य भी होता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चाइना क्ले भी प्रचुर मात्रा में है और चाइना क्ले का भी वहां पर खनन कार्य हो रहा है। मातासुख-कसनऊ का जो क्षेत्र है वहां पर आर.एस.एस.एम. द्वारा बड़ी मात्रा में लिग्नाइट का खनन कार्य भी हो रहा है।

तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जायल क्षेत्र बहुत धनी है और सरकार को भी उससे बहुत रेवेन्यू प्राप्त हो रही है लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। वहां पर कोई भी उद्योग-धंधा नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से वहां पर रोजगार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है और केवल कृषि और पशुपालन ही उनका व्यवसाय है जिससे कृषि में हंड्रेड परसेंट रिस्क पर वे काम करते हैं और इन्कम बिलकुल निल होती है। मेरा माननीय उद्योग मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक रीको इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो और वहां के स्थानीय लोगों का, उस क्षेत्र का विकास भी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहूंगी। जायल में खातेदारी भूमि में खनिज सैंडस्टोन उपलब्ध है किन्तु खातेदारी भूमि में खनन पट्टों की साइज चार हेक्टेयर होने से खनन पट्टे स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि खातेदारी भूमि की साइज बहुत छोटी है। अत: खनिज सैंडस्टोन के खनन पट्टे एक हेक्टेयर किये जाने से खातेदार भी लाभान्वित होंगे और गवर्नमेंट को भी उसके लिए रेवेन्यू मिलेगी और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा खनिज जिप्सम निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है और तहसील जायल में भी खनिज जिप्सम बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अत: खातेदारी भूमि में भी खनिज जिप्सम के पट्टे स्वीकृत किये जाएं।

इसके साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो जिप्सम के खनन क्षेत्र हैं, वहां पर अवैध खनन का जो कार्य हो रहा है, वहां पर जो अवैध रायल्टी वसूल की जा रही है, इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से सरकार को राजस्व का

(डा. मंजू बाघमार)

बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा यह मानना है कि वहां पर खनन कार्य के लिए जो ठेके दिये गये हैं, उनकी अवधि समाप्त हो गयी है, फिर भी खनन चालू था, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उस पर कार्यवाही की जाए।

इसके अलावा मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है, कि सर्वाधिकार प्राप्त प्राधिकरण का गठन किया जाए जिससे कि अवैध वसूली और जो अवैध खनन हो रहे हैं, अवैध रायल्टी पर भी उस पर रोक लगायी जाए।

इसके अलावा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नागौर जिले का एक जियोलोजिकल सर्वे करवाकर नई खनिज सम्पदाओं में उद्योग लगाने की सम्भावनाओं को खोजा जाए ताकि वहां पर नागौर जिले के अन्दर ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित हो सकें।

मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक निवेश नीति, 2014 और सौर ऊर्जा नीति, 2014 जारी की; इसके अलावा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014 लागू कर दी है जिससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसमें स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ेगा और राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्दर आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा डे क्षेत्र में तथा अंबूजा द्वारा, पहले हमारे यहां 1988 में के.ई.सी. कम्पनी आयी थी, उसके बाद में 1992 में गुजरात अंबूजा आयी, उसके बाद अंबूजा फैक्टरी आयी और इस तरह हमारे वहां पर किसानों की जो जमीन थी, उसको सीमेंट प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित कर लिया गया और बहुत ही कम कीमत पर किसानों की जमीन को अवाप्त कर लिया गया। वहां पर उन्हें यही सपना दिखाया गया कि आपके यहां पर सीमेंट प्लांट लगेगा, आपको यहां पर रोजगार दिया जाएगा लेकिन आज तक वहां पर कोई भी प्लांट नहीं लगाया गया है। वहां पर औने-पौने दामों पर उनकी भूमि अवाप्त की गयी थी। उसके लिए किसानों को बिलकुल भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो नया भूमि अधिग्रहण बिल

(डा. मंजू बाघमार)

बनाया गया है, उस आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, उस आधार पर उनका पेमेंट किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले और वहां पर उनकी भूमि पर जल्दी से जल्दी प्लांट चालू किया जाए और स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय लोगों का भी वहां पर विकास हो जाए।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि नागौर क्षेत्र के अन्दर जो जे.के. व्हाइट सीमेंट फैक्टरी लगी हुई है उसके अन्दर कुछ समय के लिए उसकी जो लीज आबंटित की गयी थी उस पर स्टे लगाया गया था और बाद में वापस स्टे वेकेट कर लिया गया था। स्टे का जो कैंसिलेशन पीरियड था, जिसमें उसको कैंसिल किया गया था, उस पीरियड के अन्दर काफी लाखों टन पत्थर का खनन कार्य किया गया था। तो इस बीच में लाखों रुपये का जो सरकार को राजस्व नुकसान हुआ है, तो उसकी पेनल्टी लगाकर उससे भरपाई की जाए।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे यहां पर जो अन-आर्गेनाइज्ड लेबर कार्य कर रही है, क्योंकि खनन क्षेत्र का काम होता है, तो एक सिलोकोसिस नामक बीमारी उनमें बहुतायत से मिल रही है। स्पेशली मेरे क्षेत्र में यह हो रहा है। तो, माननीय मंत्री महोदय, उस बिमारी के मुआवजे के लिए एक सरल प्रणाली बनायी जाए ताकि जिसको भी यह बीमारी चिह्नित हो जाती है, तो उनको सरकार की ओर से शीघ्र उसके लिए मुआवजा मिल जाए।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था और हमारे बजट में भी यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारे 31 प्रधान खनिज थे, उनको अप्रधान खनिजों में कन्वर्ट किया गया है। निश्चित रूप से इससे राजस्व प्राप्ति भी होगी, रोजगार भी बढ़ेगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि चूंकि इससे रोजगार भी प्राप्त होगा, राजस्व भी मिलेगा तो इसके अन्दर जो एस.सी., एस.टी. और गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जाए, क्योंकि सारी की सारी लीज यदि आप नीलामी के द्वारा देते हो तो केवल बड़े-बड़े उद्योगपति ही उसके अन्दर आयेंगे और केवल अमीर लोगों को ही खनिज की खानें आबंटित

(डा. मंजू बाघमार)

होंगी; जो एस.सी., एस.टी. के और गरीब लोग हैं उनके लिए खान आबंटित करवाना एक सपना बनकर ही रह जाएगा। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो नई मिनरल पालिसी आप बनायेंगे, उसके अन्दर इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग 42, 43 और 9 पर चर्चा हो रही है, जो ऐसे विषय हैं, राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर करने वाले विषय हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला ऐसा जिला था जहां कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता था, जहां पर पीनें के लिए पानी नहीं था और बाड़मेर का कोई नाम लेता तो उसके मन में कम्पन होती कि बाड़मेर कौन जाए और आज हालात हैं कि बाड़मेर के अन्दर तेल के अथाह भण्डार सोना उगल रहे हैं। पूरे भारत में 33 परसेंट, बोम्बे हाई व असम के बाद यह तीसरा बाड़मेर में, 33 परसेंट तेल बाड़मेर में निकल रहा है। लिग्नाइट के अथाह भण्डार; बाड़मेर और सांचौर बेसिन में इतना लिग्नाइट है, हमारे बाड़मेर में 1,050 मेगावाट का पावर प्लांट लगा और उसके बाद में भी लिग्नाइट इतना है कि अपन और कई पावर प्लांट लगा सकते हैं जो विकास के लिए बहुत ही अहम हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर तेल करीबन 2004-05 में निकला और पहले चार कुएं जिनमें अथाह तेल, माननीया मुख्य मंत्री जो अभी वर्तमान में हैं और केन्द्रीय मंत्री वहां आयें, उन चार कुओं का नामकरण भी हुआ। उस समय से चल रहा था कि बाड़मेर में इतना अथाह तेल है, यहां पर रिफाइनरी लगे। रिफाइनरी के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय से प्रयास किये गये। वहां की जनता की डिमांड थी कि बाड़मेर पहले जिस तरह से जाना जाता था और आज इस तरह के मिनरल्स यहां हैं, तो बाड़मेर का विकास कैसे हो? तेल और लिग्नाइट निकलने के बाद आज बाड़मेर के हालात ये हैं कि वहां जमीन पहले जहां 25, 50 हजार रुपये में मिलती थी, आज वह 20 और 25 लाख में भी नहीं मिल रही है। वहां होटलें तथा अन्य व्यवसाय इतना बढ़ा है कि बाड़मेर के चारों तरफ ही विकास

(श्री मेवाराम जैन)

हुआ है। वहां के लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है। हम रिफाइनरी की बात करें, वह आगे है, लेकिन आज की तारीख में भी वहां 50 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाड़मेर के अन्दर कम से कम हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार गाड़ियां लगी हैं, उनको भी रोजगार मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान की यह भावना थी कि बाड़मेर के अन्दर रिफाइनरी लगे। हमने काफी प्रयास किये। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी ने केन्द्र से कहकर और एच पी सी एल कम्पनी से टाइअप करके रिफाइनरी का एम ओ यू किया, शिलान्यास हुआ। उसके बाद में हमारी सरकार चली गयी। अब वापस चर्चा चल रही है कि यह घाटे का सौदा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार और एच पी सी एल कम्पनी, तीनों ही सरकारी हैं। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है जो कि बीच में कहीं दलाली खाये। रही बात 26 परसेंट राजस्थान के हिस्से की इस रिफाइनरी में, तो इतनी रिफाइनरियां पूरे भारत में हैं, कहीं भी 26 परसेंट या इतना हिस्सा कहीं और मिला है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद में बता रहे हैं कि बगैर ब्याज इतने पैसे दे दिये, यह घाटे का सौदा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह रिफाइनरी पहले साढ़े 4 मिलियन टन की थी, उसको 9 मिलियन टन कराया और पेट्रो केमिकल्स हब; जहां हम उद्योग की बात कर रहे हैं, बाहर से हम उद्योगपतियों को लाना चाह रहे हैं कि यहां उद्योग लगें, इंडस्ट्री लगें, यहां पर किस तरीके से लोगों को रोजगार मिले; अगर रिफाइनरी लगी तो उसके अन्दर जो प्रोडक्ट्स होंगे, कम से कम इसके अन्दर जो 100 से ज्यादा पदार्थ होते हैं उनकी अलग इंडस्ट्री होंगी और उसमें कितने लोगों को वहां रोजगार मिलता। यह आप विचार करें कि आज राजस्थान किस तरह से विकास में पिछड़ रहा है।

(16.15 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करो।

(श्री मेवाराम जैन)

एक कमेटी भी बनी है जो दुबारा इस पर विचार करेगी कि सरकार को इसमें लास है, इसको हम ठीक करेंगे। आपने कोई कंसलटेंट नियुक्त किया है, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स कारपोरेशन लिमिटेड, उसको सर्वे का काम भी दे दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस कम्पनी को दिया है, वह अभी जासूसी कांड में फंस गयी है, तो वह क्या सर्वे करेगी?

माननीय सभापति महोदय, हम तो यही चाहते हैं कि रिफाइनरी लगे और बाड़मेर का विकास हो, पश्चिमी राजस्थान का विकास हो और पूरे प्रदेश का विकास हो। अगर आपको लगता है कि इसमें घाटा है तो राजस्थान में आपकी सरकार है और भारत में आपकी सरकार है, आपको डेढ़ साल हो गया, आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप बात नहीं कर सकते हो? वार्ता नहीं कर सकते हो? कम कराओ न भले ही। आपको कम कराना है तो हम मना थोड़े ही न कर रहे हैं। आप बाड़मेर में पचपदरा नहीं, आप बाड़मेर जिले में और किसी स्थान पर लगाना चाहो तो हमें कोई एतराज नहीं है।

आपकी जो मंशा है वह साफ जाहिर कर रही है कि हम इसको लगाना नहीं चाह रहे हैं। अगर मंशा होती तो डेढ़ साल किस बात के लिए लगाया? आप मीटिंग करते कि इतने पैसे ज्यादा हैं, कम हैं; कम्पनी आपकी एच पी सी एल हो, दूसरी हो; मैं तो कह रहा हूं कि कोई यहां अडानी, अंबानी, यहां से कोई बैठा माननीय सदस्य भी रिफाइनरी लगाना चाहे तो भी मना नहीं है, लेकिन रिफाइनरी नहीं लगने से राजस्थान जो पिछड़ रहा है, मैं तो कहूंगा कि हमारा बाड़मेर जिला जिसके लिए तरस रहा है और पश्चिमी राजस्थान तरस रहा है, आने वाले दिनों में यह कभी भी माफ करने योग्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण परियोजना है, इसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप यह भी कहें कि आपने शिलान्यास कर दिया, हमने शिलान्यास कराया, तो कोई बात नहीं, आप वह पत्थर चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो, सब कुछ कर दो, पर रिफाइनरी लगाओ।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आचार संहिता से एक दिन पहले लगाई आपने।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हमने तो वह भी लगाई, लेकिन आप भी

(श्री मेवाराम जैन)

लगाओ न। आपको मना थोड़े ही न कर रहे हैं। आप लगाओ। आप इसका दुबारा शिलान्यास करा दो।

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करेंगे। आपस में बात नहीं करेंगे। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। आसन को संबोधित करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि आप दुबारा शिलान्यास करा दो, हम मना नहीं करेंगे; आप जगह चेंज कर दो, बाड़मेर जिले में कहीं भी लगाओ, हम मना नहीं करेंगे; पहले कह रहे हैं, बायतू में लगानी है, आप लगाओ बायतू में, हम मना नहीं करेंगे; एच पी सी एल कम्पनी नहीं, आप किसी कम्पनी को दे दो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है; कोई प्राइवेट व्यक्ति को आप देना चाहते हैं तो ही दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रिफाइनरी बाड़मेर में लगाओ। बाड़मेर के लोगों को जो राहत मिलनी थी, आप उद्योग और इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, इसको लगाने में आप यह जो कर रहे हों, यह जनता के हित में नहीं है और राजस्थान के हित में नहीं है। आने वाले भविष्य में इसका आपको बहुत ही नुकसान होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अन्य खनिज, आज बाड़मेर में तेल के साथ-साथ गैस निकली है। गैस के लिए भी पूरे पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग करेंगे शहरों में घर-घर कनेक्शन देकर के तो इसका उपयोग हो सकता है। उससे कितने लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, कितना वहां के एरिये का विकास होगा, यह आप सब जानते हैं।

इसके साथ-साथ खनिज की बात करें, लिग्नाइट, पूरे बाड़मेर-जैसलमेर बेसिन में लिग्नाइट के भंडार हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भादरेस में पावर प्लांट जिंदल ने शुरू किया, आपकी सरकार थी, 23 हजार रुपये बीघे का मुआवजा किसानों को दिया; सिर्फ 23 हजार। उसके बाद में लिग्नाइट के लिए जो भूमि अवाप्त हुई, उसमें हमने किसानों को 3 लाख रुपये बीघा का मुआवजा दिया। वह भी कम है। मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं कि किसानों ने अपनी कीमती जमीन दी, वे बेघर हुए लेकिन आज वह जो कम्पनी है, वहां के लोकल मजदूरों को उनको रखना चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, आज वे बाहर से जितने भी आ रहे हैं, उनको लगा रहे हैं और वहां जिनकी जमीनें गयी हैं उनको लगाने से वे पीछे हट रहे हैं। जिन्होंने जमीन लेते समय एग्रीमेंट किया था कि हम लोकल आदमियों को लगायेंगे...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सर, दो मिनट मैं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि तेल की रायल्टी के अन्दर पौने 2 लाख बैरल तेल से राजस्थान सरकार को गत वर्ष 6 हजार करोड़ और इस वर्ष 4,400 करोड़ की आय हुई है।

श्री सभापति: मेवा ही मेवा है बाड़मेर में।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इतना करने के बाद में भी बाड़मेर पानी के लिए तरस रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोयला निकल रहा है।

श्री सभापति: कोयला भी मेवा हो गया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज हालत यह है कि बाड़मेर के आधे जिलों में अकाल है।

श्री सभापति: कोयला भी आजकल मेवा हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, हो तो गया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इस अकाल के अन्दर हालत यह है कि गायें वहां मर रही हैं। आप फोटो देखो, जगह-जगह गायें मर रही हैं। उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। जबकि बाड़मेर जिला, इतना पैसा है, आप तुलना कर लें, रायल्टी के माध्यम से बाड़मेर आ रहा है, आप वहां जाकर देखो तो हजारों गायें मरी हुई मिलेंगी आपको, सिर्फ चारे और पानी के कारण। अब यह कितना पाप लगेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अभी बात चली, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात की, खान आबंटन की बात की, हमारी बातें कर रहे थे कि कोयला में घोटाला हुआ, भारी घोटाला हुआ, खूब आरोप लगे। पहले आप इधर बैठते थे, खूब हो-हल्ला करते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये बात कर रहे थे, जोधपुर में खानें अलाट हुईं, उसकी चर्चा कर रहे थे, उस समय तो सदन चलने तक नहीं दिया और अब इन्होंने आनन-फानन में, जब केन्द्र में तो हो गया कि आप इसको नीलाम करो, उन्होंने पास कर दिया और यहां आनन-फानन में उनको अलाट कर दीं। आप अनुमान लगाओ कि

(श्री मेवाराम जैन)

किस तरह से वह हुई, क्या हुआ। यह जांच का विषय है। हजारों करोड़ का इसमें किस तरह से घोटाला हुआ, किस तरह से हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें हम राजनीति नहीं करें। अगर प्रदेश का हित सोचना है हमें तो इसके लिए हमें खुले दिमाग में आप सोचें, चर्चा करें कि वास्तव में अगर नीलाम होतीं तो राजस्थान को कितना फायदा होता, राजस्थान की जनता को कितना फायदा होता। पर उसमें भी हम आपस में राजनीति कर रहे हैं कि यह अच्छा हुआ, जनता को फायदा है। फायदा तो उसमें भी हुआ था, तो उसमें इतना हा-हूं कर रहे थे, आज एक-दो खानें कोयले की, उसमें कितने पैसे मिले; तो ये जो खान आपने अलोट की हैं, अगर उनको आक्शन करते तो कितनी राशि आती, आज राजस्थान का कितना भला होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमे राजनीति नहीं होनी चाहिए और रिफाइनरी एक ऐसा मुद्दा है कि बाड़मेर में रिफाइनरी लगे, हर हालत में लगे; इनको जो एम ओ यू चेंज करना हो, करें; इनको कैसे भी करें, लेकिन रिफाइनरी हर हालत में लगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री शंकर सिंह

(अनुपस्थित)

सुश्री कीर्तिकुमारी।

व्यवस्था का प्रश्न

निर्दलीय सदस्यों को भी बहस के समय बोलने का उपयुक्त अवसर मिले

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: विराजें। व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डिमाण्ड चल रही है, बजट भी आया। एक दिन भी हमें निर्दलीयों को आप जो टाइम देते हैं, आसन देता है निर्दलीयों को टाइम, हमारे कई निर्दलीय तो पांच-पांच, छह-छह दिन लगातार बोल रहे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं। फिर हम यहां पर कोई सुनने के लिए ही थोड़े आते हैं। हमारे क्षेत्र की भी कई समस्याएं हैं। अगर हम सदन में नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसा करते हैं कि ये-ये सदस्य विधान सभा में नहीं आएंगे। 164 आ गये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विषय तक सीमित रहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, कुछ और हो जाएंगे।

आप हमारे अधिकारों का इस तरह से हनन क्यों कर रहे हैं, आसन? हम तैयारी करके आते हैं, और तैयारी करके आने के बाद शाम के छह बज जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि आपको टाइम नहीं देंगे। आपके टाइम न देने से क्या होगा, साहब? हम जीत कर आये हैं।

श्री सभापति: आप विराजें। मैं व्यवस्था करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों की जमानत जब्त करके जीत कर आये हैं। कोई यूं थोड़े ही आ गये कि वसुन्धराजी ने अपाइंट कर दिया और हम यहां आ गये। आप हमारा बोलने का समय तय कीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। मैं व्यवस्था देता हूं।

माननीय सदस्य, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया बोलने के बारे में। आसन को पहले तो यह कहना, आसन के बारे में कोई भी आक्षेप करना, आसन से प्रश्न पूछना उचित नहीं है। लेकिन आपने जो बोलने की बात उठाई है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी दलों के लिए समय निर्धारित किया गया है। उसमें निर्दलीय माननीय विधायकों के लिए भी समय तय किया गया है। मैं अभी पूछता हूं कि डिमाण्ड पर किन-किन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिला है। यदि आपको अवसर नहीं मिला है तो आपको अवसर मिलेगा, लेकिन मैं अभी यह पता कर लेता हूं कि किस-किस डिमाण्ड पर कितने-कितने माननीय सदस्यों को मौका मिला है। क्योंकि बाकी दलों के तो सचेतक अपनी सूची देते हैं, उस प्रकार से आसन बुलवाता है लेकिन आपके कोई सचेतक नहीं हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को जिनको अवसर नहीं मिला है उनको अवसर देंगे। आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डाक्टर किरोड़ीलालजी हैं हमारे सचेतक। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को किसी दल में शामिल करा दो। किसी दल में कर दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इन्होंने सचेत किया है, इनकी सचेतना का सम्मान करें।

श्री सभापति: किसी दल की इनको समाहित करने की हिम्मत, सामर्थ्य शायद नहीं है।

इसलिए तब तक कीर्ति कुमारी जी आप शुरू करें। सुश्री कीर्ति कुमारीजी।

मांग संख्या 42, 43 व 9 पर विचार

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मांग संख्या 42, 43 और 9-उद्योग, खनिज और वन के ऊपर बोलने का मौका दिया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बिजोलिया उप खण्ड क्षेत्र की पहचान ही सैंडस्टोन, घने वन और उद्योगों से है। विश्व का शायद सबसे मजबूत पत्थर सैंडस्टोन प्रचुर मात्रा में बिजोलिया में है। हमारे क्षेत्र में बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छी तरीके से खनन भी हो रहा है। हमारी सरकार भी बहुत अच्छी आई है, जन-जन की जो आकांक्षाएं थीं, वैसी।

हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी से क्षेत्र के लोगों के कुछ दो-चार सूत्र मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्रीजी तक, कि बिजोलिया क्षेत्र के अधिकांश लोग परोक्ष-अपरोक्ष रूप से खनन व्यवसाय से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को ध्यान में रखते हुए क्वारी लाइसेंस के रूप में 15 मीटर×15 मीटर और 60 मीटर×30 मीटर क्षेत्र के अधिकांशत: क्वारी लाइसेंस जारी किये जाते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 9.9.2013 को सभी नये खनन क्षेत्रों के आबंटन के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इसके सरलीकरण करने के लिए बातचीत जारी रखी जाए। हमारे क्षेत्र में जो एग्रीमेंट होते हैं वे चार से पांच हेक्टेयर के एग्रीमेंट हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि यह एग्रीमेंट एक

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

हेक्टेयर से पांच हैक्टेयर तक किए जाएं ताकि छोटे खनन व्यवसायी भी खनन कार्य करके, उन लोगों को भी इसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

बिजोलिया क्षेत्र में जो क्वारी लाइसेंस जारी होते हैं, यह बंजर भूमि पर ही एग्रीमेंट का लाइसेंस दिया जाता है, जबकि सैंडस्टोन, जिसको अप्रधान खनिज माना गया है, यह भी मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मेसनरी स्टोन के दर्जे में ही आता है, वहां पर सिंचित क्षेत्र में भी खनन के पट्टे जारी होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिले, ऐसा हमारी खनिज नीति में ध्यान रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, बिजोलिया क्षेत्र में उत्तम किस्म का सैंडस्टोन है। पूर्व में इसमें जो ऊपर से झड़ाई करके खुदाई होती थी और वेस्ट मैटेरियल को एक तरफ रख दिया जाता था। माननीय सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी कि अब मशीनों से जब कार्य आरम्भ हुआ है तो देशी भाषा में टोला कहा जाता था, उसको भी अब उपयोग में लेने लगे हैं और यह टोला तो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगा है। मैं भावनाओं से अवगत करवाना चाहती हूं कि हमारी जो रायल्टी दर तय होती है उसमें विसंगति है; जो पत्थर नीचे से निकाला जाता है उस पर तो रायल्टी कम लगती है और टोला पत्थर पर अधिक रायल्टी है, इस विषय पर विचार किया जाए।

बिजोलिया क्षेत्र में रीको का जो औद्योगीकरण आरम्भ हुआ था, पिछली हमारी सरकार में वह पिछले पांच साल में कोई कार्य नहीं हुआ और हमारा कार्य वहीं का वहीं रह गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी की बहुत अच्छी भावनाएं हैं और हमारे सैंडस्टोन को बहुत फायदा मिले, युवाओं का रोजगार मिले, रीको का जो कार्य आपने पिछले साल आरम्भ किया इसको थोड़ा तीव्र गति से चलाया जाए।

मैं निवेदन करूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार ने जनवरी, 2012 को लाटरी संख्या सीसी11/16 के माध्यम से एक आवेदन जारी किया था जिसमें 14.2.12 तक आवेदन लेकर क्षेत्र में जुलाई के महीने में इन्होंने 1910 ड्रा निकाले और उन लोगों के व्यवस्थित आवेदन लिये; सारी कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की गई। इनको राजस्व में 37 लाख रुपये भी प्राप्त हुए और उसके बावजूद

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

सरकार को पता नहीं क्या सूझी कि बिना कोई कारण बताये, बिना कोई टेक्निकल मिस्टेक किये, हमारे लोगों के साथ घोर चीटिंग की गयी। 3 मार्च, 2013 को खनिज अभियंता, बिजोलिया के मार्फत इनके जो भी एग्रीमेंट हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि इनके हितों की रक्षा की जाय और इनके जो भी आवेदन हैं उनको दुबारा जारी किया जाय।

हमारी मुख्य मंत्रीजी जन-जन की नेता हैं, हमारी लोक-कल्याणकारी सरकार है, नई खनिज नीति जल्दी आरम्भ हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

सीमेंट फैक्टरी का जो भी अलाटमेंट हुआ उससे राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए एक आयाम स्थापित होगा। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री हरिसिंह रावत। आपकी लाइट जल गयी है, आपको ध्यान ही नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मैं पेपर देख रहा था थोड़ा।

सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग, 43-खनिज, 9-वन पर आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बोला था कि भारत भाषाओं का एक अजायबघर है, लेकिन मैं आज कहता हूं कि राजस्थान हमारा खनिज सम्पदा में एक अजायबघर है। राजस्थान खनिज का भण्डार है। उसमें मेवाड़ तो उससे ऊपर है।

श्री सभापति: हमारे यहां शास्त्रों में इसको रत्नगर्भा कहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाय तो मेवाड़ अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है जहां पर जिंक, लेड, सिल्वर, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्टज, फेल्सपार, कई प्रकार के भण्डार हमारे यहां पर विद्यमान हैं और उन्हीं का हम खनन द्वारा दोहन करते हैं और सरकार को उससे रेवेन्यू प्राप्त होती है।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, 2003 से 2008 तक हमारी सरकार थी। हमारी विजिलेंट मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने उस वक्त जब कार्यभार संभाला था तो हमारे राजस्थान की गिनती पिछड़े और गरीब प्रदेश में होती थी। उन्होंने आकर, राजस्थान को कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाय, कैसे विकसित राजस्थान बनाएं, उसके लिए उद्योगों को उन्होंने महत्व दिया। उसी के अनुरूप विदेशियों को और अप्रवासी राजस्थानियों को उन्होंने निमंत्रण दिया और उसके अनुसार हमारे यहां कई बड़ी-बड़ी फैक्टरियों व कई बड़ी इण्डस्ट्रीज का आगाज हुआ। कुछ काम प्रारम्भ हुआ, होते-होते हमारा काल पूर्ण हो गया। जैसे ही कांग्रेस आयी, जितने भी अप्रवासी राजस्थानी थे मायूस हो गये और वापस अपने बोरिया-बिस्तर समेटने का कार्य प्रारम्भ कर दिया।

अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य रमेश जी बोल रहे थे कि खानों में घोटाला किया, यह किया, वह किया। मैं प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, हमने तो घोटाला नहीं किया, आपने जो बताया उसी प्रारूप के अनुरूप चले, लेकिन इन्होंने निश्चित रूप से घोटाला किया। इनके जीजाश्री ने हमारे जैसलमेर के गरीब भाइयों से औने-पौने दामों में जमीन खरीदी और विंड टर्बाइन लगाने के लिए उनको जमीन करोड़ों में बेच डाली। भ्रष्टाचार किसने किया, यह सामने आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसी पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। राजस्थान पत्रिका में भी 13 मार्च को एक लेख लगा था कि ''लगा 6 हजार करोड़ का चूना''। सभापति महोदय, मैं इसके बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीमेंट प्लांट के लिए, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के खनन पट्टे के लिए 19 ब्लाक एम सी आर, 1960 के नियम 59 के तहत वर्ष 2010 से 2013 के मध्य अधिसूचना जारी की गयी। उसी के अनुरूप ब्लाक एवं जिला, 6 ब्लाक जिला जैसलमेर में 14 अक्टूबर, 2010 को, 6 ब्लॉक जिला नागौर में 2.7.2010, 11.10.2010 और 14.10.2011 एवं 15.2.2013 एवं 5 ब्लॉक जिला चित्तौड़ में 14.10.2010 एवं 5.2.2013 को उक्त अधिसूचना जारी हुई। उक्त ब्लाक पर निर्धारित अवधि में खनन पट्टा...(व्यवधान)

श्री सभापति: पढ़ें नहीं, माननीय सदस्य। पढ़े नहीं, बतायें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): खनन पट्टे हेतु 667 आवेदन प्राप्त हुए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इनके अनुरूप जो चली थी, उसी का हमने

(श्री हरिसिंह रावत)

आगे किया है। हमने ऐसा नहीं किया कि सरकार ने आते ही घपला किया है। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान) हम नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यह जो भी हुआ है अभी इसका आबंटन नहीं हो गया है। आबंटन प्रक्रियाधीन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरी मैं मेरे क्षेत्र की मार्बल की बात करना चाहता हूं।

श्री सभापति: हां, वह करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मार्बल से आज जिला राजसमंद में कम से कम 5 लाख लोगों को एम्प्लायमेंट मिला हुआ है, जिसमें कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कुछ दलाली कर रहे हैं। इस प्रकार से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन अभी हमारी वर्तमान सरकार ने कुछ वैट में इंक्रीज किया है, उसको मैं कम करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कोटा स्टोन पर 5 परसेंट, 3 परसेंट, 2 परसेंट वैट कम किया। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे यहां भी 2 परसेंट अगर वैट कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए रोजगार अच्छा साबित होगा और लोगों का रोजगार नहीं जाएगा। अगर यह स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए आगे चलकर बड़ी विकट समस्या होने वाली है। इस पर विचार किया जाय।

दूसरा, हमारे क्षेत्र में मार्बल को बढ़ावा देने के लिए अगर कंटेनर यार्ड की व्यवस्था हो जाय तो हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरा, सेंट्रल एक्साइज में भी मेरा निवेदन है कि सेंट्रल एक्साइज में भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ गयी है। मैं चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से इस एक्साइज ड्यूटी को कम कराने की कुछ योजना की जाय।

इसके साथ-साथ, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर के अन्तर्गत मेरा क्षेत्र भी आता है, जिसमें बगड़ रीको इण्डस्ट्रीज के नाम से 2007 में करीब 1700-1800 बीघा जमीन आबंटित हुई थी। एन्वायरनमेंटल परमिशन नहीं मिलने की वजह से हमारे रीको इण्डस्ट्रियल का काम अधरझूल में लटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पूर्व में आपको लिखित में दिया है, आप पर्यावरण विभाग से इसकी एन ओ सी

(श्री हरिसिंह रावत)

तत्काल लें ताकि हमारे क्षेत्र में ग्रेनाइट, मार्बल और फेल्सपार का प्रचुर मात्रा में भण्डार है, पूरा रॉ-मैटेरियल गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों में जाता है; अगर रीको इण्डस्ट्री की स्थापना मेरे क्षेत्र में होती है तो मैं समझता हूं कि हमारे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ-साथ, जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं, जो मुम्बई, बैंग्लोर, मद्रास, गुजरात रहते हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आपके यहां रीको इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित होता है तो हम आएंगे और काफी इण्डस्ट्रीज को हम डवलप करेंगे। इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और वहां क्षेत्र का विकास भी होगा। तो मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

साथ-साथ, हमारे उद्योग धंधों को, इस मार्बल को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मावली-मारवाड़ ब्राडगेज लाइन के आमान परिवर्तन की हमारी सेण्ट्रल गवर्नमेंट में घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि अगर यह रेलवे लाइन कामलीघाट से ब्यावर वाया भीम, जवाजा जोड़ दें, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट और सेण्ट्रल गवर्नमेंट के सौजन्य से, तो हमारे क्षेत्र में मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा यातायात का साधन सुलभ होगा। साथ-साथ ही, हमारे यहां पर कई बड़ी-बड़ी मेवाड़ की सम्पदा हैं, इनको देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आएंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रेल्वे लाइन को इधर से जोड़ा जाए तो इससे हमें काफी फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा, सभापति महोदय, खनिज विभाग द्वारा पुराने एवं बकाया रायल्टी के प्रकरण आपके विभाग में अण्डर कंसिडरेशन हैं। खनिज विभाग द्वारा जो छूट दी जा रही है, उसमें 1985 में 75 परसेंट था, वर्ष 1995 में 65 परसेंट था, 2000 में 50 परसेंट और वर्ष 2005 में 25 परसेंट के हिसाब से दी जा रही थी। मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनको चार स्लैब में एक कर यदि 75 परसेंट की छूट सभी वर्षों के लिए समान कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि उन गरीबों को इसमें फायदा मिलेगा और वे कोर्ट-कचहरी में जाने के चक्कर से बचेंगे।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा वन विभाग की बात भी कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: वन पर रहने दो; दो पर ही बहुत है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दो मिनट में, सभापति महोदय। मेरा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आने की वजह से करीब 11 गांव मेरे ऐसे हैं जो करीब 500-600 साल से बसे हुए हैं। उन गांवों को न तो हम खाली करा सकते हैं और न ही उनको विस्थापित कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से निवेदन है कि उन लोगों को, या जो ग्रामीण उस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में बसे हुए हैं, उनको केवल इतना ही अधिकार दे दें कि अपनी जमीन खरीदने-बेचने का, या अपने घर बनाने का, या बेचने का, या कोई बैंक लोन लेने की सुविधा दे दें तो मैं समझता हूं कि उन गरीबों का भला होगा। इसलिए विशेषकर इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

दूसरा, हमारे इसी वाइल्ड लाइफ के अन्तर्गत जो नेशनल हाइवे नम्बर 8 है, जो आलरैडी गतिमान है लेकिन फोर ट्रैक की परमिशन के लिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के कारण पर्यावरण विभाग की परमिशन नहीं मिलने की वजह से यह काम अटका हुआ है। मैं पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की हमारी तीन रोड, जो नागौर से हमारे वापस मारवाड़-मेवाड़ को जोड़ेगा, नागौर से जैतारण, जैतारण से वापस हरिपुर, रायपुर, जस्साखेड़ा और भीम होते हुए वापस विजयनगर को रोड जोड़ने वाला है, सभापति महोदय, उसमें भी एन्वायरनमेंट की परमिशन नहीं होने की वजह से यह रोड भी रुका हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी आप विचार करें और इसकी एन्वायरनमेंट परमिशन दिलाई जाए जिससे हमारा यह काम भी हो सकेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त हुआ आपका भाषण। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 9, 42 और 43 पर आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: 4.43 पर दिया है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): जैसा कि आज मांग के अनुसार मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं विशेष रूप से खनन के बारे में आपसे चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए खनिजों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पूरे हिन्दुस्तान में

(श्री कैलाश चौधरी)

जिस तरह से खनिज हैं और खनिजों पर पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह भी बहुत कुछ निर्भर है। उसमें भी राजस्थान में जो खनिज हैं, आज के दिन लगभग 70 तरह के खनन यहां निकलते हैं।

खनन के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से पेट्रोलियम और गैस का अथाह भण्डार हमारे राजस्थान में निकला है और उसमें जो पेट्रोलियम निकाला है, उसके बारे में मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने भी बताया और रिफाइनरी के बारे में भी चर्चा हुई। आज जिस तरह से तेल हमारे यहां पर निकल रहा है, वह पूरे भारत का 24 प्रतिशत तेल बाड़मेर में निकलता है। उसमें मैं यही विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि तेल तो निकलता है लेकिन वहां जो मुख्य रूप से समस्या आ रही है, उसके बारे में मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि, वहां के जो किसान हैं, जिनकी जमीन चली गई और जमीन जाने के बाद में, वहां के काश्तकार हैं वे वहां पर जो कम्पनियां आईं, उनके पास रोजगार के लिए जाते हैं तो उनको तकलीफें आती हैं और रोजगार नहीं मिलता। एक तरफ जहां हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी उद्योगों को यहां पर लाना चाहती हैं, यहां पर रिफाइनरी के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, तो जो कम्पनियां वहां पर हैं, उनमें जिन काश्तकारों की जमीन चली गई, तो जमीन जाने के बाद वह कहां जाएगा? इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां के स्थानीय लोगों को विशेषकर रोजगार मिले।

दूसरा, तेल के भण्डार होने के साथ ही हमारे बाड़मेर जिले में लिग्नाइट भी निकलता है। मेरा यही निवेदन है कि आप आने वाले समय में वहां रायल्टी के रूप में, जिस तरह बाड़मेर में तेल निकलता है और पूरे राजस्थान में रॉयल्टी के रूप में यहां पर पैसा आता है, उसमें बाड़मेर जिले को भी अलग से हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे इस रेगिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र में हमारी जो समस्या है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है, या अन्य भी कई समस्याएं हैं, तो उनका समाधान हो सके।

बाड़मेर में रिफाइनरी और विशेषकर जो उद्योग हैं, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। हमारे वहां पर बालोतरा में भी उद्योग हैं। आज हम अनेक तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं। हमारे यहां पर पोपलीन का जो उद्योग है उसके ऊपर आज खतरा मंडराता जा रहा है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी कहा, पाल्यूशन की वजह से वहां पर तकलीफ आ रही है। तो मैं यह निवेदन करना

(श्री कैलाश चौधरी)

चाहूंगा कि वहां पर जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वहां के उद्यमी हैं वे चाह रहे हैं कि अगर सरकार हमें जमीन दे देती है तो हम वहां पर लगा सकते हैं और वहां पर पौधे लगाएं, या पानी को डिस्चार्ज करने की व्यवस्था कर सकते हैं। वहां पर 1200 बीघा जमीन है, उस जमीन को अगर टोकन मनी पर सरकार दे देती है तो निश्चित रूप से वहां के उद्योगों को फायदा होगा।

दूसरा, जिस तरह से पावरलूम के लिए दूसरे स्टेट में सुविधा है कि उनके वहां पर जो पावरलूम लगे हुए हैं उनको विद्युत में फिफ्टी परसेंट की छूट है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में मालेगांव है या ईचलकरंजी है, वहां के जो व्यापारी हैं उनको विशेष रूप से छूट है, जिससे वहां पर जो लूम लगते हैं उनको फायदा होता है। यहां पर जब हम पावरलूम लगाते हैं, यहां कई व्यापारियों ने लूम लगाने का प्रयास भी किया लेकिन जब उनको विद्युत में छूट नहीं मिलती है तो उनके कम्पीटिशन में हम पीछे रह जाते हैं और हमारे यहां भाव ज्यादा होते हैं।

इसलिए अगर इस उद्योग को बढ़ावा देंगे तो बालोतरा के अन्दर, पाली के अन्दर और जैसे भीलवाड़ा में उद्योग हैं, तो निश्चित रूप से अपन इसको बढ़ायेंगे तो राजस्थान में भी टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में उसका फायदा होगा और यहां के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी निश्चित रूप से मिलेगा, जो हमारी मुख्य मंत्रीजी का एक लक्ष्य है।

इसी के साथ, जो उद्योग लगाये जा रहे हैं, उनके अन्दर जो फैक्टरियां हैं, जो कम्पनियां हैं, उनके अन्दर सोलर प्लांट के लिए उनको कहें कि आप सोलर प्लांट लगाएं और उसमें जिस तरह से दूसरे स्टेट में फिफ्टी परसेंट तक सब्सिडी दी जाती है, तो अगर उनको भी इसमें सब्सिडी मिलेगी तो निश्चित रूप से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप वहां पर सोलर प्लांट के अन्दर 50 परसेंट की छूट दिलाएं ताकि अपना जो उद्योग है वह बढ़ सके।

इसके अलावा खनन के क्षेत्र में भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह खनन के अन्दर, पूरे स्टेट में कई जगह यह समस्या है कि जिस तरह से जो जमीन है, जो खातेदारी जमीन है, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको खनन में पट्टा तो मिल जाता है, लीज मिलती है लेकिन वह खातेदारी भूमि पर मिलती है

(श्री कैलाश चौधरी)

और उसके पास में ही जब कोई लीज होती है या कोई पहाड़ी होती है, तो उसका उपयोग वे अवैध रूप खनन करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं उनका चयन होना चाहिए कि वास्तव में जो उसको खनन पट्टा मिला है, जो उसको खदान मिली है, उसी के ऊपर वह उसका उपयोग करें, न कि दूसरी आसपास की जो पहाड़ी है, उसका उपयोग करे। इसलिए खनन के ऊपर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। विशेष रूप से रिफाइनरी की चर्चा चल रही थी...

श्री सभापति: वह हो गई चर्चा।

श्री कैलाश चौधरी (बायतु): रिफाइनरी के बारे में मैं विशेष आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, बाड़मेर के अन्दर रिफाइनरी हमारी मुख्य मंत्रीजी जब पिछली बार थीं, तब उन्होंने तय कर दिया था। अभी हमारे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रिफाइनरी के लिए हमने सारा कुछ किया। मैं कह रहा हूं कि जब पिछला शासन हमारा था 2003 से लेकर 2008 तक, उस समय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने तय कर दिया था कि रिफाइनरी बाड़मेर में लगेगी; उस समय तय कर दिया था और उसके बाद में आपकी सरकार आई और आपकी सरकार ने आने के बाद में कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आनन-फानन में, जब लास्ट के अन्दर चुनाव आये और उस समय आपने यह सोचा, क्यों नहीं इसका लाभ लिया जाये और जब आचार संहिता लगती है, उससे मात्र दो दिन पहले आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को आप बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि यहां पर रिफाइनरी लगे, उसका शिलान्यास करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर शिलान्यास करना ही था तो आपके पास में पांच साल पड़े थे, दो साल पहले आप उसका शिलान्यास कर सकते थे। आपकी मंशा यह नहीं थी, आपकी मंशा सिर्फ वोट बटोरने की थी। उन्होंने काम कुछ नहीं किया। उनका काम एक ही है सिर्फ और उन्होंने यह एक काम जरूर किया वहां पर तेल की कम्पनियों में, हमारी मुख्य मंत्रीजी पहले जब आई थीं 2003 के अन्दर, उस समय मणिशंकरजी अय्यर आये थे और उनके साथ में हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी आई थीं। वहां आने के बाद में जो ''भाग्यम्'' नाम का कम्पनी का कुआं है, उसका नाम दिया और दूसरा दिया था हमारी मुख्य मंत्रीजी की माताजी के नाम से, जिनका नाम विजया राजेजी सिंधिया था...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तब तो आपको लगानी चाहिये थी। आप क्यों मना कर रहे हों?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): विजया राजेजी सिंधिया के नाम पर 'विजया' नाम दिया था; विजया राजेजी सिंधिया के नाम पर उसका नाम 'विजया' दिया था लेकिन आपने राजनैतिक द्वेषता रखते हुए उसका नाम बदलकर एन-1 रख दिया। क्या एन-1 कोई नाम है? लेकिन इनका उद्देश्य यह है कि बस नाम नहीं रहे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह जरूर काम किया। रिफाइनरी का सिर्फ चुनाव की आचार संहिता आने से दो दिन पहले आपने आकर शिलान्यास कर दिया। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी चाहती हैं...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नाम बदलने का काम तो आपका है। राजीव गांधी भवन का अटल केन्द्र रख दिया। और कुछ बनाते तब देखते।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपका बस पहुंचे तो आप हर योजना का नाम राजीव गांधीजी के नाम पर रख सकते हों। आपका बस पहुंचे तो आप भारत का नाम भी बदलकर राजीवजी के नाम पर रख सकते हों। इतनी आपकी मंशा है, लेकिन हमारी मंशा नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपका बस चले तो भारत का नाम भी बदल दो आप तो। और कुछ रख दो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): किसी के सामने बोलकर दिखाओ।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): हमारे देश का नाम भारत है और हिन्दुस्तान है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): ...इनकी मंशा एक ही रही है। रिफाइनरी के बारे में हमारी मुख्य मंत्री का उद्देश्य एकदम साफ है और जैसा कि मैं आपसे यह कह सकता हूं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अन्दर तय होगा। आपने तो इस तरह से योजना बना दी, रिफाइनरी के अन्दर कह दिया, जिसके अन्दर आपने इतना तय कर दिया कि एक 56,000 करोड़ रुपये...

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): 56,000 करोड़ रुपये बिना ब्याज अगर किसी को दें और जमीन अपनी, पानी अपना, विद्युत अपनी, सारा कुछ अपना और 56,000 करोड़ रुपये देने के बाद...

श्री सभापति: समय का इंतजार करें। समय का इंतजार करें। आप विराजें, माननीय सदस्य। आपस में चर्चा नहीं करें। रिफाइनरी पर बहुत चर्चा हो गई है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मैं यह कहना चाहता हूं, और उसके बाद में 56,000 करोड़ रुपये देने के बाद सरकार की भागीदारी मात्र 26 प्रतिशत है। यह किस दिशा के अन्दर ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा साफ है और हमारी रिफाइनरी बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हम यह कहते हैं...

श्री सभापति: समय बढ़ाने का प्रस्ताव। विराजिये। भाषण समाप्त करें अपना।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिए बढ़ाई जाये?

(स्वीकृत)

समय दो घंटे बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवालजी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि निर्दलीय सदस्यों को बोलने का अवसर कम प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य, मैं सूचित करना चाहूंगा कि माननीय निर्दलीय सदस्यों को उनको आबंटित समय से अधिक का समय मिला है। यह सही है कि आपको नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में हमारी एक व्यवस्था पहले पूर्व में दी गई है कि सारे कट मोशन्स पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए कट मोशन्स के जवाब माननीय मंत्री महोदय उनको पहुंचा देते हैं।

आपने बार-बार मांग उठाई है और चूंकि आपको अवसर नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको पांच मिनट का समय इस पर बोलने के लिए दे रहा हूं। आप इस विषय पर सीमित रहेंगे। बोलिये।

मांग संख्या 42, 43 एवं 9 पर विचार

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने, मेरा बोलने के लिए कई दिनों से लम्बा संघर्ष था, उसमें...

श्री सभापति: आप अपने विषय पर आ जायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पांच मिनट के बजाय दस मिनट दे देना, साहब।

श्री सभापति: आप इसमें पांच मिनट में समाप्त कर देंगे। बोलो तो सही।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो आज मांग संख्या 42-उद्योग, 43-खनिज और 9-वन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सरकार ने वादा किया था कि हम अगर सरकार के अन्दर आये तो नई खनिज नीति लेकर आयेंगे और बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान के किसानों में जगी, राजस्थान के जवानों में जगी। यह हिन्दुस्तान और राजस्थान में बहुत अथाह सम्पदा है। हमारा मार्बल, कोटा स्टोन, धौलपुर-करौली का पत्थर, जोधपुर स्टोन, उदयपुर, जालौर, राजसमन्द, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का ग्रेनाइट विश्व प्रसिद्ध हैं। सभापति महोदय, इतिहास में भी मकराना के पत्थर का जिक्र हर जगह मिलता है। ताजमहल भी मकराना के पत्थर से बना है।

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार का और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अवैध खनन के मामले सबसे ज्यादा इस देश और राजस्थान के अन्दर बढ़े हैं। अवैध खनन को रोकने के प्रयास जगह-जगह किये गये और इसमें कई अधिकारी शहीद भी हो गये। उसकी गूंज भी पूरे देश के अन्दर रही। अवैध खनन रोकने के नाम पर उत्तर प्रदेश के अन्दर एक आई ए एस अधिकारी शहीद हो गये।

सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने 1,000 पदों की भर्ती खनिज रक्षा दल के नाम से, खनिज कांस्टेबल के लिए 1,000 पदों की भर्ती निकाली थी, एग्जाम भी हो गया और उनका फिजिकल और इंटरव्यू बाकी था, नियुक्ति बाकी थी। सरकार ने घोषणा पत्र के अन्दर यह बात रखी थी कि हम सरकार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के अन्दर आते ही उन 1,000 पदों को तो नियमित करेंगे, उनका इंटरव्यू कराकर उनको नौकरी देंगे। इसके साथ-साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए प्रदेश में विशेष सुरक्षा के बंदोबस्त किये जायेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, सवा साल निकलने के बाद भी उन 1,000 पदों की भर्ती को आर ए सी के अन्दर समायोजित करने की बात है। यह बात अभी भी कागजों के अन्दर रह गई। उनको अभी तक नियमित नियुक्ति, जो 1,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, उनको नहीं दी गई।

सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं, अवैध खनन रोकने के लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आप एक पूरी फोर्स तैयार करें और वह फोर्स ही अवैध खनन को रोकेगी। खाली माइनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर बैठकर अवैध खनन के नाम का समाचार दे दें या विज्ञापन जारी कर दें, तो उससे अवैध खनन रुकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अवैध खनन रोकने के लिए प्रयास करें।

सभापति महोदय, मेरे नागौर के अन्दर खींवसर और नागौर में विशेषकर लाइमस्टोन के अथाह भण्डार हैं और खींवसर-मेड़ता-नागौर के अन्दर पहले भी जे.के. सीमेंट जो कम्पनी है, उस जे.के. व्हाइट को सैकड़ों बीघा जमीन सरकार ने अलाट की और जे.के. व्हाइट लगातार वहां कई वर्षों से काम कर रहा है। कुछ राजनेता उसके अन्दर मिल लिये, ट्रांसपोर्ट के ठेके ले लिये और जे.के. व्हाइट ने, बहुत बड़ा लम्बा क्षेत्र था, उसके अन्दर अवैध माइनिंग लम्बे टाइम तक की। पी ए सी के अन्दर भी एक पैरा आया था और पी ए सी के अन्दर वह पैरा आज भी पेंडिंग है। करोड़ों रुपये उस जे.के. व्हाइट से वसूलने बाकी हैं। जब कोई एम ओ यू होता है और सरकार जिन शर्तों पर सीमेंट कम्पनियों को जमीन देती है, तो सीमेंट कम्पनियां भी उत्पादन के साथ-साथ, उस इलाके के अन्दर राजस्व वसूली सरकार को होती है और सीमेंट कम्पनियों का दायित्व भी होता है, उस इलाके में शिक्षा के, सड़कों के और उस इलाके के लोगों के विकास के अन्दर वे भागीदारी निभाती हैं। जे.के. व्हाइट ने पिछले कई वर्षों से उस सरकारी सम्पत्ति को तो नुकसान पहुंचाया, अवैध माइनिंग की और करोड़ों रुपयों का चूना राजस्थान की सरकार को लगाया, लेकिन उस इलाके के विकास में भी जे.के. व्हाइट का कोई योगदान नहीं है।

दूसरी अम्बुजा कम्पनी को लाकर, के ई सी कम्पनी को 1992 के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अन्दर मूंड़वा के पास, जो मेरे क्षेत्र में ही है, वहां अम्बुजा सीमेंट को अलाट किया, के ई सी कम्पनी को और के ई सी बाद में मर्ज हो गई और के ई सी ने दिया इंडो-निप्पोन; इंडो-निप्पोन, गुजरात अम्बुजा और अम्बुजा। सभापति महोदय, हजारों बीघा जमीन उनको दे दी और उन्होंने जमीन भी कैसे खरीदी, 15,000, 20,000, 40,000 और 50,000 रुपये बीघा में सरकारी रेट पर खरीदी और आज उस जमीन का वहां भाव है 40 लाख रुपये बीघा, 50 लाख रुपये बीघा।

(17.00 बजे)

उस एम ओ यू के अन्दर यह शर्त थी कि 2004 तक अंबुजा में लोगों को रोजगार देगा, उस इलाके का विकास करेगा, लेकिन, सभापति महोदय, 2004 के बाद छह-सात बार उसने टाइम बढ़ा दिया। मोटी रकम ये सरकार के अन्दर बैठे अधिकारियों और मंत्रियों तक पहुंचाते हैं और हर साल दो साल के लिए बढ़ जाती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चलत में सामूहिक रूप से इस प्रकार के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। आप इसलिए गम्भीरता अपनी कायम करें सदन में और गम्भीरता से बोलें। चलत में इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, अभी दिसम्बर, 2014 तक अंबुजा सीमेंट का एम ओ यू खतम हो रहा है और इन शर्तों पर एम ओ यू हुआ था कि हम 2004 तक रोजगार देंगे और 2004 से 2014 आ गई, अब वह एम ओ यू खतम हो गया। शर्तों का उल्लंघन किया है। अब फिर अगर उसको मिल जाता है तो यह चिंता का विषय है। बार-बार सस्ती दर पर जमीन खरीदी और उसको लैंड बैंक बनाकर के आगे-आगे आप बेचते गये और जो जमीन पन्द्रह हजार रुपये बीघा के अन्दर खरीदी, आज उस जमीन का भाव चालीस लाख रुपये बीघा है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सीमेंट ब्लाक आप खींवसर, नागौर और जिस इलाके के अन्दर कम्पनियों को दे रहे हैं, एक सीमेंट कम्पनी को आप दस स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक हजार बीघा जमीन कम से कम देते हो, उस एक हजार बीघा जमीन के अन्दर वह तीन हजार लोगों को रोजगार देती हैं, उसके बजाय, मेरे इलाके के अन्दर जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको भी ध्यान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है और सदन ने भी चिंता की थी और पचास दिन आंदोलन चला और सरकार के साथ बात होने के बाद सहमति बनी कि नई कमेटियां बना दी जाएं; जो खातेदार, हमारे इलाके के अन्दर लाइमस्टोन जिनके खेतों के अन्दर निकलता है, तो उनको खातेदारी के छोटे पट्टे दिये जाएं। सभापति महोदय, दो बीघा में भी एक भट्टे लग सकता है चूने का, लाइमस्टोन की दो बीघा जमीन और उस हिसाब से अगर भट्ठे लगाये जाएं तो चार सौ-पांच सौ भट्टे इस एक हजार बीघा जमीन में लगते हैं। एक भट्टे पर कम से कम साठ-सत्तर लोगों को रोजगार मिलता है तो पांच से सात हजार लोगों को, उस सीमेंट कम्पनी को जो जमीन देंगे, उसके बजाय छोटे खातेदारों को अगर लाइमस्टोन के पट्टे देते हैं तो किसान की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी।

सभापति महोदय, हमारे लोगों के पास कोई नहरी जमीन तो है नहीं और बात अपन हर बार करते हैं कि किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक करेंगे। चुनाव के अन्दर जाते हैं, सब लोग बात करते हैं और हम भी वोट इसी नाम पर लेकर आते हैं कि एक बार विधान सभा में भेज दो, वहां मामला उठा देंगे। अब यहां मामला उठाने की बात करें, हमें तो बोलने के लाले पड़ गये हैं। तो मामला उठकर के कौन-सा हो जाएगा।

हमने देखा है कि कितने गम्भीर मामले यहां उठे और मैं मांग करता हूं, आज सदन के अन्दर पहले खान आबंटन घोटाले की बात चली, पूर्ववर्ती सरकार के समय पर भी यह मामला उठा था और बार-बार हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी धमकाते रहते हैं इनको कि आपने भी घोटाला किया। तो हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप जांच करायें दोनों मामलों की और इस मामले में जो साढ़े सात सौ खानें, जब केन्द्र की नई खनिज नीति आ गई, नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने की आप बात कर रहे हो और ऐसी स्थिति में एक दिन पहले अगर साढ़े सात सौ खानें आपके खान विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी के और उसके तार, पता नहीं, कहां-कहां तक जुडे हैं उस मामले में कई नेताओं के तार जुडे हुए हैं इस घोटाले से। तो इस मामले के अन्दर आपको खान आबंटन की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी जो खान घोटाले हुए और इस सरकार के समय भी जो खानों का गलत आबंटन हुआ, इनको रद्द करे। राजस्थान का आम आदमी आपकी तरफ देख रहा है, इस राजस्थान का जवान आपकी ओर देख रहा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि नई जो खनिज नीति जनवरी के अन्दर आई है, उसमें कुछ जन-प्रतिनिधियों की राय ली जाती, उन विधायकों की राय ली जाती जिनके इलाके के अन्दर माइनिंग होती है, जहां खनिज की अपार सम्पदा है, लेकिन, सभापति महोदय, यह नहीं हुआ और...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जनता ने जिस उम्मीद से वोट डाला था, आज जनता अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मेरे इलाके की कुछ एक-दो प्रमुख समस्याएं हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे इलाके के अन्दर एक माडपुरा के अन्दर एमडब्ल्यू माइंस है। यह 335 हेक्टेयर जो पहले एन एम डी सी इसको चलाता था और एन एम डी सी ने 2009 के अन्दर एक प्राइवेट व्यक्ति को औने-पौने दामों में 335 हेक्टेयर जमीन दे दी कि आप खनन करें और वह व्यक्ति वहां पर काबिज है, वह कर रहा है। उसके अन्दर साठ प्रतिशत जमीन वहां के किसानों की है। सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी इस मामले को उठाया था।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपको पांच मिनट का समय दिया था, दस मिनट हो गये हैं अब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, सभापति महोदय। मंत्री जी विराजे हैं, इस एम डब्ल्यू माइंस जो एन एम डी सी ने उस प्राइवेट व्यक्ति को दी और उसमें 2009 के अन्दर दिल्ली से बहुत बड़ी सिफारिश... (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गोविन्द डोटासरा। समाप्त हुआ भाषण, माननीय सदस्य। श्री गोविन्द डोटासरा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, सभापति महोदय। मैं आपसे मांग करता हूं कि एम डब्ल्यू माइंस को निरस्त करके वापस एन एम डी सी खुद चलायें या उसके छोटे पट्टे काटकर के वहां के किसानों को खुली बोली के तहत करें।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिए आप। आप प्रतिष्ठा बनायें कम से कम। समय दिया है ना, आप विराज जायं। हां, गोविन्द डोटासराजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42, 43 और 9 के ऊपर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: समय सीमित है लेकिन, गोविन्दजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल सीमित में ही अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार आने के बाद में उद्योगों में बढ़ोतरी, निवेशकर्ता आये हैं, उद्यमियों से मंत्रीजी बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी बात कर रही हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो भू-राजस्व मद है वह पिछले वर्ष 168.62 करोड़ थी व इस वर्ष राजस्व कर में आपको 81.85 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ये 51.46 प्रतिशत कमी रही। स्टाम्प और पंजीयन में जो पिछले वर्ष में 1,677.22, ये अबकी बार इस वर्ष में 1,614.64; यानी 3.73 प्रतिशत की कमी रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आई ई एम में गिरावट आई है। गत वर्ष जुलाई तक राज्य सरकार को 27 औद्योगिक इकाइयों में केवल 2,772 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब हमारी सरकार थी तो 89 इकाइयों में 11,001 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन उद्योगों को मारने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन्होंने कैप्टिव पावर के शुल्क में जो बढ़ोतरी की है, प्रति यूनिट 40 पैसे विद्युत शुल्क बढ़ाने का काम किया है। इसमें सीमेंट उद्योग, जिसके लिए यह सरकार बहुत बड़ी चिंतित है कि सीमेंट उद्योगों को बढ़ावा देकर के हम बहुत बड़ा रोजगार का वह खोलेंगे, उसमें सीमेंट उत्पादन लागत प्रति टन 30 रुपये बढ़ गई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांति रखें। आपस में चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस सरकार ने जो वैट है उसको भी 14 से 14.5 प्रतिशत बढ़ाने का काम करके सीमेंट को भी महंगा कर दिया है और इस कैप्टिव पावर के प्लांट से कपड़ा इकाइयों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक रिफाइनरी का बहुत बड़ा मुद्दा था।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इससे हमें केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में 2 परसेंट राजस्व प्राप्त हो रहा है। अगर रिफाइनरी लग जाती है तो 5 परसेंट वैट के रूप में हमें प्राप्त होगा। 3 परसेंट का हमें नुकसान हो रहा है। वर्ष 2014-15 में केवल 2,751.04 करोड़ की प्राप्ति हुई है। हमने एच पी सी एल कम्पनी से 14.3.2013 को रिफाइनरी लगाने का एक एम ओ यू किया था लेकिन आज एक साल से भी ज्यादा समय होने के बाद में भी सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है और केवल यह कह रही है कि समीक्षा करने पर प्रस्तावित इन्टेंसिव वित्तीय भार को देखते हुए सलाहकार कम्पनी की नियुक्ति कर परियोजना का परीक्षण कराया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जब ये जवाब दें तो यह बतायें कि राजस्थान के अन्दर जो रिफाइनरी है...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय को सुनने दीजिए, डोगरा साहब। वैसे तो प्रभु के पास जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, परन्तु इतनी जल्दी क्या है? आप विराज जाओ।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आप तो घनश्याम हों, साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): मैं चाहता हूं कि हमारी जो रिफाइनरी है, उसको जल्दी से जल्दी यह बताने का कष्ट करें कि...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, ये प्रभु के पास दर्शन के लिए गये हैं। कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है।

श्री सभापति: मैंने और क्या कहा? मैंने कहा, प्रभु के पास...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भाव अलग था।

श्री सभापति: मैंने माननीय सदस्य से कहा कि प्रभु के पास जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह सारी प्रभु की लीला है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने कहा, इतनी जल्दी क्या है? वह भाव दूसरा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): घनश्याम की लीला कौन समझता है? सभापति महोदय, सृष्टि यह बताती है, धर्म ग्रंथ यह बताते हैं, सोलह कलाओं के निपुण सिर्फ घनश्याम ही थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसके बावजूद भी आपने लीला ठंडी कर रखी है।

श्री सभापति: मैं देख रहा हूं कि ये प्रभु की लीला मेरे पर ही हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, इसके बावजूद भी घनश्याम की लीला इन्होंने ठंडी कर रखी है। ये ज्यादा पावरफुल हैं संसदीय कार्य मंत्री।

श्री सभापति: वह भी कभी-कभी आएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है, उसी के इंतजार में हैं।

14.3.2013 से लेकर आज तक हमारी रिफाइनरी को अटकाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेइमानी की नीयत रखते हुए किया है और किसी अडानी, अम्बानी या टाटा को देने का ये विचार रखते हैं जो राज्य के हित में नहीं है।

हमारे उद्योग मंत्रीजी उद्यमियों से बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं बंद कमरे में, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो इनका प्रभाव उद्योगों के विकास में कोई लगा नहीं। रीको के शेयर बाजार में उतारने के लिए भी, सभापति महोदय, ये बहुत लालायित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप रीको के शेयर बाजार में उतारोगे तो आपको 224 करोड़ के सर्विस टैक्स का नुकसान होगा और ज्यादा से ज्यादा 135 करोड़ का लाभ हो सकता है। अगर आप दस परसेंट हिस्सेदारी दे दोगे तो इसको राज्य सरकार का हिस्सा नहीं मानकर के और जो वित्त मंत्रालय या सेबी जो छूट देती है वह छूट आपको नहीं मिलेगी।

एक दूसरा, सभापति महोदय, आर एस एम एम लिमिटेड के भी ये टुकड़े करना चाहते थे। इनकी नीयत ठीक नहीं थी लेकिन पूरे भारत में हल्ला हो गया, इनको पता लग गया कि तुम्हारी खैर नहीं है, पूरी जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने कम्पनी को तोड़ने का इरादा तो त्याग दिया, लेकिन जिस प्रकार केन्द्र में इनकी सरकार आई थी, उस समय हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को वेदान्ता ग्रुप को इन्होंने डिस्इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया था, बहुत बड़ा। अब ये इस कम्पनी एम एम टी सी को जो भारत सरकार की कम्पनी है, इसको, निवेदन करना चाहता हूं, इस कम्पनी को भी, आर एस एम एम को भी ये डिस्इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं; किसी अडानी, अम्बानी, टाटा को देना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका किस प्रकार से मैजरमेंट करेंगे कि इतनी इसकी सम्पदा है, क्या है, क्या नहीं है। इनके जो शेयर हैं पांच हजार एक शेयर का होना चाहिए, ये सौ रुपये में किसी टाटा, अम्बानी या अडानी को बेच देंगे। तो मैं समझता हूं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है।

खान में तो इन्होंने हद ही कर दी। माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि सरकार एक ट्रस्ट होती है और वह ट्रस्ट, आप तो भलीभांति जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, सभापति महोदय, हम सब ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी का यह धर्म बनता है कि हम सरकार की जो सम्पदा है उसको छिन्न-भिन्न नहीं करने दें, कुछ चंद लोगों के हाथ में नहीं जाने दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एम एम डी आर अमेंडमेंट आर्डिनेंस जारी हो गया 16.11.2014 को, भारत सरकार का एक निर्देश भी 30.10.2014 को इनको प्राप्त हो गया, उसके बावजूद ऐसी क्या आफत आ गई कि 12 जनवरी, 2015 को जो हमारी नयी खनिज नीति आई, जो अमेंडमेंट आया, उससे पहले इनको क्या आवश्यकता पड़ गई इतने सात सौ-साढ़े सात सौ खनन पट्टे देने की? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस पूरी सम्पदा का मालिक राजस्थान की प्रत्येक जनता है, उसका अधिकार है, वह यह जानना चाहती है कि इसमें हमारा फायदा क्या हुआ, स्टेट का क्या फायदा हुआ? कुछ चंद लोगों को, हो सकता है, फायदा हो गया हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई-कई पट्टे तो ऐसे हैं, माननीय सभापति महोदय, तीन दिन में इन्होंने पूरी प्रक्रिया ही कर ली; डिमार्केशन भी कर लिया और सारा का सारा काम कर लिया इन्होंने, वन विभाग की आपत्ति भी ले ली, कलक्टर की भी ले ली, खसरा मिलान भी कर लिया, राजस्व रिकार्ड भी मिलान कर लिया और तीन दिन में इस तरह से आनन-फानन में एक बहुत बड़ा दो हजार करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि हमारे ऊपर भी आरोप लगाये थे आपने। अभी कहेंगे, संसदीय कार्य मंत्रीजी तैयारी करके आये हैं काफी नीले पन्ने लेकर आये हैं, हमारे ऊपर जब आरोप लगाया तो हमने रोक दिया था; 2010 में हम चाहते तो, प्रक्रिया चालू कर दी थी, ये 19 ब्लाक थे, हम भी दे सकते थे लेकिन इस गरीब जनता का पैसा चंद लोगों के हाथ में नहीं देना चाहते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया था। आप काहे की बात कर रहे हों? आउट आफ कोर्ट जाकर आपने सेटलमेंट किया। आपने ए.जी. से नहीं पूछा, आपने कोई मापदंड नहीं देखे, आनन-फानन के अन्दर दे दिया और मंत्रिमंडल ने अप्रूव कर दिया। नहीं मानो तो कागज रख दूं मैं आपके सामने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले, माननीय सभापति महोदय, यू एन एफ सी 97 की गाइडलाइंस के तहत एरिया नोटिफाइड नहीं था। अभी 30.10.2014 को जो परिपत्र भारत सरकार का आया, जिसकी नालेज सब अधिकारियों को थी, सरकार को थी, मंत्रीजी को थी कि नहीं थी, मैं कह नहीं सकता, सीधे आदमी हैं; हो सकता है, इनको नहीं बताया हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक इतनी बड़ी चालाकी के साथ में इस तरह से चार बड़ी सीमेंट कम्पनियों को चौंतीस किलोमीटर से ज्यादा का एरिया सात सौ खानें, और एक तो हद हो गई सौ खानों के लगभग।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा एक्ट आया है, उसकी धारा 10सी में 11.1.2015 तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 12.1 को दिया तो वह बिलकुल ही अवैध है, बिलकुल ही नियम विरुद्ध है। इसमें भी करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मकराना की थी, जांच की गई, तीन अधिकारियों ने की और जिसने एफ आई आर लाज करायी थी वह ही बयान से मुकर गया और उसका नतीजा यह हुआ कि 18 करोड़ रुपये हमारे चले गये जो हमें आने चाहिए थे।

ये न अवैध खनन के प्रति अवेयर हैं। आज बाघों के घोषित बफर एरिया में डेढ़ साल से अवैध माइनिंग हो रही है सभापति महोदय, इन्होंने कोई रोकने का काम नहीं किया है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब इतना बड़ा घोटाला किसलिए हुआ; इसके बीच में कौन था; इसका बिचौलिया कौन था; यह प्रदेश की जनता, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आज जानना चाहेगी। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन बिचौलिया था, इतनी बड़ी नेग्लीजेंसी क्यों हुई, प्रदेश की दो हजार करोड़ की सम्पदा को किसने किसको लुटाया। ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी सीमेंट कम्पनी...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सेकंड लूंगा। एक बहुत बड़ी सीमेंट कम्पनी जिसका डाइरेक्टर लाइजनिंग भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एम एल ए रहा है और +++ इसलिए इस पूरे घोटाले की न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं, न्यायिक जांच होनी चाहिए और सारा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला है। (व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आई एम आन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये नाम लेकर आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) खाली अखबारों में छपाने के लिए...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये गैर जवाबदार बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार का इतना बड़ा मंत्री जिसका ...(व्यवधान) कम्पनी का। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, यह गोविन्द सिंह जी डोटासरा की आदत पड़ गई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। विराजिये आप। विराजिये।

माननीय सदस्य, डिमाण्ड पर बहस के समय, मांग के समय हम सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई बात कहें जो राजस्व के घाटे के सम्बन्ध में हो या फायदे के सम्बन्ध में हो, वह ठीक है, लेकिन अकारण जो सदन में उपस्थित नहीं हैं वह और जो सदन में मंत्री उपस्थित हैं जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, वह उन पर बिना नोटिस के आरोप लगाना अनुचित है और इसलिए मैं ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आरोप नहीं लगाया।

श्री सभापति: एक मिनट रुकिये आप। इसलिए जो नामजद इसमें आरोप आये हैं उनको आप निकाल दीजिये। अब आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा...

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कि वह डाइरेक्टर लाइजनिंग एक बड़ी सीमेंट कम्पनी के भारतीय जनता पार्टी के एम एल ए रहे हैं और हमारे +++ इसलिए शंका होना जाहिर है, शंका होना स्वाभाविक है, मैं शंका की बात कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं; मैं कह रहा हूं कि शंका होना स्वाभाविक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए प्रदेश की जनता यह जानने का अधिकार रखती है; प्रदेश की जनता, सभापति महोदय, यह जानने का अधिकार रखती है कि इस दो हजार करोड़ के घोटाले में कौन से राजनेता लिप्त हैं, कौन से अधिकारी लिप्त हैं, किस प्रकार से हमारे प्रदेश की गरीब जनता का पैसा है उसको लूटने का काम कर रहे हैं। इनको जानने का... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। आसन को अपनी व्यवस्था कायम रखना आता है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हुआ। जो मैंने कहा था और उसके बाद जो रिपीट किया, जिसमें नाम किया गया है, बिना नोटिस के नाम लेना अनुचित है। आप भाषण में यह कहें कि हमको इतने राजस्व की हानि हुई, इतना नुकसान हुआ, आप कह सकते हैं लेकिन आप बिना किसी नोटिस के किसी का नाम नहीं ले सकते। इसलिए वह अंकित नहीं हुआ, उसको निकाल दिया गया है। आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए, आसन ने व्यवस्था दे दी, वह अंकित नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी अनुमति हो तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: हां, बोलिए। एक मिनट, आपको उन आक्षेपों के बारे में तो स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अंकित ही नहीं हुआ है। उसके अलावा कोई बात आप कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 273 की तरफ दिलाना चाहता हूं। ''नियम 273. किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया- किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके...।''

सभापति महोदय, न तो इन्होंने आपको सूचना दी, न मुझे नोटिस दिया। आज ये सदन में यह कहते हैं कि एक कम्पनी का पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक जो मेरा मित्र हो, मैं समझता हूं, सभापति महोदय, सचेतक पद पर बैठे व्यक्ति को अगर इतना संसदीय ज्ञान नहीं हो और आप जैसे विद्वान व्यक्ति आसन पर विराजे हों। तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हम सब लोग आसन की गरिमा से बंधे हैं, आपको प्रताड़ित करना चाहिये, इनको रोकना चाहिये और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कार्यवाही से तो निकाल दिया पर सभापति महोदय, वे क्या बात करेंगे? सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जोधपुर की बात राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है। जोधपुर में इनके नेता, जो इनके सरपरस्त हैं, उसने जिस प्रकार अपने परिवार के लोगों को खान का बंदरबांट किया, दुनिया जानती है और, सभापति महोदय, मुझे अनुमति दें, मैं कच्चे चिट्ठे खोल सकूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आसन का ध्यान नियम 273 की ओर आकर्षित किया है।

माननीय सदस्यगण, मैं बताना चाहूंगा, इस सदन की बहुत वर्षों से लम्बी परम्परा रही है और इस सम्बन्ध में बहुत-सी व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष महोदय और आसन से आई हुई है। हम वाद-विवाद में चर्चा में सामान्य रूप से किसी बात पर चर्चा करें, वह चर्चा करते समय हम राजकोष हानि है, लाभ है, इसमें नुकसान हुआ है, इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं,

(श्री सभापति)

लेकिन किसी भी माननीय सदस्य को या माननीय मंत्री को जब तक हम उसके बारे में लिखित सूचना नहीं दें और लिखित सूचना का तात्पर्य यह है कि उनको सूचना देंगे तो उसका जवाब देने के लिये वे तत्पर रहेंगे। दूसरा, मानहानिकारक आरोप लगाने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा को आघात होता है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें।

जो प्रसंग आया, उसमें जो व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाये गये, वे मैंने कार्यवाही से निकाल दिये; मेरे भाषण समाप्त करने के बाद जो बात कही गयी, वह अंकित नहीं हुई, और बाकी जो भी असंसदीय है, दोनों तरफ से कही गई हो, उसको निकाल दीजिए।

अब मदन राठौड़ अपनी बात कहेंगे। व्यवस्था समाप्त।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: नो। मैंने समाप्त कर दी, मैंने नाम पुकार लिया, गोविन्दजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42, 43 और 9 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पूरा राजस्थान बजरी खनन और उस पर रायल्टी को लेकर परेशान है लेकिन आपको यह भी पता है और पूरे सदन को भी पता है कि जब पहले कांग्रेस का शासन था, 19 नवम्बर, 2013 को तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक इस प्रकार का सहमति पत्र दे दिया जिसके कारण से यह रायल्टी का दंश हमें भुगतना पड़ रहा है। यह कांग्रेस के द्वारा किये गये पाप, पूरे राजस्थान की जनता आज भुगत रही है। आज अलग-अलग जगह पर अलग अलग रायल्टी की दरें हैं। सभापति महोदय, ये लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनको अपने गिरीबान में झांकना चाहिये। सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संसदीय भाषा का प्रयोग करें। आसन की तरफ देखें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आसन की तरफ देखकर इनको सुनाना चाहता हूं।

श्री सभापति: अंगुली उधर कर सकते हैं, आप देखिए मेरी तरफ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, पहले जब कांग्रेस का शासन था तब इन्होंने न्यायालय में लम्बित होते हुए भी ऐसी 7 खानें नागौर में आबंटित कर दीं। इस प्रकार का राजस्व का नुकसान तो अपने यहां भी हुआ है और गबन-घोटाले यहां पर भी कांग्रेस के शासन में बहुत हुए।

मैं तो सीधा मांग पर आऊंगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंग़ा खान से बहुत रेवेन्यू प्राप्त होती है लेकिन वहां पर सड़कों की बड़ी दयनीय स्थिति है। जो लोग माइनिंग में काम करते हैं उनको पता है कि वहां पर किस प्रकार की सड़कें हैं और उन सड़कों के रखरखाव के लिए, सडकों के निर्माण करने के लिए पहले व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान सरकार को कि उन्होंने सड़कों के लिए भी राशि आबंटित की है।

सभापति महोदय, एक खान सुरक्षा महानिदेशक हैं जो धनबाद में बैठते हैं और वहां से एक आदेश जारी होता है कि खान सुरक्षा के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मैं यह छोटी-छोटी खानों के लिए बता रहा हूं। इस प्रकार का नोटिस वहां से जारी होता है कि वहां पर एम्बुलेंस भी रखें, वहां पर फायर बिग्रेड भी रखें; अब खान में फायर बिग्रेड की कहां जरूरत पड़ जाती है? और पालना भी रखें। इस प्रकार का निर्देश वहां से जारी होता है। नोर्थ जोन के अधिकारी वहां बैठते हैं गाजियाबाद में और हमारे यहां अजमेर में बैठते हैं जो इस प्रकार के निर्देश जारी करते हैं और छोटी-छोटी खानों को परेशान कर रहे हैं।

(17.26 बजे)

(श्री कैलाश मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

पूर्व सरकार ने सैस कर लगाया और वहां से सैस कर वसूलते जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह खानों के जो छोटे-छोटे उद्यमी हैं उनको परेशान करने का एक षड्यंत्र चल रहा है।

एनवायरनमेंट क्लीयरेंस की बात आती है, सभापति महोदय, ये करते कुछ नहीं हैं ...(व्यवधान) हां, अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान थोड़ा उधर रह गया था। अध्यक्ष महोदय, यह जो ई सी प्राप्त करने में समस्याएं हो रही हैं, वास्तव में वहां पर खान जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है, उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता नहीं है। कागज में पूर्ति करने के लिए, अधिकारियों को खुश करने के लिए इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाई हुई है, मैं सोचता हूं कि इससे छोटे-छोटे खान मालिकों को निजात दिलानी चाहिये।

(श्री मदन राठौड़)

मैं यह भी चाहूंगा, ई एस आई जिस प्रकार से उद्योगों को कवर करती है, एम्प्लायीज के लिये बीमा होता है, इस प्रकार का माइनिंग पर भी हो सके, जब सैस वसूल कर रहे हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था भी वहां पर हो जाये तो मैं सोचता हूं कि यह ठीक रहेगा।

जो कच्चा माल है उसका उपयोग यहां पर किया जा सके, इस प्रकार के उद्योग यहां पर लगायें। क्योंकि कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहेगा तो वह यह चाहेगा कि अवेलेबिलिटी आफ द रा मैटेरियल्स, जहां रा मैटेरियल अवेलेबल है तो वहां पर वह उद्योग लगाना चाहेगा। फिर स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, वह यदि वहां उपलब्ध हैं तो वहां पर उद्योग लगाना चाहेगा; नीयर द मार्केट भी वह चाहेगा। यहां पर लाइम का प्रचुर भंडार है, यहां पर लाइम के ब्रदर मिनरल, सिस्टर मिनरल भी बहुत हैं; वे उद्योग यहां लगाये जा सकते हैं। यहां पर कांच बनाने के कारखाने लग सकते हैं; बैंगल्स बनाने के कारखाने यहां लग सकते हैं; टाइल्स बनाने के कारखाने यहां लग सकते हैं; एपेरेटस बनाने के कारखाने भी लग सकते हैं; चूड़ियां, आदि बनाने के भी लग सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास होना चाहिये।

माइनिंग में काम करने वालों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन हमारी सरकार ने मार्बल पाउडर्स पर जो टैक्स हटाया है, मैं सोचता हूं, इसका भी निश्चित रूप से उपयोग होने लगेगा। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिये।

यह जो ट्रांसफर करने की समस्या है, उसको भी सरलीकृत किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज के अख़बार में भी मैंने पढ़ा था कि पूर्व मंत्री की पुत्र वधू को भी इन्होंने 27 जनवरी, 2012 को गैर-कानूनी तरीके से आबंटित कर दी। अरावली में किसी भी प्रकार की खान आबंटित नहीं हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उन निर्देशों की अवहेलना करके इन्होंने पहले जो मंत्री थे उनकी पुत्र वधू को खान आबंटित कर दी। ऐसे गलत काम इन्होंने कर दिये। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में लम्बित रहते हुए भी इन्होंने ऐसी खानें आबंटित कर दीं।

जिस प्रकार की ये बात कर रहे थे, अभी वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे थे, यह 2010 से चल रहा है। यह तब से चल रहा

(श्री मदन राठौड़)

है। यह प्रक्रिया उस समय से इनकी चल रही है। जब तक कोई नया अध्यादेश लागू नहीं हो जाए, तब तक तो यह पूर्व नियम-कायदे हैं, वे लागू ही रहेंगे। उन नियम-कायदों का पालन करते हुए यदि कोई आबंटन हुआ है तो मैं सोचता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, वन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम वन को बचाना चाहते हैं तो जूली फ्लोरा का और निस्तारण करना चाहिए। यह अंग्रेजी बबूल है, यह किसी भी वृक्ष, पौधे को पनपने नहीं देता। वन के अन्दर कोई जानवर भी नहीं जा सकता। जब यह जूली फ्लोरा हो जाएंगे, अंग्रेजी बबूल, यह पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। इसको समाप्त करने का निर्णय वन विभाग को लेना चाहिए। यह सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वनों में अवैध खनन हो रहा है। कई बार रास्ते में हम जाते हैं तो मैंने देखा कि लोग गधों पर, जानवरों पर गेलसाइट और वेलेस्टोनाइट लादकर लाते हैं और मेन रोड पर इकट्ठा कर लेते हैं। जब कभी भी माफिया लोग आते हैं, अपने वाहन पर भरकर, अपने काम में लेते रहते हैं। इस पर भी निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। यदि बहुत कीमती मिनरल है तो इसके आबंटन की प्रक्रिया भी सरल की जा सकती है, उसका दोहन भी किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वन बंधु कल्याण योजना हमारी सरकार ने लागू की थी, यह हमारी सरकार ने की थी कि किस प्रकार से वनों की रक्षा की जा सकती है। वनों की रक्षा करने के लिए कहीं उन्हीं के लोगों को, वहां निवास करने वाले लोगों को ही नियुक्त करके वन बंधु का नाम दिया। मैं सोचता हूं कि परसों यहां पर माननीय सदस्य कांग्रेस के बोल रहे थे....

श्री अध्यक्ष: आसन को सम्बोधित कीजिए, आसन को सम्बोधित।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको तीन वर्ष से अधिक समय तक, वन अधिकारियों को, अधिकारी स्तर के लोगों को तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वहां पर दुरुपयोग होने की सम्भावनाएं रहती हैं। जैसे लेपर्ड कंजरवेशन की एक योजना बन रही है, जो आरक्षण किया जा रहा है, हमारे इलाके के लोगों को बहुत बड़ी समस्या से सामना करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह समस्या बोलकर समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक अपनी बात मुझे बोलनी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोलना नहीं; आप समस्या बोल लीजिए, फिर समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह बताना चाहूंगा कि वन्य जीव किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसको थोड़ा-बहुत मुआवजा दे देते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। मुआवजा किसी व्यक्ति के परिवार को चला नहीं सकता है। इसके लिए तारबंदी की जानी चाहिए ताकि वन्य जीव भी किसी का नुकसान नहीं कर सकें। वन्य जीवों की रक्षा भी करना चाहते हैं, यह बात भी बिलकुल सही है, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जैसा अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आपने किया क्या है, मैं आपको बताऊं, सिंगल विंडो स्कीम हमने आनलाइन की है और उसका फायदा यह हुआ है कि 13 दिसम्बर, 2013 से 31 अक्टूबर, 2013 तक 35 अरब 50 करोड़ 77 लाख रुपये के एम ओ यू हुआ हैं। ऐसे 54 निवेश के प्रस्ताव यहां पर आये हैं। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने का काम भी राजस्थान की वर्तमान सरकार ने किया है। मैं सोचता हूं कि बहुत बढ़िया काम किया है। सब काम आनलाइन हो रहे हैं, टैक्स भी आनलाइन जमा होगा, रिफंड भी आनलाइन मिलता रहेगा, यह बहुत अच्छी बात है। इससे निश्चित रूप से कई निवेशक राजस्थान में आकर अपना निवेश करना चाहते हैं। पूर्व सरकार ने कई बार निवेदन किया लेकिन उन पर किसी का विश्वास नहीं था और निवेशक आये नहीं। वसुन्धराजी पर पूरा विश्वास है और निवेशक आ रहे हैं। रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से भी यहां आकर निवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से सम्पन्नता आएगी, पर-कैपिटा इन्कम बढ़ेगी। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का और आदरणीया वसुन्धराजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)

श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 9, 42 और 43 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र चम्बल, कालीसिंध व पार्वती नदियों से घिरा हुआ होने के कारण, इन नदियों के कारण बड़े-बड़े जंगल जो नदियों के किनारे विकसित हैं, उन पर लगातार अवैध कटाइयां होती हैं। कोयले बनाने वाले लोग अवैध रूप से कोयला बनाते हैं। जिस प्रकार की प्रभावी मानिटरिंग वन विभाग की होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती।

चम्बल नदी घड़ियाल अभयारण्य होने के कारण दोनों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में जंगल हैं। उन जंगलों में काफी बड़ी संख्या में वन्य जीव, रोजड़े, हिरण और जंगली सुअर रहते हैं। अवैध कटाई के कारण इन जंगली जीवों का वहां के स्थानीय किसानों की फसलों पर लगातार नुकसान करने का दबाव बना रहता है, जिसके कारण किसानों को दिन-रात अपनी फसलों की रखवाली करनी होती है। इस सारी स्थिति के बाद, चूंकि नदियों का क्षेत्र होने के कारण, इस क्षेत्र में अवैध रूप से रेती निकालने का कार्य भी होता है। विशेषकर चम्बल नदी में अवैध रूप से रेती निकालने के लिए ऐसे माफिया गिरोह पनपे हुए हैं। इनकी वाइल्डलाइफ के अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठ-गांठ होने के कारण वे 15 दिन में या महीने में एक बार समयानुसार क्षेत्र में आते हैं और अपनी चौथ वसूली करके चले जाते हैं। उन्हें जो टारगेट पूरा करना होता है, उस टारगेट के लिए ऐसे भोले-भाले किसान जो अपने व्यक्तिगत कामों के लिए रेती निकालकर लाते हैं, उन्हें उनके फोरेस्ट कानूनों का सामना करना होता है और भारी जुर्माना सहन करना पड़ता है।

जंगलों की कटाई से इस क्षेत्र में जहां पशुओं की बहुतायात किसानों पर आती जा रही है, उसी के आधार पर वन्य जीवों के आने-जाने के लिए यहां एक कोरिडोर के विकास की आवश्यकता है। मेरे इस क्षेत्र में वर्ष 2010 से रणथम्भौर बाघ परियोजना से एक बाघिन टी-35 लगातार पांच वर्षों से यहीं विचरण कर रही है। इस बाघिन को सरिस्का परियोजना में ले जाने के लिए लगातार प्रयास किये गये लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, रणथम्भौर राष्ट्रीय बाघ परियोजना में बढ़ते हुए बाघ मुकन्दरा हिल्स में अपना घर बना सकें, इसके लिए सरकार द्वारा मुकन्दरा हिल्स को बाघ परियोजना क्षेत्र घोषित किया गया है लेकिन रणथम्भौर से मुकन्दरा तक बाघ

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

के आने के रास्ते को विकसित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। रणथम्भौर से मुकन्दरा तक जाने के लिए बाघ व अन्य वन्य जीवों का एक मात्र मार्ग कालीसिंध नदी व उसके आसपास का क्षेत्र ही उपयुक्त रास्ता हो सकता है जिसे मुख्य कोरिडोर के नाम पर विकसित किया जा सकता है।

कोरिडोर कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करने का भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 36-ए में प्रावधान है एवं कोरिडोर नष्ट नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन प्राधिकरण की है। कन्जर्वेशन प्लान बनाने की नियमों में बाध्यता है किन्तु राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक यह प्लान बनाया जाकर भारत सरकार से अनुमोदित भी नहीं करवाया गया है, जबकि इस अवधि को लगभग दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्लान अनुमोदित नहीं होने के कारण अभी भारत सरकार से प्रोजेक्ट के विकास हेतु राशि भी नहीं मिल रही है। भारत सरकार द्वारा केवल टोकन मनी के रूप में राशि दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइगर कंजर्वेशन प्लान में यह आवश्यक है कि कोरिडोर के विकास की योजना भी उसमें सम्मिलित की जावे लेकिन विभाग ने ऐसा कोई प्लान इसमें सम्मिलित नहीं किया है। भारत सरकार के वन्यजीव अधिनियम की धारा 38-IV (3) के बिन्दु संख्या 4.10 में यह बताया गया है कि कोरिडोर के विकास हेतु आप क्या-क्या कार्य सम्मिलित कर सकते हैं। इस एक्ट में लिखा है कि कोरिडोर को विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों में ऐसी कोई योजना नहीं होती है, इसलिए वन्य जीव एक्ट के अन्तर्गत इसे विकसित करने और टाइगर कंजर्वेशन प्लान में भारत सरकार से राशि मांगने का प्रावधान है। क्षेत्र के आसपास निवास कर रहे स्थानीय लोगों को रोजगार का नुकसान न हो, इसके लिए भी एक्ट में कोरिडोर आजीविका हेतु धारा 38-IV (2), (3)(B) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। कोरिडोर में जन हित के कार्यों पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई ऐसा कार्य, जिसका एक्ट में प्रावधान नहीं है किन्तु जन हित में यह कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिडोर बनने के बाद हम इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर सकते हैं। वर्तमान में इस मार्ग

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

पर उदपुरिया गांव पड़ता है जहां पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। इस स्थान को भी पर्यटक स्थल घोषित किया जा सकता है। कोरिडोर विकसित होने के बाद कालीसिंध और आसपास के क्षेत्र में फ्लड रुकेगी, पानी का दोहन नहीं होगा तथा भूजल स्तर भी बढ़ेगा। कोरिडोर के बाद बाघ के आने-जाने का रास्ता सुलभ हो जायेगा जिससे अन्य वन्य जीवों द्वारा फसलों को पहुंचाये जा रहे नुकसान पर भी अंकुश लगेगा। ग्रामीणों के पशु व जानवरों के मरने पर उन्हें मुआवजा भी देय होगा, जिसके लिए राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। यदि कोरिडोर का विकास नहीं किया जाता है तो मुकन्दरा जिस उद्देश्य से बनाया गया है वह कभी पूरा नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में माननीय वन मंत्री द्वारा कहा गया कि कोरिडोर विकसित करने से पूर्व हम मुकन्दरा के गांवों को विस्थापित करेंगे। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि कोरिडोर विकसित करने का कार्य गांवों के विस्थापन से पहले का है, न कि बाद का। वर्तमान में मुकन्दरा में अपने आने का रास्ता वन्य जीवों के लिए बूंदी में रामगढ़ का है एवं रामगढ़ में एक बाघ विचरण कर रहा है। इसके बीच का क्षेत्र खान एरिया होने के कारण इस मार्ग से वन्य जीवों को मुकन्दरा आने में ही लगभग 200 वर्ष लग जायेंगे। इस प्रकार, रणथम्भौर परियोजना से वर्ष 2003 में ब्रोकन टेन टाइगर इस क्षेत्र में आ गया था, जो मुकन्दरा हिल्स में कुछ दिन रहा एवं रास्ता भटक जाने के कारण रेल की पटरियों के बीच आ गया, जिसकी रेल से टकराने के कारण मृत्यु हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब बिन्दु मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं कि यदि कोरिडोर का विकास नहीं किया गया तो ऐसे न जाने कितने वन्य जीव रास्ता भटक जायेंगे और ग्रामीणों को फसलों का जो नुकसान हो रहा है, जानमाल की जो हानि पहुंचेगी, जानवरों का शिकार करेंगे एवं एक दिन खुद ही शिकारियों का शिकार हो जायेंगे। भारत सरकार बाघों की गिरती हुई संख्या के प्रति चिन्तित है एवं इनकी संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं चला रही है। ऐसी स्थिति में हम अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, यह सोचने का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकन्दरा राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य में वन्य जीवों का आवागमन हो सके, इसके लिए पहले कोरिडोर का विकास किया

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

जावे। इसके लिए मैं गागरोन से लेकर कालीसिंध के चम्बल नदी में मिलने तक के एरिये का कोरिडोर के रूप में शीघ्र ही विकास करने की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सारा देश पर्यावरण के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहा है, जहां हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार व राजस्थान सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नि:शुल्क पौधे वितरित कर रही हैं एवं वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोटा थर्मल पावर स्टेशन की लापरवाही के कारण चम्बल नदी में बहने वाले आयल के कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ और यहां तक ही नहीं, पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह एक चिंता का विषय भी बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले आयल के चम्बल नदी में मिलने से होने वाले नुकसान पर हम इस सदन में लगातार चर्चा करते रहे हैं एवं अन्य माननीय सदस्यगण ने भी इस बिन्दु पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। मैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इस गम्भीर लापरवाही के लिए अपनी ओर से चिन्ता व्यक्त करता हूं। साथ ही, डाउन-स्ट्रीम में उलटी दिशा में बहने वाले किशोरपुरा मुक्तिधाम से तैरता हुआ मोजी बाबा की गुफा, चम्बल गार्डन, गोदावरी धाम, भतरिया कुण्ड, अकेलगढ़ वाटर फिल्टर प्लांट, तिलम संघ, हैंगिग ब्रिज साइड को पार करता हुआ भंवरकुंज तक यह आयल पहुंच गया है और गैपरनाथ घाटी में भी इस आयल के कारण से नुकसान होने की सम्भावना प्रतीत होती है। माननीय सभापति महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: सभापति नहीं, अध्यक्ष हूं। आप अपना वक्तव्य समाप्त कीजिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): एक सेकंड, साहब।

श्री अध्यक्ष: एक सेकंड दिया।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आयल के समय रहते नदी से निकालने के प्रयास किये जाते तो शायद यह आयल इतनी दूर तक नहीं फैलता। थर्मल प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा नावें और बोट लेकर आयल को निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि थर्मल प्रशासन द्वारा प्रयास किये ही नहीं गये। इस आयल से जलीय जीव-जन्तुओं को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही भंवरकुंज में आयल के चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में पहुंचने के कारण अन्य वन्यजीवों को आगे भी नुकसान होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष: हो गया एक मिनट आपका, विराजिये अब।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली। मैंने आपको पुकारा था, आप नहीं थे, फिर भी आप...।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदयजी, आपने मेरे विलम्ब से आने के बावजूद भी समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सुबह से लिफ्ट खराब थी, मुझे पैदल आना पड़ा, थोड़ा टाइम लग गया। इसलिए क्षमा करें।

जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर 1944 में पहली हड्डी मिल लगी, जिसमें दो हजार लोग काम करते थे। हैवी इंडस्ट्रियल एरिया तभी से शुरू हुआ। आज हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी प्लाट खाली नहीं है। सारी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई हैं और जोधपुर का आज एक्सपोर्ट, इण्डस्ट्री का राजस्थान में नम्बर वन हो गया है, सिवाय अलवर को छोड़कर। उसका कारण यह है कि जोधपुर में स्टेनलेस स्टील के 400 कारखाने लगे हुए हैं; 400 स्टेनलेस स्टील के और 200 कंटेनर बनाने के लगे हुए हैं। इस कारण से एशिया में सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील, पाटा का उद्योग जोधपुर में है। उसी तरह से ग्वारगम का पाउडर, सारे एशिया में सबसे बड़ा पाउडर बनाने वाला जोधपुर सेण्टर है और जोधपुर सेण्टर ने कीर्तिमान स्थापित किया है और भारत सरकार ने बार-बार जोधपुर को इसके लिए अवार्डस दिये हैं। इसी प्रकार से हैंड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री, काटन टैक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, कम से कम दो हजार यूनिट लगी हुई हैं और आजकल तो पाली से भी यूनिट पानी की कमी के कारण जोधपुर में आ रही हैं, क्योंकि जोधपुर में पानी की कोई कमी नहीं है गंगनहर के कारण।

मान्यवर, मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में बोलूंगा। सबसे पहले तो पिछले दस सालों में कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया है। माननीय भैरोंसिंहजी ने जोधपुर में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, उन्होंने जिस तरह से हस्तशिल्प के लिए अलग से दीर्घा बनाई, और राज्य सरकार ने भी पहले कहा था कि हम यहां पर हैंड प्रोसेसिंग टैक्सटाइल के लिए डिजाइन सेंटर और मार्केटिंग सेंटर बनाएंगे, अभी तक नहीं बना है। जोधपुर में दस इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिनमें प्लाट्स नहीं हैं, सारे प्लाट्स भरे हुए हैं और स्ट्रिप आफ लैंड सब लोगों ने यूज की है। उसकी भी रीको ने बहुत सहृदयता

(श्री कैलाश भंसाली)

के साथ में बिना ब्याज और पैनल्टी के परमिशन दी है। भूरा नाडा में एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, परन्तु एस.ई.जेड. का जो एरिया है, उसमें अभी हैंड प्रोसेस वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले नहीं आये हैं; जगह खाली पड़ी है। मेरा निवेदन है कि वह काफी बड़ा एरिया है और उसमें जो भी इंडस्ट्री वाला लेना चाहे, उसको वह नीलामी करके आबंटन किया जाए तो जोधपुर के जो नये उद्योगपति आना चाहते हैं, या जो स्किल्ड लेबर को लेकर, या इंजीनियर्स, एम.बी.ए. यूनिट लगाना चाहते हैं, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से मण्डोर इंडस्ट्रियल एरिया, तिंवरी इंडस्ट्रियल एरिया और नाहरी का नाका इंडस्ट्रियल एरिया, इनको भी बढ़ावा मिलेगा।

जोधपुर में अभी इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी मंदी चल रही है। उसका कारण है कि विदेशों में पाउडर की कमी, ग्वार-गम पाउडर की कमी है, बाहर मांग हो गयी है क्योंकि उसमें दूसरे प्रोडक्ट्स आ गये हैं। जोधपुर के लिए, नए उद्योगों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई न कोई और इंडस्ट्रियल एरिया माननीय उद्योग मंत्रीजी बनाएं। बहुत समय हो गया है, हम बार-बार कह रहे हैं; सारे इंडस्ट्रियल एरिया आज के जितने भी, बासनी इंडस्ट्रियल एरिया हो, जोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया का हो, सब यही बार-बार मांग कर रहे हैं।

सरकार जोधपुर में एक बड़ा उद्योग सरकारी क्षेत्र का भी लगाए जिसमें कम से कम पांच हजार लोगों को रोजगार मिल सके।

इसी तरह से बाड़मेर के पचपदरा में जो रिफाइनरी आ रही है, मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसमें रुचि लेकर 26 परसेंट जो एच.पी.सी.एल. के साथ समझौता हुआ है, उसको रिवाइजड करके, नेगोशिएशन करके जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा करें क्योंकि जोधपुर की जनता, पश्चिमी राजस्थान की जनता, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए उसको महत्व देना चाहती है। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

रीको के कोई बड़े अधिकारी पिछले 14 महीने में नहीं आये हैं, न एम.डी. साहब आये हैं और न कोई बड़ा अधिकारी आया है जो जोधपुर के उद्योगों की समस्या को सुन सके। बार-बार लोग जयपुर आते हैं, डेलीगेशन लेकर आते हैं, मैं भी आता हूं, कन्वर्जन का बहुत सारा काम पड़ा है। जयपुर में तो जे.डी.ए. के हिसाब से सारा कन्वर्जन हो गया परन्तु जोधपुर में अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है। लोगों की तीन-तीन साल से फाइलें पड़ी हुई हैं। लोगों

(श्री कैलाश भंसाली)

का, आपस में भाइयों का बंटवारा हो गया है परन्तु उनके कागजात नहीं बन रहे हैं। इसलिए मेरा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि इस कार्य को वे शीघ्र कराएं।

जोधपुर में हैंड-प्रोसेस का मेगा मार्केट तैयार होना है। उसमें भी सरकार कुछ जल्दी करे।

जोधपुर का सबसे बड़ा उद्योग छीतर पत्थर का है जिसमें तीन लाख मजदूर काम करते हैं और सारे जोधपुर का मिर्ची बड़ा सुबह के नाश्ते में छीतर पत्थर की खानों में काम करने वाले श्रमिक खाते हैं। जोधपुर की इकोनोमी की वह एक बहुत बड़ी धरोहर है, जहां आजकल साफ्ट स्टोन होने के कारण पालिशिंग स्टोन का भी सारे विश्व में मार्केट बन गया है। जयपुर में भी उसके अच्छे बंगले बनते हैं। उनमें वह स्टोन लगाया जा रहा है।

सी.ई.टी.पी. जोधपुर में एक ही है। सरकार उसमें बहुत रोड़े अटकाती है। कुछ सुविधा आप दें। मेरा निवेदन है कि सरकार स्वयं एक बड़ा सी.ई.पी.टी. टैंक लगाए और उस टैंक में सारी प्रोसेसिंग को, क्योंकि पाली से बहुत से उद्योगपति यहां पर आ गये हैं परन्तु उनको अभी कंसेंट लैडर नहीं मिले हैं। वे उद्योग चला रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस बहुमूल्य निधि की सेविंग करे। यहां पानी के स्तर को देखते हुए कोई प्राब्लम नहीं है, 100 के.एल. कैपेसिटी के अनापत्ति पत्र जारी किये जाएं।

दिल्ली-मुम्बई जो अपना कोरिडोर बन रहा है उसमें जोधपुर को लाभ मिले और इंटरनेशनल एरयपोर्ट यहां पर बनाया जाए।

खनिज मंत्री साहब से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि जो पत्थर उद्योग में लोग लगे हैं, उनको सोराइसिस की बहुत बीमारी हो रही है।

सारी जो खानें खुद रही हैं, उनमें सारा जोधपुर का पानी आ जाता है। तो तालाब सूख गये हैं। मेहरबानी करके इनको वापस भराने की कोई व्यवस्था करेंगे, सारा पानी तालाबों में आ जाएगा तो जोधपुर में पानी की मात्रा और अच्छी हो जाएगी।

इसी प्रकार से जोधपुर के बाईजी तालाब, गुलाब सागर, फतेह-सागर, रानीसर, पदमसर में बहुत अधिक सम्भावना है पर्यटन उद्योग के लिए। तो आप कृपा करके जोधपुर के इस उद्योग को, पर्यटन उद्योग को आगे ले जाने में मदद करें और उनकी सारी समस्याओं का समाधान सरकारी लेवल पर हो।

(श्री कैलाश भंसाली)

एग्रीकल्चर लैंड का कन्वर्जन करने का काम अगर सुलभ हो जाए, जोधपुर में ही कोई आकर अनापत्ति पत्र दे दें तो उद्योग-धंधों का जबरदस्त विकास होगा। जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां पर सारी दुनिया से पूरे ट्यूरिस्ट आते हैं और हैंड प्रोसेसिंग के सामान लेने वाले आते हैं। बहुत बड़ा आज जोधपुर का एक्सपोर्ट दस हजार करोड़ का है। हस्तशिल्प का एक्सपोर्ट ही केवल 1,500 करोड़ का है जो दो हजार से तीन हजार करोड़ रुपये तक का हो सकता है, अगर उसको सुविधा दे दी जाए, और एग्रीकल्चर लैंड को तथा स्किल्ड लेबर को और विशेषकर खाती को, उनका जो वैट लगाया है, 5 परसेंट हस्तशिल्प पर, वह वापस लिया जाए, सरकार से ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। यह जोधपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है। वे लोग यहां पर आये भी हैं परन्तु उनका यह काम नहीं हुआ।

मैं फिर निवेदन करता हूं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से कि वे इसमें रुचि लेकर जोधपुर के आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में अपना महत्वपूर्ण, सारा जोधपुर आपको हमेशा याद रखेगा। जोधपुर के लिए और भी काफी संभावनाएं हैं। टेक्निकल डिजाइनिंग सेंटर जोधपुर में भारत सरकार ने खोलने का निर्णय लिया है, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराएं तथा सरकार को उसमें जो भी उसका हिस्सा देना है, 15 परसेंट, वह दें।

इन सब बातों को मैं विनम्र निवेदन के साथ हमारे उद्योग मंत्रीजी, खनिज मंत्रीजी, और वन मंत्रीजी से दो-तीन मेरे निवेदन हैं कि जोधपुर की सारी पहाड़ियों पर सारी कच्ची बस्तियां बस गयी हैं और अतिक्रमण हो गये हैं। इनको अतिक्रमण-मुक्त कराएंगे तो जोधपुर का औद्योगिक विकास भी होगा और उसके साथ-साथ में जो कच्ची-बस्तियों के साथ में गदंगी फैल जाती है, स्वच्छ भारत के निर्माण में, स्वच्छ भारत का जो नरेन्द्र मोदीजी का नारा है और स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लोगों के लिए उद्योग-धंधे पनपाने में बड़ी मदद मिलेगी।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सैनीजी, चार मिनट हैं, अगर आप बोलना चाहें तो। छह बजे मैं मंत्रीजी को पुकार लूंगा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): चलो, सर, दो मिनट में ही।

श्री अध्यक्ष: हां, आपकी पार्टी की तरफ से चार मिनट हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी टाइम दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। छह बजे मंत्रीजी जवाब देंगे। सवेरे ही कह दिया था मैंने। आप बोलिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): टेबल करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। हां, टेबल कर दो।

(माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (रामगंजमण्डी) द्वारा मांग संख्या 42, 43 व 9 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-42, मांग संख्या-43 एवं मांग संख्या-9 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा..(व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, टेबल कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: यस, टेबल कर सकते हैं।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): थैंक यू।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) द्वारा मांग संख्या पर 42, 43 व 9 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): खनिजों की उपलब्धता एवं व्यावसायिक दोहन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 79 खनिजों का खनन हो सकता है,...

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर ले लो।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उनमें से इस प्रदेश में लगभग 57 खनिज उपलब्ध किये जा रहे हैं, या तैयार किये जा रहे हैं जिनमें से लेड, जिंक, वोलेस्टोनाइट, केल्साइट, सेलेनाइट व जेस्पार का शत-प्रतिशत तथा सिल्वर, जिप्सम, आकर, राक फास्फेट, बाल क्ले, टेल्क-सोपस्टोन, स्टेटाइट व फेल्सपार के उत्पादन में राज्य का प्रमुख स्थान है।

श्री अध्यक्ष: यह भी रिकार्ड पर ले लीजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 23 सीमेंट के प्लांट स्थापित हैं जिनमें 34.10 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन कर राज्य सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है। अप्रधान खनिजों में मार्बल एवं ग्रेनाइट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में पाई जाती हैं तथा कोटा स्टोन एवं सैंडस्टोन उत्पादन में भी राज्य का देश में अग्रणी स्थान है। इन पत्थरों की देश तथा विदेश में काफी मांग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में भी 245 लीजें आबंटित की हुई हैं। उनमें 24 प्रधान लीजें हैं तथा 221 अप्रधान लीजें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लीजों के माध्यम से राजस्थान सरकार को जितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, उसका डेढ़ प्रतिशत रेवेन्यू...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गोपालजी का भी ले लीजिए। रिकार्ड पर ले लीजिए।

(माननीय सदस्य श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) द्वारा मांग संख्या 42, 43 व 9 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): केवल खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश का रेवेन्यू आ रहा है, उसमें लगभग आकड़ों में अगर हम जाएं तो 3,566 करोड़ रुपये रेवेन्यू खनिज के माध्यम से राजस्थान सरकार को उपलब्ध हो रहा है। उसमें से करीब 4 करोड़ 11 लाख 33 हजार रुपये वार्षिक खनिज के माध्यम से अकेले खेतड़ी से राजस्थान सरकार वसूल रही है। दूसरा, इसी क्षेत्र में पिछली साल वित्त वर्ष 2014-15 में रायल्टी का ठेका करके राज्य सरकार ने 33 करोड़ का केवल, और केवल, पत्थर का रायल्टी का ठेका विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न खनिजों से, जो यातायात के वाहन चलते हैं, उनसे रायल्टी के रूप में प्राप्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आर.एस.टी. को नहीं एड करते हैं, नहीं जोड़ते हैं, उसके अलावा केवल रायल्टी और खनिज से प्राप्त रेवेन्यू, अकेले खेतड़ी से करीब 40 करोड़ रुपये वार्षिक पैदा राजस्थान सरकार कर रही है, प्राप्त कर रही है। तो पिछले 2005 से पहले के वर्षों में मैं नहीं जाऊं, 2005 के बाद चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बी.जे.पी. की रही हो, उस विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में रेवेन्यू के, खनिज के माध्यम से जो वहां के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह 40 करोड़ रुपया

(श्री पूरणमल सैनी)

वार्षिक के गुणांक से जोड़ें तो 2005 से 2015 के बीच में केवल दस वर्ष का रेवेन्यू 400 करोड़ के लगभग राजस्थान सरकार ने प्राप्त किया है।

(18.00 बजे)

लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिजों में यातायात के कुप्रबन्धन से तथा उनके बहुत ज्यादा बहाव से बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद, वहां की टूटी सड़कों का बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अब माननीय गजेन्द्र सिंहजी, उद्योग मंत्री बहस का जवाब देंगे।

एक माननीय सदस्य: आप टेल पर पहुंच ही नहीं रहे हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: टेबल कर दीजिये। स्वागत है।

एक माननीय सदस्य: हमारे टेल तक तो नम्बर आता ही नहीं । अध्यक्षजी, हमें भी मौका दो बोलने का।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दीजिये। हां, आप बोलिये।

(माननीय सदस्य श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर), श्री कन्हैयालाल (मालपुरा), श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार), श्री दलीचन्द डांगी (मावली), श्री भंवर सिंह भाटी (कोलायत), श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) एवं श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) द्वारा मांग संख्या 42, 43 व 9 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया) (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 218 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय सदस्यों ने जो आज चर्चा की उद्योग के बारे में, आप सब लोगों के जो सुझाव आपने मुझे दिये, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, because life is a learning process. कटौती प्रस्ताव के जवाब भी अगले 48 घंटे के अन्दर सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो देश है, यहां बहुत यंग पापुलेशन है, बहुत यंग वर्क फोर्स है और हमारी 80 करोड़ की जो जनसंख्या है, वह सब

(श्री गजेन्द्रसिंह)

वर्किंग पापुलेशन है। यू.एस.ए. के अन्दर पूरी उनकी जनसंख्या 31 करोड़ है और हमारी वर्किंग पापुलेशन अलोन 80 करोड़ है। यू.के. की जनसंख्या 6 करोड़ है। तो जब आप तुलना करें तो यह प्रमाणित होता है कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे आगे प्रोस्पेक्टिव जो लोग नौकरी में आएंगे, वे एक बहुत ही बड़ी तादाद में आएंगे। ये 2020 के अन्दर इंडिया पूरे संसार की सबसे यंगस्ट पापुलेशन कंट्री होगी। 29 साल की उसकी एवरेज एज होगी 2020 तक। चाइना की 37 और यू.एस.ए. की 45 और वर्ल्ड एवरेज 47 होगा। यह जो क्रीएशन आफ जाब्स है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 10 लाख युवा हर महीने क्वालिफाई होकर नौकरियों के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं। 10 लाख युवा अगले 20 साल तक, यह एवरेज रहेगा। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री का रोल जो है, वह बहुत ही अति-महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे खाली प्रदेश के लिए ही नहीं, हमारे पूरे देश के लिए।

हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय भारत की जो वर्क फोर्स थी, 72 प्रतिशत एग्रीकल्चर में थी। जैसे-जैसे डवलपमेंट होता गया, जैसे-जैसे कोई भी देश डवलप होता है तो उसकी वर्किंग फोर्स वह एग्रीकल्चर से, खेती से घटते-घटते वह मैन्यूफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ ट्रांसफर होती है। अब 52 प्रतिशत हमारी वर्क फोर्स है वह एग्रीकल्चर के अन्दर है। आज जो हमारे सामने, जैसे हमारे प्रदेश के अन्दर जो समस्या है, 100 बीघा जमीन है, पांच बेटे हैं, 20-20 बीघा जमीन बट में आती है। उस बेटे के फिर चार पुत्र होते हैं, तो वह 20 बीघा 5-5 बीघा के अन्दर डिवाइड हो जाती है। फ्रेग्मेंटेशन हो रहा है और एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, आज मेरे ख्याल में कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट जो है, वह अरबपति नहीं बना है।

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जापान जैसा देश, जो वर्ल्ड वार में हिरोशिमा-नागासाकी के अन्दर बिलकुल पूरा चौपट हो गया था, वह वापस जो अपना सिर उठाकर एक इंडस्ट्रियल टाप फाइव के अन्दर आया, वह थ्रू इंडस्ट्रियल डवलपमेंट ही आया है।

कहने का मेरा मतलब है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज में अपनी वर्क फोर्स को नौकरियों के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर जो अरबनाइजेशन हो रहा

(श्री गजेन्द्रसिंह)

है, जो शिफ्ट आफ पापुलेशन हो रही है, वह इसी वजह से हो रही है कि लोग अब नौकरियों की खोज के अन्दर शहर में जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एम्प्लायमेंट; जितना इस क्षेत्र के अन्दर इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी ही एम्प्लायमेंट बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के अन्दर तब निवेश आता है, जब प्रदेश की सरकार इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है, वहां की स्टेट का जो वातावरण है, पालिटिकल वातावरण कैसा है। जो कांफिडेंस है जनता के अन्दर, वह लाना बहुत जरूरी है। गुजरात इतनी ऊंचाइयों तक उठ गया, क्योंकि एक कांफिडेंस था। जो मोदीजी 15 साल मुख्य मंत्री रहे, एक कांफिडेंस उन्होंने जो क्रीएट किया, एक एन्वायरनमेंट क्रीएट किया, जो क्लाइमेट क्रीएट किया था, उस वजह से निवेश आया। निवेश कोई आटोमेटिकली नहीं आ गया। मेरी सोच है कि 10 साल तक अगर यह प्रोसेस कोई अच्छी लीडरशिप या अच्छी पार्टी के नेतृत्व में नहीं रहे, जब तक जो मोमेन्टम है, जब तक वह हवाई जहाज टेक-आफ करके आटो-पायलट पर नहीं आ जाता है, उस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर यही हमारी समस्या रही कि हमारे इतने एडवांटेजेज होने के बावजूद, आज आप देखिये कि जमीन हमारे पास खूब है; दूसरे प्रदेशों के मुकाबले भाव भी इतने ऊंचे नहीं हैं; हम दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर के अन्दर भी हम आ जाते हैं; हमारे यहां ला एंड आर्डर सिचुएशन भी अच्छी है; हमारे यहां रा-मैटेरियल्स और मिनरल्स की भी कोई कमी नहीं है; इंडस्ट्रियल पावर की कोई शोर्टेज नहीं है; हमारे यहां पर रोड कनेक्टिविटी, हाइवेज हमारे बहुत ज्यादा हो गये हैं; और जो हमारी सरकार अब आई है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिलकुल एक टाप प्रायोरिटी पर मानकर आगे चल रहे हैं; इन सबको देखते हुए हमें यह भी देखना होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी निवेश जो आता है, सब स्टेट्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं। आपस में इतना भारी काम्पीटिशन है, आपको याद होगा कि कलकत्ता के अन्दर जब हंगामा हुआ था, लेबर अन्रेस्ट हुआ था तो टाटा मोटर्स को मोदी जाकर उनका निवेश लेकर आ गये थे गुजरात के अन्दर और टाटा मोटर्स इसलिए गुजरात में आया, क्योंकि वहां का एन्वायरनमेंट अच्छा था। यही सुजुकी मोटर्स के साथ हुआ। हरियाणा में जो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्राब्लम हुआ, वे तुरन्त जापान गये और जापानीज को कंविंस किया कि निवेश को गुजरात में लाया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा मोमेन्टम हमने जो लूज किया था, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जिस प्रगति पर राजस्थान चल रहा था, उसका यह जो मोमेन्टम लूज हुआ, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रिसर्जेंट राजस्थान एक शक्तिशाली समिट था। जो विदेश के अन्दर और हमारे देश के अन्दर जितने भी हमारे एन्टरप्रीन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके अन्दर एक कांफिडेंस क्रीएट करने के लिए रिसर्जेंट राजस्थान 2007 में माननीया वसुन्धराजी ने शुरू किया था। उस समय 1,62,606 करोड़ के एम.ओ.यूज. साइन हुए, और हमारी सरकार चली गयी। ये इतने एम.ओ.यूज. जो साइन हुए, इसके खाली 40 परसेंट क्या, करीबन 32 परसेंट मैटेरियलाइज हुए, क्योंकि जो निवेश लेकर आ रहे थे, उनका राजस्थान के अन्दर कांफिडेंस टूट गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि होण्डा कार का फाउंडेशन स्टोन 2007 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ले किया था और उसका प्रोडक्शन कब आया, 2014 के एण्ड में। बीच में क्या हुआ? क्या सात साल लगते हैं किसी इतनी बड़ी इंटरनेशनल कम्पनी को अपना प्रोडक्शन शुरू करने में? दूसरा, सेंट गोबिन ग्लास, 2008 के अन्दर इसका एम.ओ.यू. साइन हो गया था और उसका भी प्रोडक्शन 2014 के एण्ड में आया। जे.सी.बी. जो एक वर्ल्ड फेमस कम्पनी है, वह भी 2013, जब कांग्रेस सरकार थी, जाने वाली थी, एम.ओ.यू. साइन हुआ और उसी जे.सी.बी. ने 2014 के एंड में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक कांफिडेंस का मामला था।

ये सब चीजें यही प्रमाणित करती हैं कि जो क्लाइमेट है और जो ट्रस्ट है किसी प्रदेश के अन्दर, that matters the most. अब जो भी है, विलम्ब हो गया, जो एक मोमेंटम टूट गया, अब कहते हैं, there is no crying over the spilled milk. अब आप कहीं स्टेशन पर खड़े हैं, कोई ट्रेन दो घंटे लेट आती है, आप ट्रेन पकड़ते हैं, फिर वह शुरू होती है, स्पीड पकड़ती है और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में उसको कुछ घंटे लगते हैं मेकअप करने में, तो हम वह ही ट्रेन हैं। तो यह ट्रेन जो हमें लेट मिली है, हमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन राजस्थान को हम प्रगति की ओर बहुत तीव्र गति से ले जाएंगे।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए और एक डायनेमिक इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो, उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं- अच्छी पालिसीज होनी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उसका प्रमोशन होना चाहिए, मार्केटिंग। 2014 का जो RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है उसके अन्दर हमने 9 थ्रस्ट एरियाज, थ्रस्ट सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किये। इसके अन्दर सिरेमिक, ग्लास, फार्मास्यूटिकल्स, टैक्सटाइल्स, पावरलूम्स, ट्यूरिज्म, एम एस एम ई (माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज) इंडस्ट्रियल गैसेज, डेयरी सेक्टर, आदि ये हमने 9 थ्रस्ट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और इसके अन्दर हम हमारा पूरा जोर लगा रहे हैं कि इन सेक्टर्स को हमें पनपाना है।

जो कस्टमाइज्ड पैकेज था उसके अन्दर हमने हंड्रेड परसेंट रिबेट आन स्टाम्प ड्यूटी दी; कन्वर्जन चार्जेज, एग्जम्प्शन आफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और वैट के अन्दर 7 से लेकर 9 साल तक की छूट। RIPS जो 2010 में लागू था, उसमें 500 करोड़ का निवेश प्लस 500 एम्प्लायीज, जब तक यह क्राइटेरिया मीट नहीं करते, इनको कस्टमाइज्ड पैकेज नहीं मिलता था। उसमें हमने बदलाव लाकर यही कहा कि जो भी निवेश लगाये, 500 एम्प्लायी को, अगर वह 500 लोगों को एम्प्लायमेंट देता है तो हम उसको कस्टमाइज्ड पैकेज देंगे। क्योंकि इंडस्ट्री जो आती है, एक तो होती है कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव। तो हमारा जो फोकस है, हमारी युवा पीढ़ी को नौकरी मिले, तो लेबर इंटेंसिव के ऊपर हमने विशेष ध्यान रखा है। नोटिफाइड मिनरल्स जो हैं, उनकी जो कम्पनीज हैं, उनका निवेश 100 करोड़ से ऊपर हो, सर्विस एन्टरप्राइजेज जिनका निवेश 200 करोड़ से ज्यादा हो, या 500 से ज्यादा एम्प्लायमेंट दे, उनको हमने कस्टमाइज्ड पैकेज दे दिया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हम समाज के वंचित लोगों को भी नहीं भूले। लेडीज, एस.सी., एस.टी. और जितने भी हैंडिकेप्ड लोग हैं, उनको 40 प्रतिशत वैट की छूट दी मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर और 10 प्रतिशत एडिशनल वैट रिबेट उनको दी on purchase of plant and machinery. यानी कि उनको 60 परसेंट वैट एग्जम्प्शन एक जगह मिला और 40 परसेंट दूसरी जगह मिला। यह एक बहुत भारी छूट है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अध्यक्ष महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, इसका जो दायरा है वह खाली इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं है; वह मेडिकल एंड हैल्थ पर भी है, पर्यटन पर भी है, माइन्स पर भी है और एजुकेशन हब पर भी है। नवम्बर के अन्दर रिसर्जेंट राजस्थान हमारा सेकंड टाइम, मैंने बोला, बीच के अन्दर उसको हटा ही दिया था अपने पूरे प्रोग्राम से, नवम्बर में वह शुरू होगा और मुझे पूर्ण आशा है, कि हम कोशिश करेंगे, 5 लाख करोड़ का निवेश, राजस्थान में हम एम.ओ.यू. साइन करें।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अन्दर वाइब्रेंट गुजरात सातवीं बारी हो गया, मध्य प्रदेश के अन्दर चौथी बारी इन्वेस्टमेंट समिट हो गया लेकिन हम राजस्थान के अन्दर खाली सेकंड रिसर्जेंट राजस्थान मनाने जा रहे हैं क्योंकि पांच साल उसके अन्दर कोई एक्टिविटी नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेष लाभ जो राजस्थान को मिलने वाला है, वह दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर जो है उसके ऊपर हमें मिलेगा, क्योंकि दिल्ली से मुम्बई जो 1,500 किलोमीटर की दूरी है, इसके 1,500 किलोमीटर के अन्दर जो रेलवे ट्रैक्स लगेंगे वे 600 किलोमीटर हैं, वे राजस्थान के अन्दर से जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर जितनी भी जमीन है, यह रेलवे ट्रैक डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक होगा, अध्यक्ष महोदय, यह खाली माल गाड़ियों के लिए होगा, माल गाड़ी का मतलब है कन्टेनर्स और ये जो कन्टेनर्स हैं, यह दिल्ली के पास दादरी से लेकर जवाहर लाल नेहरू पोर्ट जो है मुम्बई के अन्दर, 14 घंटे के अन्दर पहुंचाएंगे। इसके जो इन्जन्स आएगें वे जापानीज इन्जन आएंगे; बहुत भारी क्षमता के; जो रेलवे ट्रैक्स ले-डाउन होंगे वों भी जापान से आएंगे और जो ट्रालीज होंगी, जो माल का दोहन करेंगी वे भी बाहर से इम्पोर्ट की जाएगी ताकि यह पूरा मैचिंग होकर और बहुत हाई स्पीड से चल सके। तो यह रेलवे ट्रैक्स का लैंड एक्विजिशन तो हो ही गया है और पहला फेज है जो बड़ोदा तक है, राजस्थान भी उसमें कम्प्लीट हो जाएगा, वह 2017 के अंत तक कम्प्लीट हो जाएगा और यह डेडिकेटेड कोरिडोर के अन्दर हमारी ट्रेंस चलनी शुरू हो जाएंगी। (व्यवधान) देख लेंगे, साहब, अब 2017 तो दूर नहीं है न। भगवान करें, आप और हम सब जिंदा रहें, देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर 13 स्टेशंस आयेंगे, एक आयेगा आपके

(श्री गजेन्द्रसिंह)

श्रीमाधोपुर, पचार, मलिकपुरा, साकून, किशनगढ़, सराधना, हरीपुर, चंडावल, जावल, बेरोलिया, केशवगंज, बनास, स्वरूपगंज, फुलेरा, ब्यावर और मारवाड़ जंक्शन, सारी, फुलेरा, ब्यावर और मारवाड़ जंक्शन। तीन मेजर जंक्शंस इसके अन्दर आयेंगे। यह जो कोरिडोर है इसके 200 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम के अन्दर जो पूरा एरिया है वह औद्योगिक क्षेत्र कहलायेगा। इसीलिए दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर इसका नाम दिया गया है।

सबसे पहले चरण के अन्दर, फर्स्ट फेज में खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना, यह जो क्षेत्र है इसके अन्दर 14 स्क्वायर किलोमीटर जमीन एक्वायर का प्रोसेस चल रहा है और यह एक मेजर नोड होगा। यहां पर इंडस्ट्रीज, लाजिस्टिक हब्स, एक्सप्रेस वेज, इंडस्ट्रियल पार्क्स, एग्रो प्रोसेसिंग हब्स, नालेज सिटी, आई.टी. सिटी, यह इसका डवलपमेंट होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, एक्विजिशन की प्रोसेस कम्प्लीट हो चुकी, अब तो एक्विजिशन लैप होने वाला है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): इसके अलावा, दूसरा आपका जो माइनर नोड है, वो है आपका जोधपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन। यहां पर कंसेप्ट प्लान प्रिपेयर हो गया है और मास्टर प्लान प्रिपेयर होना शुरू हो रहा है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य नहीं विराज रहे, उन्होंने यह चर्चा की थी, पाली को इसके अन्दर अच्छा बूस्ट मिलेगा।

कोटकासिम में एयरपोर्ट बनेगा और अभी साइट क्लीयरेंस बाई एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इंडिया, वह प्राप्त हो चुकी है, एन.ओ.सी. मिनिस्ट्री आफ डिफेंस हमें दे चुकी है और खाली साइट क्लीयरेंस बाई मिनिस्ट्री आफ सिविल एविएशन है, खाली उसी का विलम्ब है, उसके बाद इसका कार्य हो जाएगा।

अलवर से पधारने वाले माननीय सदस्य, श्री मामन सिंहजी ने, रामहेतजी ने इसके ऊपर कई चर्चाएं की थीं। मैं तो सोचता हूं कि आपका जो यह क्षेत्र है, अलवर का क्षेत्र है, मेरे ख्याल में इसको बहुत भारी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अपने राजधानी के भी नजदीक है और यहां पर जो डवलपमेंट हो रहा है, पहला फेज जो आपका इतना बढ़िया है, यह जो तीन आपके टाउन्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी लाभ मिलेगा।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

इसके अलावा जो लैंड कम्पनसेशन है, it will be as per the provisions of the new Land Acquisition Act, 2013. एक्ट है 2013 का, इसके थ्रू होगा। इसमें लैंड-फोर-लैंड और कैश-फोर-लैंड, ये दोनों आप्शन जनता के लिए हम रख रहे हैं। क्योंकि आज जब चर्चा हो रही थी तो अलवर के कई सदस्यों ने बोला कि आप जमीन ले रहे हैं इसका क्या कम्पनसेशन देंगे? इसके अन्दर ये दो आप्शन हम खुला रखेंगे। जो डिस्क्रीपेंसीज हैं डी एल सी की रेट्स के अन्दर, उसमें भी कमेटी बैठाकर हम देखेंगे कि हमारे लोगों को इसके अन्दर नुकसान नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो इश्यू हैं, इनके अन्दर हम प्रगति पर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वहां के लोकल आदमियों को कितना परसेंट वे रखेंगे? कम्पनियों में रखते ही नहीं हैं। भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड़, सभी जगह एक भी व्यक्ति लोकल नहीं है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। मैं आ रहा हूं। जब एम एल एज ने जो इश्यूज रेज किये हैं, तब बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह मैटर बहुत संगीन है। लोकल आदमी नहीं लगेगा तो किसलिए जमीनें देते हैं वहां की फिर वे?

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बाद में समझ में आयेगी। जब देंगे, तब समझ में आ जायेगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इतनी कम्पनियां लग गयीं। एक दिन क्रांति लायेगा अलवर का युवा, कम्पनियों के खिलाफ। देख लेना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सारे युवाओं के लिए इंडस्ट्री लग रही हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): चाहे अशोका लीलैंड लो, चाहे होंडा लो, जिसका मुख्य मंत्रीजी उद्‌घाटन करके आई हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अलवर तो निहाल हो जायेगा। खूब इंडस्ट्री लग रही हैं अलवर में।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सबको मार दोगे पोल्यूशन से। पानी गंदा हो रहा है सारा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रत्येक अपने-अपने करम से मरेगा। राम किसी को मारे नहीं, न हत्यारा राम।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप मार दोगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बढ़ावा कैसे दिया जाये उद्योगों को, उसके अन्दर कुछ इम्पोर्टेंट कदम लिये गये हैं। उस पर क्रीयेशन आफ लैंड बैंक बाई रीको, अभी 3,500 हेक्टेयर का लैंड बैक हमारे पास उपलब्ध है और रिसर्जेंट राजस्थान नवम्बर में जब तक आयेगा तब तक 8000 हेक्टेयर का लैंड बैंक हम स्थापित कर लेंगे, ताकि कोई इंडस्ट्रीज वगैरह आयें तो अचानक हमें जमीन खोजनी नहीं पड़े।

इसके अलावा, इज-आफ-डूइंग बिजनेस, ये आपके 12 डिपार्टमेंट इन्वाल्वड हैं। इनके अन्दर आपका रेवेन्यू भी है, आपका पोल्यूशन भी है, आपका बिजली भी है, पानी भी है। सड़क भी है। ये 12 डिपार्टमेंट के साथ बैठकर कैसे कोआर्डिनेशन किया जाये, कैसे सिंक्रोनाइज किया जाये जिससे जो उद्योगपति या निवेश लेकर आना चाह रहा है, उसको इधर से उधर भटकना नहीं पड़े। हम सिस्टम को आनलाइन ले आयेंगे और 3 करोड़ रुपये इस बजट में माननीय वसुंधराजी ने इसको आनलाइन लेने के लिए और हाइ-टेक करने के लिए प्रदान किये हैं। इससे क्या होगा कि जो अप्रूवल्स लेने होंगे, आनलाइन कई चीजें हो जायेंगी और अप्रूवल्स मिलना आसान रहेगा।

इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रोड शोज किये जायेंगे प्रमोशन करने के लिए रिसर्जेंट राजस्थान का। माननीया मुख्य मंत्रीजी सिंगापुर यात्रा कर आई हैं, अभी जापान जायेंगी; मैं भी जर्मनी जा रहा हूं। उसके बाद हम चेन्नई, मुम्बई, कोलकता, पूना, देहली, बंगलूरू, यहां सब जगह जाकर हम रोड शोज करेंगे और रिसर्जेंट राजस्थान को हम हाइलाइट करेंगे।

इसके अलावा स्टोन मार्ट जो होता है, जिन माननीय सदस्यों ने यहां स्टोन मार्ट कभी विजिट नहीं किया है, यहां हर दो साल में होता है, आप जरूर जाकर के देखियेगा। यह स्टोन, पत्थर से सम्बन्धित मार्ट है, इसको वर्ल्ड के अन्दर टाप थ्री के अन्दर रैंकिंग दिया गया है।

इसके अलावा जो वस्त्र फेयर हमने किया था, टैक्सटाइल का, वह भी बहुत लोकप्रिय रहा। इसके अन्दर कई लोगों ने आकर के विजिट किया। इसके अन्दर देश के सभी तरफ से और इंटरनेशनल लोगों ने आकर के देखा कि हमारे यहां टैक्सटाइल में, चाहे सांगानेरी प्रिंट है, चाहे कुछ हो, उसके बारे में

(श्री गजेन्द्रसिंह)

उनको आइडिया हुआ और उन लोगों ने डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मिलकर अच्छा बिजनेस किया। राजस्थान को इससे अच्छा लाभ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रीयेशन आफ एम एस एम ई फेसिलिटेशन सेंटर, माइक्रो इंडस्ट्रीज आज बहुत महत्वपूर्ण हैं; उसके बाद स्माल स्केल और फिर मीडियम। लार्ज इंडस्ट्रीज तो अभी कम हैं। लेकिन ये जो हैं ये बैकबोन हैं; एम एस एम ई जो हैं, ये हमारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन हैं। इसलिए क्रीयेशन आफ एम एस एम ई फेसिलिटेशन सेंटर भी हम कर रहे हैं। हम स्पेशल प्राइस प्रिफरेंस दे रहे हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज के अन्दर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जहां सरकार परचेज कर रही है, तो उनको कुछ नार्मल मार्केट प्राइज से ऊपर प्राइस देकर उनका सामान हम खरीदेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के इतिहास में एक लैंडमार्क अमेंडमेंट राजस्थान सरकार ने किया था पिछले वर्ष में, अमेंडमेंट आफ लेबर लाज एंड अप्रेन्टेसशिप एक्ट। इसके साथ क्या है कि जो उद्योगपति हैं, राजस्थान में आने का उनका कांफिडेंस बढ़ गया है। क्योंकि उनको मालूम है कि उनका अगर बिजनेस अच्छा नहीं चले तो उनको वाइंड अप करने में तकलीफ नहीं आये। अमेंडमेंट आफ फैक्टरीज एक्ट के अन्दर 20 की बजाय 40 वर्कर्स का कर दिया है, उससे भी इंस्पेक्टर राज की कमर टूट जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्किल डवलपमेंट, अभी माननीया विधायक थोड़ी उत्तेजित हो रही थीं कि मार दो हमें, यह कर दो; ऐसा है कि जो निवेश लेकर आता है, क्या हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि आपको यह लेबर हायर करनी पड़ेगी? अब जो अनस्किल्ड लेबर है उसके अन्दर तो समस्या नहीं आती है। प्रोब्लम्स कई ऐसी आ जाती हैं कि किसी घर से एक जने को ले लिया तो उन पर दबाव लगाता है कि इसकी पूरी फैमिली को, इसके भाई को भी, भतीजे को भी लो साथ में।

दूसरा, जहां स्किल्ड का मामला है, हम स्किल्स सेंटर्स बनाने वाले हैं। केन्द्र सरकार के अन्दर पहली बार माननीय मोदीजी ने एक स्किल डवलपमेंट का मंत्रालय खोला है, जिसके मंत्री रूड़ी साहब हैं। स्किल डवलपमेंट सेंटर्स जब होंगे तो जो भी उद्योग आयेंगे, उनको एक्सपर्ट वेल्डर्स चाहिए, या उनके सरटेन टेक्निशियन चाहिए, वे हमारे यहां सेंटर्स से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लेकर जायेंगे, तो फिर क्या होगा कि स्किल्ड के अन्दर हम हमारे ही प्रदेश से दे पायेंगे।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

जैसे असेम्बली लाइन है, कोई इलेक्ट्रिक डायनमो या आल्टरनेटर का है, होंडा कार ने लगाया है, तो स्किल्ड लेबर भी तो उनको चाहिए असेम्बली के लिए। यह थोड़ी ही किसी आदमी को रोजगार देने के लिए ही वे उनको लगा सकते हैं। स्किल्ड लेबर में डवलपमेंट आफ स्किल्ड लेबर एक बहुत इंपोर्टेंट हमारे लिए इश्यू है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भिवाड़ी के अन्दर अंडर कंस्ट्रक्शन है...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक मिनट, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं जब मंत्री थे, उस समय 1995 में आर्डर निकला था कि 70 परसेंट उस क्षेत्र के स्किल्ड और अनस्किल्ड, वाटएवर इज अवेलेबल, वह लेबर लेनी पड़ेगी और वह स्टैंड आज भी करता है। शायद डिपार्टमेंट ने आपको प्रोपर इन्फार्म नहीं किया है। क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंगवा लेना वह आर्डर।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी में स्किल्ड डवलपमेंट सेंटर एक बहुत बड़ा बन रहा है, वह अंडर-कंस्ट्रक्शन है। अभी सी जी सी आर आई, खुर्जा से हमने सिरेमिक सेक्टर के अन्दर बीकानेर और जयपुर में भी स्किल डवलपमेंट के लिए किया है।

हमारे यहां पर 22-गोदाम में एक प्लग-एंड-प्ले एंड इन्क्यूबेशन सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अन्दर कोई भी छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको जमीन नहीं खरीदने पड़े; क्योंकि कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको यह मालूम नहीं होता है कि वह जो प्रोडक्ट बना रहा है वह सक्सेसफुल होगा कि फेलियर होगा। तो वह प्रेमिसेस को लीज करके अपना प्रोडक्शन कर सकता है। इसका नाम है प्लग- एंड-प्ले एंड इन्क्यूबेशन सेंटर। उससे वे अगर यह देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो वे उससे पुल-आउट कर सकते हैं। उनको कोई लोसेस नहीं है। यह हमारा एक एक्सपेरिमेंटल पहला है 22-गोदाम में, उस पर अब कार्य शुरू होने जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी के अन्दर प्रोडेक्ट अपग्रेडेशन, डिजाइन, डवलपमेंट एंड मार्केटिंग के अन्दर ढाई करोड़ का हमें अभी बजट

(श्री गजेन्द्रसिंह)

मिला है। क्योंकि खादी की भी इम्पोर्टेंस है। यह हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल चीज भी है और एक लेबर इंटेंसिव भी है। इसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं।

मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ के अन्दर, उसका भी कार्य शुरू हो गया है। राजस्थान का पहला फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, उसके अन्दर 25 लाख मैन्यूफेक्चरिंग में और 10 लाख सर्विसेज के अन्दर और स्माल इंडस्ट्रीज का जो डेफिनेशन है वह 5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़। कहने का मेरा मतलब है कि जो हमारी यूनिट्स हैं, आज जो लार्ज यूनिट्स हैं, राजस्थान के अन्दर 316 लार्ज यूनिट्स हैं, इसके अन्दर एम्प्लायमेंट जनरेट कर रहे हैं 1.62 लाख और अभी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वह 110 लाख करोड़। अब आप दूसरे वाले सेक्टर में आ जाते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो एंड स्माल मीडियम, उसमें 4 लाख 15 हजार यूनिट्स हैं और 18.7 लाख एम्प्लायमेंट दी है और 23 लाख करोड़ रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि जो एम एस एम ई है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और वह हमारी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी है। हमने जो ई एम-वन, ई एम-टू का जो है, एन्टरप्रिन्योर मेमोरेंडम है, उसको हमने आसान कर दिया है ताकि लोग अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकें, आनलाइन भी वह प्राप्त कर सकते हैं। हम एम एस एम ई का फेसिलिटेशन सेंटर भी शुरू करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में, कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ इश्यूज रेज किये थे, उन पर मैं मेरी टिप्पणी करूंगा, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय सदस्य भंसालीजी ने...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजवी साहब वाली बात का जवाब दे दो पहले तो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आपके कहने पर तो करूंगा नहीं। आपके निर्देश पर तो करूंगा नहीं। आपके निर्देश पर नहीं करूंगा, करूंगा तो अपने मन से करूंगा।

जोधपुर शहर से पधारने वाले माननीय सदस्य, भंसालीजी ने बोला कि जोधपुर के अन्दर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहिए; मैं सहमत हूं,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

हमारी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और उसका बहुत स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। मैं आपके साथ बैठकर वर्क आउट करूंगा क्योंकि आपके दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर अगर आ रहा है तो उससे जोधपुर को और महत्व मिलेगा।

जो एयरपोर्ट की आपने बात की, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर में जोधपुर, रोहिट, पाली, जो जोन आइडेंटिफाई होकर डवलपमेंट होगा, उसमें जोधपुर एयरपोर्ट के लिए भी फंड्स मिलेंगे, उसको मार्डनाइज करने के लिए।

कोशिश है मैंने कामर्स मंत्रीजी से बात की है और एक जो है अपना स्पाइसेज का एक हैडक्वार्टर, 18-20, जैसे जीरा है, हींग है, ऐसा स्पाइस सेंटर खाली केरल में है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि जोधपुर के अन्दर भी एक लगाया जाए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे पूरी कोशिश करेंगे, जोधपुर में लगाने की कोशिश करेंगे।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): पहले उद्‌घाटन हो चुका है मण्डोर के पास में स्पाइस पार्क का।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): यह केरल की तर्ज पर है।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): केरल वाले एम डी साहब ही आये थे।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): इण्डिया में खाली एक ही है केरल में।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): उन्होंने ही उदघाटन किया था वहां।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ओसियां में है रामपुरा के अन्दर, मथानिया के पास।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अवस्थीजी ने भी अभी जो चर्चा की थी, उन्होंने रेलवे लाइन की जो बात की थी, मैं आपके साथ बैठकर उसको देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है।

आपने जमीन की जो बात की है, आपने बोला है कि इंडस्ट्रियल एक्सपांशन नहीं हो रहा है क्योंकि जमीन नहीं है। अभी लैण्ड बैंक जो क्रीएट हो रहा है भीलवाड़ा में, आपके करणपुरा में 33 हेक्टेयर, बिजोलिया कलां में 32, सामेड़िया फतेहपुर के अन्दर 139 और उकालिया के अन्दर 133; टोटल 327 हैक्टेयर है वह अण्डर-प्रोसेस है और वह आपकी इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

माननीय तिवाड़ी साहब ने एक इश्यू उठाया था इंडस्ट्रियल एफ्लूएंट प्लांट सांगानेर के लिए; सांगानेर चूंकि जयपुर का एक पार्ट आफ द सिटी है,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

वह देखेंगे। वे चाह रहे थे कि पाली के जैसे, उसी तर्ज पर, जैसे वहां पर टैक्सटाइल्स का जो पानी जाता है, वह सांगानेर में भी वह प्रोब्लम है। उसको हाई प्रायोरिटी में देखकर इसको देखेंगे कि इसको वहां इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट के जैसे करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ राजस्थान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई है। कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट थी। मंत्रीजी वेल इन्फोर्म्ड नहीं हैं। गलत इन्फोर्मेशन दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): आप बता दिया करो न। सिखा दिया करो न मेरे को।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह दिया हुआ है; हाउस के रिकार्ड पर भी है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): रीको के बारे में मंजूजी बाघमार, जायल से आने वाली माननीय सदस्या ने रीको इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए निवेदन किया था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने प्रमाणित हो रहा है कि मंत्री सक्षम नहीं हैं और हमारे...

श्री अध्यक्ष: ऐसा प्रमाणित नहीं हो रहा है। मंत्रीजी सक्षमता से, पूरी तैयारी से जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं मान रहा हूं न। (व्यवधान) बाबूसिंहजी, विराजो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, मंजूजी बाघमार ने रीको के बारे में चर्चा की थी, तो मैं माननीय सदस्या को कहूंगा कि हमारे पैरामीटर्स हैं न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के, हम बैठकर देख लेंगे कि जायल में जो भी आपके प्रोब्लम है, जायल यदि उसमें फिट आता है तो जरूर करेंगे।

माननीय सदस्या, अलकाजी ने भी बोला था कि स्टोन पार्क और रीको के लिए। उस एरिया में आपके जो बांदीकुई, सिकन्दरा के पास में स्टोन पार्क बनना प्रस्तावित है तो उसके लिए उचित भूमि देखकर उसके लिए कार्यवाही करेंगे। रीको के लिए जैसे पहले जायल की चर्चा थी, उसी तरह फीजिबिलिटी देखकर उसके अन्दर देख लेंगे और अगर पैरामीटर्स हैं तो करेंगे।

सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य, रमेशजी मीणा ने जिक्र किया

(श्री गजेन्द्रसिंह)

था रीको के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीको के फर्स्ट फेज में 70 परसेंट रीको आनलाइन आपका हो जाएगा।

डाक्टर जसवन्तजी यादव ने यह अभी बात की थी, एक्चुअली क्या है, कई माननीय सदस्य, जो अलवर से आने वाले हैं, ने यह बात की थी, पोल्यूशन के बारे में बात की थी। उसके अन्दर निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री खुलती है तो हमें उसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और पोल्यूशन नोर्म्स को अगर वायलेट किया जा रहा है, माननीय सदस्य मामन सिंहजी ने भी यह रेज किया था, रामहेतसिंहजी ने भी यह रेज किया था, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के दायरे में यह आता है। इसलिए उनके मंत्रीजी से मैं मिलकर, क्योंकि इंडस्ट्रीज का मामला है और पोल्यूशन का मामला है, हम बैठकर कैसे इसके अन्दर, दो तीन माननीय सदस्यों की यह कम्प्लेंट आई थी, यह बहुत खराब है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कैमकल्स हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढियों के लिए, इट इज वेरी-वेरी डेंजरस, इस बारे में बैठकर इसके अन्दर चर्चा करेंगे कि हाउ टू सोर्ट आउट द प्रोब्लम।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी वहां पास के गांवों में जाकर देखें तो वहां व्यक्ति खड़ा रहकर सांस नहीं ले सकता। आप सोचो कि वे गांव वाले कैसे जीते हैं वहां पर। तो इसके लिए तो आपको कुछ उपाय करना ही चाहिए। सारी चीजों का बता दिया, इसका भी तो बताएं। सारे माननीय सदस्यों ने बोला, इतना गंदा पानी, आप जाकर तो देखें वहां पर। गांव वालों को कितना नुकसान हो रहा है। वहां सांस लेना दूभर हो रहा है, इसके लिए कोई नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं। सिर्फ, और सिर्फ, उद्योगों के लिए, कम्पनियों के लिए कैसे बेनिफिट पहुंचे, कैसे सरकार को कैसे फायदा पहुंचे इसके अलावा कोइ्र पाइंट नहीं। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी करके आई हैं अभी उद्‍घाटन।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य रमेशजी ने बोला, एक और इश्यू रेज किया था आपने, आपकी इन्फ्रा डवलपमेंट कमेटी में कुछ शिकायतें थीं। पर्टिकुलर जो भी शिकायतें आपकी हैं, वे आप मुझे बता दें, आपकी शिकायत को सहज और शीघ्र निपटाया जाएगा।

माननीय सदस्य मामनसिंहजी ने भी, बेसिक इनकी थी, दो-तीन इश्यू

(श्री गजेन्द्रसिंह)

थे, एक तो पोल्यूशन के थे; अलवर के जितने भी माननीय सदस्य थे, एक इन्होंने एम्प्लायमेंट का बोला था, जिसके बारे में मैंने अभी टिप्पणी कर ही दी है। रामहेतजी के भी करीब-करीब यही इश्यू थे।

कीर्ति कुमारीजी ने बोला था कि बिजोलिया के अन्दर रीको के इंडस्ट्रियल एस्टेट की पहले घोषणा की गई थी, उसको फिर स्थगित कर दिया गया। इसके अन्दर भी मैं देखकर पूर्ण कदम लूंगा।

आपको धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: मांगें पास करने का भी निवेदन कीजिए। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग पारित की जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैं इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि गजनेर में 416.65 हैक्टेयर पर आपका इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, बाउण्डरी वाल बनी हुई है और यह काम दो साल पहले हो चुका, 8 करोड़ रुपया राज का लगा है, रीको का लगा है और आज तक उसकी एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं हुई है। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट नया बनाने की बात कर रहे हैं, जो एस्टेट आपके हैं गजनेर और नाल में, नाल में 75 हेक्टेयर जमीन है, आप 4 करोड़ 44 लाख रुपये दे चुके हैं और आपने अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह बिलकुल सही है, उसकी भी एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस लेनी है। उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। आपने बात बोली, बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां, माननीय मंत्रीजी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश का

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

विकास तभी सम्भव होता है जब सरकार के पास में धन हो, विकास का पैसा हो। वह रेवेन्यू सरकार के पास में विभिन्न विभागों से आती है। खनिज विभाग इतना बड़ा विभाग है, उस विभाग से रेवेन्यू सरकार में आती है और उस रेवेन्यू आने में भ्रष्टाचार हो, तो हमारा यह निवेदन है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा चालू हो गई। आपने माननीय मंत्रीजी का रिप्लाई चालू करवा दिया। उससे पहले बोलते, अगर इनको बोलना होता तो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह कौन से नियमों में बोल रहे हैं? इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। इनको डोटासराजी बोलने नहीं दे रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजकुमार रिणवां। श्री राजकुमार रिणवां।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनो तो सही। आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह नियमों में नहीं है। कौन से नियमों में बोल रहे हैं अब आप?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कहूंगा। मैं निवेदन करता हूं यह बहुत गम्भीर मामला है; यह देश के लिए बहुत गम्भीर मामला है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): इनको पहले मौका मिला, ये पहले क्यों नहीं बोले? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब इस पर बहस चल रही थी, आपका पहला अधिकार होता है बहस में भाग लेने का। इसलिए वह बहस पूरी हो चुकी, जवाब आ चुका। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप नया चैप्टर मत खोलिए, आप विराजिए। राजकुमार रिणवां।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा जवाब नहीं आया, इसलिए मेरे को खड़ा होना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: आप पार्लियामेंट में रह चुके हैं, कभी भी हर बात का जवाब आये, यह कभी नहीं होता। प्रतिपक्ष अपनी मांग उठाता है, रखता है, सरकार इस पर जैसा भी व्यू ले, वह जवाब देती है। न दे तो आप उसे दबा नहीं सकते। इसलिए आप विराजिए। राजकुमार रिणवां।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम बात तो कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: उस समय कहते आप। नहीं, उस समय कहते। आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): निवेदन तो कर सकता हूं आपके माध्यम से। सत्ता पक्ष के सदस्य सुनना नहीं चाह रहे।

श्री अध्यक्ष: हां, वे नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन आपको बहस में भाग लेना चाहिए था।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सुनना नहीं चाह रहे।

श्री अध्यक्ष: वे सब सुनेंगे। आप बोलते। मैं आपसे एक बात निवेदन करता हूं, देखिए, मैं प्रतिपक्ष के रूप में आपका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन बहस बहस के हिसाब से। आज जब बहस चल रही थी तो आपका अधिकार होता था, उस समय आपको हिस्सा लेना चाहिए। अब जब जवाब का समय आया है तो बाद में कोई सवाल पूछ लेना। अभी मैंने राजकुमार रिणवां को बुला लिया है, वे अपना वक्तव्य देंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर कोई बात रखना चाहें, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बाद में। अब नहीं। अंकित नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। यह तरीका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं। नो।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अंकित नहीं होगा। आप विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करता। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। आप भी बैठ जाइये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपको बोलने के लिए नहीं अलाउ करूंगा। एक व्यवस्था के अन्तर्गत अलाउ कर सकता हूं। सारी बहस चल गयी, उस समय आपको बोलना चाहिए था। आपका पहला अधिकार होता है। आप आखिर में फिर कुछ बोलना चाहें, वह मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आप व्यवहार कीजिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ नहीं किया है। मुझे अफसोस है कि सदन की परम्परा के खिलाफ प्रतिपक्ष के नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मुझे अफसोस है। आप बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मुझे एक बात का अफसोस है। सदन को चलाने की कुछ परम्पराएं हैं। इसमें बोलने का अवसर लेने के भी कई अवसर हैं। हर विधायक अपना हिस्सा भी लेता है कि वह किसको बोलने दे और किसको नहीं बोलने दे, यह सदा से एक परम्परा रही है। विपक्ष के नेता मेरी बिना अनुमति के बोलना चाहते हैं, वह मैं अलाउ नहीं करूंगा। नई परम्परा नहीं डालूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) मैं बैठूंगा नहीं और आपको बोलने भी नहीं दूंगा। आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके अधिकार थे, आपके अधिकार थे, उस समय काम लेते आप। हर जगह, हर समय अधिकार नहीं है। हर समय अधिकार नहीं है। मनमर्जी से अधिकार! अधिकार का अवसर था। अधिकार था आपको। मनमर्जी से कैसे कह रहा हूं मैं? आपका अधिकार था। आपके सदस्य 20-20, 25-25 मिनट तक बोले हैं, यहां कहीं नहीं टोका। खूब हो गई उस विषय पर चर्चा। अब आप फिर इसमें उसको उठाकर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, वह मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप जैसा भी चाहें, वैसा करें, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मेरी बिना इजाजत के आपको नहीं बोलना है, यह मैंने आपको निर्देश दे दिया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्री महोदय का उत्तर और मांग पारित होने तक बढ़ाया जाय?

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नोट नहीं होगा। नोट नहीं होगा। नोट नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलने दूंगा। नहीं बोलने दूंगा। आपको नहीं बोलने दूंगा, कह दिया मैंने। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मेरी इजाजत के बिना यहां नहीं बोला जा सकता है और मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको। बार-बार कहने के बाद... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: सरकार नहीं, मैं कहूंगा। यह सदन चलाना मेरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: इसकी जरूरत नहीं है। (व्यवधान) अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप वाकआउट करने की तैयारी करके आये हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: समय मैंने बढ़ा दिया, यह मेरा अधिकार है। उन्होंने मांगा और मैंने समय बढ़ा दिया यह मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार है। विराजिये आप। (व्यवधान) मेरे असीमित अधिकार हैं। इसको पढ़कर आइये आप भी, आब्जेक्शन करने के पहले। यह मेरा अधिकार है। अनुमति नहीं देता आपको बोलने की। (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं देता हूं। आप बोल लेते पहले। वाक-आउट करने की तैयारी करके आये हो आप। (व्यवधान) मैं अनुशासनहीनता को बरदाश्त नहीं करूंगा। आप जाइये, पधारिये। आप तो तैयारी करके आए हो वाक-आउट करने की, पहले ही मालूम था, पधारिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आराम से जवाब दीजिये, हर बिन्दु का जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता पद को भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे संसदीय ज्ञान के पुरोधा ने सुशोभित किया। इस पद पर बैठकर उनके साथ हमें प्रतिपक्ष में रहने का मौका मिला और उस गरिमा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रतिपक्ष के नेता की भी एक गरिमा होती है। जिस प्रकार का व्यवहार आज प्रतिपक्ष के नेता ने यहां किया, बार-बार आसन की अवहेलना की, अध्यक्ष महोदय, आपने उन्हें प्रताड़ित किया, इसके लिए तो धन्यवाद, पर उनका यह कृत्य निंदनीय है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

मांग संख्या 42, 43 व 9 पर विचार

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 43 और 9 पर बोलने का सौभाग्य मिला है। मांग संख्या 43 पर 202 और मांग संख्या 9 पर 182 कटौती प्रस्ताव मिले हैं और

(श्री राज कुमार रिणवां)

मेरे सम्माननीय 17 साथियों ने जो सुझाव दिये, मेरा पथ-प्रदर्शन किया है, उसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि जो भी मुझे कोई अच्छे सुझाव मिले, विचार मिले, मैं उनकी अनुपालना करके अपने विभाग को और भी आगे प्रगति पर ले जाऊंगा।

सम्माननीय, जब मैंने पहले दिन सुना इतने-इतने हजार करोड़ों के घोटाले की बात, भ्रष्टाचार की बात, तो मैं स्तब्ध रह गया। जिस आदमी ने जीवन में कभी कोई, भ्रष्टाचार या घोटाला शब्द केवल सुना है, अपनाया नहीं है अभी तक, तो ऐसी बातें स्तब्ध करती हैं। फिर मैंने सोचा कि-

कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास,
जो करे, जो भरे, तू क्यूं भयो उदास।

एक बार गौतम बुद्ध को दस-बीस लोग गालियां दे रहे थे, बहुत देर से गालियां दे रहे थे, गौतम बुद्ध मुस्करा रहे थे। तो उन गालियां देने वालों ने कहा कि हम इतनी देर से आपको गालियां दे रहे हैं और आप मुस्करा रहे हैं। वे बोले, आप दे रहे हैं, तो मैं ले नहीं रहा हूं, वे आपके पास ही रह गयीं।

तो जो बात वे बोल रहे हैं, आज हम लोग यहां पहुंचे हैं सदन में, हम प्रदेश का विकास कैसे करें, यहां की जनता की समस्याओं को, दु:खों को कैसे दूर करें, लोगों की सम्पन्नता कैसे बढ़ायें। इसके विषय में जो विचार आये कि गरीब लोगों का भला कैसे हो, क्या हो; वह तो कोई बातें ही इस तरह की, पार्टी को, लोगों को डेमेज करने का जो षड्यंत्र है, वह बहुत गलत है। जैसे भी उनकी मर्जी।

सम्माननीय, वह औरत उदास रहती है जिसका पति मंद कमाऊ होता है, कम कमाने वाला होता है; वह आदमी उदास रहता है जिसके रोजगार नहीं होता है; वह गांव उदास रहता है जिसमें खेती-बाड़ी नहीं होती है; वह शहर उदास रहता है जिसमें व्यापार नहीं होता है; वह प्रदेश उदास रहता है जिसमें उद्योग-धन्धे, खान नहीं होती हैं। जितने भी यह रोजगार, सम्पन्नता, व्यापार जितने भी हैं, वह सारे के सारे निकलते हैं रोजगार से, तो उनकी जननी खान है। सारे रोजगारों की उत्पत्ति, सम्पन्नता की उत्पत्ति खान से ही होती है और जितने भी उद्योग-धन्धे चलते हैं, उनमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से उनका कोई न कोई भाग रहता है।

आज हमारे प्रदेश में नदियां तो हैं नहीं, कोई एक-दो नाम-मात्र हैं।

(श्री राज कुमार रिणवां)

सबसे बड़ा कोई उपज का, आय का जो स्रोत होता है, वह कृषि होता है। हमारी कृषि टोटली मानसून पर डिपेंड है और मानसून की क्या स्थिति है, आप जानते हैं कि 10 बार में से 6 बार मानसून फेल होता है। वह अभी हमने देखा है। तो हमारे पर तो धरती माता की कृपा है। सब तरह की यह भौगोलिक विपरीत परिस्थितियां होने के बाद में भी धरती माता ने हमें खान दी है।

मैं तो, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह उठता हूं तब धरती माता को प्रणाम करता हूं और धरती माता का दूसरा नाम वसुन्धरा भी है। तो उस धरती मां, मां वसुन्धरा की कृपा से इस देवी वसुन्धरा ने मुझे धरती की जिम्मेवारी दी है खान की और वन की। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि मैं इसमें कीर्तिमान कायम करूं। मैं तो ऐसे ही जब आदमी को, हमारे जीवन में चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ आता है, तो मैडम ने मुझे वन दे दिया तो ठीक है, मैं तो पूरी चेष्टा करूंगा और आज तक इस विषय में जो भी हुआ है, जितनी भी शक्तियां, एकाग्रता अगर किसी को मिली है तो वनों में ही मिली है।

सम्माननीय, अब मैं प्रदेश की खनन नीति के बारे में कुछ गतिविधियों की बात करता हूं। प्रदेश के खान में पेट्रोलियम विभाग द्वारा 8,966 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक हमने 7767 करोड़ का राजस्व अर्जित कर लिया, तो लगभग यह लक्ष्य को प्राप्त करने में ही है। हमारे खनन से वैसे तो 20 लाख, 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, मगर इन-डायरेक्ट रूप से देखें, अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कम से कम 2 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलता है।

(19.00 बजे)

विभाग में अभी यह जो सामने प्रतिपक्ष के नेता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे चार सीमेंट ब्लाक्स का, हम आपको बताते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमने सारी की सारी, कोई भी हमने, एक प्रतिशत भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। जो नियम बनकर आये थे, 12.1.2015 के पहले जो चल रहा था, 2011 से, उसी की अनुपालना करते हुए हमने अलाटमेंट किया है। अब उस अलाटमेंट के अन्दर में हमने उन लोगों को दिया है जो आज हिन्दुस्तान के, विश्व के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं, जिन पर आज तक कभी किसी ने अंगुली

(श्री राज कुमार रिणवां)

नहीं उठाई। जो करोड़ों-अरबों रुपयों का इन्कम टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स, रायल्टी सब देते हैं, उन लोगों को दिया है।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो ऐसा किया है, 2012 का इनका कागज देखिये, कहेंगे तो आपके पास भिजवाता हूं, अगर है नहीं तो, सात सीमेंट ब्लाकों को इन्होंने परमिशन दी, एल ओ आई जारी की, अधिसूचना जारी की। उन सात में से तीन तो सीमेंट का काम करने वाली कम्पनियां हैं, मगर चार कागजी कम्पनियां हैं। यह मैं आपको बताऊं। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने उन लोगों को दिया जो चार हैं ही नहीं कभी; जिन्होंने सीमेंट का उत्पादन या कुछ करना ही नहीं सीखा, उनको दी है। चार इन्होंने आयरन और की दी हैं, 11 इन्होंने दी हैं जो एकदम अवैध हैं। उस टाइम में कोर्ट में केस चल रहा था, आपको बतायें, कोर्ट का स्टे था, उसके बाद में कोर्ट के बाहर में इन्होंने समझौता करके 11 प्लाट का अलाटमेंट किया है। पाप खुद ने किया है और कहते हैं कि हमने किया है।

अब एक तरफ रिसर्जेन्ट राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, नवम्बर में हमें करना है। इन्होंने भी किया था, इनका सफल नहीं हुआ, वह बात अलग है। उसके पहले हमने किया, उसको इन्होंने फेल कर दिया। अब हम 2015 के रिसर्जेन्ट राजस्थान की तरफ जायेंगे तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो यहां पर निवेश, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें हमें कुछ तो मूवमेंट दिखाना पड़ेगा कि भई, यहां पर भी काम होते हैं। वरना, उन्हें क्या विश्वास होगा कि काम होगा या नहीं। अब आज जिन चार लोगों को दिये हैं, एल ओ आई जारी की है तो एल ओ आई जारी करने के साथ कोई खनिज पट्टे तो हो नहीं गये। अभी भी दो-तीन साल उस प्रक्रिया में लग जायेंगे। आप तो पीएच.डी. किये हुए हो इस लाइन में। अभी तो वह केन्द्र में जायेगी, उसका एन्वायरनमेंट का है, जियोलोजिकल का है, जो भी सारी प्रक्रियाएं होंगी, पर कम से कम एक मेसेज तो जायेगा। जो लोग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, उन लोगों को पता लगे कि यहां काम होता है।

अब इधर में बात रही कि ठीक है, पैसे वालों को दे दिया, तो पैसे वालों को दे दिया तो उधर में जो 600 खानें आबंटित हुई हैं, आप हर साल का, 2011, 2012, 2013, 2014 का देखिये, 400-500-600 हर साल होती आई हैं। इनके टाइम में भी होती आई हैं, अब की बार कुछ ज्यादा हुई हैं।

(श्री राज कुमार रिणवां)

एक मानवीय स्वभाव होता है, जब उसे पता रहता है कि आखिरी टाइम में है, एक भय भी होता है कि वह आखिरी टाइम में ज्यादा काम करता है। हमें पता है कि 31 तारीख को बिजली के बिल की लास्ट डेट है तो 31 को ही भरते हैं। 31 मार्च को जमा कराने का है तो लास्ट टाइम होता है, कुछ प्रेशर रहता करता है निश्चित रूप से। तो उस हिसाब से कुछ ज्यादा हुई होंगी, मगर इसमें बेइमानी वाली कौनसी बात हो गई? हम यह भी चाहते हैं कि पैसे वालों के साथ में, मध्यम वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं जिन्हें छोटे-छोटे ब्लाक देने हैं, ये जितने भी दिये गये हैं, 500-600 की बात करते हैं, ये पांच हेक्टेयर से नीचे से प्लाट हैं। कोई भी बड़ा प्लाट नहीं है। छोटे-छोटे, सामान्य लोगों को दिये गये है; तो इसलिए इस बात को बताता हूं।

जहां तक बजरी की बात आती है, ये बता रहे हैं कि बजरी से हमें 400 करोड़ रुपये का आक्शन करने से लाभ मिला है, निश्चित रूप से सरकार को लाभ मिला है, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, उसका रि-एक्शन क्या होता है? सरकार व्यापारी नहीं है। सरकार जन हित के लिए काम करती है, लोक हित के लिए काम करती है कि हम अपनी जनता का कैसे भला करें, उन्हें हम कैसे सुखी कर सकें। व्यापारी तो लाभ कमाने के लिए आता है। जब आक्शन में उन्होंने खानें ले लीं तो उनकी मोनोपोली हो गई। किस तरह से बजरी के भाव बढ़े, किस तरह से हाहाकार मचा, आपको पता है। 2014 में हमारी सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी को कानून बनाना पड़ा और सारे कलक्टर्स को निर्देश दिये गये कि आप अपने-अपने क्षेत्र की रायल्टी निश्चित करो, उसकी दर निश्चित करो। तो यह प्रक्रिया है, जिसके अन्दर अब हम चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको कंट्रोल करें।

अब आज हमारा जो करेक्टर है, जो एक नैतिक पतन है, वह इस स्तर पर पहुंच गया है कि कोई भी बेइमानी करने के लिए किसी को कोई टेंशन नहीं है एक प्रतिशत भी। यह स्थिति है। एक नीचे से नीचे का व्यापारी होता है कागज चुगने वाला, उसको भी हम देखते हैं, वह बोरी में कागज चुग रहा है तो जरा सा पानी की नाली के उसको लगायेगा कि उसका थोड़ा वज़न बढ़ जाये। और ऊपर का सबसे बड़ा व्यापारी है उद्योगपति, वह बिजली के बिल के लिए चेष्टा करेगा कि डायरेक्ट ही कर दें। तो यह जो एक भ्रष्टाचार का चल रहा है हिन्दुस्तान में, यह आज से तो चल नहीं रहा है। भाखड़ा बांध बन रहा था, उस समय नेहरूजी ने कहा था कि पांच लाख रुपये एक्स्ट्रा दे दो;

(श्री राज कुमार रिणवां)

बोले, किस चीज के? उस समय में सरदार पटेल साहब ने बोल दिया कि किस चीज के दे रहे हैं। बोले, भ्रष्टाचार के; बोले, नहीं। जब उसमें एक दरार आ गई, तब वहां देखने गये तो बोले, यह क्या है? वे बोले, वे पांच लाख रुपये दे देते ना, तो यह पूरा काम हो जाता। बाकी, यह उस टाइम से प्रचलन चल रहा है। सम्माननीय राजीव गांधीजी ने कहा कि हम एक रुपया भेजते हैं, उसमें से 10 पैसा जनता के पास पहुंचता है। यही राहुल गांधीजी कह रहे हैं कि एक रुपया भेजते हैं, उसमें से 10 पैसा वहां पर पहुंचता है। तो यह भ्रष्टाचार आप समाप्त नहीं कर रहे। हम क्या करें?

हम लोग एक क्रांति लाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कोई इस तरह की बातचीत बने, गरीब लोगों का भी भला हो। सब लोगों का तरीके से काम हो, पर इसमें टाइम लगेगा। एक साथ अगर हम कोई बात चाहें कि यह सम्भव हो, तो वह सम्भव नहीं हो सकता।

सम्माननीय, अब मैंने आपको बता दिया खनिज के बारे में कि वे चार सीमेंट प्लांट थे, उन चार सीमेंट प्लांट के बारे में आपको बतायें कि इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने बिलकुल नियमों से काम किया है। नियमों से काम करने के बाद में भी हमने, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को लिखा है कि अगर यहां किसी भी नियम की अवहेलना हुई है तो आप हमें राय दें, हमें क्या करना है।

उसके बाद में, यह जो कह रहे हैं ना कि इसकी सम्भावना थी, यह दिल्ली के इंग्लिश पेपर्स में, वहां का बहुत प्रतिष्ठित पेपर है इकोनोमिक टाइम्स और दूसरे हैं, उनकी यह न्यूज है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ''Cabinet rejected Ordinance of Mines and Minerals Development Regulation Act.'' यह नौ तारीख का है तो हम कोई भी बात कैसे कह सकते हैं कि भई, यह पक्का था? यह तो 2011 से ही पक्का था, जब आपने रखा था यह अब कब आयेगा, कब होगा, नहीं होगा। तो इसका यह मतलब तो नहीं हो गया कि हम अपने काम-धंधे बंद करके बैठ जायेंगे। ऐसी स्थिति इन्होंने कर दी।

पांच साल में एक सीमेंट प्लांट राजस्थान में नहीं आया, एक स्टील प्लांट राजस्थान में नहीं आया। फिर हम कैसे लोगों को रोजगार देंगे? यहां निवेश नहीं करेंगे तो कैसे लोगों का जीवन-स्तर सुधरेगा? हमें देखना पड़ता है। यह कोई सरकार का मतलब थोड़े ही है कि हर चीज आक्शन से होगी, तभी

(श्री राज कुमार रिणवां)

रेवेन्यू आयेगी। जन हित के लिए होती है, लोक हित के लिए सरकार होती है। उसका यह कर्त्तव्य भी है कि रोजगार भी चले, प्रक्रिया भी चले, इन्वेस्टमेंट भी हो। तो इन सारों के लिए यह कानून बना था।

सम्माननीय, अब सिलिकोसिस को लेकर भी काफी हल्ला मचाया गया था कि काफी लोग मर गये। हर चीज का नैतिक गुण-दोष होता है। कुछ खान, मिनरल्स इस तरह के हैं कि जिन्हें खुदाई करते हैं तो उसमें से कोई डस्ट इस तरह की जहरीली निकलती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वास्तव में हम किसी के भी जीवन और स्वास्थ्य के एवज में काम नहीं करेंगे। हमें कोई पैसा नहीं कमाना है। हमने पूरी चेष्टा की। हमने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वहां भेजा। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम गई। वहां जाकर उसने सारा देखा। हम लोगों ने नियम कर रखा है, किसी भी प्रांत में नियम नहीं है, अगर किसी की सिलिकोसिस की बीमारी के चलते वहां काम करते हुए डैथ हो जाये तो उसको तीन लाख रुपया दिया जाता है। बाकी, एक लाख रुपये अगर कोई बीमार हो जाये तो उसको अलग दिया जाता है। 43 करोड़ रुपये हमने स्वास्थ्य विभाग को दिया कि कोई भी इस तरह से सिलिकोसिस से, जो काम करने वाले हैं, वे बीमार अगर हों तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए आप काम करें। जब हमारी टीमों ने वहां जाकर देखा और कई जगह हमने 50 लाख रुपये के मास्क भी फ्री भेजने के लिए कह दिया है कि उनको भेजा जाये। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जहां लोग मानें नहीं, कि आपको गीली खदान करना है, खोदना है, उसके बाद में नहीं माने। हमने 22 लाइसेंस कैंसिल कर दिये हैं, कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो हम लोग आप लोगों के लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो हम अपने स्तर से चल रहे हैं पर किसी भी व्यवस्था को जंचाने में टाइम लगता है, अध्यक्ष महोदय।

सम्माननीय, यह आपको बता ही दिया था कि इसमें लक्ष्य हैं, उनको हमने इस साल प्राप्त कर लिये हैं। जरूर पेट्रोलियम में डालर के दाम कम हो गये और विश्व में क्रूड आयल में मंदी आई, उसके चलते उसमें हमें जरूर कुछ कम मिला। बाकी और जो लक्ष्य था खानों का, वह हमने रेवेन्यू का पूरा कर लिया है। रोजगार का हो ही गया।

खनन पट्टे आम व्यक्ति के लिए जारी करना। उसके लिए हमारी

(श्री राज कुमार रिणवां)

सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी जब सम्भागों के दौरे पर गई थीं, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जहां भी गईं, तब उन्होंने कहा था कि पांच हेक्टेयर से नीचे के खनिज पट्टे हम लोगों को देंगे ताकि लोगों का जीवन-स्तर सुधरे और लोगों को काम मिले। मुझे उन्होंने जब मंत्री बनाया तो सबसे पहले मैं उनसे मिलने गया, तो उनका सबसे पहला शब्द यही था कि राजकुमार, हमें गरीबों के लिए ज्यादा करना है, ट्राइबल्स के लिए ज्यादा करना है। मैंने अपने ट्राइब्ल्स के कई एम एल एज. से राय भी की कि हम क्या करें? 2009 में उन्होंने तो प्रतिबन्ध लगा दिया। अब खनन पर प्रतिबन्ध लगा देंगे तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? जो पहाड़ियों पर बैठे हैं, खनिज से ही तो उनका काम चलता है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। हमने उनको बुलाया, पूछा कि आप लोगों को हम छोटे-छोटे हेक्टेयर अलाट कर दें, आधा का, एक का; वे बोले, हमारी क्षमता नहीं है इतनी। आज एक खान को खोदेंगे, करेंगे तो कम से कम एक करोड़ की क्रेन चाहिए हमें। हम कहां से लाएंगे? आप हमें बजरी एल ओ आई दिलवा दीजिए, उससे हम काम चलाएंगे, हम लोग, दस-दस लोग साथ होकर। तो हम एक नीति बना रहे हैं उसमें कि पचास हेक्टेयर तक छोटी-छोटी लीजें बनाकर और उनको बजरी का काम दिया जाए ताकि वे लोग अपना लिविंग स्टैण्डर्ड बना सकें और अपना जीवन बढ़िया से निर्वाह कर सकें।

सम्माननीय, जीरो वेस्ट माइनिंग के लिए भी हमने पूरे प्रयास किये हैं कि उसमें से जो भी निकलता है, पाउडर निकलता है, उसका सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एकदम से रायल्टी हटा दी और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे और क्या प्रोडक्शन हो सकते हैं, उसके लिए भी पूरी हमारी रिसर्च चल रही है कि हम क्या करें।

अब हमारे यहां कई प्राब्लम्स हैं, हम यह देखते करते हैं कि हम लोग मून पर पहुंच गये हैं, मार्स पर पहुंच गये हैं और जूपिटर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हमारी स्थिति यह है कि हम जमीन में नहीं जा पाये हैं। आज हमें तेल निकालना था तो उसके लिए हमें विदेशी कम्पनियों पर आधारित रहना पड़ा। हमारा कितना बड़ा हिस्सा वे लोग तेल का ले जा रहे हैं। आज हमारे बीकानेर की तरफ और कई जगह पोटाश है, यह बहुत कीमती धातु है, मगर साढ़े सात सौ मीटर से नीचे जाने की हमारी क्षमता नहीं है। एक

(श्री राज कुमार रिणवां)

खतरनाक मिनरल है। तो इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, विशेषज्ञों से भी और बाहर की कम्पनियों से भी कि किस तरह से हम इसको मेंटेन करें।

श्री अध्यक्ष: आराम से, धीरे-धीरे। कोई जल्दी नहीं है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): अभी सम्माननीय मेरे मित्र बता रहे थे 31 खनिजों के बारे में। इन 31 खनिजों को, उनको पता ही नहीं है, यह कितनी बड़ी खुशी की बात है, अध्यक्ष महोदय, आज 31 खनिज हमारे जो मेजर थे उनको माइनर में कर दिया गया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कितना बड़ा हजारों करोड़ का रेवेन्यू राजस्थान का बढ़ेगा, हम काम करेंगे।

अब हम यह भी सोचते हैं साथ-साथ, अभी अलकाजी ने और तीन-चार माननीय सदस्यों ने यह चिंता की कि छोटे-छोटे काम दिए जाएं; सम्माननीय अवस्थी साहब ने भी बताया कि ये जो बड़ी-बड़ी लीज हैं तो छोटे गरीब लोगों को भी काम मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए और हमारी यह चेष्टा रहेगी जैसे हमने सैण्डस्टोन की एक हेक्टेयर की कर दी है, एक हेक्टेयर से भी कम में हमने यह मार्बल्स की है, ग्रेनाइट की है वह आधी-आधी हेक्टेयर तक की हमने कर दी हैं। इनमें भी हम चेष्टा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो मिनरल्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, एस.सी. के लोग हैं, उनको मिलें और उनका जीवन स्तर हम सुधार सकें और हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का रोजगार का जो एक लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकें। इसके लिए जो 31 माइनर मिनरल्स हैं, इसमें हमें बहुत लाभ होगा।

अभी हम अपनी नीति बना रहे हैं और हमारे यहां सब चीज ट्रांसपेरेंसी से हैं, एकदम पारदर्शिता से हैं। इन्होंने कहा कि अभी हमें बताना-करना चाहिए, अभी बेनीवाल साहब कह रहे थे कि हमें बताना चाहिए; उन्हें शायद यह जानकारी नहीं है कि तीन महीने पहले ही हमने नेट पर अपनी नीति डाल दी थी कि हम इस तरफ जा रहे हैं, आप लोग अपने सुझाव भेजिए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 300 सुझाव आये भी हैं। हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से हम सारा एडजस्ट करें जिसमें हमारे प्रदेश का भला भी हो, हमारी जनता का भला भी हो, गरीब लोगों का भी भला हो। तो किस तरह की हम एक नीति बनायें जिसमें हम सबका भला कर सकें, उस दिशा में आगे चल रहे हैं।

(श्री राज कुमार रिणवां)

ठेकों की व्यवस्था में सुधार, लम्बित आवेदनों का निस्तारण, पुरानी बकाया, ई-प्रणाली, हम ये जो सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, इसको हम आनलाइन कर रहे हैं, 90 परसेंट काम हमारा हो चुका है, महीने-डेढ़ महीने में सारा का सारा सिस्टम हमारे डिपार्टमेंट का आनलाइन हो जाएगा। कहीं किसी को शिकायत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम खुद जानते हैं कि हमारे प्रदेश का अगर हमें विकास करना है, हराम का पैसा अगर कोई आएगा तो वह कोई भला थोड़े ही करेगा। हम तो यही चेष्टा करते हैं; हमारे पुराने टाइम से जो शिक्षा देते थे कि हम किसी भी चीज को किसी का हक मार कर खाते हैं तो वह गलत है। तो ये सारी समस्याएं अगर ऐसे समझ में नहीं आईं तो मजबूर कर देंगे उनको कि वे कोई भी इस तरह की कोई बेईमानी नहीं कर सकें और जनता का और प्रदेश का भला हो सके।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ हमारी घोषणाएं भी हैं इसमें। नया आदमी हूं, यह जीवन का पहला दिन है और अग्नि परीक्षा है। कृपा है सम्माननीय स्पीकर साहब की, वरना ऐसे-ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो भी लोग पहुंचते हैं न, उन्होंने अपने जीवन में कोई बहुत बढ़िया काम किया होगा, तब पहुंचते हैं। तपेश्वरी सो राजेश्वरी; जिसके जीवन में कोई तप या अच्छा काम हो, वह यहां पहुंचता है और लगे हुए हैं हर आदमी को देखकर नंगा करने में। इनको पता है, आज जनता नफरत करती है नेताओं के नाम से और यह थोड़ी ही, जिस आदमी ने यह चोला पहन लिया, वह नंगा हो गया। इस तरह से छलनी इसको कर दिया। तो कम से कम हमें यह देखना चाहिए कि हम सामने वालों की इमेज खराब नहीं कर रहे हैं, हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। मुझे एक आदमी ने एक दिन एक बात बताई, वह बात मैं सुनकर दंग रह गया। बोले, यह रेडियो गोपाल है, तब मैं समझ गया 99 परसेंट गलत है। इन लोगों ने अपनी यही इमेज बना ली है। मैंने यह देखा कि मेरे पर ही नहीं, जितने डिपार्टमेंटों के मेरे जो मंत्री मित्र हैं, वे बोल रहे हैं तो सब पर कोई न कोई आरोप लगा रहे हैं। ये मेरे विद्वान मंत्री परसों बोल रहे थे, उनके ऊपर भी भर्ती पर लाख-लाख रुपये का आरोप लगाया। मैं देख रहा था, वे इतना बढ़िया बोल रहे थे, पर उनका गला रूंध आया जब उन पर, क्योंकि असत्य कोई भी बात, किसी पर असत्य बात का आरोप लगाते हैं तो उससे पीड़ा तो होगी। पर यह इनका एक करेक्टर बन गया है, इन्हें सुधारना चाहिए, इन्हें ऐसी राय देनी चाहिए। यह तो

(श्री राज कुमार रिणवां)

है कि अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम फिर आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। इतना टेंशन करने की क्या बात है? आप अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, कोई बढ़िया राय है, वह इनको देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): विभागीय रिक्त पदों पर नियुक्ति। विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 31 सहायक खनिज अभियंता तथा 20 भू-वैज्ञानिकों की नियुक्ति की कार्यवाही कर इनके पदस्थापन के आदेश भी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न संवर्गों के रिक्त चल रहे पदों में से 14 भू-वैज्ञानिक, 2 रसायनज्ञ, कनिष्ठ लिपिक पदों को भरने के लिए आगे भिजवा दी गई है। विभाग में इस वर्ष अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग, मंत्रालयिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी में अनुकम्पात्मक नियुक्ति में 21 नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

खनिज बाहुल्य सड़कों का रख-रखाव। खनिज बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत एक प्रमुख समस्या रहती है। इसका सीधा खामियाजा वहां के स्थानीय निवासी जो सड़क से गुजरते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। इस वर्ष से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद ज़िलों के खनन बाहुल्य क्षेत्रों में 6 अप्रोच रोड बनाई जा रही हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट भाषण में दिये गये वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर लगभग 100 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण कर नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा।

विभागीय भवनों का निर्माण। विभाग के 14 भवनों का निर्माण, विस्तार किया जा रहा है। ये भवन बूंदी, आमेर, निम्बाहेड़ा, रामगंजमण्डी, जैसलमेर, राजसमंद, सीकर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, निदेशालय के ऊपर चित्तौड़गढ, प्रतापगढ़ और बीकानेर के हैं।

नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर मात्रा के दोहन से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अलवर जिले में गिलोत तथा अजमेर जिले के विजयनगर के पास सथाना में सिरेमिक ज़ोन घोषित करने की घोषणा माननीया मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई है। बीकानेर व ब्यावर में खनिज उपलब्धता के आधार पर सिरेमिक हब विकसित किये जाने के विचार किये जा रहे हैं।

(श्री राज कुमार रिणवां)

छोटे उद्यमियों को राहत। सैंडस्टोन के लिए खातेदारी भूमि में अभी न्यूनतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र में खान का आबंटन किया जाता है। इसे कम करके अब एक हैक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया जा रहा है जिससे कि कम भूमि धारकों को स्वयं की खातेदारी भूमि में खनिज पट्टे आबंटित किये जा सकेंगे। जिससे जहां एक ओर इस खनिज का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वर्तमान में प्रभावशाली खनन पट्टों की समयावधि तीस वर्ष निर्धारित है। इसे बढ़ा कर यह पचास वर्ष कर दी गई है। जो दस वर्ष की थी, उसे तीस वर्ष की जाएगी इससे वन पर्यावरण विभाग से की जाने वाली वाली औपचारिकताओं से पट्टाधारियों और लाइसेंसधारकों को राहत मिलेगी।

नवीन खोजें। विभाग की भू-विज्ञान शाखा में कार्यरत भू-वैज्ञानिकों ने इस वित्तीय वर्ष में पैंतालीस परियोजनाओं पर खनिज खोज का कार्य किया जिसके फलस्वरूप राज्य में लाइमस्टोन, लिग्नाइट, औद्योगिक खनिज, इमारती पत्थर, इत्यादि के भण्डार खोजे हैं। इस वर्ष बीकानेर जिले की चीनियां की बस्ती में 8.97 मिलियन टन लिग्नाइट के अतिरिक्त भण्डार खोजे हैं। इस क्षेत्र में 24 मिलियन टन लिग्नाइट के भण्डार प्रमाणित किये गये हैं जो सौ मेगावाट पावर प्लांट के लिए उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, जयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, नागौर जिलों में खनिज लाइमस्टोन के भण्डार मिले हैं। जैसलमेर जिले में 190 मिलियन टन सीमेंट एवं 19 मिलियन टन स्टील ग्रेड लाइमस्टोन एवं नागौर जिले में थड़े, गोटन एवं हीमापीथासर क्षेत्र में 360 मिलियन टन लाइमस्टोन के भण्डार प्रमाणित किये हैं एवं चित्तौड़गढ़, जयपुर, डूंगरपुर, टोंक आदि में भी लाइमस्टोन के अच्छे भण्डार मिलने की सम्भावना है। जैसलमेर जिले में खनिज पीले रंग का मार्बल, जोधपुर, धौलपुर, जालौर, बांसवाड़ा जिलों में खनिज ग्रेनाइट मार्बल में उनके क्षेत्र खोजे गये हैं। आगामी वर्ष में खनिज खोज का कार्य निरन्तर जारी रहेगा। इसमें पचास परियोजनाओं पर पूर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा।

इसी वर्ष के नवम्बर माह में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने, देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से रिसर्जेंट राजस्थान 2015 का आयोजन किया जाएगा जिससे कि निवेश प्राप्त किया जा सके तथा निवेशकों को भी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करायी जा सके।

(श्री राज कुमार रिणवां)

हाल में चार सीमेंट कम्पनियों को आबंटित किये गये लाइमस्टोन के ब्लाक्स के आबंटन के बारे में समाचार पत्र...।

सम्माननीय, अब मैं आपको वन एवं पर्यावरण पर कुछ बोलना चाहूंगा। जीवन में वन का बहुत महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वन से ही हम जुड़े रहते हैं और पालना या बिस्तर से लेकर आखिरी टाइम जलाने की लकड़ी तक वन से ही हमें मिलती है। जो हमारे पांच तत्व हैं जिनसे सृष्टि का और हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उन पांचों तत्वों में तीन तत्वों को वनों के द्वारा पोषित किया जाता है। वायु है, जल है, पृथ्वी तत्व है और वनों में जाने से एकाग्रता शक्ति बढ़ती है।

जैसे दो वर्ल्ड वार हुए थे, ऐसे हमारे आध्यात्मिकता में दो वर्ल्ड वार हुए थे। एक रामायण काल में हुआ था और एक महाभारत काल में हुआ। तो भगवान रामजी चौदह वर्ष के लिए जब वन में गये तो दशरथजी बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्हें अपने बेटे से बड़ा प्रेम था। वे शंकर भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि आशुतोष तुम ओडरदानी, आरत हरऊ दीन जन जानी। हे शंकर भगवान, आप बहुत दयालु हैं ओडरदानी हैं, मेरे जीवन भर की आप तपस्या का फल ले लीजिये और कैसे भी राम को वन में मत जाने दीजिये। अगर रामजी वन में चले गये तो मैं उनकी याद में, बेटे की याद में अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि यह तो करना ही पड़ेगा; श्रवण के माता-पिता ने छोड़ा था। अगर रामजी वन नहीं जाते तो कैसे करोड़ों असुर शक्तियों का नाश होता; कैसे संतों का, ऋषियों का कल्याण होता; कैसे वहां के वनजाति, जनजाति लोगों का सम्मान बढ़ाते, प्रेम बढ़ाते। तो इसलिए जो वन का महत्व है वह अपने आप में बहुत विलक्षण है।

मैंने जब मेरी पहली मीटिंग फोरेस्ट की ली, उस दिन मैंने एक ही बात कह दी थी कि फोरेस्ट का मतलब फोरेस्ट, यह कागजों में नहीं रहना चाहिए। अभी एक मेरे मित्र बता रहे थे बबूल के बारे में, अंग्रेजी बबूल के बारे में। वास्तव में यह भी दुर्भाग्य है कि इस तरह के पौधे हमारे प्रदेश में आ गये हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसको जलाने से इसका जो धुआं होता है न, वह भी गलत होता है। यह एलर्जी वगैरह बनना, ये कोई बढ़िया आक्सीजन भी नहीं देते हैं। तो ये कोई काम की चीज नहीं है। तो हमने अपने डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि बढ़िया से बढ़िया फलदार, फूलदार, छायादार औषधीय पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएं।

(श्री राज कुमार रिणवां)

सम्माननीय लूणी से आने वाले जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी खेजड़ी के बारे में बताया। वास्तव में खेजड़ी कल्प वृक्ष है। ऐसी कोई चीज इस खेजड़ी में नहीं है, ध्यानाकर्षण में आया था इनका, जिसका कोई उपयोग नहीं हो मानव और पशु के लिए। एक पहला ऐसा पेड़ है जिसके नीचे फसल होती है। हमारा जो पीपल है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल हूं। एक ऐसा पेड़ है, वैज्ञानिक भी चकित हैं, 24 घंटे आक्सीजन देने वाला। ये एक प्रकार के जितने पेड़ हैं, ये शंकर के स्वरूप हैं। कार्बन डाईआक्साइड ग्रहण करते हैं और आक्सीजन छोड़ते हैं, विष पीते हैं और अमृत प्रदान करते हैं।

तो वन के प्रति हमारा बहुत दायित्व है किन्तु हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक जलवायु परिस्थितियां हैं, वे इतनी विपरीत हैं कि हम बहुत चाहने के बाद में भी उसमें बहुत कम सक्सेस हो पाते हैं। हम लाख पेड़ लगाते हैं तो मुश्किल से पांच-सात हजार पेड़ रहते हैं, क्योंकि दो ऐसे मौसम आते हैं, एक तो सर्दी, सर्दी में जो शीतलहर चलती है और गर्मी में जो लू चलती है, उस टाइम में हम देखते हैं कि आकड़ा और खेजड़ी, ये सबसे मजबूत मानते हैं हमारे क्षेत्र में, वे भी जल जाते हैं। तो आम वृक्ष की तो कहने की क्या बात है। फिर भी हम यह संघर्ष कर रहे हैं और हमारी चेष्टा यह रहेगी कि हम इसको जन आंदोलन बना दें और जन आंदोलन बनाकर, हमने अभी भी अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है, जिस ग्रेड का अधिकारी है जिले का, तहसील का, ग्राम पंचायत का, उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी दे दी है कि जो भी पेड़ लगाये वह पेड़ आपके गोद है, उनको सम्भालने की जिम्मेदारी आपकी है।

बहुत से भामाशाह हैं, ऐसे हैं जो लाख-लाख पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं। उनकी कई मांगें हैं, कि हमें पांच-पांच किलोमीटर का वन एग्रीमेंट कर दिया जाए। ये सब हमारे वश की बात तो है नहीं। फोरेस्ट एक्ट जहां तक है, वह तो कोई नाम मात्र के एक हेक्टेयर की हमें परमिशन मिली हुई है, बाकी तो सब केन्द्र से लेनी पड़ेगी। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, उनसे सारा का सारा आदेश आ जाएगा, तब करेंगे। हमने काफी मांगें लिखी हैं।

कई जगह की प्रोब्लम है। धार्मिक स्थल है, तो अन्दर से सड़क नहीं आ रही है। कई गांव भी हैं। तो जो गांव आने चाहते हैं बाहर, उनके लिए भी

(श्री राज कुमार रिणवां)

हमने लिखा है कि इनको भी बढ़िया मुआवजा देकर, इनको डि-फोरेस्ट करके, या जैसे भी..।

जहां कई जगह ऐसे ये जो चल रहे हैं अवैध खनन के बहुत बड़े, तो उसमें भी वनों का ही कारण है अवैध खनन के पीछे। क्योंकि खनन पट्टा जिनको दे दिया, वे तो अवैध खनन करने नहीं देंगे। वन क्षेत्र में जो खनिज हैं, वहां पर ये लोग अपना करते हैं। विशेष रूप से पांच-छह जिले इसमें ज्यादा जुड़े हुए हैं वो आपको भी पता है, अलवर है, भरतपुर है। यह ऐसा बोर्डर क्षेत्र है, हरियाणा-दिल्ली के पास पड़ता है और आज वहां पर जितने भी हम हरियाणा की तरफ देखते हैं तो पचासों सैकड़ों वहां पर क्रेशर लगे हुए हैं, वे टोटल हमारे इस पर डिपेंड हैं। हमारी फोर्स भी है, खूब चेष्टा करते हैं, बार-बार हम पकड़ते हैं, 3,254 वाहनों को हमने जब्त किया था। कितने केस बनाये और साढ़े अठारह करोड़ रुपये हमने उनसे पेनल्टी भी ली, उनको दण्ड भी लगाया, फिर भी ये इस तरह का कब कर दें, वे लोग तो देखते रहते हैं कि अभियान चल रहा है, तब वे सावधान होकर बैठ जाएंगे। उन्हें आजकल यह मोबाइल से पता रहता है, कौन टीम कहां आ रही है। तो इतना यह टिपिकल काम है।

पीछे मेरे एक मित्र बता रहे थे हजार लोगों को लेने का, खनिज में भी। तो वह सारा डिपार्टमेंट अब गृह मंत्रालय को दे दिया है। वहीं से हमें जरूरत होती है तब हम मंगा लेते हैं, जितनी जरूरत होती है उनको बता देते हैं।

हमारे बहुत गौरव की बात है कि आज लोग ईको टूरिज्म को पसंद करने लग गये हैं। जहां-जहां हमारे वन हैं, सैंक्चुअरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, वहां पर इस तरह से तादाद बढ़ रही है ट्यूरिस्टों की, चाहे वे हिन्दुस्तान के हों, चाहे बाहर के हों। अब यह रणथम्भौर-सरिस्का का तो एक गजब ही काम हो रहा है। उसके लिए हम एक आमली नाम का और क्षेत्र है, वहां पर बफर एरिया में आगे जाकर उसको डवलप कर रहे हैं कि कुछ प्रेशर कम हो रणथम्भौर का तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यह अपने बहुत ही जो भवानी का वाहन है शक्ति का और शौर्य का प्रतीक है, वह वहां पर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए यह सुखद ही समाचार है। जहां तक, और भी हमने, सज्जनगढ़, उदयपुर में भी बहुत बढ़िया है, माचिया जोधपुर में बनाया है यहां तालछापर का और है, चूरू में नेचर पार्क बन रहा है, इधर नाहरगढ़ की पहाड़ियों में है, सब में खूब डवलपमेंट चल रहा है।

(श्री राज कुमार रिणवां)

जहां तक वाइल्ड लाइफ का है, वन्य जीवों का है, हमारे भगवान के भी आधे अवतार पशु और पक्षियों के हुए थे। अब वराह अवतार है, नृसिंह अवतार है, हंस अवतार है, हम देखते हैं। तो जो भी इस सृष्टि में आया है उसे जीने का हक है और हमें भगवान ने सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम उन्हें सुख से जीने की व्यवस्था करें। यह हमारा दायित्व है और हम उसके लिए व्यवस्था करने में लगे हैं।

यह अपना रिफाइनरी वाला मैटर रह गया। रिफाइनरी के लिए, आपको पता है, जो सैंतीस हजार करोड़ खर्च होने चाहिए, उसमें 56 हजार करोड़ मांग रहे हैं। तो इधर तो एक तरफ तो ये 600-500 करोड़ के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनको बीस-बीस हजार करोड़ रुपये एक्स्ट्रा देने में इन्हें परेशानी नहीं हो रही है। हमें तो चिंता है अपने प्रदेश की। हमारी सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कंसलटेंट नियुक्त कर दिये हैं और जिस एक पार्टी को बताया है, उससे कोई लेना-देना नहीं है, उसका डिपार्टमेंट ही अलग है। कम से कम सैकडों राष्ट्रों में उसका काम आडिट का, इनका काम चलता है। उसका लगभग 60 दिन का काम था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंटरिम रिपोर्ट दे दूंगा और उसके बाद 30 दिन में मैं फाइनल रिपोर्ट कर दूंगा। लगभग डेढ़ महीना उसको हो गया है। 30 तारीख को हम मीटिंग ले रहे हैं, उसमें सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी भी रहेंगी, मैं भी रहूंगा, हमारे अधिकारी भी रहेंगे, हम उसमें कोई निर्णय करेंगे और बिलकुल इस बात की सम्भावना है कि हम अपने प्रदेश में रिफाइनरी बनायेंगे और इतनी बढ़िया कास्ट में, जो वे बता रहे थे, उससे कम से कम पैसों में बनायेंगे।

सम्माननीय, मैं नया आदमी हूं, मुझे जिम्मेदारी लिए हुए तीन-चार महीने ही हुए हैं। तो मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मैं अपने सम्माननीय सदस्यों से क्षमा चाहते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सम्माननीय, मेरी मांग पारित करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग भी इनको ही दिला दो। यह बहुत बढ़िया-बढ़िया ज्ञान की बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कोई राजनीति में इस तरह की ज्ञान की बातें कर तो रहा है, विधान सभा में। हम सबको इनका आभारी होना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-42 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,15,84,76,000/- (दो अरब पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,50,77,71,000/- (चार अरब पचास करोड़ सतहर लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,51,88,95,000/- (आठ अरब इक्यावन करोड़ अट्ठासी लाख पिचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.33 बजे बुधवार, 25 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-337

(स्थगित)

जनजाति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना

338. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जनजाति क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जनजाति क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों (लैम्पस) का गठन किया जाता है। (गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।)

परिशिष्ट-1

ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के मानदण्ड

(मंत्रिमण्डल की आज्ञा डी.124/मं.मं./2011 दिनांक 21.9.11 राज्य में जीएसएसएस गठन के मानदण्ड सम्बन्धी विभागीय आदेश दिनांक 26.9.11 के अनुसार

(जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) क्षेत्र को छोड़कर)

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र कम से कम एक सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होगा।

2. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।

3. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।

4. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये होगी।

5. किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होगी।

6. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या डी. 125/मं.मं./2013 दिनांक 27.6.2013 (जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) द्वितीय चरण हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मानदण्डों में शिथिलीकरण आदेश दिनांक 11.7.13

1. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।

2. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।

3. सदस्यों से न्यूनतम अमानत रु. 1.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि रु. 75000.00 होगी।

4. किसी भी एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जा सकेंगी।

5. नई प्रस्तावित ग्राम सेवा सहकारी समिति पूर्व गठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित नहीं की जा सकेगी।

6. नवगठित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 1000 हेक्टेयर सिंचित भूमि होगी।

7. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार अधिकारियों की समिति विचार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करेगी :

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	सदस्य
4. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव

प्रदेश में नवीन राशन कार्डों में त्रुटियां

339. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 में प्रदेश में नये राशन कार्ड जारी किये जाने की कार्य योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितने राशन कार्ड किस-किस जिले में बनाये गये तथा राशन कार्ड बनाने का कार्य किस-किस कम्पनी को दिया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त बनाये गये राशन कार्डों में त्रुटियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो राशन कार्ड बनाने वाली कम्पनी एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त राशन कार्डों में त्रुटियों को सही करने के लिए वार्ड वार एवं ग्राम पंचायत वार पुन: शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राशन कार्ड अभियान, 2012 के तहत नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड बनाने हेतु ई-निविदा के माध्यम से जिले के लिए चयनित 11 कम्प्यूटर सेवा प्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से वर्ष 2013-14 में विभिन्न जिलों में कुल 1,67,10,318 बनाये गये हैं। इनमें से 1,66,16,948 राशन कार्ड उपभोक्ताओं को वितरित किये जा चुके हैं, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा राशन कार्ड कार्य करने वाली फर्म/कम्पनी का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में उक्त तैयार राशन कार्डों के मुद्रण में मुख्य रूप से नाम, आयु, सम्बन्ध एवं श्रेणी आदि के सम्बन्ध में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। इन त्रुटियों को जिले की सम्बन्धित फर्म से संशोधित कराकर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये गये थे। राशन कार्ड कार्य से सम्बन्धित जिन फर्मों द्वारा राशन कार्ड त्रुटि सुधार कर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, उन फर्मों के विरुद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विधि-सम्मत कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में उक्त निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। त्रुटि सुधार हेतु पृथक से वार्डवार/ग्राम पंचायत वार शिविर नहीं लगाये जा रहे हैं। इस हेतु विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अनुसार तैयारशुदा राशन कार्डों में शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधन का कार्य दिनांक 31.03.2015 तक सम्बन्धित विभागीय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा 01 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्तन तथा शुद्धिकरण का कार्य ई -मित्र/सी एस सी कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किया जावेगा। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 02.02.2015 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

डग में गारंटी अवधि में निर्मित क्षतिगस्त सड़कों की मरम्मत

340. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में गत पांच वर्षों में कितनी सड़कें स्वीकृत की गईं? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से जिन सड़कों का निर्माण हो गया है और गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हो गई हैं, क्या सरकार उक्त सड़कों की पुन: मरम्मत एवं नवीनीकरण संवेदक से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घटिया सड़क निर्मित करने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में गत पांच वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं में 556.33 कि.मी. लम्बाई के कुल 175 सड़क कार्य राशि रु. 5631.94 लाख लागत के स्वीकृत हुए। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों में से 46 सड़कें गारण्टी अवधि में हैं। उनका रख-रखाव नियमानुसार सम्बन्धित संवेदकों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त सभी सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) यदि संवेदक द्वारा घटिया सड़क निर्माण किया जाता है तो संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में चूंकि विधान सभा क्षेत्र डग में घटिया सड़क निर्माण का कोई प्रकरण नहीं है, अत: किसी संवेदक को ब्लैकलिस्ट किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांभर झील में पानी की कमी के कारण पक्षियों की संख्या में कमी

341. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर झील में फ्लेमिंगो (राजहंस) की संख्या में लगातार कमी हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पानी की कमी के कारण उक्त झील में पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर झील में फ्लेमिंगो (राजहंस) की संख्या के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गणना नहीं करवायी गयी है।

(2)विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर झील में पक्षियों की संख्या के सम्बन्ध में विभाग द्वारा गणना नहीं करवायी गयी है।

चित्तौड़गढ़ जिले में परिवादों पर कार्यवाही

342. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में किस-किस स्तर के कितने कार्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालयों में वर्तमान में किस-किस स्तर के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2012 से जनवरी, 2015 तक उक्त कार्यालयों में परिवादों के कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब प्राप्त हुए एवं उन पर सरकार द्वारा

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

क्या कार्यवाही की गई? प्रार्थना-पत्रों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित कार्यालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कार्यालयों में स्वीकृत एवं कब से रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जनवरी, 2012 से जनवरी, 2015 तक उक्त कार्यालयों में प्राप्त परिवादों, प्रार्थना पत्रों की सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूची परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने के नियम/मानदण्ड

343. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने हेतु क्या नियम एवं निर्देश निर्धारित हैं? राज्य में डार्क जाने घोषित करने हेतु गत पांच वर्षों में कब-कब किस-किस स्तर की बैठकें किस-किस की अध्यक्षता मे आयोजित की गईं एवं किस-किस क्षेत्र को डार्क जोन से निकाला गया एवं किस किस क्षेत्र को नया डार्क जोन घोषित किया गया?

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश के किस-किस जिले में भू-जल का स्तर क्या रहा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किस-किस जिले मे कितने फीट पर पानी उपलब्ध होने पर किसान अपने खेत में नवीन कूप का निर्माण करवा सकता है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत काफी समय में वर्षा के औसत में गिरावट आई है एवं भू-जल स्तर भी नीचे जाने के कारण डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिससे काश्तकारों के समक्ष एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं सरकार द्वारा कृषि कार्यों हेतु दिये जा रहे अनुदान एवं सहायता से वंचित होना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उक्त समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भू-जल आंकलन समिति-1997 के निर्देशानुसार किया जाता है। वर्तमान में इस गाइडलाइन के आधार पर भू-जल विकास स्तर के प्रतिशत को दर्शाने के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

सुरक्षित (Safe)-जहां भू-जल विकास स्तर 70 प्रतिशत से कम हो; अर्धसंवेदनशील (Semi Critical)- जहां भू-जल विकास स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो, संवेदनशील (Critical)- जहां भू-जल विकास स्तर 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत हो; एवं अति दोहित (Over-exploited) जहां भू-जल विकास स्तर 100 प्रतिशत से अधिक हो, अर्थात भू-जल का दोहन भूजल रिचार्ज से अधिक हो रहा है । इसके साथ ही भू-जल स्तर की दीर्घकालीन स्थिति को भी मध्यनजर रखा जाता है। संवेदनशील एवं अति-दोहित श्रेणी में वर्गीकृत श्रेणियों को डार्क जोन में सम्मिलित किया जाता है ।

इस हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 05.04.2013 को प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. एवं भू-जल विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आहूत की गई। तत्पश्चात् उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन केन्द्र के स्तर पर किया गया। राज्य स्तर पर वर्ष 2009 एवं वर्ष 2011 में भू-जल आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। भू-जल आकलन रिपोर्ट वर्ष 2009 की तुलना में 2011 में जिन अतिदोहित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में परिवर्तन पाया गया है, उसकी सूची संलग्न है। (Annex. I)

(2) वर्ष 2008 से 2012 तक के जिलेवार औसत भू-जल स्तर के आंकड़ों की सूची संलग्न है। (Annex. II)

(3) नवीन कूप का निर्माण केवल भू-जल स्तर के आधार पर नहीं किया जाता है, अपितु इस हेतु उस क्षेत्र की भू-संरचना, भू-जल गुणवत्ता, भूजल उपलब्धता, उपयोगिता, इत्यादि अन्य कई बातों के आधार पर निर्धारण किया जाता है । तथापि, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 528/2004 में दिनांक 20.01.2006 एवं डी.बी. सिविल रिट पीटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4754/10 के निर्णय दिनांक 28.03.2011

(भू-जल मंत्री)

में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थान पर नये नलकूप/बोरवेल/भू-जल दोहन के अन्य यूनिट का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कराया जाएगा। इसकी पालना में राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिला कलक्टर को उस जिले के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया है।

(4) जल संसाधन विभाग से प्राप्त वर्षा जल आंकड़ों के अनुसार (सूची संलग्न है) पिछले वर्षो में औसत वर्षा जल में गिरावट नहीं पाई गई, किन्तु लगातार भू-जल दोहन में बढ़ोतरी होने के कारण भू-जल स्तर नीचे जा रहा है तथा डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार लगातार भू-जल दोहन में कमी लाने हेतु प्रयासरत है। इस हेतु जन जागरण एवं भू-जल मितव्यता हेतु लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है तथा भू-जल स्तर में बढ़ोतरी हेतु कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण करने हेतु संरचनाओं का निर्माण, इत्यादि किये जा रहे हैं। (Annex. III)

Annex-1

STATEMENT SHOWING BLOCKS ADDED AND REMOVED FROM DARK ZONE CATEGORY IN RAJASTHAN AS ON 31-3-2011 IN COMPARISON TO ASSESSMENT REPORT AS ON 31-03-2009

S. No.	District	Add in Dark Zone category year 2011	Remove from Dark Zone Category year 2009
		Name/Stage of Dev.	Name/Stage of Dev.
1	2	3	4
1	Baran	Anta 116.66	
		Chhabra 119.65	
2	Bundi		Kesorai Patan/94.67
3	Jaipur		Phagi/91.46
4	Jaisalmer	Sam/90.95	
5	Jalore	Chitalwana/103.35	
6	Jodhpur	Baori/248.95	Luni/99.28
7	Karauli	Nadauti/80.04	
8	Nagaur	Nagaur/92.66	
9	Pali		Pali/92.57
10	Pratap-gharh	Chhoti Sadri/139.12	
		Arnod/139.08	
		Arnod/139.08	
11	Sirohi	Abu Road/99.27	
		Pindwara/98.11	

1	2	3	4
		Sirohi/102.28	
12	Tonk		Toda Rai Singh/92.47
			Tonk/92.43
13	Udaipur	Salumber/94.13	
		Sarada/93.18	

Annexure-II

DISTRICT WISE AVERAGE WATER LEVEL DURING 2008 TO 2012

DISTRICT	Pre 08	Pre 09	Pre 10	Pre 11	Pre 12
Ajmer	14.64	15.59	17.36	14.28	13.45
Alwar	23.27	23.94	25.17	26.96	28.20
Banswara	6.47	7.96	7.98	7.89	7.62
Baran	15.19	14.61	16.89	18.53	13.20
Barmer	39.44	40.23	41.06	36.99	36.51
Bharatpur	11.42	11.19	11.42	11.20	11.82
Bhilwara	13.47	14.69	16.64	12.53	13.57
Bikaner	66.59	66.70	67.07	62.84	63.65
Bundi	13.79	11.77	13.75	14.96	12.38
Chittaurgrah	17.20	17.69	18.84	19.82	16.86
Churu	41.48	41.76	41.84	39.56	39.81
Dausa	24.14	24.34	26.80	27.63	30.65
Dhaulpur	16.03	13.06	15.55	14.09	15.09
Dungarpur	9.20	12.04	10.03	9.77	8.22
Ganganagar	11.96	12.24	12.42	12.45	12.16
Hanumangarh	16.83	16.83	16.77	16.99	16.97
Jaipur	28.05	28.27	29.00	33.63	36.49
Jaisalmer	46.20	45.59	45.42	47.65	47.68
Jalore	27.06	27.95	31.35	32.95	32.51
Jhalawar	10.98	11.57	13.45	11.87	9.76
Jhunjhunu	42.29	44.08	44.68	46.24	48.05
Jodhpur	40.20	39.53	40.29	43.78	44.30
Karauli	19.04	18.96	21.20	20.56	22.29
Kota	13.11	13.89	17.29	7.40	12.54
Nagaur	44.58	45.41	46.09	47.97	48.73
Pali	20.84	20.96	24.12	20.49	20.01
Pratapgarh	10.32	11.31	10.95	11.24	10.30
Rajsamand	12.62	15.77	16.59	12.74	11.62
Sawai Madhopur	18.25	17.94	19.58	19.08	17.52
Sikar	39.77	41.35	43.53	40.61	41.27
Sirohi	15.27	18.60	21.68	18.82	16.19
Tonk	13.30	13.25	15.64	11.88	10.24
Udaipur	11.21	12.97	13.55	10.91	9.41
Average of State	22.98	23.37	24.83	24.35	24.27

Annexure-III

PERFORMANCE OF SOUTH-WEST MONSOON

There is wide variation of rainfall in extreme Western part and South Eastern part of the State like 185 mm. annual rainfall is received in Jaisalmer. (extreme Western part). While 970 mm. annual rainfall is received in Jhalawar. (South-Eastern part.) The annual normal rainfall of the State is 594.9 mm. out of which 75 to 95% of the rainfall mostly precipitates in the monsoon period i.e. from 1st June to 30th September. The normal rainfall of the State for the monsoon period is 530.1 mm. The average rainfall received in monsoon period in the State during last 16 years i.e. 1998 to 2013 is as under:-

Year	Actual Rainfall (mm)	
	District Average	District Head Quarters
1998	517.0	503.0
1999	443.0	450.0
2000	382.4	381.0
2001	520.6	517.0
2002	233.9	231.9
2003	560.3	552.9
2004	493.5	484.7
2005	526.7	508.2
2006	670.3	652.5
2007	504.3	505.7
2008	549.9	540.5
2009	378.8	387.0
2010	606.3	623.9
2011	737.6	701.0
2012	617.90	624.80
2013	691.23	723.70

टोंक जिले में मजदूरों के पंजीयन हेतु विशेष अभियान

344. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक जिले में श्रम विभाग का कार्यालय कहां स्थित है और कब से संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय में किस-किस प्रकार के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक रिक्त पदों को भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(3) सरकार द्वारा टोंक जिले में क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं में गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) टोंक जिले में कितने मजदूर पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार टोंक जिले में मजदूरों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टोंक जिले में सहायक श्रम आयुक्त का कार्यालय मोदी की चौकी, पुराना आरटीओ आफिस के पास, महादेवाली रोड पर स्थित है और राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.5.1987 को कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) सहायक श्रम आयुक्त एवं अन्य कार्मिकों के चल रहे रिक्त पदों की स्थिति निम्न रही है:-

क्र. सं.	पद का नाम	कब से रिक्त
1.	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक	1.11.2013 से
2.	कनिष्ठ लेखाकार (1 पद)	नवसृजित 7.11.2013
3.	श्रम निरीक्षक (2 पद)	19.2.2008 से तथा 1.8.2013
4.	वरिष्ठ लिपिक	11.2.2015
5.	कनिष्ठ लिपिक (2 पद)	25.10.2014 से तथा 22.7.2014 से

वर्तमान में सहायक श्रम आयुक्त के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री सुधीर सिंह ब्रोका, सहायक श्रम आयुक्त, अजमेर; श्रम निरीक्षक के 1 पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री गोपाल लाल मीणा, श्रम निरीक्षक, जयपुर को; एवं कनिष्ठ लिपिक के 1 पद पर श्री दारासिंह, कनिष्ठ लिपिक, जालौर को कार्य व्यवस्था के तहत लगाया हुआ है।

विभाग में वर्तमान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भारी कमी है, किन्तु विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन के उपरान्त सहायक श्रम

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

आयुक्त, टोंक का पद भरा जा सकेगा। कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोष एवं लेखा विभाग द्वारा पदस्थापन किया जाता है। श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 6.8.2013 को कार्मिक विभाग के माध्यम से अभ्यर्थना भेजी गई है। उक्त पदों की भर्ती हेतु आयोग द्वारा दिनांक 30.8.2013 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। चयन के उपरान्त श्रम निरीक्षक टोंक के पद को भर दिया जायेगा। लिपिक ग्रेड-।। के पदों पर राज्य सरकार द्वारा भर्ती कराई जाकर योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध कराये जाने पर पद भर लिये जायेंगे।

(3) टोंक जिले में मनरेगा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों एवं बीड़ी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 943 श्रमिकों एवं वर्ष 2014-15 में अब तक 397 श्रमिकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाया गया है जिसके लिए वर्षवार क्रमश: 59.84 लाख व 32.00 लाख रुपये के क्लेम्स का भुगतान नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा एम्पैनल्ड अस्पतालों को किया गया है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा टोंक में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए गत 3 वर्षों में संचालित कल्याणकारी योजनाएं एवं लाभान्वित श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	विवाह सहायता योजना	10
2.	निर्माण श्रमिक की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना	3
3.	शिक्षा सहायता योजना	24
4.	प्रसूति सहायता योजना	18
5.	गम्भीर बीमारी पुनर्भरण योजना	0
6.	आवास निर्माण सहायता योजना	0
7.	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	9
8.	साइकिल वितरण योजना (31.3.2014 तक)	551

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
9.	एन.पी.एस. स्वावलम्बन पेंशन योजना	0
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	0
11.	कौशल शक्ति योजना	0

मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना में 10 हितार्थियों को लाभान्वित किया गया है। यह योजना तथा समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना व दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना को अधिसूचना दिनांक 8.7.2014 द्वारा सम्मिलित कर क्रम संख्या-2 पर वर्णित एकीकृत नवीन योजना प्रारम्भ की गई है।

(4) टोंक जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 57,260 श्रमिक पंजीकृत हैं तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल की योजनाओं के लिए दिनांक 31.1.2015 तक 15,964 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हुआ है।

(5) निर्माण श्रमिकों का अधिकाधिक पंजीयन किये जाने के उद्देश्य से मण्डल द्वारा पंजीयन अभियान चलाये जाने हेतु दिनांक 9.2.2015 को दिशा-निर्देश जारी करते हुए दिनांक 23.2.2015 से 31.3.2015 तक पंजीयन अभियान चलाने तथा माह फरवरी तथा माह मार्च के अन्तिम सप्ताह (23 से 27 फरवरी व 23 से 27 मार्च) "पंजीयन सप्ताह" के रूप में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिशिष्ट 'अ'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

No. F.6(6)L%E   Jaipur, dated 20 may, 1987

The Labour Comissionner,
Rajasthan, Jaipur

Sub : Creation of new posts.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the creation of following new posts from the dates these are filled in :-

1. Opernin of new Labour Court cum not Industrial Tribunil at Bharatpur.

1.	Judge	One	27
2.	Reader	One	11
3.	Stenographer	One	12
4.	Process Server	One	1
5.	Class IV	One	1

2. Opening of new office of Assistant Labour Commissioner, Tonk

1.	Assistt. Labour Comm.	One	19
2.	Labour Inspectors	One	12
3.	Junior Accountant	One	11
4.	L.D.C.	One	7
5.	Class IV	One	1

3. Opening of new office of Labour Welfare Officer, Barmer

1.	Labour Welfare Officer	One	17
2.	Labour Inspector	One	12
3.	Jr. Accountant	One	11
4.	U.D.C	One	10
5.	L.D.C.	One	7
6.	Class IV	One	1

4. Staff for the Dy. Labour Commissioner, Alwar

1.	Jr. Accountant	One	11

5. Staff for the of ice of Jt. Labour Commissioner, Udaipur (Trib)

1.	Driver	One	7
2.	Class IV	One	1

6. Staff for the Labour Welfare Officer, Sirohi

1.	Jr. Accountant	one	11

The Expenditure will be chargeable to the following Budget Head :-

"2230-Labour & & Employment 01-Labour 10-Industrial Belation (11) Mobile Industrial Courts (Plan) and

"2230-Labour & Employment 01-Labour 10-Industiral Relation (1) Divisional & District Staff (Plan)"

This issues in pursuance of the minutes of the B.F.C. meeting (Plan) 87-88.

Yours faithfully,

M.A. Siddique

Deputy Secretary to the Government

कोटपूतली पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड हेतु स्वीकृत राशि

345. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) में गत तीन वर्षों में किन-किन पंचायतों में सी.सी. रोड के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से किस-किस सी.सी. रोड पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायतों में सी.सी. सड़क किस क्रम एवं आधारों पर आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति कोटपूतली की पंचायतों में सी सी रोड के लिए स्वीकृत की गई राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सांसद/विधायक योजना में माननीय सांसद/विधायक की अभिशंसा पर कार्य स्वीकृत होते हैं। एसएफसी/टीएफसी/यूटीएफ में ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि में व्यय करने की प्राथमिकता ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा तय की जाती है। पंचायत समिति/जिला परिषद मद में उपलब्ध राशि से कार्यों की स्वीकृति सम्बन्धित संस्था की स्थाई समिति के अनुमोदन अनुसार जारी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-346

(स्थगित)

सादुलपुर में संचालित गैस एजेन्सी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

347. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वर्तमान में कितनी गैस एजेन्सियां किस-किस नाम से व किस-किस स्थान पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मनोज कुमार)

(2) गत तीन वर्षों में उपभोक्ताओं से किस-किस गैस एजेन्सी के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उक्त गैस एजेन्सियों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया व क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गैस एजेन्सियों में नये गैस कनेक्शन के कितने आवेदन लम्बित हैं तथा उन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जायेंगे? वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा बुकिंग कराने के कितने दिन बाद गैस आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले के सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 5 गैस एजेन्सियां संचालित हैं, जिनकी सूची निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम गैस एजेन्सी	स्थान
1	सादुलपुर इण्डेन गैस सर्विस	सादुलपुर अस्थाई अटैच राजपुरा
2	बाबा भारत गैस सर्विस, राजगढ़	राजगढ़
3	प्राची इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, चान्दगोठी	चान्दगोठी
4	गोगाजी इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, ददरेवा	ददरेवा
5	गुरूकृपा इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, सिद्धमुख	सिद्धमुख

(2) सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित किसी भी गैस एजेन्सी के विरुद्ध गत तीन वर्षों में उपभोक्ताओं की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित गैस एजेन्सी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) गत तीन वर्षो में उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त गैस एजेन्सियों के तीन बार निरीक्षण किये गये हैं, जिनमें पाई गई अनियमिततताओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) उक्त गैस एजेन्सियों में नये गैस कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	**नाम गैस एजेन्सी**	**लम्बित आवेदन**
1	सादुलपुर इण्डेन गैस सर्विस	0
2	बाबा भारत गैस सर्विस, राजगढ़	0
3	प्राची इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, चान्दगोठी	16
4	गोगाजी इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, ददरेवा	0
5	गुरूकृपा इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, सिद्बमुख	10

उक्त लम्बित आवेदकों को एक सप्ताह में नये गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। वर्तमान में उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद अधिकतम 7 दिवस में गैस की आपूर्ति की जा रही है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	**नाम गैस एजेन्सी**	**नाम निरीक्षणकर्ता**	**पाई गई अनियमितता**	**निर्णय दिनांक**	**की गई कार्यवाही**
1	बाबा भारत गैस सर्विस, राजगढ़	लियाकत अली खान प्रवर्तन अधिकारी, राजगढ़	गैस कनेक्शन समय पर नहीं देना, गोदाम से सिलेण्डर देने पर देय छूट नहीं देना और गैस सिलेण्डर समय पर नहीं देना	निर्णय दिनांक 19.07.2012	500 रु. प्रतिभूति राशि जप्त

क्र. सं.	नाम गैस एजेन्सी	नाम निरीक्षणकर्ता	पाई गई अनियमितता	निर्णय दिनांक	की गई कार्यवाही
2	प्राची इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, चान्दगोठी	श्री राकेश शर्मा जिला रसद अधिकारी, चूरू	बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया	29.07.2013	300 रु. प्रतिभूति राशि जप्त
3	शिवम इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी राजपुरा अटैच राजगढ़	श्री कंवरराराम प्रवर्तन अधिकारी, चूरू	होम डिलीवरी नहीं देना नियमित रूप से गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं करवाना एवं बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना	विचाराधीन	-

सुमेरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

348. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पाली जिले की सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र की अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व सरकार द्वारा उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

जी हां। पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 142.20 कि.मी. लम्बाई की कुल 35 सड़कें क्षतिग्रस्त (नान पैचेबल) श्रेणी में हैं। वर्तमान में इनमें से 23.55 कि.मी. लम्बाई की 7 सड़कों का नवीनीकरण नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में राशि रुपये 442.00 लाख के लिए स्वीकृत है एवं निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। शेष 28 सड़कें जिनकी लम्बाई 118.65 कि.मी. है, का नवीनीकरण/ पुनर्निर्माण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। इनके नवीनीकरण हेतु अनुमानित राशि रुपये 23.73 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की क्षतिग्रस्त (नान पैचेबल) सड़कें जो आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में स्वीकृत हैं।

क्र. सं.	सड़क का नाम	क्षतिग्रस्त चैनेज	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	पूर्व नवीनीकरण वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	केनपुरा से कोशलाव (ओ.डी.आर. 29)	5/0 से 10/0	5.00	75.00	2006-07	निविदा स्वीकृति प्रक्रिया धीन है।
2	सम्पर्क सड़क नवाखेडा (केयूएम)	0/0 से 1/250	1.25	20.00	1997-98	
3	बलवना से बोया (केयूएम)	0/0 से 2/0	2.00	30.00	1686-87	
4	लापोद से बसंत (केयूएम)	0/0 से 2/0	2.00	30.00	2003-04	
5	पालड़ी से धन्नापुरा (केयूएम)	0/0 से 2/300	2.30	40.00	2003-04	
6	सम्पर्क सड़क लाम्बिया	0/0 से 7/0	7.00	119.00	2006-07	
7	चाणोद साकदड़ा सड़क	4/0 से 8/0	4.00	128.00	1998-99	
	योग		**23.55**	**442.00**		

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की शेष क्षतिग्रस्त सड़कें

क्र. सं.	सड़क का नाम	क्षतिग्रस्त चैनेज	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी)	नवीनीकरण हेतु अनुमानित लागत (रु. लाख)	पूर्व नवीनीकरण वर्ष
1	सुमेरपुर से तखतगढ़ सड़क (ओ.डी.आर.-002)	0/0 से 8/0	8.00	160.00	2008
2	फालना से सुमेरपुर सड़क (ओ.डी.आर.-009)	8/0 से 12/0 16/0 से 21/0	9.00	180.00	2004-05
3	पावा से रोडला जिला सीमा तक (वी.आर. 49)	0/0 से 3/0	3.00	60.00	2004-05
4	सम्पर्क सड़क आकदडा (वी.आर. 75)	0/0 से 2/0	2.00	40.00	2001-02
5	सुमेरपुर तखतगढ़ सड़क से पोमावा (वीआर. 145)	0/0 से 2/0	2.00	40.00	2003-04
6	सम्पर्क सड़क हिंगोला (वीआर. 168)	0/0 से 3/0	3.00	60.00	2004-05
7	सम्पर्क सड़क कानपुरा से फतापुरा (केयूएम)	0/0 से 3/250	3.25	65.00	2003-04
8	भाचुन्दा से बडगांव (केयूएम)	0/0 से 5/0	5.00	100.00	2003-04
9	सम्पर्क सड़क शिवगंज पुलिस स्टेशन से कोरटा (केयूएम)	4/0 से 14/500	10.50	210.00	2003-04
10	सम्पर्क सड़क बिरामी (केयूएम)	0/0 से 2/500	2.50	50.00	2003-04

क्र. सं.	सड़क का नाम	क्षतिग्रस्त चैनेज	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी)	नवीनीकरण हेतु अनुमानित लागत (रु. लाख)	पूर्व नवीनी करण वर्ष
11	सम्पर्क सड़क पालडी से सेलोदरिया (केयूएम)	0/0 से 3/500	3.50	70.00	2003-04
12	सम्पर्क सड़क नेतरा से पराखिया (केयूएम)	0/0 से 5/0	5.00	100.00	2003-04
13	सम्पर्क सड़क सलोदरिया से फतापुरा (केयूएम)	0/0 से 2/500	2.50	50.00	1995-96
14	सम्पर्क सड़क जालोर रोड से पोमावा (केयूएम)	0/0 से 2/600	2.60	52.00	2001-02
15	सम्पर्क सड़क स्टेशन रोड से कोलीवाडा (केयूएम)	0/0 से 2/700	2.70	54.00	2003-04
16	जैतपुरा खौड नाडोल	9/0 से 11/0	2.00	40.00	2005-06
17	खौड से किरवा वाया चांगवा सड़क	8/0 से 15/0	7.00	140.00	2002-03
18	ढोला माण्डल पुनाड़िया सड़क	2/0 से 6/0	4.00	80.00	2006-07
19	निम्बाड़ा पांचौटिया खिंवाड़ा सड़क	0/0 से 5/0	5.00	100.00	2002-03
20	खैरवा से किरवा सड़क	3/0 से 7/0	4.00	80.00	2005-06
21	ठाकुरला से गुडा बिच्छू गुन्दोज	0/0 से 6/0	6.00	120.00	2005-06
22	गुडा एन्दला से गिरवर सड़क	0/0 से 7/0	7.00	140.00	2003-04

क्र. सं.	सड़क का नाम	क्षतिग्रस्त चैनेज	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी)	नवीनीकरण हेतु अनुमानित लागत (रु. लाख)	पूर्व नवीनी करण वर्ष
23	सोनाईमांजी से आईचिया सड़क	0/0 से 3/500	3.50	70.00	2003-04
24	बालराई से खुनी गुड़ा सड़क	0/0 से 2/500	2.50	50.00	2004-05
25	सम्पर्क सड़क प्रतापगढ़ सड़क	0/0 से 2/0	2.00	40.00	2005-06
26	सम्पर्क सड़क पादरली तुर्कान सड़क	0/0 से 3/0	3.00	60.00	2006-07
27	सम्पर्क सड़क मण्डली गिरवर से बाला	0/0 से 1/100	1.10	22.00	2001-02
28	बोमादड़ा से बानियावास सड़क	0/0 से 7/0	7.00	140.00	2003-04
	योग		**118.65**	**2373.00**	

बाड़मेर जिले में रिफाइनरी की स्थापना

349. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर बाड़मेर में पेट्रोलियम पदार्थों के अथाह भण्डार मिले हैं और बाड़मेर जिले में कैयर्न व ओ.एन.जी.सी. के सहयोग से पेट्रोल उत्खनन का कार्य भी किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि पेट्रोलियम का दोहन करने के बाद राज्य से बाहर भेजने में सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है?

(3) क्या सरकार राजस्व हानि को रोकने के लिए पेट्रोल शोधन करने के लिए बाड़मेर जिले में रिफाइनरी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसके साथ मिलकर रिफाइनरी स्थापित की जायेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि बाड़मेर जिले में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस तथा जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के विपुल भण्डार खोजे गये हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है । बाड़मेर जिले में कैयर्न एवं ओ एन जी सी द्वारा संयुक्त उद्यम में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है।

(2) जी हां। बाड़मेर से उत्पादित पेट्रोलियम (खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस) को राज्य से बाहर भेजने में कर राजस्व वैट 5% के स्थान पर केन्द्रीय बिक्री कर 2% प्राप्त हो रहा है, जिससे राजस्व में हानि हो रही है ।

मैसर्स केयर्न एनर्जी इण्डिया प्रा.लि. द्वारा उत्खनित क्रूड आयल जरिये "सी" फार्म से अन्तरराज्यीय विक्रय किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ से वर्ष 2014-15 तक (15.3.15 तक) कर दर 2 प्रतिशत से राजस्व प्राप्ति रु. 2751.04 करोड़ हुई है, प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है।

सहायक आयुक्त वृत-अ, जोधपुर द्वारा अन्तरराज्यीय बिक्री कर दर 2 प्रतिशत को अमान्य कर राज्य के भीतर की 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत मानते हुए करारोपण हेतु प्रस्तावित नोटिस दिया गया जिसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में व्यवहारी द्वारा याचिका संख्या 15191/09 दायर कर रखी है एवं प्रस्तावित कार्यवाही पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का स्टे हैं। माननीय न्यायालय में अग्रिम सुनवाई तिथि 13.05.2015 नियत है।

(3) जी हां। राज्य सरकार राज्य में उत्पादित खनिज तेल के मूल्य संवर्धन से राजस्व अर्जित करने हेतु बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफायनरी स्थापित करने हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एच पी सी एल के साथ किये गये एम ओ यू दिनांक 14.03.2013 की समीक्षा करने पर प्रस्तावित इन्सेन्टिव के वित्तीय भार को देखते हुए सलाहकार कम्पनी की नियुक्ति कर परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है।

परिशिष्ट-क

पेट्रोलियम भण्डार (पश्चिमी राजस्थान)

जिला बाड़मेर		
क्र.सं.	**पेट्रोलियम**	**प्रमाणित इनप्लस भण्डार (लगभग)**
1	खनिज तेल	480-500 मिलियन टन

क्र.सं.	पेट्रोलियम	प्रमाणित इनप्लेस भण्डार (लगभग)
2	प्राकृतिक गैस	6000 मिलियन घनमीटर
जिला जैसलमेर		
3	प्राकृतिक गैस (Rich & Lean)	22000 मिलियन घनमीटर

परिशिष्ट-ख

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक 15.3.15 तक) कर दर 2 प्रतिशत से प्राप्त राजस्व का विवरण

Sr. No.	Year	CST DEPOSITED (Rs. in. crores)
1	2009-10 (wef 28.08.2009)	18.99
2	2010-11	252.87
3	2011-12	469.90
4	2012-13	664.93
5	2013-14	767.15
6	2014-15 (till 15 March, 2015)	577.19
	Total	**2751.04**

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 12 मार्च, 2015

टांटियावास टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर रोक

160. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर-सीकर मार्ग पर टांटियावास स्थित टोल टैक्स प्लाजा का ठेका किस फर्म को कब और किन शर्तों पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त टोल प्लाजा से पहले जे.डी.ए. की आवासीय योजना आनन्द लोक में जाने वाले रास्ते पर उक्त टोल कम्पनी द्वारा अवैध रूप से बैरिकेड लगाकर आनन्द लोक कालोनी के रास्ते से होकर जाने से रोका जा रहा है और अवैध रूप से वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री बंशीधर)

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार से की जा रही अवैध वसूली एवं गुण्डागर्दी को रोकने हेतु पुलिस में मामला दर्ज कराने अथवा अन्य कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को पूर्व में भी उक्त टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा अवैध वसूली अथवा दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब और सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर सीकर मार्ग पर टांटियावास स्थित टोल टैक्स प्लाजा का संधारण भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा करवाया जा रहा है। तदनुसार माननीय विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर भा.रा.रा.प्रा. के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से उनके पत्र क्रमांक भाराराप्रा/21011/2/2014-क्षे.का.ज./वि.स./03842 दिनांक 20.03.2015 द्वारा प्राप्त किया गया है (परिशिष्ट-1 के अनुसार)। भा.रा.रा.प्रा. द्वारा भिजवाये गये उत्तर के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

'जयपुर सीकर मार्ग पर टांटियावास स्थित टोल टैक्स प्लाजा पर शुल्क संग्रहण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही मैसर्स जयपुर रींगस टोलवे प्रा. लि. को दिनांक 19.02.2010 को 18 वर्ष की अवधि के लिए अवार्ड दिया गया है। उक्त कार्य के अन्तर्गत जयपुर सीकर मार्ग पर टांटियावास स्थित टोल टैक्स प्लाजा भी आता है, जो कि रियायतग्राही के साथ हुए उक्त करार की शर्तों पर आधारित है।'

(2) जी हां। उक्त आनन्द लोक कालोनी मार्ग पर जाने वाले रास्ते पर टोल कम्पनी द्वारा रस्सी के बैरियर लगाकर वाहनों को टोल शुल्क से बचने के प्रयास को रोकने हेतु प्रयास किया जाता है, और कोई भी अवैध वसूली नहीं की जाती है। इस सम्बन्ध में रियायतग्राही के करार की धारा 27.8 के अन्तर्गत टोल शुल्क से बचने के प्रयास करने वाले वाहनों के लिए बैरियर लगाने का प्रावधान है। आनन्द लोक कालोनी जाने वाले वाहनों से टोल नहीं लिया जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) राज्य सरकार द्वारा, गैर-कानूनी कार्य न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) समय-समय पर जनप्रतिनिधियों एवं सामान्य जन द्वारा मौखिक शिकायत की जाती रही हैं। चूंकि यह मुद्दा जन हित से जुड़ा है, अत: इस प्रकरण को एन.एच.ए.आई. व रियायतग्राही से बैठक कर, कोई शिकायत न रहे, इस हेतु आवश्यक निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिये जायेंगे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मकसुदनपुरा (सवाई माधोपुर) में देवनारायण छात्रावास की स्थापना

350. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में गुर्जर बहुल क्षेत्र ग्राम मकसुदनपुरा स्थित श्री देवनारायण मंदिर बालिका विद्यालय मय छात्रावास के लिए सभी मानदण्डों से उपयुक्त है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम मकसुदनपुरा स्थित देवनारायण मंदिर में बालिका विद्यालय मय छात्रावास निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 66 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अगले पांच वर्षों के लिए Infrastructure Gaps के विकास के लिए देवनारायण योजना के लिए 500 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है।

उक्त बजट घोषणा के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में गुर्जर बहुल क्षेत्र ग्राम मकसुदनपुरा स्थित श्री देवनारायण मन्दिर बालिका विद्यालय मय छात्रावास (आवासीय विद्यालय) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। कार्ययोजना की स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।

डूंगरपुर के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

351. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री देवेन्द्र कटारा)

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु कौन-कौनसी योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? संगठित आबादी के लिए एवं बिखरी आबादी के लिए पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गांव कनबा, भेहणा, बिछीवाड़ा, गामडीदेवल, सुन्दरपुर, मेताली, धाणा, पादरडी, देवलखास, सुरपुर, मेवाड़ा, ओडाबडा, हाथोड, माथुगामडा एवं खास में संगठित आबादी है एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा मुख्य रूप से पम्प एवं टैंक, पाइप्ड तथा क्षेत्रीय जल योजनाएं संगठित आबादी तथा हैण्डपम्प योजना संगठित एवं बिखरी आबादी में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संचालित की जा रही हैं ।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के वर्णित 14 ग्रामों में तीन ग्राम संगठित आबादी के तथा शेष 11 ग्रामों में आबादी बिखरी हुई है । इन 14 ग्रामों में से 4 ग्रामों में विभाग/सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं से निर्धारित मानक मात्रा एवं गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त इन ग्रामों में हैण्डपम्पों से भी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है । हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित शेष 10 ग्रामों में पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों से मानक अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा के 4 ग्राम क्रमश: कनबा, बिच्छीवाड़ा, सुन्दरपुर एवं देवलखास सहित डूंगरपुर जिले के 140 ग्रामों एवं कस्बा डूंगरपुर हेतु सोम-कमला-अम्बा बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 92.67 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है । उक्त कार्य

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हेतु मैसर्स पीडीकोर, जयपुर को राशि रुपये 84.05 लाख का कार्यादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को जारी किया जाकर कार्य प्रगति पर है तथा कार्यादेश अनुसार यह कार्य माह मई, 2015 तक पूर्ण करना लक्षित है । कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है । रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बहरोड़ में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आबंटित राशि

352. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कितने इन्दिरा आवास किस-किस परिवार को कब-कब स्वीकृत किये गये? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवास की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवास की पहली किश्त, दूसरी किश्त एवं अंतिम किश्त कब-कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों के ग्राम सेवक द्वारा पहली किश्त की राशि का उपयोग हो जाने का प्रमाण पत्र दिये जाने के उपरान्त भी दूसरी किश्त की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी है?

(5) क्या सरकार नई स्वीकृति जारी करने एवं दूसरी किश्त एवं अंतिम किश्त स्वीकृति जारी करने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की पंचायत समिति बहरोड़ एवं पंचायत समिति नीमराणा (वि. सभा क्षेत्र बहरोड़ की ग्राम पंचायतें) के वर्षवार स्वीकृत इन्दिरा आवासों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या		कुल स्वीकृत आवास
		पं.स. बहरोड़	पं.स. नीमराणा	
1	2011-12	118	150	268
2	2012-13	0	5	5
3	2013-14	6	0	6
4	2014-15	1	0	1
	कुल	**125**	**155**	**280**

परिवारों का मय स्वीकृति विवरण सूची परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की पंचायत समिति बहरोड़ की सूची परिशिष्ट-1 पर व पं. समिति नीमराणा (वि. सभा क्षेत्र बहरोड़ की ग्राम पंचायतें) की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त स्वीकृत आवासों की दूसरी एवं अन्तिम किश्त (तीसरी किश्त) भुगतान की दिनांकवार सूचना परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) समस्त आवासों की द्वितीय किश्त हस्तान्तरण के आदेश जिला स्तर पर अधिकांश एक माह से कम समय में जारी किये गये हैं। इस हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। कभी-कभी लाभार्थियों के खाता संख्या प्रपत्र में गलत अंकित हो जाने के कारण अथवा ग्रामीण बैंकों के खाता संख्या बैंक स्तर पर बदल जाने के कारण खाते में राशि हस्तान्तरण में विलम्ब हो जाता है। जिसको लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर खाता संख्या दुरुस्त करवाकर राशि का हस्तान्तरण कर दिया जाता है। फिर भी आवास योजना से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को द्वितीय/तृतीय किश्त के हस्तान्तरण में एक माह से अधिक समय लगने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आवासीय योजना की दूसरी किश्त एवं अंतिम किश्त की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के प्रकरण जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर में ध्यान में आने पर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजनान्तर्गत राज्य स्तर/अन्य जिलों से विशेष दल भेजकर योजना के क्रियान्वयन व किश्त हस्तान्तरण की स्थिति की नियमित समीक्षा/जांच की जाती रही है, जिससे लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित हो।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैसलमेर जिले में सहकारी बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाएं

353. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में गत दो वर्षों में विभिन्न सहकारी बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना, आवास ऋण योजना, महिला विकास ऋण योजना व ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में जैसलमेर जिले में ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कितने दावे प्राप्त हुए एवं कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार, प्रकरणवार एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में स्थित जैसलमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं भूमि विकास बैंक द्वारा प्रश्न में उल्लेखित विभिन्न प्रयोजनों हेतु पिछले दो वर्षों में जो ऋण वितरण किया गया है, की विगत क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन ऋण वितरण ऋणी सदस्यों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत विगत पांच वर्ष में 4 दावे बीमा कम्पनी को भिजवाये गये हैं। एक दावा बीमा कम्पनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है तथा शेष 3 दावे जांच एवं लाभ देने हेतु प्रक्रियाधीन हैं। वर्षवार, प्रकरणवार एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में बी.पी.एल. व अन्त्योदय योजना हेतु आबंटित गेहूं

354. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करौली जिले में बी.पी.एल. परिवारों एवं अन्त्योदय योजना के तहत कितने टन गेहूं की आवश्यकता है?

(2) करौली जिले की तहसील हिण्डौन, करौली, नादौती, टोडाभीम में क्रय-विक्रय समितियों द्वारा माह नवम्बर, 2013 व दिसम्बर, 2013 का कितना गेहूं उठाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) माह नवम्बर, 2013 व दिसम्बर, 2013 में किन-किन डीलरों को सप्लाई हेतु गेहूं उपलब्ध करवाया गया? डीलरों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को कई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले में बी.पी.एल. परिवारों हेतु 1490 मै.टन एवं अन्त्योदय योजना के तहत 838.04 मै.टन गेहूं की आवश्यकता है।

(2) करौली जिले की तहसील हिण्डौन, करौली, नादौती, टोडाभीम में क्रय-विक्रय समितियों द्वारा माह नवम्बर,2013 व दिसम्बर, 2013 में उठाये गये गेहूं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) करौली जिले में डीलरों को माह नवम्बर, 2013 में 74,577.79 क्विंटल एवं माह दिसम्बर, 2013 में 55,995.67 क्विंटल गेहूं सप्लाई हेतु उपलब्ध करवाया गया। डीलरों की नामवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में डीलरों की राशन सामग्री वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जांच करवाई जाकर अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित राशन डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। राशन डीलरों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धोद में प्रस्तावित सड़कें

488. श्री गोरधन (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे पर टोल राशि अलग-अलग दर से वसूल की जाती है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा निर्मित उक्त सडकों पर टोल लिया जाता है या पी.पी.पी. मोड पर बनी सडकों पर टोल लिया जाता है तथा टोल राशि कितनी अवधि तक वसूल की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र धोद में सरकारी व पी.पी.पी. मोड पर कौन-कौनसी सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है? बनायी जाने वाली सड़कों के नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नेशनल हाइवे पर टोल राशि का संग्रहण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम-2008 अधिसूचना दिनांक 05.12.2008 एवं तदनन्तर संशोधनों दिनांक 03.12.2010, 12.01.2011 एवं 12.10.2011 के अनुसार किया जाता है। सम्बन्धित प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

प्रदेश में स्टेट हाइवे पर बी.ओ.टी. के तहत संचालित सड़क परियोजनाओं पर टोल राशि राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के तहत जारी फीस नोटिफिकेशन के अनुसार निर्धारित दरों से ली जाती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। डी.बी.एफ.ओ.टी. पैटर्न पर विकसित टोल परियोजना जयपुर-भीलवाड़ा सड़क (स्टेट हाइवे संख्या-12) पर टोल राशि योजना आयोग के कन्सेशन एग्रीमेन्ट के शिड्यूल-आर में निर्धारित दरों के अनुसार ली जाती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई नीतियों के अनुरूप बी.ओ.टी./इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कन्स्ट्रेक्शन/बी.ओ.टी. एन्यूटी मोड, इत्यादि पर निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु टोल लिया जाता है एवं टोल संग्रहण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हेतु नियम बिन्दु संख्या-1 के उत्तर में वर्णित है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल अनुबन्ध में तयशुदा अवधि हेतु अथवा भारत सरकार की तत्सम्बन्धी लागू नीतियों के अनुरूप लिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा पी.पी.पी. मोड पर जो परियोजना सड़कें निजी उद्यमी अथवा कम्पनी को विकसित करने को दी जाती हैं, उन पर अनुबन्ध के अनुसार एक निश्चित रियायत अवधि तक टोल वसूली की जाती है।

राज्य सरकार स्वयं अथवा उसके उपक्रम द्वारा निर्मित टोल परियोजनाओं पर टोल वसूली सड़क परियोजना की मूल लागत, ब्याज राशि, रखरखाव एवं नवीनीकरण पर व्यय होने वाली राशि की वसूली होने तक की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र धोद में पी.पी.पी. मोड में तीन सड़कें प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-4 तथा उनका नक्शा परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 6 सड़कों की डी.पी.आर. तैयार कर भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा सम्भाग में ड्राइविंग लाइसेंस हेतु शिविरों का आयोजन

489. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस बनाने की जटिल प्रक्रिया से गुजरने व एजेंटों, बिचौलियों के द्वारा अनावश्यक रुपये व समय की बरबादी से निजात दिलाने हेतु आमजन की सुविधा के लिए समय-समय पर शिविर आदि लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कोटा सम्भाग में कितने शिविरों का कहां-कहां आयोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिविरों में कितने लाइसेंस बनाये गये? मय दिनांक जारी किये गये लाइसेंसों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस बनाने हेतु शिविर आदि लगाने का प्रावधान नहीं है। पूर्व में जन प्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं के

(परिवहन मंत्री)

आग्रह पर लाइसेंस बनाने हेतु यदा-कदा शिविरों का आयोजन किया जाता था लेकिन शिविरों में पूर्ण प्रक्रिया व अभ्यर्थी की वाहन चालन क्षमता का पूर्ण परीक्षण सम्भव नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभागीय आदेश संख्या 39/2007 दिनांक 12.09.2007 के द्वारा ऐसे शिविरों पर पूर्णतया रोक लगा दी गयी है। (आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अत: विगत 5 वर्षों में कोटा सम्भाग में शिविर का आयोजन नहीं किया गया।

(2) विगत 5 वर्षों में शिविरों का आयोजन नहीं किए जाने के कारण शिविरों में बनाये गये लाइसेंस की संख्या शून्य है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक प 10(494)परि/पी.डी./मोनि/1998/10214 जयपुर, दिनांक 12.9.2007

कार्यालय आदेश 39/2007

विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा जन प्रतिनिधियों के आग्रह पर विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा लर्निंग लाइसेंस तथा कभी-कभी स्थाई लाइसेंस बनाने का कार्य शिविर लगाकर किया जाता है। ऐसे शिविरों में प्राय: निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी कर दिये जाते हैं, जिससे चालक की वाहन क्षमता का पूर्ण परीक्षण नहीं हो पाता है, जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 10.01.2000 द्वारा शिविरों में लाइसेंस जारी नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश की पूर्ण रूप से पालना नहीं हो रही है।

अत: इस सम्बन्ध में पुन: समस्त परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में शिविर लगाकर लर्निंग अथवा स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किये जावें। इस आदेश के उल्लंघन के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

(वी. एस. सिंह)

प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन

सवाई माधोपुर में प्रस्तावित नवीन सड़कें

490. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 के बजट में सवाई माधोपुर में कुस्तला से करमोदा के लिए हाइवे स्वीकृत किया गया था? उक्त हाइवे का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था तथा वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और अब यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सड़क निर्माण व पैच वर्क आदि से सम्बन्धित कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में सरकार की कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2014-15 के बजट में सवाई माधोपुर में कुस्तला से करमोदा तक 13.00 कि.मी. लम्बे बाइपास बनाने की घोषणा की गई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

वित्त विभाग द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार कार्य को पी.पी.पी. योजना में करवाने हेतु वर्तमान में साध्यता अध्ययन (फीजिबिलिटी स्टडी) प्रगति पर है। अध्ययन रिपोर्ट में फीजिबल पाये जाने पर ही पी.पी.पी. योजना में कार्य करवाया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़क निर्माण हेतु वर्तमान में 28 कार्य राशि रु. 3546.36 लाख लागत के स्वीकृत हैं। इन कार्यों में से 2 कार्य पूर्ण, 17 कार्य प्रगति पर एवं 9 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

वर्ष 2014-15 में स्वीकृत पैच वर्क कार्यों का व्यय सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2015-16 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में भैंरू दरवाजा से सवाई माधोपुर शहर तक अतिरिक्त कैरिज-वे सड़क राशि रुपये 30.00 करोड़ की लागत से बनवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रति परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जैतारण (पाली) की क्षतिग्रस्त सड़कें

491. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित सिद्धी विनायक कम्पनी, जैतारण मेड़ता मार्ग एवं निम्बोल स्थित ग्रामीण मार्ग जिनकी भार क्षमता क्रमशः 15 टन एवं 10 टन है, उक्त मार्गों पर 60 से 80 टन के कम्पनी के वाहन चलने से सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करके कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील जैतारण (जिला पाली) की जैतारण-निम्बोल-मेड़ता ग्रामीण सड़क (कि.मी. 0/0 से 20/0) की क्रस्ट डिजाइन एवं निर्माण उस पर गुजरने वाले सी.वी.पी.डी. (व्यावसायिक वाहन प्रति दिन) एवं इस सड़क की मिट्टी की क्षमता के आधार पर किया गया था।

सिद्धी विनायक कम्पनी का सीमेन्ट प्लांट जैतारण-निम्बोल सड़क के कि.मी. 17/0 से 3 कि.मी. दूर ग्राम सिनला के पास स्थित है। उक्त कम्पनी के 60 से 80 टन वजन के वाहन, 60 से 70 की संख्या में प्रति दिन इस सड़क पर चलते हैं । इन ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन के कारण यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा जिला प्रशासन को उक्त सड़क पर कम्पनी के भारी यातायात को नियंत्रित करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा कम्पनी को लिखे गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सरदारशहर के गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कें

492. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम जैतासर से रोलासर, तोलासर, दल्लूसर, मनापरसर, बनियासर सड़क का विभागीय अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? मौका निरीक्षण की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) उक्त गांवों की सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कब तक प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) ग्राम जैतासर मेगा हाइवे पर स्थित है एवं इससे अन्य कोई सड़क नहीं निकलती है। प्रश्न में उल्लिखित सड़क सावर-दल्लूसर-रोलासर-तोलासर-बनियासर-मनापरसर (ग्रामीण सड़क संख्या-72) कुल 17.00 कि.मी. लम्बी है। इस सड़क के कि.मी. 0/0 से 14/0 का निर्माण वर्ष 1993 में एवं 14/0 से 17/0 का निर्माण वर्ष 2004 में हुआ था। इसके कि.मी. 0/0 से 5/0 का नवीनीकरण वर्ष 2005-06 में हुआ था।

वर्तमान में यह सड़क किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है और इस पर कोई कार्य भी प्रगति पर नहीं है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सड़क का सामान्य निरीक्षण किया जाता है, जिसका रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(2) उल्लिखित सड़क सावर-दल्लूसर-रोलासर-तोलासर-बनियासर-मनापरसर (ग्रामीण सड़क संख्या-72) कुल 17.00 कि.मी. लम्बी है। इसका कि.मी. 0/0 से 5/0, 12/0 से 17/0 का भाग पैच मरम्मत पश्चात् संतोषजनक स्थिति में है। शेष कि.मी. 5/0 से 12/0 का भाग क्षतिग्रस्त व नान-पैचेबल है।

(3) उक्त सड़क के कि.मी. 5/0 से 12/0 का भाग नवीनीकरण के अभाव में वर्तमान में नान-पैचेबल श्रेणी में है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(4) उक्त सड़क के पैचेबल भाग (कि.मी. 0/0 से 5/0, 12/0 से 17/0) पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर पैच मरम्मत करवाकर रख-रखाव किया जाता है एवं वर्तमान में यह संतोषजनक स्थिति में है। कि.मी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

5/0 से 12/0 का भाग क्षतिग्रस्त (नान पैचेबल) है एवं किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। इसके नवीनीकरण के लिए राशि रु. 105.00 लाख की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से बंध की घाटी की भूमि का अधिग्रहण

493. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बाइपास सड़क बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर से बंध की घाटी तक भूमि अधिग्रहित की गई थी? यदि हां, तो कब व उक्त भूमि किसके नाम दर्ज थी? भूमि के खसरे नं. एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का मुआवजा भी दिया जा चुका है? यदि हां, तो कितना मुआवजा किस-किस को कब दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बाइपास सड़क बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर से बंध की घाटी तक भूमि अवाप्ति अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अवाप्ति), जयपुर द्वारा वर्ष 1963 में की गई थी। अवाप्त की गई भूमि के हितधारियों के नाम, खसरा नं. व रकबे का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। अतिरिक्त कलक्टर (भूमि अवाप्ति), जयपुर द्वारा जिन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

आसीन्द में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

494. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कौन-कौनसी ग्रामीण बस सेवा की सुविधा कहां-कहां के लिए उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में निम्नानुसार ग्रामीण बस सेवा संचालित है :-

क्र. सं.	मार्ग	वाहन	परिचक्र
1	आसीन्द से शाहपुरा वाया मोतीपुर, काल्यास, सोडास, डाबला	2	8
2	गुलाबपुरा से आसीन्द वाया अन्ताली, दांतडा, शम्भूगढ़, अरसनी, आमेसर	3	12
3	राजसमन्द से ब्यावर वाया पीछोला, भोजपुरा, पीपली का बाडिया, कोलीपूरा, बदनोर, मावला, मोती चौराहा ओडियाना, चतरपुरा	1	02

झालावाड़ व बारां जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें

495. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

झालावाड़-बारां जिले में वर्ष 2009 से 2013 के मध्य कितनी सड़कें स्वीकृत हुई तथा उनकी गुणवत्ता के क्या मानदण्ड निर्धारित थे? पुन: उन्हीं सड़कों की कितनी बार मरम्मत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

झालावाड़ जिले में वर्ष 2009 से 2013 तक कुल 561 सड़क कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी लागत राशि रु. 495.71 करोड़ एवं लम्बाई 1,749.78 कि.मी. है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

बारां जिले में वर्ष 2009 से 2013 तक कुल 504 सड़क कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी लागत राशि रु. 577.39 करोड़ एवं लम्बाई 1,442.69 कि.मी. है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

उक्त सड़कों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप करवाया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उक्त सड़कों के निर्माण के पश्चात् इन पर सम्बन्धित संवेदकों एवं विभाग द्वारा की गई मरम्मत का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी व नवलगढ़ में सड़कों से वंचित गांव/ढाणियां

496. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी व नवलगढ़ में 250 की आबादी की कितनी ढाणियां/गांव सड़क से जुडे हुए हैं तथा कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष ढाणियों/गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 250 से अधिक आबादी के 102 गांव सड़क से जुडे हुए हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। शेष 8 गांव सड़क से जुडे हुए नहीं हैं, जिसमें से एक गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मजरे/ढाणी की श्रेणी में पात्रता रखने के कारण स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट-1 (क) पर प्रस्तुत है। विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में 250 से अधिक आबादी के 92 गांव सड़क से जुडे हुए हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। शेष 4 गांव सड़क से जुडे हुए नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-2 (क) पर प्रस्तुत है। मजरों/ढाणियों को सड़क से जोड़ने का कार्य वर्ष 2009 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग के सर्वे 2003 के अनुसार चिह्नित/पात्रता रखने वाले 250 व अधिक आबादी के मजरों/ढाणियों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना प्रारम्भ की गई। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में पात्रता रखने वाले 125 मजरे/ढाणियां सड़क से जुड़े हुए हैं, (सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है) एवं 33 मजरे/ढाणियां शेष हैं (सूची परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है)। इनमें से 3 कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रगति पर है व 1 कार्य आबादी विस्थापित होने से प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा शेष 29 मजरे/ढाणियों की डी.पी.आर. बना ली गई है तथा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पात्रता रखने वाले 134 मजरे/ढाणियां

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क से जुड़े हुए हैं, सूची परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है) एवं 45 मजरे/ढाणियां शेष हैं (सूची परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है) इनमें से 3 कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रगति पर है एवं 1 कार्य का रास्ता उपलब्ध नहीं होने से कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा शेष 41 मजरे/ढाणियों की डी.पी.आर. बना ली गई है तथा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी। वर्ष 2003 के बाद मजरे/ढाणियों का जनगणना सर्वे उपलब्ध नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खेड़ा श्री हनुमान जी ग्राम (जयपुर) में नालियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

497. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी, ग्राम पंचायत माधोराजपुरा, जिला जयपुर में बालाजी के मंदिर के सामने स्थित मकानों के निवासियों ने नालियों पर अतिक्रमण कर उन्हें अवरुद्ध कर दिया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा? अतिक्रमियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नालियों पर अतिक्रमण से घरों का गंदा पानी सड़क पर फैलता है, जिससे मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समस्या बाबत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई तथा नहीं, तो क्यों? प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ग्राम खेड़ा श्री हनुमानजी, जिला जयपुर में बालाजी मंदिर के सामने स्थित नालियों से अतिक्रमण हटवाकर नालियों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(5) क्या सरकार अतिक्रमियों एवं प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निम्न व्यक्तियों ने नालियों पर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है :-

1. श्री शेरसिंह
2. श्री मूलचन्द/लादू जांगिड़
3. श्री किशन/रामलाल गुर्जर
4. श्री रामेश्वर/देवाराम गुर्जर
5. श्री रामावतार/भूरा कुम्हार
6. श्री रामचन्द्र/बाबू तेली
7. श्री श्रवण/भैरू गुर्जर
8. श्री रतन/रामरतन
9. श्री मोहन/पांचू सेन
10. श्री सियाराम/छोटूदास स्वामी
11. श्री ट्रस्ट बाजाजी मंदिर प्याऊ
12. श्री गोपी/भंवर लाल गुर्जर
13. श्री रामजी लाल/रामावतार
14. श्री हनुमान/सूरज नाथ
15. श्री गोवर्धन/भूरा कुम्हार
16. श्री मुकेश/जगदीश
17. श्री श्रवण/जोरू

(2) जी नहीं। मन्दिर से उत्तर दिशा में लगभग 300 फीट दूरी पर नाली अवरुद्ध होने के कारण डामर सड़क पर पानी फैल जाता है।

(3) जी हां। सुगम समाधान पर दिनांक 23.07.2014 एवं 24.07.2014 को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला परिषद्, जयपुर के पत्र क्रमांक 2014/2333 दिनांक 24.07.2014 के तहत समस्या का समाधान एवं

(ग्रामीण विकास मंत्री)

अतिक्रमण हटाने के लिये ग्राम पंचायत माधोराजपुरा को लिखा गया। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 165 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 110 के तहत अतिक्रमण ग्राम पंचायत द्वारा हटाया जाता है। शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त अतिक्रमण को पंचायत कोरम की बैठक में निर्णय पारित कराकर 2 माह में हटा दिया जावेगा।

(5) जी हां। दोषी व्यक्तियों को चिह्नित करके नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर पुताई का टेण्डर

498. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) व **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बारां जिले में वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की पुताई हेतु पंचायत समिति स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में किस-किस दर पर कौन-कौनसी एजेंन्सी को पुताई का टेण्डर दिया गया? पुताई में व्यय की गई राशि सहित पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जिला बारां में वर्ष 2014-15 में किसी भी पंचायत समिति द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की पुताई हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हैं।

दूदू में मनरेगा योजना के तहत आबंटित राशि

499. श्री प्रेमचन्द बैरवा (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र दूदू में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक मनरेगा योजना के तहत कितनी राशि आबंटित की गई व कितनी-कितनी राशि का व्यय किन-किन कार्यों पर किया गया? वर्षवार आबंटित राशि एवं व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दूदू में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आबंटित एवं व्यय राशि निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि	व्यय राशि
2009-10	14744.16	11302.05
2010-11	7438.30	4899.40
2011-12	5261.93	3482.50
2012-13	2040.80	2844.49
2013-14	1504.96	1682.29
योग	**30990.15**	**24210.73**

राशि का व्यय योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों पर किया गया है। व्यय राशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र दूदू में वर्ष 2009-10 से 2013-14 में हुए व्यय का श्रेणीवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)		
				श्रम	सामग्री	योग
1	2009-10	ग्रामीण सम्पर्क	1892	3222.77	793.69	4016.46
		जल संरक्षण व पारम्परिक जल निकाय	2118	6896.3	0	3896.3
		सिंचाई नहरें	29	91.66	0	91.66
		चरागाह विकास कार्य एवं मेड़बन्दी कार्य	418	297.63	0	297.63
		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	0	0	0	0
		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य	0	0	0	0
		कुल योग	**4457**	**10508.36**	**793.69**	**11302.05**

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)		
				श्रम	सामग्री	योग
2	2010-11	ग्रामीण सम्पर्क	2080	967.16	1280.18	2247.34
		जल संरक्षण व पारम्परिक जल निकाय	1047	2149.79	337	2486.79
		सिंचाई नहरें	28	50.77	0	50.77
		चरागाह विकास कार्य एवं मेड़बन्दी कार्य	213	84.26	0	84.26
		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	57	30.24	0	30.24
		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य	0	0	0	0
		कुल योग	**3425**	**3282.22**	**1617.18**	**4899.4**
3	2011-12	ग्रामीण सम्पर्क	1398	1096.8	865.78	1962.58
		जल संरक्षण व पारम्परिक जल निकाय	1088	832.6	92.68	925.28
		सिंचाई नहरें	47	133.5	1.51	135.01
		चरागाह विकास कार्य एवं मेड़बन्दी कार्य	256	78.72	18.04	96.76
		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	65	25.53	337.34	362.87
		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य	0	0	0	0
		कुल योग	**2854**	**2167.15**	**1315.35**	**3482.50**
4	2012-13	ग्रामीण सम्पर्क	846	876.07	659.2	1535.27
		जल संरक्षण व पारम्परिक जल निकाय	569	804.35	59.78	864.13
		सिंचाई नहरें	39	77.67	74.51	152.18

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)		
				श्रम	सामग्री	योग
		चरागाह विकास कार्य एवं मेड़बन्दी कार्य	194	97.47	50.99	148.46
		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	42	6.14	138.31	144.45
		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य	0	0	0	0
		कुल योग	**1690**	**1861.7**	**982.79**	**2844.49**
5	2013-14	ग्रामीण सम्पर्क	671	506.76	408.1	914.86
		जल संरक्षण व पारम्परिक जल निकाय	388	552.73	25	577.73
		सिंचाई नहरें	27	16.68	8.77	25.45
		चरागाह विकास कार्य एवं मेड़बन्दी कार्य	182	47.45	47.89	95.34
		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	38	1.75	41.65	43.4
		व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य	2546	25.51	0	25.51
		कुल योग	**3852**	**1150.88**	**531.41**	**1682.29**
		महा योग	**16278**	**18970.31**	**5240.42**	**24210.73**

नवलगढ़ में रियायती दर पर आवासों का आबंटन

500. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश में नि:शुल्क/रियायती दर एवं पुराने भवनों के विनियमितीकरण के पट्टे जारी करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसके मुकाबले कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) उक्त वित्तीय वर्ष में अब तक आवास-विहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर कितने आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये, बी पी एल परिवारों को कितने नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये तथा पुराने आवासीय भवनों व कब्जों के विनियमितीकरण के कितने पट्टे जारी किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में किन-किन व्यक्तियों को कहां-कहां रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये व किन-किन बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये तथा किन-किन व्यक्तियों को पुराने आवासीय भवनों व कब्जों के विनियमितीकरण के पट्टे जारी किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश में नि:शुल्क/रियायती दर एवं पुराने भवनों के विनियमितीकरण के पट्टे जारी करने का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अब तक आवासविहीन गरीब परिवारों को रियायती दर, बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क तथा पुराने आवासीय भवनों व कब्जों के विनियमितीकरण के पट्टों का विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में रियायती दर पर 9 आवासीय भूखण्ड आबंटित किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर पुराने आवासीय भवनों व कब्जों के विनियमितीकरण के 80 पट्टे जारी किये, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है एवं बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड जारी नहीं किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली पंचायत समिति (जयपुर) में ग्राम सेवक/सचिव के रिक्त पद

501. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) में ग्राम सेवक एवं सचिव के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटपूतली में अनेक ग्राम सेवक/सचिव तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही पंचायत में पदस्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों एवं क्या सरकार ऐसे ग्राम सेवक/सचिवों का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) में ग्राम सेवक एवं सचिव के कुल 42 पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से 10 पद रिक्त हैं। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। ग्राम सेवक से पंचायत प्रसार अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने पर रिक्त होने वाले ग्राम सेवक के पदों को भी रिक्त पदो में शामिल करने के पश्चात् कुल रिक्त पदों पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों की भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। पंचायत समिति कोटपूतली में 14 ग्राम सेवक/सचिव तीन वर्षो से अधिक समय से एक ही पंचायत में पदस्थापित हैं। सूची परिशिष्ट-ब संलग्न है। इनमें से 9 ग्राम सेवको के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये थे, लेकिन तत्समय आचार संहिता लग जाने के कारण पालना नहीं हो सकी। इनमें से एक ग्राम सेवक द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। शेष 5 ग्राम सेवको के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से नहीं किये जा सके थे। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने से प्रतिबन्ध हटने के बाद स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पद
1	भालोजी	1
2	भौनावास	1
3	भूरी भडाज	1
4	बुचारा	1

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पद
5	देवता	1
6	कांसली	1
7	खडब	1
8	मोहनपुरा	1
9	नारेहडा	1
10	सांगटेडा	1
	योग	10

परिशिष्ट-ब

क्र. सं.	स्थानांतरित ग्राम सेवक का नाम	ग्राम पंचायत	स्थानांतरण आदेश का क्रमांक व दिनांक
1	श्री कृष्णा सिंह	बनेठी	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
2	श्री विक्रम सिंह	चिमनपुरा	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
3	श्री महेन्द्र कुमार दर्जी	कुजोता	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
4	श्री यादवेन्द्र पाहूजा	कल्याणपुरा कलां	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
5	श्री महेन्द्र पाल मोरोडिया	नांगल पण्डितपुरा	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
6	श्री अशोक कुमार सिंह	पनियाला	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
7	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	सरूण्ड	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
8	श्री सुशीला मीणा	बुचारा (पावटा)	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
9	श्री सीताराम शर्मा	कारोली (पावटा)	5212-25/20.10.14 संशोधित आदेश 5240/27.10.14
10	श्री सतीश कुमार	गोनेडा	15.09.2009 से निरन्तर
11	श्री सत्यप्रकाश	रायकरणपुरा	31.10.2011 से निरन्तर

क्र. सं.	स्थानांतरित ग्राम सेवक का नाम	ग्राम पंचायत	स्थानांतरण आदेश का क्रमांक व दिनांक
12	श्री रूपेन्द्र कुमार आर्य	सांगटेडा	25.08.2005 से निरन्तर
13	श्री लक्ष्मीनारायण मेहता	भैंसलाना (पावटा)	04.11.2009 से निरन्तर
14	श्री करण सिंह शेखावत	राजनोता	03.08.2010 से निरन्तर

किशनगढ़ बास में सांसद/विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्य

502. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वर्ष 2010 से 31 जनवरी, 2015 तक सांसद/राज्य सभा सांसद व स्थानीय विधायक क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्वीकृत कार्यों की अन्तिम किश्त जारी कर कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि खर्च कर कार्यों को पूर्ण किया गया? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहे कार्यों को अब कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वर्ष 2010 से 31 जनवरी, 2015 तक सांसद/राज्य सभा सांसद व विधायक क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की राशि एवं दिनांक का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) उक्त सभी 435 स्वीकृत कार्यों में से 414 कार्यों की अन्तिम किश्त जारी कर कार्य पूर्ण करा दिये गये है। पूर्ण कार्यों के खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 5 पर अवलोकनीय है। अपूर्ण कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। अपूर्ण रहे कार्य अगस्त, 2015 तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत (पाली) में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे

503. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में अनेकों परिवार बी.पी.एल. की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अब पुन: अभियान चलाकर वंचित गरीब परिवारों को बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। भारत सरकार के निर्देशानुसार बी पी एल सेन्सस-2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रथम अपील सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बी पी एल सूची 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को जोड़ा जा सकता है।

प्रत्येक 5 वर्ष में भारत सरकार द्वारा बी पी एल सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के ड्राफ्ट पब्लिकेशन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

बहरोड़ पंचायत समिति (अलवर) में नरेगा योजना का लम्बित भुगतान

504. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले की पंचायत समिति बहरोड़ में गत दो वर्षो में किस-किस गांव में नरेगा योजना में कौन-कौनसा कार्य कब-कब स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यो में किस-किस वर्ष के किस-किस माह में किस-किस कार्य की कितनी-कितनी मजदूरी बनी एवं किस-किस माह की मजदूरी का भुगतान कितनी-कितनी अवधि के बाद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) उक्त किन-किन कार्यों का भुगतान लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले की पंचायत समिति बहरोड़ में पिछले दो वर्षों में 31 गांवों में नरेगा योजना में 46 कार्य स्वीकृत हुए, जिनकी गांववार, कार्यवार, दिनांकवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कार्यवार मजदूरी भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) किसी भी कार्य का भुगतान लम्बित नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भोपालगढ़ के गांवों की लम्बित पेयजल परियोजनाएं

505. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तिवरी, मथानिया व बावड़ी पेयजल योजना का काफी लम्बे समय से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? उक्त योजना अब कब तक पूर्ण हो जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल (आर.डी. 177.5) से क्षेत्रीय जल योजना तिंवरी-मथानिया-औसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ओसियां के 47 ग्राम व 553 ढाणियां तथा विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के 66 ग्राम व 397 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13.07.2007 को राशि रुपये 305.15 करोड़ तथा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 430.06 करोड़ की दिनांक 20.02.2010 को जारी की गई।

विभागीय तकनीकी समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन को सात चरणों में विभक्त करने की स्वीकृति दिनांक 09.02.2009 को दी जाकर उक्त योजना का कार्य वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ किया गया । उक्त परियोजना के सात पैकेजों की प्रगति एवं इसकी क्रियान्विति में विलम्ब के कारणों का उल्लेख परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्रीमती कमसा)

उक्त योजना का कार्य चरणबद्ध रूप से दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण किया जाना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बौंली (सवाई माधोपुर) को बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

506. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास के गांव बौंली को बीसलपुर से निवाई होकर पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु 17.00 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव बौंली को बीसलपुर से पीने का पानी उपलब्घ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे और कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बौंली की पेयजल समस्या के समाधान हेतु बीसलपुर से नहीं अपितु ईसरदा बांध से ग्राम बौंली सहित कुल 178 ग्रामों हेतु बनाई गई योजना की स्वीकृति पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जायेगा। इस जल योजना का स्रोत ईसरदा बांध है जिसके लिए रुपये 530.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है तथा यह कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है ।

(2) उपरोक्तानुसार ।

जैसलमेर जिले में अण्डरग्राउण्ड पानी का पुन: सर्वे

507. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले के किन-किन गांवों में अण्डरग्राउण्ड मीठा पानी उपलब्ध है? पानी की गहराई सहित गांवों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह)

(2) क्या सरकार जिले के सभी गांवों में अण्डरग्राउण्ड पानी हेतु पुन: सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमर जिले में 880 गांव हैं जिनमें से 344 गांवों में अण्डरग्राउण्ड मीठा पानी उपलब्ध है। ये 344 गांव विभिन्न पोटेन्शियल जोन में स्थित हैं, जिनका औसत भूजल स्तर पोटेन्शियल जोन अनुसार संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) भूजल विभाग द्वारा जिले में चुनिदा 208 ग्रामों में स्थित पीजोमीटर/ओपनवेल का वर्ष में (वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात्) दो बार भूजल स्तर मापन किया जाता है। सूची संलग्न की जा रही है। (परिशिष्ट-ब)

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

खानपुर के ग्रामों के लिए पेयजल योजना

508. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर के उप तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत आगरिया, कुशलपुरा, बडाप, नानोर व रेपला के सभी गांवों के लिए पेयजल की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र खानपुर की उप तहसील बकानी की वर्णित 5 ग्राम पंचायतों में कुल सम्मिलित 39 ग्रामों में से 13 ग्राम छापी वृहद् पेयजल परियोजना से, 4 ग्राम पम्प एवं टैंक पेयजल योजना से तथा 22 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं । छापी वृहद् पेयजल परियोजना तथा पम्प एवं टैंक पेयजल योजनाओं से लाभान्वित 17 ग्रामों में निर्धारित मानक अनुरूप 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों में पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा में चम्बल पेयजल परियोजना

509. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित चम्बल पेयजल परियोजना के पूरी होने की समयावधि क्या है?

(2) क्या सरकार उक्त पेयजल योजना को समयावधि में पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (जिला भीलवाड़ा) के समस्त ग्रामों हेतु चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण अन्तर्गत पैकेज चतुर्थ की राशि रुपये 423.76 करोड़ की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 418.36 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 29 अगस्त, 2013 जारी किया जा चुका है । कार्यादेश अनुसार इस पैकेज की कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि 7 सितम्बर, 2016 है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

बसन्त विहार आगरा रोड (जयपुर) में पेयजल की व्यवस्था

510. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर, जयपुर की बसंत विहार-प्रथम, पोल्ट्री फार्म, आगरा रोड जयपुर के निवासियों को पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल व्यवस्था हेतु उक्त कालोनी में दो हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में पूर्व में लगे हैण्डपम्प सूख चुके हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके स्थान पर कब तक नवीन हैण्डपम्प लगा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर, जयपुर अन्तर्गत पोल्ट्री फार्म आगरा रोड, जयपुर स्थित बसंत विहार-प्रथम कालोनी में वर्तमान में एक

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

क्रियाशील हैण्डपम्प से तथा इस कालोनी के समीप स्थित बसंत विहार-द्वितीय कालोनी में क्रियाशील एक सिंगल फेस नलकूप मय पी.वी.सी. टैंक से पेयजल उपलब्ध हो रहा है । इसके अतिरिक्त कालोनी निवासियों की मांग पर आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां । उक्त कालोनी में कुल स्थापित 3 हैण्डपम्पों में से 2 हैण्डपम्प वर्तमान में सूखे हैं । भू-जल वैज्ञानिक की राय के उपरान्त उक्त कालोनी में नवीन हैण्डपम्प के निर्माण की स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा।

केकड़ी के गांवों में पेयजल समस्या का समाधान

511. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम घटियाली बासटा, सोहनपुरा, सुरजपुरा, धानमा, प्रतापपुरा, कालेडा, कंवरजी, मेवदा कलां, आदि कई गांवों में अपर्याप्त पेयजल की आपूर्ति हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के गांवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित वर्णित ग्रामों सहित कुल 29 ग्रामों में इन योजनाओं से निर्धारित मानक से कम मात्रा में पेयजल आपूर्ति हो रही है, परन्तु उक्त समस्त ग्रामों में पर्याप्त रूप से स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्प/सिंगल फेस नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के उक्त समस्त ग्रामों में से 9 ग्रामों हेतु योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं । शेष ग्रामों की योजनाओं की स्वीकृति पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जायेगा। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले के छात्र-छात्रओं को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

512. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में बूंदी जिले में सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान कब-कब किया गया है व अब कितने छात्र-छात्राओं को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में बूंदी जिले में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृत आवेदन पत्र, लम्बित आवेदन पत्रों एवं भुगतान की छात्रवृत्ति का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में बकाया आवेदन पत्रों का निस्तारण इसी वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं।

परिशिष्ट 'अ'

बूंदी जिले में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्र, स्वीकृत आवेदन पत्र, भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम योजना	2011-12				2012-13				2013-14			
		प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	भुगतान की गई राशि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	भुगतान की गई राशि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	भुगतान की गई राशि	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	3549	3493	165.52	0	2891	2841	279.78	5	3055	2760	248.44	61
2	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	4555	4469	303.65	0	5442	5316	379.49	1	5173	4987	307.15	176
3	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1531	1315	50.49	0	2598	1833	106.59	0	2603	2095	181.95	0
4	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1412	1274	55.070	0	1807	1675	137.503	5	1224	1217	56.40	76
5	आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	176	126	3.58	29

चूरू जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण

513. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगम, चूरू द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाया जाता है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितनों को किस-किस कार्य का प्रशिक्षण दिलाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू जिले में गत 5 वर्षों में किन-किन संस्था/कम्पनी/फर्म को प्रशिक्षण का कार्य दिया गया? उनके अनुबंध पत्र व शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चूरू जिले में उक्त संस्था/फर्म/कम्पनी की किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गयी व जांच में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं? जांच रिपोर्ट की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू जिले में कितनी संस्था/कम्पनी/फर्म को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया एवं अब उक्त का कितना भुगतान बकाया है? बकाया राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कार्यालय राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड चूरू के द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों को दक्षता विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत (भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता योजना) से रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। जिला कार्यालय चूरू में पिछले पांच वर्षो मे प्रशिक्षित किये गये छात्रों का विवरण मय प्रशिक्षण ट्रेड विवरण (परिशिष्ट 1) पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 में चूरू जिले मे कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नही हुआ। वित्तीय वर्ष 2010-11 में चूरू जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई (परिशिष्ट-2)। वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध पत्र (परिशिष्ट-3) एवं 2012-13 मे मैसर्स हार्डिकोन लिमिटेड को

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

कार्यादेश दिये गये (परिशिष्ट-4) । वित्तीय वर्ष 2013-14 मे चूरू जिले मे कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हुआ।

(3) चूरू जिले में इन संस्था/फर्म/कम्पनी की समय-समय पर परियोजना प्रबन्धक, चूरू द्वारा जांच की गई। तिथि एवं जांच अधिकारी का नाम व पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख संलग्न जांच रिपोर्ट में किया गया है जो कि परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड मुख्यालय जयपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में टेली सोल्यूशन प्रा. लि. से टेली का विशेष प्रशिक्षण कराये जाने का एक अनुबंध किया गया था किन्तु वर्ष 2012-13 में कम्पनी ने कार्य करने से इंकार कर दिया। अनुबंध पत्र परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। प्रशिक्षण की जांच वित्त विभाग द्वारा निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से की गयी, जिसमें चूरू जिला भी शामिल है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताओं के बिन्दुओं पर जवाब प्राप्त किया जा रहा है।

(4) चूरू जिले में वर्षवार/संस्थावार किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-7 पर सलंग्न है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में मैसर्स हार्डिकान लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा जिला चूरू में जारी 274 की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 174 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडो मे प्रशिक्षण दिया गया था, जिसका संस्थान को रुपये 15,62,135 का भुगतान किया जाना शेष है। (परिशिष्ट-8)

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

चौहटन में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास खोलने की योजना

514. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा पर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री तरुण राय कागा)

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को अध्ययन की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए क्या सरकार उक्त छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

(3) उक्त छात्रावासों में छात्रों की सुविधाओं हेतु प्रति छात्र कितनी राशि निर्धारित की गई है? क्या निर्धारित राशि में उन्हें देय सुविधाएं मिल सकती हैं? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रति छात्र बजट बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 2 एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के 1, कुल 3 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिनकी स्वीकृत क्षमता क्रमशः 160 एवं 50 बालक/बालिकाओं की है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा उपखण्ड मुख्यालय पर वर्तमान में नवीन छात्रावास खोला जाना सम्भव नहीं है तथा न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर पूर्व से विचाराधीन है।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को अध्ययन की अतिरिक्त सुविधा के रूप में विभाग द्वारा छात्रावासों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को वर्ष के किन्हीं तीन महीनों में कठिन विषयों यथा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एवं कक्षा 12 के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में से किन्हीं तीन विषयों की विशेष कोचिंग कराये जाने का प्रावधान नियत है। विभागीय छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षा लगवाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों की सुविधाओं हेतु 1,900 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से साढ़े नौ माह हेतु 18,050 रुपये निर्धारित हैं, जिसकी आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों हेतु निर्धारित बजट में देय सुविधाएं मिलती हैं तथा राज्य सरकार द्वारा सुविधाओं हेतु बजट बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे

क्रमांक/एफ7(2)()रा.छा./सान्याअवि/14/59508 जयपुर दिनांक 18-11-2014

संशोधित आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2014-15 की घोषणा संख्या 172 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, स्वच्छकार, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1750/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह को बढाकर 1900/- प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह नियत कर मदवार राशि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7(2)( ) रा.छा./सान्याअवि/14/20279 दिनांक 12.09.2014 द्वारा नियत की गई है।

वर्णित आदेश में उल्लेखित मदवार विवरण में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम मद	संशोधित राशि (प्रति माह)	प्रति सत्र 9 ½ माह हेतु नियत राशि
1	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1350	12825
2	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, (दो ड्रेसेज) जूते-मौजे, तौलिये एवं गर्ग जर्सी	200	1900
3	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	75	712.50
4	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि की धुलाई	35	332.50
5	बिजली-पानी	150	1425
6	समाचार-पत्र, पत्रिकायें आदि	10	95
7	छात्रावास की साफ सफाई	30	285

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

क्र. सं.	नाम मद	संशोधित राशि (प्रति माह)	प्रति सत्र 9 1/2 माह हेतु नियत राशि
8	सामान्य मरम्मत बिजली, वाईरिंग व फिटिंग, रंग रोगन, सफेदी, सेनेटरी मरम्मत, पलंग मरम्मत आदि	50	475
	योग	**1900**	**18050**

क्र.सं. 8 पर अंकित सामान्य मरम्मत मद से प्रावधित राशि में से छात्रावास भवन की रंगाई, पुताई, रंग रोगन, बिजली व सेनेटरी आदि की मरम्मत, अनावर्तक सामान पलंग, गद्दे, तकिये आदि की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक टूट-फूट की मरम्मत करायी जायेगी।

स्कूल यूनिफार्म, गर्म जर्सी, जूते-मोजे, तौलिये हेतु दी जाने वाली राशि 1900/- प्रति विद्यार्थी प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि विद्यार्थियों को सत्र के आरम्भ में ही यूनिफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जावेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मेस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी स्थिति में कुल व्यय राशि प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1900/- एवं प्रति सत्र 18050/- से अधिक नहीं होगी।

नोट :- विभागीय जिला अधिकारी किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों में भवन मालिक से दिनांक 15.11.2014 तक अनिवार्यत: रंगाई-पुताई, रंग-रोगन का कार्य करवायेंगे। यदि नियत तिथि तक रंगाई-पुताई, रंग-रोगन सम्बन्धी कार्य भवन मालिक द्वारा नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियत राशि में से कटौती कर वर्णित कार्य करवाये जायेंगे।

ह.

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक

फलौदी में जीवनवृत्ति पेंशन योजना के तहत देय राशि

515. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पब्बाराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जीवन वृत्ति, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी राशि से कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है? संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में जीवनवृत्ति पेंशन योजना के तहत कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्ध, विधवा एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को जीवनवृत्ति पेंशन का लाभ दिलवाने एवं नये आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सभी लाभान्वित व्यक्तियों को जीवनवृत्ति पेंशन का भुगतान प्रति माह किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत एवं पालिका में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक माह में देय जीवनवृत्ति पेंशन का भुगतान कब-कब एवं कितना-कितना किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना में 21,138 पेंशनरों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनका ग्राम पंचायतवार/नगरपालिकावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पेंशन की मासिक दर निम्नानुसार है:-

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के सभी श्रेणियों के पेंशनरों को 750 रुपये प्रति माह;
2. 75 वर्ष से कम आयु के सभी श्रेणियों के पेंशनरों को 500 रुपये प्रतिमाह; एवं
3. 08 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनरों को 250 रुपये प्रति माह।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) पेंशन स्वीकृति सतत प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है, उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को तथा शहरी क्षेत्र का आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(4) जी हां।। विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विशेष परिस्थितियों को छोडकर सामान्यत: सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (माह फरवरी, 2015 तक) पेंशन की विभिन्न श्रेणी यथा वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन (राष्ट्रीय एवं राज्य की मिलाकर) में लाभार्थियो को भुगतान की गई पेंशन राशि का माहवार एवं पंचायतवार/नगरपालिकावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निजी संस्थाओं को विद्यालय/छात्रावास के संचालन हेतु देय अनुदान

516. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा निजी संस्थाओं को वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, नि:शक्तजन हेतु विद्यालय व छात्रावास के संचालन पर अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में देय है?

(2) कोटा जिले में इस प्रकार की कितनी संस्थाएं संचालित हैं जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से अनुदान दिया जा रहा है? संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में उक्त संस्थाओं को किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं के निरीक्षण हेतु कोई कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कमेटी द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रमों का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं तथा नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 52(2) के अन्तर्गत पंजीकृत विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को मानसिक विमन्दित पुनर्वास गृह, विशेष/आवासीय विद्यालय संचालन करने हेतु अनुदान/सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। अनुदान राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में वृद्धाश्रम योजना एवं विशेष योग्यजन कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं, जिन्हें राज्य तथा केन्द्र सरकार से अनुदान दिया जा रहा है, की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) गत पांच वर्षों में स्वयंसेवी संस्थाओं को दिये गये अनुदान की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। सरकार द्वारा इन संस्थाओं के निरीक्षण हेतु स्थायी कमेटी का गठन नहीं किया गया है, किन्तु इन अनुदानित संस्थाओं का जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। गत वर्षों में कोटा जिले में इन संस्थाओं की जिलाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों द्वारा की गयी एकल एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-द पर संलग्न हैं।

(विवरण, सूचियां व प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

डूंगरपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

517. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं व कितने परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाये गये? कितने परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं? क्या सरकार राशन कार्ड से वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत ए.पी.एल./बी.पी.एल./अन्त्योदय योजना के तहत राशन वितरण नियमों में नये मानदण्ड

(श्री देवेन्द्र कटारा)

तय कर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है? क्या सरकार जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए अलग से कोई मानदण्ड तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 78,749 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं एवं 80,239 परिवारों को केरोसीन उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया जा रहा है।

डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में राशन कार्ड आवेदन पत्रों के अनुसार 90903 परिवारों को नवीन राशन कार्ड जारी किये गये हैं। 1,566 परिवारों के राशन कार्ड बनने से शेष हैं। राशन कार्डों से वंचित उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों पर विभागीय व्यवस्था से 31.03.2015 तक एवं 01 अप्रैल, 2015 से ई-मित्र/सी एस सी कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिनांक 02.02.2015 को जारी किये जा चुके हैं।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा. प्रति परिवार, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 5 किग्रा. प्रति व्यक्ति एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को समानुपातिक रूप से प्रति माह खाद्यान्न (गेहूं) वितरण किया जा रहा है। चीनी केवल बी.पी.एल. परिवारों (अन्त्योदय परिवार सहित) को 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है। गैर-गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 4 लीटर केरोसीन प्रति माह प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान में जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए अलग से कोई मापदण्ड तय करने की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

कोटा जिले में रिक्त उचित मूल्य की दुकानों को आबंटित करने की योजना

518. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में सरकार द्वारा उचित मूल्य की कितनी दुकानें निर्धारित की गई हैं एवं उक्त दुकानों पर कितने राशन डीलर्स कार्य कर रहे हैं?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में चल रही रिक्तियों को पूर्ण करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप कोटा जिले के सभी राशन डीलर राशन सामग्री के वितरण एवं भण्डारण की उचित व्यवस्था रखते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में कुल 648 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र	स्वीकृत	डीलर कार्यरत	रिक्त/अटैच	नवसृजित
शहरी	330	328	2	11
ग्रामीण	318	310	8	43
कुल	**648**	**638**	**10**	**54**

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में रिक्तियों को भरने के लिए उचित मूल्य दुकान आबंटन सम्बन्धी नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 9.2.2015 को जारी किये जा चुके हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 3.3.2015 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत राशन दुकान डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप कोटा जिले के सभी राशन डीलर यथासंभव राशन सामग्री के वितरण एवं भण्डारण की उचित व्यवस्था हेतु प्रयासरत हैं।

बी.पी.एल./ए.पी.एल. परिवारों को राशन सामग्री का वितरण

519. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में बी.पी.एल./ए.पी.एल. के परिवारों को अलग-अलग मात्रा में राशन सामग्री विक्रय की जाती है? यदि हां, तो गत 5

(श्री मदन राठौड़)

वर्षो में समाज के अलग- अलग वर्गों को समय-समय पर, कौन-कौन सी वस्तु, कितनी-कितनी मात्रा में देने का निर्देश दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गत पांच वर्षो में समाज के अलग-अलग वर्गों को समय-समय पर, कौन-कौन सी वस्तु, कितनी-कितनी मात्रा में देने का निर्देश दिया गया, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

वर्ष	नाम सामग्री	उपभोक्ता श्रेणी	मात्रा प्रति माह
2009-10	गेहूं	1- ए.पी.एल. परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		2- बी.पी.एल परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		3- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		4- अन्नपूर्णा परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
2010-11	फोर्टीफाइट आडा	1- ए.पी.एल. परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
	गेहूं	2- बी.पी.एल परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		3- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		4- अन्नपूर्णा परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
2011-12	फोर्टीटाइड आटा	1- ए.पी.एल. परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
	गेहूं	2- बी.पी.एल परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		3- स्टेट बी.पी.एल. परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		4- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		5- अन्नपूर्णा परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
2012-13	फोर्टी फाइड आटा	1- ए.पी.एल. परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
	गेहूं	2- बी.पी.एल परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		3- स्टेट बी.पी.एल. परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		4- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		5- अन्नपूर्णा परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड

वर्ष	नाम सामग्री	उपभोक्ता श्रेणी	मात्रा प्रति माह
2013-14 (अप्रैल, 13 से सितम्बर, 13 तक)	फोर्टीफाइड आटा	1- ए.पी.एल. परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
	गेहूं	2- बी.पी.एल परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		3- स्टेट बी.पी.एल. परिवार	25 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		4- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		5- अन्नपूर्णा परिवार	10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
2013-14 (अक्टूबर, 13 से मार्च, 14 तक)	गेहूं (खाद्य सुरक्षा योजनानतर्गत	1- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति राशन कार्ड
		2- बी.पी.एल. परिवार	05 किग्रा. प्रति यूनिट (न्यूनतम 25 किग्रा प्रति परिवार)
		3- स्टेट बी.पी.एल. परिवार	05 किग्रा. प्रति यूनिट (न्यूनतम 25 किग्रा प्रति परिवार)
		4- अन्य चयनित पात्र परिवार	समानुपातिक रूप से प्रति यूनिट
2014-15	गेहूं (खाद्य सुरक्षा योजनानतर्गत	1- अन्त्योदय परिवार	35 किग्रा. प्रति परिवार
		2- बी.पी.एल. परिवार	05 किग्रा. प्रति यूनिट
		3- स्टेट बी.पी.एल. परिवार	05 किग्रा. प्रति यूनिट
		4- अन्य चयनित पात्र परिवार	समानुपातिक रूप से प्रति यूनिट
2009-10 एवं 2010-11	चीनी	1- ए.पी.एल. परिवार 2-बी.पी.एल. परिवार	शून्य 500 ग्राम प्रति यूनिट
2011-12 से 2014-15		1. पी.एल. परिवार	शून्य
		2- बी.पी.एल. परिवार	500 ग्राम प्रति यूनिट
		3- अन्त्योदय परिवार	
अप्रैल, 2009 से मई, 2010 तक	केरोसीन	1- दो सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	शून्य
		2- एक सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	02 लीटर प्रति राशन कार्ड
		3- बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	प्राप्त आबंटन अनुसार उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक
		4- निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्र	प्राप्त आबंटन अनुसार उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक

वर्ष	नाम सामग्री	समस्त श्रेणी के उपभोक्ता	मात्रा प्रति माह
जून, 2010	केरोसीन	1- दो सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	शून्य
		2- एक सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	02 लीटर प्रति राशन कार्ड
		3- बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	05 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड
		4- निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्र	
जुलाई, 2010 से नवम्बर, 2010	केरोसीन	1- दो सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	शून्य
		2- एक सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	02 लीटर प्रति राशन कार्ड
		3- बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	शून्य
		4- निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्र	शून्य
दिसम्बर, 2010 से फरवरी, 2013 तक	केरोसीन	1- दो सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	शून्य
		2- एक सिलेण्डरधारी उपभोक्ता	02 लीटर प्रति राशन कार्ड
		3- बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	04 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड
		4- निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्र	04 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड
मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक	केरोसीन	1- घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	शून्य
		2- बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	03 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड
		3- निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्र	
मार्च, 2013 से दिसम्बर 2014 तक	केरोसीन	1- घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	शून्य
		2- बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता	04 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड
		3- निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्र	

प्रदेश में फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की कार्य योजना

520. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किस-किस फसल का किस-किस दर से समर्थन मूल्य निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों की फसल की लागत समर्थन मूल्य से अधिक आ रही है, जिससे किसानों को हानि उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में सभी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस फसल के लिए कितना-कितना समर्थन मूल्य व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2015-16 के लिए निम्नानुसार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये गये हैं :-

क्र.सं.	**नाम फसल**	**मूल्य प्रति क्विंटल (रुपयों में)**
1	गेहूं	1450.00
2	जौ	1150.00
3	चना	3175.00
4	मसूर (लैटिल)	3075.00
5	सरसों (रेपसीड/मस्टर्ड)	3100.00
6	सैफलोवर	3050.00

(2) जी नहीं। काश्त लागत अध्ययन आयोजना, कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के द्वारा किए गए अध्ययन एवं आकलन के अनुसार फसल उत्पादन लागत समर्थन मूल्य से कम आ रही है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है।

प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना में लाभान्वित कृषक

521. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश के ऋणी कृषकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अवधिपार ऋण चुकाने पर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गत वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी उक्त योजना का लाभ ऋणी किसानों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा गत वर्ष कितने ऋणी किसानों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर स्थित है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई योजना का लाभ 30.6.2015 तक उठाया जा सकता है।

(3) गत वर्ष 7,517 ऋणी किसानों को उक्त योजना के अनुसार लाभान्वित किया गया है। (सूची संलग्न है)

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

जमवारामगढ़ में बन्द सहकारी समितियों का पुन: संचालन

522. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी ग्राम सहकारी समितियां कहां-कहां संचालित हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौनसी ग्राम सहकारी समितियां कब से बंद हैं तथा उक्त के बंद होने के क्या कारण हैं? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बंद ग्राम सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में कुल 24 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिनमें से 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं एवं 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायनाधीन हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायनाधीन हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम अवसायनाधीन जी एस एस	अवसायन की दिनांक	कारण
1.	जमवारामगढ़	22.12.1998	सभी 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मंगल बिहारी कमेटी की अभिशंसा के आधार पर असक्षम घोषित होने के कारण मंत्रिमण्डलीय आज्ञा क्रमांक 6/95 दिनांक 28.10.1995 के तहत अवसायन में लाया गया था।
2.	सायवाड़	22.08.1998	
3.	सायपुरा	22.08.1998	
4.	टोडामीणा	22.08.1998	
5.	थौलाई	22.12.1998	
6.	ताला	22.12.1998	

(3) उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मंत्रिमण्डलीय आज्ञा के अनुसार अवसायन में लाया गया था, अत: विभागीय मापदण्डों के अनुसार पुनर्जीवित किये जाने हेतु विभाग स्तर से प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं, जिन पर निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	नाम जीएसएस	नाम पंचायत
1.	रायसर	मंहगी, भवनी, रायसर
2.	खरखड़ा	खरखड़ा, लालबाग
3.	मानोता	बूझ, मानोता
4.	चावण्डिया	धामस्या, चावण्डिया
5.	नेवर	दूलारावजी, नेवर
6.	वीरासना	वीरासना, फूटोलाव
7.	आंधी	आंधी, सानकोटड़ा
8.	खली	खली
9.	नीमला किशनावाला	नीमला किशनावाला, रामस्या
10.	पालेडा	नागरियावास, रूपवास, पापड
11.	भानपुरकलां	भानपुरकलां, बासना, नांगल तुलसीदास
12.	घटवाड़ी	घटवाड़ी, बोबाड़ी
13.	अजबपुरा	धोला
14.	नायला	नायला, रोहोरी
15.	जयचन्दपुरा	जयचन्दपुरा
16.	डांगरवाडा	डांगरवाडा, राम्यावाला
17.	राजपुरवासताला	राजपुरवासताला
18.	ताला (अवसायनाधीन)	ताला
19.	माथासूला	माथासूली
20.	सायपुरा (अवसायनाधीन)	सायपुरा
21.	सायवाड़ (अवसायनाधीन)	सायवाड, नटाटा, इन्द्रगढ़
22.	जमवारामगढ (अवसायनाधीन)	जमवारामगढ़, लाली
23.	टोडामीणा (अवसायनाधीन)	टोडा मीणा, बिलोद, सामरेडकलां
24.	थौलाई (अवसायनाधीन)	थौलाई, खवारानीजी, रायपुर

आर. एस. चौहान

उप रजिस्ट्रार

सहकारी समितियां, जयपुर (ग्रामीण)

विधान सभा नगर, ग्राम धौलाई में काटे गये भू-खण्ड

523. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त गृह निर्माण समिति द्वारा विधान सभा नगर आवासीय योजना ग्राम धौलाई जयपुर में काटी गई है? यदि हां, तो उक्त योजना किन-किन खसरों पर काटी गई है? खसरा नम्बरों का विवरण मय नक्शा व भूखण्डधारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संयुक्त गृह निर्माण समिति द्वारा उक्त आवासीय योजना में क्रय की गई भूमि का भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है? यदि हां, तो भुगतान किन-किन काश्तकारों को किस दर से व कितना-कितना किया गया है? भुगतान का विवरण तिथिवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ने उक्त आवासीय योजना में काश्तकारों को भी भूखण्ड आबंटित कर पट्टे जारी किये हैं? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों को किस नाम से कितने-कितने भूखण्ड आबंटित किये गये व उनकी साइज क्या है? पट्टों की छायाप्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15.02.2008 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06.11.2009/15.05.2013 को न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (कृ.भू.नि.) एवं उपायुक्त जोन-08 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी 90बी/90-ए के आदेश अनुसार उक्त योजना संलग्न आदेशों में वर्णित खसरों पर काटी गई है। आदेशों की प्रति तथा नक्शा व भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट "01, 02, व 03" पर संलग्न है।

(2) जी हां। काश्तकार जिनको भुगतान किया गया है, को भुगतान दर व भुगतान राशि का तिथिवार विवरण परिशिष्ट "04" पर संलग्न है।

(3) जी हां। काश्तकारों को आबंटित भूखण्ड एवं भूखण्डों के साइज का विवरण परिशिष्ट "05" पर संलग्न है।

(प्रतियां, सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सीकर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार में हुई अनियमितताओं की जांच

524. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. सीकर में गत संचालन मण्डल के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की समाचार पत्रों के माध्यम से राजकीय मनोनीत संचालन मण्डल के सदस्यों को जानकारी होने पर कोई हस्तक्षेप अथवा कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत संचालन मण्डल में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भण्डार की बैठकों में कितनी बार उपस्थित हुए? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा मनोनीत संचालन मण्डल के सदस्य को अधिनियम की कौनसी धारा के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) गत संचालन मण्डल के कार्यकाल में क्या-क्या अनियमितताएं हुईं तथा उनमें भण्डार को कितने रुपये की हानि हुई? क्या उक्त अनियमितताओं के लिए निर्वाचित संचालन मण्डल के साथ-साथ मनोनीत संचालन मण्डल के सदस्य दोषी हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(5) गत संचालन मण्डल की बैठकों, वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक, के कार्यवाही विवरण की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर राजकीय मनोनीत संचालक उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर द्वारा दिनांक 2.12.11 व 4.12.11 को विभाग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गयी। इससे पूर्व ही अनियमितताओं की जानकारी होने पर विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच के आदेश कर दिये गये थे तथा धारा 55 की जांच उपरान्त जांच परिणाम के आधार पर दोषियों के विरुद्ध धारा 57 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) गत संचालक मण्डल की बैठकों में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर एवं प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर ही एक-एक बार उपस्थित हुए हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(3) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच अधिकारी लगाने का प्रावधान है जिसमें राजकीय मनोनीत संचालक मण्डल के सदस्य को जांच अधिकारी लगाने की कोई रोक नही है। नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) गत संचालक मण्डल के कार्यकाल में हुई विभिन्न अनियमितताओं की राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 की जांच में 20.13 लाख रुपये की अनियमितताएं पायी गयी हैं। उक्त जांच रिपोर्ट में निर्वाचित संचालक मण्डल के सदस्य दोषी पाये गये हैं तथा मनोनीत संचालक मण्डल सदस्य दोषी नही पाये गये हैं। दोषी संचालक मण्डल के सदस्यों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) गत संचालक मण्डल की बैठकों का वितीय वर्ष 2010 से 2015 तक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मानसरोवर, जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा मेडिकल शाप का संचालन

525. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मानसरोवर, जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की मेडिकल शाप (दवाई की दुकान) संचालित हैं? यदि हां, तो कितनी एवं कहां-कहां?

(2) उक्त क्षेत्र में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा संचालित मेडिकल शाप में से कितनी दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं? उक्त शाप पर कितने-कितने कर्मचारी किस-किस योग्यता के पदस्थापित हैं? संख्या, एवं पदवार एवं वर्ष 2014 की औसत प्रतिदिन बिक्री राशि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की दवाई की दुकान खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि पृथ्वीराज नगर एवं मानसरोवर जयपुर के किरण पथ पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ लि. की एक मात्र मेडिकल

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

शाप संचालित है? यदि हां, तो उक्त दवाई की दुकान का संचालन का क्या समय निर्धारित है? क्या उक्त दुकान केवल दोपहर में ही खुली रहती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त संचालित दवाई की दुकान पर कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश के दौरान पूरे दिन व कई-कई दिन दुकान बन्द रहती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त 24 घण्टे सेवा वाली उपभोक्ता संघ की दवाई की दुकान खोलने व दुकान बन्द रहने पर अन्य दुकान को सम्बन्धित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर के मानसरोवर जयपुर में दो मेडिकल दवा विक्रय केन्द्र संचालित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है- 1. किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर- प्लाट नम्बर 36-2, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर;

2. अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर-

सेक्टर-11, जोन 119, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर डिस्पेन्सरी परिसर।

(2) उक्त क्षेत्र में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा संचालित दवा विक्रय केन्द्रों में से कोई भी दवा विक्रय केन्द्र 24 घण्टे खुले नही रहते हैं। इन दुकानों पर एक-एक कर्मचारी पदस्थापित है। पदस्थापित कर्मचारियों की योग्यता एवं वर्ष 2014 की औसत प्रतिदिन की बिक्री राशि का विवरण निम्नानुसार है-

दुकान का नाम एवं पता	पदस्थापित कार्मिक का नाम	कार्मिक की योग्यता	औसत प्रतिदिन बिक्री
किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर प्लाट नम्बर 36-2, किरण पथ, मानसरोवर जयपुर	श्री राजेन्द्र चौधरी (कानफैड कार्मिक)	"डी" फार्मा	0.24 लाख प्रतिदिन

(सहकारिता मंत्री)

दुकान का नाम एवं पता	**पदस्थापित कार्मिक का नाम**	**कार्मिक की योग्यता**	**औसत प्रतिदिन बिक्री**
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर सैक्टर-11, जोन 119, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर	श्री राकेश कुमार जाट (अनुबन्धित आउटसोर्स फार्मासिस्ट)	''बी'' फार्मा	0.10 लाख प्रतिदिन

(3) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा दवाई की दुकान खोलने से पूर्व सर्वे कराया जाता है जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र विशेष में यदि डिस्पेन्सरी है तो उसमें चिकित्सकों की संख्या, डिस्पेन्सरी में आने वाले मरीजों की संख्या, उनमें अनुमानित राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की संख्या, क्षेत्र विशेष में प्राइवेट मेडिकल दुकानों की संख्या व उनकी अनुमानित बिक्री, क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, क्षेत्र विशेष में स्थित सरकारी कार्यालय एवं इनमें कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या, चिकित्सालय में कोई दुकान या दुकान हेतु स्थान की उपलब्धता, क्षेत्र विशेष में कोई उपयुक्त दुकान किराये पर ली जाती है तो उसका अनुमानित किराया एवं क्षेत्र विशेष में दुकान खोले जाने पर अनुमानित बिक्री एवं लाभदायिकता देखी जाती है।

(4) जी हां। मानसरोवर जयपुर के किरण पथ दवा विक्रय केन्द्र का समय चिकित्सालय समयानुसार शीतकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक) प्रात: 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक एवं सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक एवं ग्रीष्मकाल में (1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक) चिकित्सालय समयानुसार प्रात: 8 बजें से दोपहर 1 बजे तक एवं सांयकाल 5 बजे से 7.30 बजे तक निर्धारित है। जी नहीं। उक्त दुकान चिकित्सालय समयानुसार सुबह एवं शाम खुली रहती है।

(5) उक्त संचालित दवाई की दुकान पर कार्यरत कर्मचारी के अवकाश के दिन दुकान बन्द रहती है क्योंकि उक्त दुकान के कार्मिक के पास दवाओं का स्टाक दायित्व प्रणाली के आधार पर उसके दायित्व में ही रहता है, किसी अन्य को इतनी अल्पावधि में दायित्व का चार्ज दिलाया जाना सम्भव नहीं है तथा औषधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुकान पर पदस्थापित कार्मिकों के नाम ही औषधि वितरण का अनुज्ञा पत्र जारी होता है। इसलिए किसी अन्य

(सहकारिता मंत्री)

को अल्पावधि के लिये अधिकृत करते हुए अनुज्ञा पत्र जारी कराया जाना भी सम्भव नहीं है। कई-कई दिन दुकान बन्द नहीं रहती है।

(6) उक्त क्षेत्र में मेट्रो मास चिकित्सालय तथा उसके आस-पास दुकान उपलब्ध होने की स्थिति में देर रात्रि तक खुलने वाली दुकान का संचालन किया जाना विचाराधीन है।

जी नहीं। क्योंकि मानसरोवर क्षेत्र में कानफैड की दो दुकानें वर्तमान में अग्रवाल फार्म तथा किरण पथ पर संचालित हैं।

केन्द्र द्वारा पर्यावरण स्वीकृति नहीं देने से प्रदेश की लम्बित योजनाएं

526. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई गाइडलाइंस भेजी गई हैं? यदि हां, तो गाइडलाइंस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पर्याप्त स्वीकृति नहीं होने के कारण कुछ योजनाएं लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं के लम्बित होने के कारण प्रदेश को कितनी हानि हो रही है? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन एवं उसके अन्तर्गत गाइडलाइंस का संकलन जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में अनेक परियोजनाएं समय-समय पर लम्बित रहती हैं।

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों/ दस्तावेजों का नियमानुसार एवं विहित अवधि के अन्तर्गत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन के प्रावधानों की पालना करते हुए आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है किन्तु आवेदक द्वारा नियमानुसार

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

आवश्यक सूचना/दस्तावेज आवेदक पत्र के साथ संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचित किया जाता है एवं वांछित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक के आवेदन-पत्र कर नियमानुसार निर्णय लिया जाता है। समय पर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है। वांछित सूचना के अभाव में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है।

(3) परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं स्वीकृति के अभाव में कोई हानि हो रही है अथवा नहीं, इसका आंकलन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। लम्बित योजनाओं में प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से निष्पादन करने हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा नियमित बैठकों की संख्या में वृद्धि की गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर सम्भाग में खनिजों के उत्खनन से प्राप्त राजस्व

527. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज विद्यमान हैं? यदि हां, तो किन- किन क्षेत्रों में, कौन-कौन से खनिज कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार को गत 3-4 वर्षों में जोधपुर सम्भाग के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों से लिग्नाइट, खनिज तेल व जिप्सम से भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन से खनिजों से प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त हुआ? क्या सरकार को लिग्नाइट आधारित बिजली बनाने से बिजली प्राप्त हो रही है? यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी मेगावाट?

उत्तर

(1) जी हां । पश्चिमी राजस्थान में विभिन्न जिलों में पाये जाने वाले खनिजों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर

(खान राज्य मंत्री)

एवं जैसलमेर क्षेत्रों में विद्यमान खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भण्डार परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) विभाग को बाड़मेर जिले से खनिज लिग्नाइट व खनिज जिप्सम से राजस्व प्राप्त हुआ तथा जैसलमेर जिले से खनिज जिप्सम का राजस्व प्राप्त हुआ। प्राप्त राजस्व का पिछले चार वर्षों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

जिला	**खनिज**	**वर्ष 2011-12**	**वर्ष 2012-13**	**वर्ष 2013-14**	**वर्ष 2014-15 (फरवरी तक)**
बाड़मेर	लिग्नाइट	1702.00	2779.46	3406.99	5079.12
	जिप्सम	5.36	6.36	4.80	16.60
जैसलमेर	जिप्सम	757.88	428.43	733.97	499.52

जी हां। बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों से खनिज तेल से औसतन प्रति वर्ष 5000 करोड़ एवं प्राकृतिक गैस से औसतन प्रति वर्ष 50 करोड़ राजस्व रायल्टी के रूप में प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में बाड़मेर जिले के गिरल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की राज्य क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन की इकाई 1 व 2 संचालित हैं, जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट (2x125 मेगावाट) है । इसके अतिरिक्त 1080 मेगावाट (8x135 मेगावाट) बिजली राजवेस्ट द्वारा उत्पादित की जा रही है । इन इकाइयों से लिग्नाइट उपलब्धता एवं ग्रिड की आवश्यकतानुसार बिजली का उत्पादन किया जा रहा है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में चरागाह भूमि पर नर्सरी लगाने की योजना

528. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वन व चरागाह भूमि पर नर्सरियां विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम सरपुरा (ग्राम पंचायत फूटोलाव) में चरागाह भूमि पर नर्सरी विकसित करने हेतु पूर्व सरपंच द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गई थी? यदि हां, तो कब एवं क्यों? एन.ओ.सी. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त नर्सरी लगाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है तथा ग्रामवासियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार जमवारामगढ़ को भी शिकायत दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों के विरोध को देखते हुए जन हित में उक्त नर्सरी को स्थापित नहीं कर चरागाह भूमि को केवल मवेशियों के लिए ही सुरक्षित रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वन भूमि पर क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण (जिसे स्थानीय रूप से नर्सरियां कहा जाता है) कार्य कराया जाता है। चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण (जिसे स्थानीय रूप से नर्सरियां कहा जाता है) करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर वृक्षारोपण हेतु चारागाह भूमि 5 वर्ष के लिए वन विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। 5 वर्ष की अवधि में वृक्षारोपण एवं संधारण उपरान्त विकसित वृक्षारोपण सहित पंचायत भूमि पुन: ग्राम पंचायत को सम्भला दी जाती है।

(2) जी हां। विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम सरपुरा ग्राम पंचायत फूटोलाव में चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु तत्कालीन सरपंच द्वारा उनके पत्र दिनांक 11.09.2014 द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 में सर्वसम्मति से जारी स्वीकृति के आधार पर ग्राम सरपुरा की 20 हैक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु 5 वर्ष के लिए वन विभाग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी थी। (प्रति संलग्न)

(3) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर एवं तहसीलदार, जमवारामगढ़, जिला जयपुर की रिपोर्ट अनुसार कुछ ग्रामीणों द्वारा उक्त नर्सरी लगाने (वृक्षारोपण कार्य) के विरोध में शिकायत की गयी है। प्राप्त शिकायत की जांच तहसीलदार, जमवारामगढ़ द्वारा की जा रही है।

(वन राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं। दिनांक 10.09.2014 एवं 15.10.2014 को तत्कालीन सरपंच, वन कर्मचारियों तथा एन.जी.ओ. की मौजूदगी में ग्रामवासियों द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सर्वसम्मति ग्रामवासियों द्वारा दी गई थी तथा ग्राम्य वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया था। दिनांक 23.02.2015 को समस्त ग्रामवासी सरपुरा ग्राम पंचायत फूटोलाव द्वारा पुन: एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर उक्त पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने का समर्थन किया गया है। वन विभाग द्वारा 20 हेक्टेयर चरागाह भूमि पर अधिकांश मृदा कार्य करवाया जा चुका है तथा राजकीय राशि खर्च की जा चुकी है। अत: वृक्षारोपण कार्य को रोका जाना विचाराधीन नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम सरपुरा में 250 बीघा चरागाह भूमि है, जिसमें से 80 बीघा क्षेत्र में ही वृक्षारोपण किया जा रहा है। शेष भूमि मवेशियों के चरने हेतु अभी भी उपलब्ध है।

कार्यालय ग्राम पंचायत, फूटोलाव

पंचायत समित जमवारामगढ़, जिला-जयपुर (राज.)

दिनांक 11-9-2014

विषय :- ग्राम सरपुरा गै. मु. चरागाह भूमि ख.नं. 0/14, 127 रकबा में से 20 है. भूमि पर वृक्षारोपण हेतु स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम सरकुरा के गै.मु. चरागाह ख. न. 114, 127 रकबा 12.62, है. चरागाह में से 20 है. चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20-8-2014 के प्रस्ताव सं. 4 के अनुसार पांच वर्ष के लिये वन विभाग को वृक्षारोपण करने की स्वीकृति ग्राम पंचायत बैठक द्वारा सर्वसम्मति जारी की गई साथ ही पंचायत बैठक द्वारा निर्णय लिया गया कि पांच वर्ष बाद वृक्षारोपण करवाकर ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी जावेगी। जिसकी सुरक्षा रखरखाव आदि पंचायत ही रहेगी।

रिपोर्ट श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

जितेन्द्र शर्मा

सरपंच

ग्राम पंचायत फूटोलाव (जयपुर)

गंगापुर सिटी, सपोटरा व करौली क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही

529. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी, सपोटरा एवं करौली के बीच स्थित खानों में बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के अब तक क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा गत पांच वर्षो में एक बार भी मौके पर जाकर लीजों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक भौतिक सत्यापन करा लिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही परिवार या ग्रुप को बार-बार लीजें दी जाती हैं? यदि हां, तो उक्त तीनों तहसीलों का गत 10 वर्षो का विवरण तथा वर्तमान में लीजों की स्थिति, लीजधारकों के नाम एवं खाली लीजों की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अवैध खनन के प्रकरणों में नियमों की अनदेखी की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? गत तीन वर्षों में कितने प्रकरण पकड़े गये व क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गंगापुर, सपोटरा एवं करौली क्षेत्रों में विभाग द्वारा खनन पट्टे स्वीकृत हैं तथा इन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है । विगत दो वर्षो में इन क्षेत्रों में अवैध खनन के कुल 20 प्रकरण बनाये गये, जिनमें दो मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है तथा बारह प्रकरणों में पेनल्टी राशि रुपये 8,13,274/- वसूल किये गये एवं शेष प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। गत 5 वर्षों में उक्त क्षेत्र में 197 खनन पट्टा निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये हैं।

(3) जी नहीं। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरुद्ध खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने का कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है।

(खान राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं गत 3 वर्षों में विभाग द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/स्टाक के 8,648 प्रकरण बनाये गये, 1954 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई व पेनल्टी स्वरूप 3584.43 लाख रुपये वसूले गये।

कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली, जिला टोंक की प्रदूषण जांच

530. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत दो वर्षों में कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली, तहसील उनियारा, जिला टोंक से होने वाले प्रदूषण की किन-किन द्वारा जांच की गई? जांच के परिणाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत दो वर्षों में कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली, तहसील उनियारा, जिला टोंक से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के जिन अधिकारियों द्वारा की गई है, तथा जांच के परिणाम सम्बन्धी विवरण संलग्नक 'अ' पर उपलब्ध है।

संलग्नक 'अ'

क्र. सं.	निरीक्षण/ जांच दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का नाम व पद	निरीक्षण परिणाम
1	13/12/2012	श्री राम प्रकाश वर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय किशनगढ़ श्री मनोज कुमार मीणा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल केन्द्रीय प्रयोगशाला, जयपुर	उद्योग की चिमनी से उत्सर्जित गैसों में पार्टीकुलेर मैटर (धूलीय कणों) की मात्रा 86 मि.ग्रा./घन मी. पायी गयी जो कि निर्धारित सीमा 100 मि.ग्रा./घन मी. के अन्दर थी।

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को केन्द्रीय इन्डेक्स से जोड़ने की योजना

531. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी दर को निर्धारित केन्द्रीय इन्डेक्स अथवा अन्य राज्यों के इन्डेक्सों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) न्यूनतम मजदूरी की दर के निर्धारण के निम्न मापदण्ड हैं :-

1. न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एवं पुनरीक्षण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 एवं धारा-5 के प्रावधानों के तहत किया जाता है;
2. श्रम ब्यूरो, शिमला, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिये तैयार किये जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के केन्द्रों के सूचकांकों को (अजमेर एवं जयपुर केन्द्र) आधार बनाया जाता है और बढ़े हुये सूचकांकों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दरें प्रस्तावित की जाती हैं;
3. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों पर प्रभावित होने वाले श्रमिकों, व्यक्तियों, श्रम संगठनों एवं नियोजक संगठनों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त कर राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की बैठक में उन पर विचार-विमर्श किया जाता है;
4. मण्डल की बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त मण्डल की राय के साथ न्यूनतम मजदूरी को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं; एवं
5. राज्य सरकार द्वारा मण्डल की राय पर विचार करते हुए न्यूनतम मजदूरी के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लिया जाकर न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती है, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की दिनांक से प्रदेश में लागू किया जाता है।

आवश्यक मापदण्डों (धारा-3 व 5) की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी की दरों को केन्द्रीय इण्डेक्स नम्बर या अन्य राज्यों के इण्डेक्स नम्बर से नहीं जोड़ती है, वरन् श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तय किये गये राजस्थान के केन्द्र अजमेर एवं जयपुर के लिये तैयार किये गये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को न्यूनतम मजदूरी से जोड़कर न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण करती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रमिकों के बालकों के कल्याण हेतु नवीन श्रमिक विद्यालयों की स्थापना

532. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में श्रमिक विद्यालय संचालित करने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कहां-कहां पर श्रमिक विद्यालय किस-किस स्तर पर, किसके द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर सम्भाग में सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में कितने नवीन श्रमिक विद्यालय कहां-कहां पर चिह्नित कर किसके माध्यम से संचालित कराये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किशनगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में कार्य करने वाले 40 हजार बालकों को सुलभ एवं गुणात्मक शैक्षणिक सुधार हेतु नवीन श्रमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा श्रमिक विद्यालय संचालित नहीं किये जाते हैं, बल्कि बाल श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालित किये जाते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना द्वारा जिले में जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सर्वे करवाया जाता है। सर्वे के उपरान्त पाये गये बाल श्रमिकों का सत्यापन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा कराया जाता है। सत्यापित बच्चों की सूची

(श्रम राज्य मंत्री)

श्रम मंत्रालय भारत सरकार को विद्यालयों की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त परियोजना संस्था अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कराया जाता ह्रै। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में राज्य में तीन स्थानों पर विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. अलवर-8
2. भीलवाड़ा-10
3. चित्तौड़गढ़-27

उक्त जिलों के विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) अजमेर सम्भाग में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर एवं नागौर में संचालित किये गये नवीन बाल श्रमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(4) श्रम मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्यरत 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 3 वर्ष में कक्षा-5 तक की शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन किया जाता है। बिन्दु संख्या-1 में वर्णित मापदण्ड पूर्ण करने पर बाल श्रमिक विद्यालय खोले जाते हैं। सामान्य श्रमिकों के बालकों के लिए बाल श्रमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(प्रति, सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

स्थगित प्रश्न संख्या-309

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या-334 का विवरण

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष	प्रशिक्षण केन्द्र (स्वयंसेवी संस्था का नाम)	स्थान	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि दिनांक से तक	माह	केन्द्र खोले जाने/प्रारम्भ होने का दिनांक
2011-12	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	हैण्डीक्राफ्ट	25	14.02.12 to 13.05.12	3 month	14.02.2012
	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	हैण्डीक्राफ्ट	25	14.02.12 to 13.05.12	3 month	14.02.2012
	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	14.02.12 to 13.05.12	3 month	14.02.2012
	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	14.02.12 to 13.05.12	3 month	14.02.2012
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	15.02.12 to 14.05.12	3 month	15.02.2012
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	सुभाष नगर पाली	बयूटी पार्लर	25	15.02.12 to 14.05.12	3 month	15.02.2012

वर्ष	प्रशिक्षण केन्द्र (स्वयंसेवी संस्था का नाम)	स्थान	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि दिनांक से तक	माह	केन्द्र खोले जाने/प्रारम्भ होने का दिनांक
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	15.02.12 to 14.05.12	3 month	15.02.2012
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	15.02.12 to 14.05.12	3 month	15.02.2012
2012-13	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	ब्यूटी पार्लर	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	ब्यूटी पार्लर	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
	मानव सेवा विकास संस्थान 300, इन्द्रा कालोनी, पाली	सुभाष नगर पाली	टेलरिंग	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	जोगमाया की ढाणी, पाली	टेलरिंग	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012

वर्ष	प्रशिक्षण केन्द्र (स्वयंसेवी संस्था का नाम)	स्थान	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि दिनांक से तक	माह	केन्द्र खोले जाने/प्रारम्भ होने का दिनांक
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	जोगमाया की ढाणी, पाली	हैण्डीक्राफ्ट	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	भाटों का बास, पाली	टेलरिंग	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, घांचियों का बास, पाली	भाटों का बास, पाली	हैण्डीक्राफ्ट	25	20.04.12 to 19.07.12	3 month	20.04.2012
2013-14	RSLDC PALI	पाली	सुरक्षा गार्ड	25	10.03.14 to 01.05.14	40 दिन	10.03.2014
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, पाली	पाली	टेलरिंग और मशीन रिपेयरिंग	25	14.02.14 to 13.5.14	60 दिन	20.04.2014
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, पाली	पाली	जैम्स, ज्वैलरी/इमिटेशन	25	14.02.14 to 13.5.14	60 दिन	14.02.2014
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, पाली	पाली	सिलाई महिला, पुरुष, बच्चे	25	28.02.2014 to 31.05.14	70 दिन	28.02.2014

वर्ष	प्रशिक्षण केन्द्र (स्वयंसेवी संस्था का नाम	स्थान	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि दिनांक से तक	माह	केन्द्र खोले जाने/प्रारम्भ होने का दिनांक
	मान्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र, पाली	पाली	मशीन एम्बेडरी	25	03.03.2014 to 24.04.2014	40 दिन	03.03.2014
	संस्कार शिक्षण संस्थान, पाली	पाली	सूत दरी, जूट आइटम	25	03.03.2014 to 24.04.2014	40 दिन	03.03.2014
	मानव सेवा विकास संस्थान, पाली	पाली	लकड़ी पेंटीग	25	10.03.2014 to 20.05.2014	50 दिन	10.03.2014
	मानव सेवा विकास संस्थान, पाली	पाली	स्क्रीन प्रिन्टिंग महिलाओं के लिए	25	10.03.14 to 20.05.14	50 दिन	01.03.2014
	जागृति जन सेवा संस्थान, नागौर	पाली	पलम्बर	25	25.02.14 to 28.05.14	90 दिन	25.02.2014
	जागृति जन सेवा संस्थान, नागौर	पाली	घरेलू वायरिंग	25	25.02.14 to 08.04.2014	40 दिन	25.02.2014

परिशिष्ट-ब

वर्ष	प्रशिक्षण केन्द्र (स्वयं सेवी संस्था का नाम)	जगह	ट्रेड	अवधि दिनांक से दिनांक	माह	प्रशिक्षणार्णी का नाम	स्वरोजगार हेतु ऋण राशि	स्वीकृति दिनांक माह/तिथि/वर्ष	अनुदान राशि	ऋण स्वीकृति बैंक/संस्था का नाम
2012-13	जागृति जन सेवा संस्थान नागौर	सांसी बस्ती पाली	घरेलू वायरिंग	01.11.10 से 31.01.11	3 माह	शंकरलाल पुत्र मोहनलाल	40000	7/12/2012	10000	एसबीबीजे कले. शाखा
2012-13	मानव सेवा विकास संस्थान, पाली	सांसी बस्ती पाली	आरतारी कार्य	01.11.10 से 31.01.11	3 माह	महाराणी देवी पत्नी श्यामलाल	20000	8/16/2012	5000	ओबीसी बैंक पाली
2012-13	मोन्टेसरी स्कूल संस्कार केन्द्र पाली	सांसी बस्ती पाली	टेलरिंग/सिलाई	07.09.10 से 06.12.10	3 माह	शारदा पत्नी मोहनलाल	25000	1/17/2013	6250	एसबीबीजे मण्डिया रोड
2012-13	जागृति जन सेवा संस्थान नागौर	सांसी बस्ती पाली	आरतारी कार्य	01.11.10 से 31.01.11	3 माह	धन्नु पत्नी भंवरलाल	50000	1/17/2013	12500	पीएनबी बैंक पाली
2012-13	जागृति जन सेवा संस्थान नागौर	सांसी बस्ती पाली	आरतारी कार्य	01.11.10 से 31.01.11	3 माह	बेबी पत्नी मुन्नाराम	50000	1/17/2013	12500	पीएनबी बैंक पाली
2012-13	जागृति जन सेवा संस्थान नागौर	सांसी बस्ती पाली	घरेलू वायरिंग	01.11.10 से 31.01.11	3 माह	बिजली पत्नी मोहनलाल	50000	3/6/2013	12500	पीएनबी बैंक पाली

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या-336 का विवरण

परिशिष्ट 'अ'

मण्डल द्वारा पंजीकृत हिताधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट

(प्रारम्भ से 31.01.2015 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकृत हिताधिकारियों की सूचना
1	जयपुर	63844
2	अलवर	20222
3	सीकर	61674
4	दौसा	2827
5	झुन्झुनूं	23350
6	अजमेर	14493
7	ब्यावर	19988
8	भीलवाड़ा	14101
9	नागौर	7695
10	टोंक	15964
11	भरतपुर	13099
12	धौलपुर	5761
13	करौली	22660
14	सवाई माधोपुर	23261
15	बीकानेर	20858
16	चूरू	16595
17	हनुमानगढ़	8475
18	श्रीगंगानगर	9770
19	जोधपुर	21346
20	बाड़मेर	18988
21	जैसलमेर	1298
22	पाली	7729
23	सिरोही	10244

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**पंजीकृत हिताधिकारियों की सूचना**
24	जालौर	9562
25	कोटा	5814
26	बारां	2556
27	बून्दी	3908
28	झालावाड़	1218
29	उदयपुर	38731
30	बांसवाड़ा	5967
31	चित्तौड़गढ़	8912
32	डूंगरपुर	3240
33	प्रतापगढ़	14332
34	राजसमंद	6815
	Total	**525297**

धनराज शर्मा

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव (श्रम)

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 42-उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर व तखतगढ़ में उद्यमियों हेतु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

2. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम जेतपुरा, कालाडेरा, मण्डा-भिण्डा में स्थित फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जल-दोहन करने वाली फैक्ट्रियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा, जैतपुरा व मण्डा के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कार्य हेतु उचित साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा में रीको क्षेत्र में स्थित उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

6. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मोकलसर के मटकी उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

7. अलवर के एम.आई.ए. में नये उद्योग स्थापित कराकर युवाओं को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

8. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रीको के अलावा निजी भूमि में उद्योग लगाने पर रीको के समान विद्युत आपूर्ति कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं व राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. बहरोड़ नीमराना के उद्योगों में स्थानीय ट्रांसपोटरों को सामान ढुलाई का कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में ग्लोबक्स श्यामपुरा एवं परनीट कारोड़ा शराब फैक्ट्री और सोतानाला में स्प्रीट केमीकल यूनिटों से निकलने वाला अवशिष्ट अन्यत्र डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

14. अलवर जिले में लगे उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

15. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के औद्योगिक क्षेत्र में कल-कारखाने लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. राज्य में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश में लघु उद्योगों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

18. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कुटीर एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश में हस्त शिल्प लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों के लिए योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड बालेसर में सैण्ड स्टोन पार्क औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं व राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

22. विधान सभा क्षेत्र सोजत में मेहंदी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने एवं सोजत का प्रसिद्ध आचार अथाना मिर्ची, लहसुन की चटनी को उद्योग का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

23. केकड़ी सरवाड़ में रीको एरिया के विस्तार करने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां) :

24. विधान सभा क्षेत्र कामां के सोनाखेर के उद्योगों हेतु विशेष रियायत पैकेज स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

25. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र सुजानगढ़ बिदासर का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

26. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पाल शिल्पग्राम में सार्वजनिक पार्कों, नालियों, सड़कों के रख-रखाव एवं पाल शिल्पग्राम में शिल्पकारों द्वारा नियमों के विरुद्ध शिल्पग्राम क्षेत्र के भूखण्डों का वाणिज्यिक एवं रहवासीय उपयोग लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा में औद्योगिक इकाइयों से सफाई, सीवरेज, बिजली, पानी, सड़क, नाले-नालियों के रखरखाब के लिए उद्यमियों से सर्विस चार्ज वसूल करने एवं बोरानाड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के सार्वजनिक पार्कों, सड़कों व चौराहों के रखरखाव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र लूणी के औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा एवं पाल शिल्प ग्राम में उद्यमियों एवं शिल्पकारों ने अपने-अपने भूखण्डों का उपयोग

न कर विक्रय करने/किराये पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

29. विधान सभा क्षेत्र वैर में लघु उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

30. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

31. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भीण्डर व कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र में रीको द्वारा उद्योग लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

32. प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

33. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में भूमि की उपलब्धता को देखते हुए उद्योग विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

34. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कोलायत तहसील के गजनेर में 416.65 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र में बनी बाउंड्री का उपयोग नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. बीकानेर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 4 करोड़ रुपये खर्च कर 75 हेक्टेयर भूमि सन 2009 में लिए जाने के बाद भी शुष्क बंदरगाह हेतु उसका उपयोग न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

36. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बड़े एवं मध्यम उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के औद्योगिक विकास हेतु कृषि एवं खनिज उत्पादकों को क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर चयन कर कच्चे माल

की उपलब्धता अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धे खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सीमलावाड़ा उपखण्ड में रीको का नया केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र चौरासी एवं जिला डूंगरपुर में चूना भटठा, ईट भट्टा, पत्थरों की खानों पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

41. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रीको एरिया घोषित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अक्षत कौशल योजना एवं हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

43. विधान सभा क्षेत्र करौली में बेरोजगारों को लघु उद्योगों हेतु प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

44. विधान सभा क्षेत्र चाकसू मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र रीको बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

45. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय बाप में औद्योगिक क्षेत्र रीको की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र फलौदी को भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. फलौदी जिला जोधपुर के समीप सियामाली में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के बाप रिण लवण क्षेत्र में नई इकाइयों का सृजन कर भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

49. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कारीगरों को उद्योगों हेतु विशेष प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ईट, लकड़ी, सीमेन्ट एवं चूना उद्योगों को प्रोत्साहन व ऋण दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु उद्योगों को बैंक द्वारा विशेष रियायत दर पर ऋण दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में चावण्ड व डिंगरी के बीच में रीको हेतु लघु उद्योग की विचाराधीन भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु उद्योगों में कशोदा, लकड़ी के खिलौना, मूर्तिकला, हस्तकला एवं हाथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

54. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण मे लाइम स्टोन, सोफ स्टोन के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

55. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में बन्द पड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर चालू करने एवं चालू नहीं करने पर उनका एलोटमेंट निरस्त कर अन्य व्यक्तियों को एलोटमेंट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखण्ड स्तर पर आबादी क्षेत्र में चल रहे उद्योगों के लिए इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

57. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

58. रीको कार्यालय पाली में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. पाली के मंडिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के स्थान पर सीमेन्ट सड़क का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. प्रदेश में पावरलूम उद्योग की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए निजी उद्योग में पावरलूम हेतु विशेष पैकेज एवं छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में खुले नाले के स्थान पर क्लोज कंड्यूट पाइप रीको द्वारा डलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र पाली में नया गांव स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में पावरलूम उद्योग हेतु आवेदको की राशि लम्बे समय से रीको के पास जमा रही है उनको तत्कालीन दर से भूखण्ड आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

63. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में लघु उद्योग खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

64. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना में चिलिंग प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

65. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में रीको औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय चरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा बिजली, पानी की सुविधा नहीं होने के बावजूद लिए जा रहे सरचार्ज के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में रीको प्रथम चरण में खाली पड़ी वाणिज्यक उपयोग की जमीन को नीलाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

68. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नवीन उद्योग स्थापित कर बेरोजगारों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

69. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में लगने वाले सीमेंट व अन्य उद्योगों को सामाजिक सरोकार व क्षेत्र के विकास कार्यों में सहभागिता के लिए प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के तहसील मुख्यालय पर नये रीको औद्योगिक क्षेत्र की सरंचना कर स्टोन पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. एशिया के सबसे बड़े सीमेन्ट हब बनने जा रहे जिला चित्तौड़गढ़ में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता प्रदान कर रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नये उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. रीको औद्योगिक क्षेत्र निम्बाहेड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने तथा क्षेत्र में नालियों के निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

74. विधान सभा क्षेत्र जालौर में ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज से निकलने वाली स्लरी का शोध करवाकर उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

75. विधान सभा क्षेत्र जायल में रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र जायल के पत्थर खनन क्षेत्र बड़ी खाटू जिप्सम बेल्ट, गोठ माताजी व भूझाला क्षेत्र में चायना-क्ले बेल्ट को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र जायल में लघु उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. नागौर जिले का पूरा जियोलोजीकल सर्वे करवाकर नई खनिज सम्पदाओं के उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

79. अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रदेश व देश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु भूमि की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं वर्तमान में कार्यरत उद्योगों

की समस्याओं के समाधान हेतु एकल खिड़की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के सम्बन्ध में।

80. अलवर जिले में स्थापित उद्योगों द्वारा तकनीकी स्नातक, बी-टेक, एम.बी.ए. व अन्य प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवा जो अलवर जिले के निवासी हैं को रोजगार देने में भेदभाव करने व जिले व राज्य के बाहर से आकर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को बरीयता देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

81. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकारी सेवा के अनुरूप मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की नवाचार नवीन योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्रामीण क्षेत्र में बन्द पड़े छोटे उद्योगों व कुटीर उद्योगों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

86. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के रीको क्षेत्र बिदासर में सड़क एवं लाइट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

87. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित सिलोरा रीको एरिया में स्थापित दोनों टैक्सटाइल्स पार्कों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित सिलोरा एवं उदयपुरकलां स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सेरेमिक्स का जोन बनाकर सेरेमिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने की प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के औद्योगिक एवं मार्बल नगरी में स्टोन मार्ट बनाने की प्रभावी एवं सक्षम कार्य योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में निजी भूमि पर औद्योगिक संपरिवर्तन पश्चात् स्थापित सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों को आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्धता रीको द्वारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हजारों श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता योजना की प्रभावी योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

92. विधान सभा क्षेत्र कपासन में उद्योग लगाकर रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र कपासन में उद्योग लगाने के लिए आबंटित भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र कपासन में उद्योगों के विकास के लिए सुलभ ऋण दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र कपासन में औद्योगिक इकाइयों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

96. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सोनियाणा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

97. मथाणियां, जोधपुर के मतीरा मगज उद्योग को कर मुक्त कर पुर्नजीवित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

98. विधान सभा क्षेत्र नगर में स्थित शिल्प ग्राम के लिए आरक्षित 4.5 हैक्टेयर भूमि को शिल्प ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र नगर में सरसों उत्पादन के मध्यनजर सरसों तेल से सम्बन्धित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र नगर को इंडस्ट्रीयल एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. भरतपुर में बन्द पड़ी डालमिया डेयरी, चिनार एवं जी.ई.डब्ल्यू. फैक्ट्रियों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र नगर में प्रदूषण रहित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने हेतु कारगार कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

103. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में उद्योग सेवाओं पर निर्भर आबादी की प्रतिशतता पर सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. राज्य में सोने के आभूषणों पर हालमार्क लगाने की व्यवस्था की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर में प्रस्तावित कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

106. अलवर जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवश्यकता से अधिक किसानों की भूमि सस्ती दरों पर अवाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल एवं अन्य सुविधाओं पर उन गांवों में निश्चित राशि खर्च किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. अलवर जिले में औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टपूकड़ा एवं चौपानकी औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी खुले में छोड़ने से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. अलवर जिले की औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने व प्रदूषण

बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने पर दोषी उद्योगों पर कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

111. जिला मुख्यालय बाड़मेर पर फूड पार्क की स्थापना कर आमजन को सस्ती व सुगम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र बायतू में औद्योगिक नगरी बालोतरा को विकसित करवाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर उद्योगों का विकास करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र बायतू में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हाथ कर्घा को विकसित कर बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थों के अनुसंधान के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र बायतू में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर कचरा निष्पादन केन्द्रों की स्थापना करके स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

116. बीकानेर शहर में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :

117. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कपड़े पर कांच-कशीदाकारी एवं पैचवर्क को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

118. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में स्वीकृत नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

119. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में उद्योगों को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. सीकर जिले में लघु व कुटीर उद्योगों के लिए अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित रीको क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

123. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में स्थित चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल गढ़ेपान से निकल रहे प्रदूषण की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. प्रदेश में स्थित उद्योगों द्वारा सामाजिक सरोकार के रूप में विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कृषि आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

126. डूंगरपुर जिले में लघु उद्योगों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. डूंगरपुर जिले में भारी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. डूंगरपुर जिले में उद्योग लगाने हेतु जनजाति को सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. डूंगरपुर जिले में इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. डूंगरपुर जिले में उद्योगों को लगाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

131. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के उद्योगों से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में निजी उद्योगों द्वारा गांवों व शहरों की चरागाह, पठारी एवं आबादी की जमीनों पर अवैध कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

134. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उपखण्ड मुख्यालय रेवदर ब्लाक में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) :

135. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में मूंगफली आयल रिफाइनरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

136. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम कोलवा में रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आजीविका मिशन के अन्तर्गत ट्रेनिंग सेंटर चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. सिकन्दरा, जिला दौसा में स्टोन पार्क विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

140. पाली जिले में मसाला उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी-कमीशन को पाबंद करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

141. प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से दी जाने वाली अनुदान राशि का लक्ष्य बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. बीकानेर जिले में गजनेर में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण

कार्य शीघ्र पूरा करवाकर औद्योगिक इकाइयां लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में सिरेमिक हब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. कोलायत व बीकानेर जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गैस पाइप लाइन लगाने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. बीकानेर में मेगा फूड पार्क व टैक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

146. जोधपुर सहित समूचे पश्चिमी राजस्थान के टैक्सटाइल्स उद्योग के संरक्षण हेतु विशेष पैकेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. प्रदेश में सौर ऊर्जा की विपुल सम्भावनाओं के अधिकतम दोहन के लिए सौर ऊर्जा पैनल और बैटरी निर्माण उद्योग प्रदेश में लगाये जाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. जोधपुर में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध करवाकर नये उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. जोधपुर में बढ़ते भूजल स्तर की समस्या के निदान के रूप में पम्पिंग से निकाले जा रहे भू-जल को उद्योगों को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. जोधपुर में औद्योगिक अपशिष्टों के समुचित निस्तारण हेतु नये प्रदूषण निवारण संयंत्रों की स्थापना एवं पुराने संयंत्रों के क्षमता विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

151. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उचित मागदर्शन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में महिलाओं के रोजगार के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में गुजरात में मजदूरी करने जाने वालों मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में हाथ-करघा (लघु उद्योग) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नया उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

156. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ उपखण्ड में नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ़ में नये औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पालरा रीको क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के करकेडी, नरवर, वीर, प्रकट में नये औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के श्रीनगर में घोषित औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र ही प्लाट आबंटन करके औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल स्थित औद्योगिक इकाइयों में बकाया वार्षिक चार्जेज माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में डी.एल.सी. रेट कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

163. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गलीचा उद्योग एवं आरीतारी उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुटीर उद्योग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में हाथ-करघा उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रोजगार हेतु कुटीर उद्योग चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

167. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नाल में शुष्क बंदरगाह की स्थापना हेतु गोचर में से खसरा नं. 8 (619.75 हैक्टेयर) की गैर मु. गोचर में से 4 करोड़ 44 लाख में आबंटित 75 हैक्टेयर भूमि का उपयोग न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गजनेर में 416.65 हैक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र जिस पर बाउण्ड्री बनी हुई है, की पर्यावरण अनुमति न मिलने पर उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

169. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में तृतीय, द्वितीय फेस के रीको औद्योगिक क्षेत्र तुरन्त विकसित न किये जाने तक व्यापारियों को व्यापार करने का समय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रीको औद्योगिक क्षेत्र में पानी निकासी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रीको औद्योगिक क्षेत्र में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जिला उद्योग केन्द्र से उद्योग के लिए योजनाओं की जानकारी एवं प्रचार-प्रसार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

173. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में सरसों रिफाइनरी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नियम बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

175. विधान सभा क्षेत्र दौसा के बापी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित कर नये उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र दौसा में गलीचा उद्योग को विकसित करने हेतु पूर्व

में चिन्हित भूमि को अधिगृहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र दौसा में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र दौसा में जूट उद्योग को विकसित करने हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

179. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

180. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में रीको द्वारा भूमि अवाप्त कर उद्योगों को आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

182. विधान सभा क्षेत्र धोद में रीको की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

183. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में भूमि की उपलब्धता को देखते हुए लघु, कुटीर उद्योग विकसित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

184. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में द्वितीय फेज में छोटे उद्योगों के लिए 1000 स्क्वायर मीटर से 5000 स्क्वायर मीटर तक नये औद्योगिक क्षेत्र आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी के लिए सी.पी.टी. टैंक बनाकर उस पानी को साफ करने की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के बोरानाडा स्थित सेज टैक्सटाइल की

आरक्षित भूमि को अन्य उद्योगों को आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

188. विधान सभा क्षेत्र मावली में रीको इण्डस्ट्रीज गुडली की फैक्ट्रियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मावली की सीमेण्ट फैक्ट्री श्रीपतिनगर में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

190. मरुधर औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में उद्यमियों द्वारा औद्योगिक भू-खण्डों को नियमों के विपरीत वाणिज्यिक एवं रहवासीय उपयोग में लेने के उपरान्त भी कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा में सड़कों, रोड लाइटें खराब होने, पार्कों पर अवैध कब्जा करने एवं नियमों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

192. राज्य में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना पुन: चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. पाली जिले के जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों को एम.एस.ई.एम. एक्ट 2006 के तहत ऋण, अनुदान एवं कर मुक्त प्रमाण-पत्र यथा-समय दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

194. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में भूमि वाले कास्तकार को स्वयं की भूमि पर उद्योग लगाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

195. केकड़ी, सावर व सरवाड़ क्षेत्र में नये रीको एरिया का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

197. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में खण्डार कस्बे एवं चौथ का बरवाड़ा में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

198. भरतपुर में हो रही बेरोजगारी को कम करने के लिए नये उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. भरतपुर में बन्द पड़े उद्योगों को पुन: चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. भरतपुर स्थित सरसों तेल उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. भरतपुर स्थित सिमको बेगन फेक्ट्री को खोलने पर हुए समझौते के अनुसार पूर्व श्रमिकों को पुन: फैक्ट्री में काम पर लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

202. प्रदेश में रीको द्वारा एकल खिड़की योजना में अधिक से अधिक उद्योगों को लगाने वाले आवेदकों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. जयपुर शहर के मध्य में आये औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा, सुदर्शनपुरा, झोटवाड़ा को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने एवं उक्त भूमि को आवासीय घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. जयपुर सेज में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाएं विकसित करने एवं पेयजल की विशेष व्यवस्थाएं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. प्रदेश में लघु उद्योग एवं पारम्परिक कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. जयपुर में बस बाड़ी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से जयपुर के आस-पास जमीन आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

207. जिला करौली में स्थानीय संसाधनों एवं कला के अनुसार लघु एवं मझोले उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. जिला करौली के रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. राज्य में स्थापित समस्त रीको औद्योगिक क्षेत्रों में काफी समय से खाली/अनुपयोगी भूखण्डों का आबंटन निरस्त कर नीलामी द्वारा पुन: आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में खनन आधारित उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

211. विधान सभा क्षेत्र अलवर के औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. के लिए अधिग्रहित गांव डूमेडा तहसील अलवर की सड़कें रीको द्वारा बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र अलवर में औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. के द्वारा अधिग्रहित गांव खेड़की सहयड में रीको द्वारा सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र अलवर के औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. अलवर के गांव नाहरपुर में रीको द्वारा सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र अलवर में रीको द्वारा ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित करने के बाद ग्रामों में सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

215. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में चूना भट्टा एवं लाइमस्टोन उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नये उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में शिक्षित बेरोजगारों के लिये उद्योग लगाने हेतु ऋण दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. राजस्थान के नागौर जिले में जिप्सम चायनाक्ले व मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. खींवसर व मेड़ता क्षेत्र में जीरा व इसबगोल के उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

220. विधान सभा क्षेत्र सोजत में खनिज तत्व तथा मेहन्दी की अधिकता को देखते हुए नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

221. कोटा में बिजली पानी आदि संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नवीन उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. राज्य में कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. कोटा में बन्द पड़े उद्योगों को पुन: चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

224. विधान सभा क्षेत्र कामां के पंचायत समिति पहाड़ी में बन्द पड़े क्रेशर उद्योग को पुन: चालू कराने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

225. विधान सभा क्षेत्र सोजत में लाइमस्टोन की प्रचुरता होने के कारण सीमेन्ट फैक्ट्री लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 43–खनिज पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1 राज्य में बजरी खनन पर, नए सिरे से रायल्टी दरें निर्धारित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

2 जोधपुर जिले में, ''अधिक रॉयल्टी-आवक'' वाली खानों के लिए, एप्रोच रोड बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

3 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्थानीय स्तर पर निकाले जाने वाले खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का हिस्सा ग्राम पंचायतों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

4 प्रदेश में खनन आबंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वन भूमि पर होने वाले अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

6 सरकारी रायल्टी में होने वाली अनियमितता की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

7 प्रदेश में खनन करते समय अवैध ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 प्रदेश में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

9 राज्य की खनिज नीति में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

10 विधान सभा क्षेत्र मकराना में मार्बल खानों के नियमों का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

11 झुन्झुनूं जिले में विशेषकर खेतड़ी में अवैध खनन से राजस्व की होने वाली हानि एवं अवैध खननधारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

12 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में अवैध खनन व रायल्टी की चोरी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13 अलवर जिले की नीमराना तहसील के कांकर, कूतीना गांव की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खान मालिकों को आबंटित खनन पट्टे से अधिक खनन कार्य करने पर अधिक पेनल्टी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15 प्रदेश के खनन क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति सुधार हेतु श्रमिक वेलफेयर बोर्ड का गठन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

17 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

18 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में खनिज की उपलब्धता अनुसार क्षेत्र में खनिज पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

19 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

20 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम मेरिया क्षेत्र में खंडित/सरेन्डर किये गये खनन पट्टों को बहाल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

21 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र ठाडिया फांटा से गुमानपुरा सम्पर्क सड़क वाया खनन क्षेत्र में एप्रोच सड़क एवं अमृतनगर से भोमियाजी का थान

क्वारी बाउण्ड्री में स्थित डेरडी तक लिंक सड़क निर्माण करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के भोमियाजी का थान व सिंहादा (बालेसर) विस्तार क्षेत्र में 28.1.2011 को घोषित खनिज नीति अनुसार क्वारी लाइसेन्स जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर क्वारी क्षेत्र में यथा भोमियाजी का थान, कालोर, सिंहादा व अन्य क्षेत्र में गैप क्षेत्रों (स्टीप लैण्ड) के आबंटन में की गई अनियमितताओं की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

25 विधान सभा क्षेत्र लूणी में खनन कार्यों में लगे मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा करवाने हेतु विशेष योजना बनाने एवं खनिज क्षेत्रों के इर्द-गिर्द प्रतिदिन बढ़ रहे अवैध खनन एवं खनन भू-माफियाओं के पनपने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26 विधान सभा क्षेत्र लूणी के चोखा, बड़ली, केरू, गांगाणा इत्यादि क्षेत्रों में खनिज सेण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रों में विभिन्न सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत करने एवं प्रदेश में खनिज रायल्टी से वसूली गई राशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में अंशदान देकर विकास के कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

27 विधान सभा क्षेत्र वैर में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

28 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के पटेड़ा, अटरू, कवाई एवं बड़ोरा आदि स्थानों पर खानों का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

29 प्रदेश में अनाधिकृत खानों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

30 डूंगरपुर जिले में पंचायत क्षेत्रों में स्वीकृत खानों को ''लेपर्ड कन्जर्वेशन ''क्षेत्र घोषित करने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

31 जिला डूंगरपुर में खनिज की उपलब्धता अनुसार क्षेत्र में खनिज पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

32 राज्य में अधिक राजस्व लाभ दिलवाने वाली खानों तक आवागमन के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33 जिला डूंगरपुर में खनिज सम्बन्धी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34 जिला डूंगरपुर में गुजरात से आने वाली बजरी पर छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

35 विधान सभा क्षेत्र करौली में हो रही बजरी की ओवरलोडिंग को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

36 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव दूदका, डिण्डोरीया, जगपुरा, देलवाड़ा डागल, सोनामगरी, कालीमगरी एरिया में खनिज पट्टे आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

37 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर मे स्थानीय व्यक्तियों को खनिज पट्टे देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बजरी खनन को चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

39 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में चुनाई पत्थर को रायल्टी से मुक्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

40 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा, सेभारी उपखण्ड में नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खनिज सम्बन्धी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

42 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खनिज निकालकर आने जाने वाली डाकन, कोटड़ा गातोड़ मन्दिर से हड्डी फैक्टरी तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

43 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के डिगोर बांध के पास वाली भाखरी पर खुदाई एवं भारी ब्लास्टिंग के कारण बांध के फूटने एवं डिगोर गांव के ग्रामीणों के घरों में दरारें आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की रानी पंचायत समिति के गांव सालरिया झूपा के ग्रामीणों के घरों में मिट्टी की तह जमने से परेशान ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिए हो रहे खनन कार्य बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

45 राज्य के जैसलमेर जिले में श्री सीमेंट कम्पनी का नियम विरुद्ध खनन आबंटन निरस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

46 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में अवैध बजरी रायल्टी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

47 विधान सभा क्षेत्र भीम की खनन आय से सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने एवं खनिज विभाग आमेट मे रिक्त चल रहे पदों को तत्काल भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

48 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में अवैध बजरी खनन की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

49 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अवैध खनन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

50 प्रदेश में श्री सीमेन्ट कम्पनी, वंडर सीमेन्ट प्रा. लि., इमामी सीमेन्ट लि. एवं लाफार्ज इण्डिया प्राईवेट लि. को अनियमित एवं गैर कानूनी तरीके से केन्द्र सरकार की मेजर मिनरल की खानों के आबंटन की नीति के विरुद्ध जारी खनन आबंटनों को निरस्त करने तथा चारों सीमेन्ट कम्पनियों के कर्ता-धर्ताओं के खिलाफ तथा विभाग के उच्चाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51 राज्य में माह नवम्बर, 2014 से मार्च, 2015 के मध्य केन्द्र सरकार की ओर से नई खनन नीति के मसौदे को जारी करने तथा अधिसूचना जारी करने के बीच के समय में चार बड़ी सीमेन्ट कम्पनियों सहित सैकड़ों फर्मो को मिलीभगत कर अधिकारियों द्वारा खनन आबंटन की न्यायिक जांच कराने एवं दोषी कम्पनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र के मुकदमे दर्ज कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

52 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में केयर्न इण्डिया द्वारा किये जा रहे तेल एवं गैस सर्वे में किसानों को हो रही रबी की फसल के खराबे के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जिप्सम नहीं होने के बावजूद ग्राम हालीवांव में जिप्सम का कार्यालय संचालित कर प्रशासनिक भार बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

54 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खनन व्यवसाय से जुडे श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

55 प्रदेश में नई खनन नीति की अधिसूचना जारी करने के पूर्व ही चार बड़ी कम्पनियों को सीमेन्ट खान आबंटन व करीब 500 छोटी खानें आबंटन करने से राज्य के खजाने को हुई हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

56 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की क्षतिग्रस्त प्रमुख माइन्स एप्रोच सड़क ''रानीखेड़ा से मण्डलाचारण सड़क'' के नवीनीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के खनिज क्षेत्र में छोटी क्वारी लाइसेन्स धारी उद्यमियों को दिनांक 9.9.2013 के बाद पर्यावरण सर्टिफिकेट की बाध्यता को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 खनिज प्रधान क्षेत्र निम्बाहेड़ा रायल्टी के साथ 5/- रुपये टन से ई. एम. एफ. की वसूली बंद कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा खनन क्षेत्र में अनुपयोगी सामग्री की डम्पिंग के लिए डम्पिंग यार्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

60 राज्य में मेजर मिनरल खनन नीति 2015 लागू होने से पूर्व जान-बूझकर आनन-फानन में जैसलमेर एवं चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट कम्पनियों को नियम विरुद्ध खान आबंटन की उच्च स्तरीय जांच कर आबंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

61 विधान सभा क्षेत्र जायल में खनिज उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा के लिए।

62 विधान सभा क्षेत्र जायल में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63 प्रदेश में खनिज पर वसूली जाने वाली रायल्टी का तयशुदा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64 विधान सभा क्षेत्र जायल में खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों में ''सिलोकोसिस'' बीमारी के कारण सरकार द्वारा सहायता राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

65 नागौर जिले में बंद पड़ी खानों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

66 अलवर जिले में अवैध खनन कर्ताओं द्वारा अरावली पर्वतमाला का स्वरूप बिगाड़ने एवं उसके अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67 अलवर व भरतपुर जिलों में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक खान का आबंटन किये जाने से खनन माफियाओं जैसी स्थिति उत्पन्न होने से चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

68 प्रदेश में खान आबंटन में गाइड लाइन का पालन नहीं कर अनियमित तरीके से अपारदर्शी प्रक्रिया से विधि विरुद्ध किये गये सीमेन्ट कम्पनियों को खनन आबंटन की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69 जैसलमेर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में सीमेंट कम्पनियों के कर्ता-धर्ताओं द्वारा खनन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ सांठ-गांठ एवं मिली भगत कर केन्द्र सरकार की खनन नीति के विरुद्ध अनियिमत तरीके से आबंटित कराई गई खानों के निरस्तीकरण एवं सीमेंट कम्पनियों तथा विभाग में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

70 राज्य में माह नवम्बर, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि में अनियमित एवं अवैध रूप से गाइड लाइन के विपरीत मनमर्जी से खानों के किये आबंटनों की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

71 प्रदेश में खान विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72 प्रदेश में खान विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को खनिज राजस्व का हिस्सा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73 प्रदेश में नई खनिज नीति बनाकर अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74 प्रदेश में खनन क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट सेन्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75 राज्य में अधिक राजस्व लाभ दिलवाने वाली खानों तक आवागमन के लिए सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

76 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के अऱाई क्षेत्र में स्थित खनिज क्षेत्रों के गांवों में एवं खनन क्षेत्रों तक सुलभ मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्की सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की उपलब्धता कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय पर खनिज विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के सिलोरा, रूपनगढ़ एवं परबतसर (नागौर) आदि क्षेत्रों में स्थिति मार्बल पाउडर उत्पादित इकाइयों के कच्चा माल जैसे मार्बल क्रेजी एवं खण्डा आदि को ट्रेक्टर द्वारा परिवहन कर लाये जाने पर की जाने वाली वसूली की रायल्टी को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई ब्लाक में बहुतायत से पाये जाने वाले फैल्सपार, ग्रेनाइट, क्वार्टस एवं माइका आदि खनिजों के लिए एक ''मिनरल पार्क'' औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

80 धौलपुर जिले में चम्बल से बजरी दोहन के लिए घड़ियाल क्षेत्र चिन्हित कर खनन पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81 विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पत्थर खनन के नये पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

82 विधान सभा क्षेत्र कपासन में खनन पट्टों के आबंटन में एस.सी. व एस.टी. को आरक्षण देकर खानें आबंटन की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83 विधान सभा क्षेत्र कपासन की तहसील राशमी में बनास नदी की पूर्व में आबंटित खान को बंद कर रायल्टी चोरी रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

84 प्रदेश में खनन नीति को सरल करके बेरोजगार नौजवानों को खानें आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85 चित्तौड़गढ़ जिले में कार्यरत सभी सीमेन्ट फैक्ट्रियों को आबंटित लाइम स्टोन की खानों के पास स्थित सरकारी बिलानाम भूमियों, सरकारी चरागाह भूमियों एवं सरकारी रास्तों पर अतिक्रमण करके किये जा रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

86 जैसलमेर जिले में लाइम स्टोन (जिप्सम) खानों की रोक हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

87 विधान सभा क्षेत्र नगर में ग्राम ककराला में जारी खनन के पट्टे पर खनन करने के लिए लगी रोक से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

88 भरतपुर जिले में हो रहे अवैध खनन के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89 भरतपुर जिले में विभाग द्वारा खनिज क्षेत्र में सड़कें एवं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

90 प्रदेश में मेजर मिनरल्स के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी खनन नीति के विपरीत राज्य में सीमेंट कम्पनियों को अनियमित एवं विधि विरुद्ध तरीके से सीमेंट की खानों के आबंटन की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

91 राज्य में रिफाइनरी की स्थापना में हो रहे विलम्ब के कारण राज्य के आर्थिक विकास पर पड़ रहे प्रतिकूल असर पर चर्चा के लिए।

92 राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की अंश पूंजी के विनिवेश

की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से कम्पनी में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93 झुन्झुनूं जिले में बढ़ रही अवैध खनन की घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण राज्य को हो रही राजस्व हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

94 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन को पूर्ण रूप से बन्द करने के लिए विशेष फोर्स के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लीज पट्टे स्थानीय किसानों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन की पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए स्थाई पुलिस चौकियां एवं उड़न दस्ते कोबरा टीम की तर्ज पर गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन मालिकों द्वारा चलाई जा रही क्रेशर भट्टियां एवं उद्योगों की जांच कर उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

98 बाड़मेर में पेट्रोलियम शोधन के लिए राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

99 बाड़मेर के पेट्रोलियम अन्वेषण, अनुसंधान और खनन में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

100 खान विभाग द्वारा माइनिंग प्लान एप्रूवल के लिए एस.एम.ई. कार्यालय के स्थान पर एम.ई. कार्यालय में एप्रूवल करने का अधिकार दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101 बाड़मेर में पेट्रोलियम एवं गैस से प्राप्त होने वाली रायल्टी राशि को जिले के विकास कार्यों में खर्च करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

102 जिला बाड़मेर में खनिज आबंटन के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

103 बीकानेर में अवैध रूप से हो रहे खनन कार्यों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

104 जयपुर मे बजरी की दरें सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक होने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

105 खानों से निकलने वाली स्लरी के कारण हो रहे पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके मलवे के उपयोग के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

106 जयपुर के आमेर क्षेत्र में खान नियमों के विपरीत चल रहे क्रेशरों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107 ग्राम टोस्की जिला भरतपुर में खनन क्षेत्र में विभाग द्वारा रास्ता उपलब्ध न कराने से खनन कार्य में आ रही बाधा एवं सरकार को हो रहे राजस्व नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

108 विधान सभा क्षेत्र पिलानी में अवैध कब्जा हटाकर मूल आवंटी को दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

109 राज्य मे श्री सीमेंट कम्पनी लि. द्वारा आबंटित खनन क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से खनन करने से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

110 प्रदेश में नई खानें आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

111 प्रदेश की नई खनन नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112 प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

113 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कालीसिंध, परवन, उजाड़ नदी की कराइयों में हो रहे अवैध मिट्टी खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पत्थर खनन के लीज पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की कालीसिंध, परवन, उजाड़ नदी में बजरी के उठाव को लेकर लीज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

116 डूंगरपुर जिले में खनिज पर ली जाने वाली रायल्टी का 75 प्रतिशत हिस्सा डूंगरपुर जिले के विकास पर खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117 डूंगरपुर जिले में खनिज मार्केट विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118 डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119 डूंगरपुर जिले में खनिजों के दोहन हेतु आदिवासी खान मालिकों को सब्सिडी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120 डूंगरपुर जिले में खनिज की खानों का आबंटन जनजाति समुदाय को प्राथमिकता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

121 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में दम तोड़ते कोटा स्टोन के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बढ़ाई गई 22 प्रतिशत रायल्टी दरों को आधी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खनन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन के वेस्ट मेटेरियल की उपयोगिता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग से हो रही जन हानि को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनिज क्षेत्र में बसी कालोनियों को स्कीम बनाकर भूमि आबंटन कर मालिकाना हक दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

126 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम सागवा, ईटाला एवं ताम्बेसरा क्षेत्र

में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से खनिज आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) :

127 विधान सभा क्षेत्र परबतसर में स्थित खनिज अभियन्ता कार्यालय मकराना के स्थान पर खनिज अभियन्ता कार्यालय परबतसर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

128 विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बजरी व पत्थर पर नियम विरुद्ध रायल्टी वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

129 विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड़ क्षेत्र में चुनाई पत्थर पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अवैध खनिज की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

131 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बजरी की लीज चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चेजा पत्थर के अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133 दौसा जिले में वन क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134 राज्य में अवैध रायल्टी की वसूली रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135 राज्य में बजरी के अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

136 अलवर एवं करौली जिले में हो रहे अवैध खनन को रोक पाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

137 राज्य में खान आबंटियों को अपनी सामर्थ्य के अनुरूप खनन करने के लिए स्वतंत्र करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138 जोधपुर सम्भाग की खानों के लिए पर्यावरण प्रमाण-पत्र प्रक्रिया सरल

व पारदर्शी करवाने तथा भ्रष्टाचार मुक्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवर सिंह (कोलायत) :

139 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

140 राज्य में जिप्सम के खनन का अधिकार किसानों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

141 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में क्ले के खनन से निकलने वाले ओवर वर्डन का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

142 बीकानेर जिले की बज्जू उप तहसील क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में टेचरी फांटा पर बजरी का अंधाधुंध अवैध खनन होने से क्षेत्र के लोगों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

144 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के खनन क्षेत्र से वसूली जा रही पर्यावरण राशि से कायलाना एवं संलग्न क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 खनन से प्राप्त राजस्व में स्थानीय खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर मूलभूत सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146 प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्यवाही के मापदण्ड तय करने, आधुनिक तकनीकी के उपयोग और रिक्त पदों को भरने सहित समेकित ठोस उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147 जोधपुर में पत्थर उत्खनन अपशिष्ट के समुचित उपयोग से आर्थिक संबलन और प्रदूषण रोकथाम लक्ष्यों की प्राप्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148 जोधपुर में पत्थर खानों में भरने वाले वर्षा जल की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

149 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में खनन के क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में खनन क्षेत्र में भूमाफियाओं की मनमानी पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

151 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में खनिज उद्योग से होने वाले नुकसानदायक परिणामों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में खनिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

153 अजमेर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में खान आबंटन सम्बन्धी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सैंड स्टोन के आबंटन के क्षेत्रफल को एक हैक्टेयर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

156 विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिरेमिक हब की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

157 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये खनन ब्लाक का आबंटन करने तथा अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

158 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज से सम्बन्धित उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

159 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खनन पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

160 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज की खानों को वन क्षेत्र से बाहर निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

161 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज की खानों को बन्द करने से फैली बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

162 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज की बन्द पड़ी खानों को वापस चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

163 विधान सभा क्षेत्र दौसा में चेजा पत्थर एवं बजरी के अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

164 विधान सभा क्षेत्र दौसा में नयी खनिज नीति के अन्तर्गत खानें आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

165 कोटा शहर के आस-पास हो रहे अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166 प्रदेश में खान श्रमिकों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167 प्रदेश में खनन के पश्चात बचे हुए मलवे का पर्यावरण की दृष्टि से समुचित निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168 प्रदेश में खनन क्षेत्रों में लगे श्रमिकों के लिये कार्य स्थल पर ही स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी प्रबंध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

169 विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बजरी खनन से प्राप्त आय को क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों में लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

170 विधान सभा क्षेत्र दूदू की मांसी नदी पर अवैध रूप से बजरी खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

171 विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अवैध खनन पर शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

172 ग्राम पंचायत बिलौंची तहसील आमेर, जयपुर में मैसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर व मेहता स्टोन क्रेशर की उड़ने वाली डस्ट व ब्लास्टिंग द्वारा पत्थर उछलने से कृषि भूमि व पेड़ नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

173 विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में अवैध खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

174 विधान सभा क्षेत्र धोद में हर्ष, मण्डावरा, खोरी, चोखा का बास, भोपा, आंतरी, कुण्डलपुर, ताखोरा की ढाणी तथा सरबेली की ढाणी की छोटी खानों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

175 विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में चुनाई पत्थरों के खनन पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

176 राज्य के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, जैसलमेर एवं अजमेर तथा नागौर जिले में सीमेंट कम्पनियों द्वारा उनको आबंटित खनिज क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से खनन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

177 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में जोधपुरी पत्थर की खानों में वर्षा जल भरने से तालाबों में पानी की आवक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

178 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में खनिज पट्टों की नीलामी पारदर्शिता के आधार पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में खनिज रायल्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

180 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में खान श्रमिकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने एवं सोराइसिस बीमारी से ग्रसित श्रमिकों का इलाज कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में स्वीकृत पर्यावरण बजट राशि का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

182 खान एवं भू-विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा सामाजिक सरोकार के लिये काफी राशि एकत्रित करने के बाद भी खर्च नहीं करने व क्षेत्र के विकास हेतु खान विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वसूल की गई रायल्टी की राशि का 3 प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

183 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित खनिज क्षेत्र बड़ली व अन्य क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण करने एवं अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184 खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं सामूहिक बीमा योजना, श्रमिकों को खनन जनित सिलिकोसिस एस्बीटोसिस बीमारी व श्रमिकों के आश्रितों को देय राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

185 राज्य के वन क्षेत्र में मौजूद बहुमूल्य खनिज सम्पदा के अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

186 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में काश्तकार को अपनी भूमि पर खान आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

187 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के खनिज क्षेत्र की सड़कें बनाने व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

188 विधान सभा क्षेत्र आमेर में खानों के आबंटन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

189 विधान सभा क्षेत्र खण्डार में हो रही अवैध बजरी खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

190 भरतपुर जिले में अवैध खनन में लिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

191 खानों में होने वाली दुर्घटनाओं पर पीड़ितों को मुआवजा श्रेणीवार (उस श्रमिक को हुये नुकसान के अनुसार) दिये जाने हेतु कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

192 राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे अवैध खनन पर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

193 करौली जिले में खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का सर्वे करवाकर सिलिकोसिस पीड़ितों की पहचान करने एवं प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

194 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में स्थापित खनन इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195 खान श्रमिकों पर न्यूनतम वेतनमान उनकी कार्य परिस्थितियों को देखते हुये अन्य श्रेणी के श्रमिकों से अधिक रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

196 अलवर जिले में खनिज विभाग द्वारा गैर मुमकिन पहाड़ों को सिवाय चक में (ई.एम.पी.) पर्यावरण की पाबन्दी हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

197 विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खनिज क्षेत्र में ग्राम पंचायत माणकपुर, भांवड़ा, बेरावास व ताड़ावास में खनिज विभाग की नई डामर सडकें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

198 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में मांडपुरा में गलत तरीके से आबंटित हुई एन एम डी सी की माइन्स को निरस्त करवाकर सरकार को हो रहे राजस्व की भरपाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199 खींवसर,नागौर व मेड़ता में चेजा व चिनाई पत्थर की पीढ़ियों से चली आ रही खानों के पट्टे कब्जाधारियों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

200 खींवसर, नागौर व मेड़ता में लाइम स्टोन क्षेत्रों का पुन: जियोलोजिकल सर्वे करवाकर एसएमएस ग्रेड का प्रतिबंध हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

201 खींवसर, नागौर एवं मेड़ता में किसानों को खातेदारी में लाइम स्टोन खनन के पट्टे देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

202 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्रीन ग्रेनाइट को लीज पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 9– वन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-09 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. राज्य के वन क्षेत्र से ''ज्यूली फ्लोरा'' (अंग्रेजी बबूल) समाप्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

2. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की तहसील खानपुर के अन्तर्गत चलने वाले अवैध गिट्‌टी क्रेसरों को बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

3. बाड़मेर जिले में रेन्जवार रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

4. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में खातेदारी भूमि पर वन भूमि के लगे पेनिंसल नोट को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में किसानों के खेत में से बबूल को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काटने पर वन विभाग द्वारा चालान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वन भूमि घोषित होने से पूर्व बसी आबादी के व्यक्तियों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

8. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के वन क्षेत्र में बन्द पड़ी खनिज लीजों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

9. क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय भिवाड़ी (अलवर) के पद को पुन: सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

10. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वनों की अवैध रूप से हो रही कटाई को रोकने एवं वन क्लोजर निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिह यादव (बहरोड़) :

11. जिला अलवर में वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. जिले में वन भूमि से पेड़ कटाई को रोकने एवं वन गार्ड एवं अधिकारी की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. सरिस्का क्षेत्र से गांवों को अन्यत्र विस्थापित करने के बावजूद भी परिवारों द्वारा निवास करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. जिला अलवर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. अलवर जिले की पुरानी नर्सरी पौधशालाओं को विकसित करने एवं नई नर्सरी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में रेतीले टीबों पर वर्षों पुराने वृक्षारोपित मृत पौधे के स्थान पर उचित प्रजाति के नये पौधरोपित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सूखा प्रणत विकास कार्यक्रम/मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ व ऊन विभाग द्वारा संचालित किये गये 100 हैक्टेयर भूखण्ड देवातु, मेरिया द्वितीय, खुडियाला, बावरली, भालूरता को वन विभाग में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर तहसील में सेखाला नर्सरी को गोचर भूमि से मुक्त कर वन विभाग के नाम दर्ज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

19. बाड़मेर शहर को दो भागों में विभाजित करने वाले शहर के बीचों-बीच

स्थित वन-क्षेत्र में से जा रहे कटाण मार्ग को खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

20. प्रदेश में वन भूमि, अभयारण्यों, ओरण, गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों एवं वन क्षेत्रों की ओरण, गोचर, भूमि से पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र लूणी में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु नवीन वन्य जीव सुरक्षा चौकियां खोलने एवं वन्य जीवों के लिए नये आखेट क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

22. विधान सभा क्षेत्र करौली के वन क्षेत्र में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

23. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा चारदीवारी का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. जिला डूंगरपुर में पैंथर, चीतों, भेड़ियों द्वारा आमजन को हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायत समिति ओथरी एवं पंचायत समिति चिखली में वन विभाग का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के वन विभाग में कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. जिला डूंगरपुर में वन खण्ड की सुरक्षा एवं वन कटान को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

28. विधान सभा क्षेत्र निवाई के रक्तांचल पर्वत के वनों में हो रही अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

29. विधान सभा क्षेत्र वैर के बोहडा ग्राम में अवैध खनन एवं पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

30. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के ग्राम खेडलीगंज, रतनपुरा ग्राम पंचायत में वन भूमि पर बसे व्यक्तियों को आवासीय पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

31. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के जंगलों में वार्षिक प्लान बनाकर पक्के चैकडेम बनाने की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में समस्त वन नाकों पर स्टाफ आवास निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वनों को हरा-भरा करने के लिये स्टाफ बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ में वन कर्मियों को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में वनखण्ड रामगढ़ भेरू पहाड़ जंगल में चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

36. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के वनों में अनाधिकृत खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

37. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में लगाये गये पोधों की किस्म एवं गणना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

38. विधान सभा क्षेत्र करौली के वन क्षेत्रों में औषधियुक्त पौधे लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र करौली में सरकारी बंजर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र करौली में करौली शहर की सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण करवाकर सौन्दर्यीकरण बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

41. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के वन खण्डों में एवं सड़क किनारे रोकी गई इमारती लकड़ी की आयु होने पर काटकर वन विभाग की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में स्थानीय खण्डवाइज बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराकर फलदार स्थानीय पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

43. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सभी वन क्षेत्र की तारबन्दी/चारदीवारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जंगली जानवरों से रक्षा हेतु वनों में समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वनों की देख-रेख के लिये चारों तरफ ऊंची दीवार बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वनों की रक्षा के लिये कटाई व चोरी रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वन क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वनों की देख-रेख करने वाले वन कार्मिकों की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

49. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्षों से वन भूमि में रहने वाले आदिवासियों को अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

50. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जूलीफ्लोरा के निर्मित कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर लगी रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वन विभाग द्वारा जूलीफ्लोरा के कोयले के अवैध ट्रांसपोर्टेशन से विभाग को प्राप्त राजस्व के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

52. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के वन क्षेत्र की सुरक्षा करने एवं अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

53. मरुस्थलीय क्षेत्रों में सेवण घास एवं चरागाह क्षेत्र विकसित करने हेतु काश्तकारों को जानकारी व बीजों का वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वन भूमि में पौधे लगाने के उपरान्त देख-भाल के अभाव में पेड़ नष्ट होने से राशि का दुरुपयोग होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

55. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सरिस्का अभयारण्य में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

56. विधान सभा क्षेत्र भीम में वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी के अन्तर्गत 11 गांवों को कृषि भूमि बेचने, खरीदने, ऋण एवं गृह निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

57. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में वन विभाग की हजारों हैक्टेयर भूमि 'भवातड़ा जोड़' से बबूल के पौधों को काटकर नहरी क्षेत्र के समीप होने के कारण उपयोगी पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

58. करौली जिले में अवैध वनों की कटाई की रोकथाम हेतु कारगर उपाय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

59. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी के वन अधिग्रहण क्षेत्रों में एनीकट निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वन अधिग्रहण क्षेत्र में रहने से राजस्व गांव में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

61. नागौर जिले में वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

62. अलवर जिले में वन भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. अलवर जिले में वन क्षेत्र में अवैध खननकर्ताओं द्वारा वन क्षेत्र को उजाड़ने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

64. विधान सभा क्षेत्र कपासन के वन क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण व शिकार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र कपासन के वन क्षेत्रों के विकास के लिए रिक्त पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र कपासन के वन क्षेत्रों में बसे गांवों में सड़क व बिजली की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

67. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में आदिवासियों को वन पट्टे एवं धारा-20 के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

68. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती के पीछे वन विभाग की भूमि पर सुनियोजित रूप से पुनर्वास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में वन क्षेत्र में बसी हुई कालोनियों के नियमन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में वन क्षेत्र में बसी हुई कालोनियों के निवासियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

72. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पंचायत समिति प्रतापगढ़ के वन क्षेत्र में बिजली के लिए सोलर प्लांट लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वन क्षेत्र में बसे लोगों को पट्टे दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

74. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के वन क्षेत्रों में पशुओं को विचरण करने एवं क्षेत्र में सेवण घास का संरक्षण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

75. विधान सभा क्षेत्र नगर के वन क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के लिए वन चौकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र नगर में वनों को बचाने के लिए अवैध खनन को बंद कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. हरित राजस्थान वर्ष 2009-10 में लगाये गये करोड़ों पेड़ों में से अधिकांश पेड़ों के जीवित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्राम महमदपुर के वनों में 50 वर्षों से बने हुए आवासों का भूमि रूपान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र नगर के वनों में अवैध कटाई को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

80. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अरावली पर्वतों पर वृक्षारोपण करने एवं वन संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, भिवाड़ी तहसील तिजारा के बन्द किये गये क्षेत्रीय कार्यालय को पुन: सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के वन क्षेत्र की खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण की ठोस योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के वन क्षेत्र में अनावश्यक भूमि का भू-परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

84. झुंझुनूं जिले में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में किये गये वृक्षारोपण पर व्यय की गई राशि में किये गये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वन भूमि पर अवैध कब्जों के कारण राज्य में घटते वन क्षेत्र के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

86. विधान सभा क्षेत्र बायतू में सघन पौधरोपण करके मरुस्थल को विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र बायतू में स्थित ओरण, गौचर भूमि लीज पर देकर विकसित कर वन्य प्राणियों के लिए उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र बायतू में राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में राजकीय पशु चिंकारा गर्मी के दिनों में पानी के अभाव में काफी संख्या में मर जाते हैं उनके बचाव के लिए चिन्हित क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) :

90. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वन विभाग की जमीन पर हुये अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

91. प्रदेश में वानिकी कार्यों में जन सहभागिता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. जयपुर की सघन आबादी के मध्य औद्योगिक क्षेत्र आ जाने के कारण हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. प्रदेश में पौधरोपण के जो आंकड़े बताये जाते हैं उतने पौधे जीवित नहीं रहते एवं कितने पौधे प्रतिवर्ष लगाये गये इसकी जांच नहीं होती।

अत: पौधे लगाने के बाद स्वतंत्र एजेन्सी से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. प्रदेश के 17 जिलों में विदेशी सहायता से चल रहे वन प्रोजेक्टों में अनियमितता की शिकायतों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. जयपुर के आस-पास के क्षेत्रों में वन भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे एवं रामगढ़ बाइपास के आस-पास वन भूमि का सीमांकन करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

96. जिला सीकर में वन भूमि पर वर्षों से आवासीय मकान बनाकर रह रहे व्यक्तियों की भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव बनाकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

97. सीकर जिले में वनों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में वनों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर स्थित फतेहपुर बीड व रामगढ़ बीड को रिजर्व घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

100. प्रदेश की वन भूमि पर बाहुबलियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे (अतिक्रमण) एवं खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रदेश के वनों में व्यर्थ बह रहे वर्षा जल को रोककर वन्यजीवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सांगोद स्थित वन क्षेत्रों में वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधिता परियोजना जापानी वित्तीय एजेन्सी जायका (जे.आई.सी.ए.) से स्वपोषित योजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

104. डूंगरपुर जिले में वनोषधि के पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. डूंगरपुर जिले में वन उपज से सम्बन्धित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. डूंगरपुर जिले में वन क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. डूंगरपुर जिले में वन्य जीव व वन को जल उपलब्ध कराने हेतु वन क्षेत्र में तालाबों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

108. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने में विफल वन विभाग की स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के वन क्षेत्र में बसे गांवों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में वन क्षेत्र में नरेगा एवं अन्य स्कीमों के तहत पिछले 10 वर्षों में लगाये गये वृक्षों की अवलोकनात्मक स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

111. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में चैकडेम, एनीकट बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

112. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गुढाकटला क्षेत्र में वनों की अवैध कटाई रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. पर्यावरणीय संतुलन हेतु राज्य में वन क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

115. विधान सभा क्षेत्र जायल में वन क्षेत्रों के अधिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र जायल में अवैध रूप से खेजड़ी वृक्ष की कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

117. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की वन भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों के बराबर अन्यत्र भूमि देकर इन्हें वन भूमि से मुक्त कर नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की वन भूमि पर विभाग, आमजन, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य विभागों की संयुक्त कार्य योजना बनाकर सिटी पार्कर्स विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की पहाड़ी पर वन भूमि से व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्राचीन जल संरक्षण इकाइयों के पुनरुद्धार एवं नयी वर्षा जल संरक्षण इकाइयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. प्रदेश में वन, वन भूमि संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त प्रावधान बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में चल रहे माचिया सफारी पार्क के कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कर जू-शिफ्टिंग कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

122. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में विभाग के अनेक कर्मचारियों के तबादलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में विभाग के कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में वनों की कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में आये दिन वनों की कटाई से होने वाले नुकसान से बेपरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

127. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वन विभाग की भूमि का भौतिक सत्यापन कर उसकी उचित देखभाल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में बंजर भूमि को विकसित करने के लिए नये पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के वन क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

130. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वन भूमि का विकास करने के लिये नये पौधे लगाने एवं उनकी देखरेख करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

131. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र में वर्षों से रह रहे व्यक्तियों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य जीवों से कृषि को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र से चेजा पत्थर पर लगाई गई रोक के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य अभयारण्य के अन्तर्गत आयी जमीनों के रजिस्ट्रेशन की रोक के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

136. राज्य व बीकानेर जिले में स्थित वन विभाग की आरक्षित भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. बीकानेर के जोड़-बीड़ क्षेत्र के आस-पास के गांवों के पशुओं को चारागाह क्षेत्र हेतु भूमि चिन्हित कर क्षेत्र के पशुधन को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त संसाधन व वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. राज्य में वन विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. बीकानेर जिले की वन विभाग की जमीनों पर हो रहे जिप्सम के अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

141. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बन्दरों को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में वन विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों का निरीक्षण एवं अनियमितता की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

143. विधान सभा क्षेत्र दौसा में वन क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र दौसा में और अधिक पौधे आबंटित कर वन क्षेत्र विकसित करने एवं जनता को बरसात के मौसम में बड़े वृक्षों के पौधे आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

145. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में मुकन्दरा हिल्स (कोटा) में बाघों को बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में वन क्षेत्रों में बसे हुए ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. कोटा में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदी और जलाशय में डाले जा रहे अपशिष्ट पदार्थों से वन्य जीवों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में गैन्ता-माखिदा पुलिया के निर्माण में वन विभाग द्वारा लगाये आक्षेपों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में विभाग द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की आडिट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

150. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह में बीसलपुर कन्जर्वेशन (अभयारण्य) के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

151. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में श्री सीमेंट के अपशिष्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

152. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वन विभाग द्वारा रोपित पेड़ों की अवैध कटाई रोकने एवं वन क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

153. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के वन क्षेत्र के व्यक्तियों को अधिकार पत्रों से वंचित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में वन क्षेत्र के अन्तर्गत मुकन्दरा हिल्स व टाइगर रिजर्व में बसे गांवों को नियमानुसार लाभ व मूलभूत सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

155. विधान सभा क्षेत्र धोद में सीकर के चारों ओर फैले विदेशी बबूल के पेड़ों की जगह अच्छे उद्यान लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र धोद के सरकारी वन क्षेत्र स्थान का सीमाज्ञान करवाकर बड़े पिल्लर लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

157. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पाल ग्राम पंचायत के वन क्षेत्र में होने से डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

158. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन्य जीवों के लिए पेयजल हेतु डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

159. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर की पहाड़ियों में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में पूर्व सरकार के पेड़ लगाओ आन्दोलन की क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में सफारी पार्क की समुचित देखभाल के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में सफारी पार्क हेतु बजट प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में वन विभाग की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

164. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के वन विभाग में कार्यरत अधिकारी को तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र की सुरक्षित तारबन्दी करवाने एवं वन्य जीवों से मानव जीवन की रक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

166. जोधपुर जिले के समस्त वन खण्डों का सीमांकन करवाने, उनकी सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनाने एवं रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. जोधपुर के वन क्षेत्रों में 50 वर्षों से बनी कालोनियों को वन क्षेत्र से बाहर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. राजस्थान में वन विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने एवं पदौन्नति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

169. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के वन क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं पुन: डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

170. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वन क्षेत्रों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) :

171. विधान सभा क्षेत्र खण्डार स्थित रणथम्भौर अभयारण्य में बन्द किये गये गिलाई सागर गेट को पुन: प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र खण्डार स्थित वन विभाग की भूमि से गुजर रही सड़कों का पुर्ननिर्माण एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

173. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में वन विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

174. राज्य के घटते वन क्षेत्र से वन्य जीवों को बढ़ते खतरे से बचाने हेतु नये वन क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. राज्य का वास्तविक वन क्षेत्र (सेटेलाइट नक्शों में) राज्य सरकार के रिकार्ड से बहुत कम होने के सम्ब्न्ध में चर्चा के लिये।

176. जिला करौली के अभयारण्य क्षेत्रों में रह रही आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. जिला करौली के वन क्षेत्र में कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं सामग्री की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के वन क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

179. अलवर स्थित सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग द्वारा राजस्व गांव में रहने वाले ग्रामीणों के उपयोगार्थ वर्षा के पानी को रोकने हेतु एनिकट बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. अलवर स्थित सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के राजस्व गांव में मूलभूत सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. अलवर ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाडोल) :

182. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के अन्तर्गत वनाधिकार पट्टा प्रकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

183. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में वन विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में हरित क्रांति के नाम से नागौर खींवसर में किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के वन क्षेत्रों में हुये अतिक्रमणों को हटाने के लिये ठोस कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. राजस्थान में लगातार वन क्षेत्रों के घटते क्षेत्रफल को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. खींवसर, नागौर व जायल में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

188. विधान सभा क्षेत्र सोजत में एन.एच. 162 एवं सोजत से सोजत रोड वाली रोड पर पुनः पहले की तरह वनीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. सोजत शहर में नरसिंहपुरा भाखरी पर वनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-6

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 42-उद्योग, 43-खनिज एवं 9-वन पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य जो पढ़े हुए माने गये)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी)

आज मांग संख्या 42, 43, एवं 9 के अंतर्गत उद्योग खनिज व वन पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास हेतु उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है, जिसके लिए राजस्थान राज्य निरन्तर प्रयासरत रहा है। माननीय अध्यक्षजी, अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि रहा है। माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में उधोग पर्याप्त लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर पा रहा है। औद्योगिक विकास न केवल आर्थिक सम्पन्नता प्रदान करने में, बल्कि सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने में भी सबसे बडा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम साबित हो सकता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूं, कोटा स्टोन की नगरी से जाना जाता है।

लेकिन सरकार कि नीति से की वजह छोटे–छोटे उद्योगों पर उधोग बन्द होने का खतरा मंडरा रहा है। कोटा स्टोन का अपार खनन होने के बावजूद कोटा स्टोन से सम्बन्धित उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पातीं।

(1) कोटा स्टोन हेतु स्टोन पार्क की स्थापना भी रामगंजमण्डी में होनी चाहिये। आज प्रदेश व देश में ही नहीं विशव में भी इसकी मांग है।

(2) रामगंजमण्डी में ही नये डम्पिंग यार्ड की आवश्यकता है। डम्पिंग यार्ड के अभाव में खनन उद्योग बन्द होने को कगार पर है। वेस्ट मेटेरियल डालने के लिए अब जगह नही बची है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोटा स्टोन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोटा स्टोन व्यापारियों की फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट मेटेरियल के लिए 100 (सौ) एकड भूमि डम्पिंग यार्ड के लिए नि:शुल्क आबंटित की जानी आवश्यक है।

रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन कार्य धड़ल्ले से जारी हैं। कोई रोकने वाला नही हैं। मेरा निवेदन है कि बगैर रिन्यूअल चल रही खानों को तुरन्त बन्द किया जाये एवं इनसे समयानुसार पैनल्टी वसूल की जावे ताकि राजकोष में वृद्धि हो और नुकसान ना हो। अधिकारी इन खानों को अवैध रूप से चलवा रहे है।

खनन नीति में मेरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे अनेक किसान है जिनकी जमीन खान मे चली गई, किसान भूखे मर रहा है? और रिकार्ड (खाते) में किसान के नाम कई बीघा जमीनें बोल रही है (दर्ज है)। इससे किसान को बी.पी.एल. श्रेणी में भी नही लिया जा रहा हैं। इस नीति से खान मालिक तों किसानों की जमीन से मालामाल हो रहा है लेकिन किसान भूखे मर रहा है। यह कैसी खनन नीति है। अत: भूमि की रजिस्ट्री खान मालिक के नाम करवाने का नियम बनाया जाये। खान मालिक को नियमानुसार खनन कार्य कर उस जमीन पर खेती लायक खेत बनाकर वापस किसान को देना चाहिये, या किसान को 10 गुना डी.एल.सी. रेट मिलने का नियम बनना चाहिये।

खनन क्षेत्र की सड़कों को नीति बनाकर सीसी रोड में परिवर्तित कर तुरन्त बनवाया जाये।

खनन क्षेत्र से खानों में भरा पानी व्यर्थ बहा दिया जाता है जो बिलकुल गलत है। इस बरसाती पानी को अक्टूबर में ही सडकों पर बहा दिया जाता है। इसके लिए कोई नीति बनाई जाये ताकी इस जल का उपयोग हो सके, क्योंकि यह क्षेत्र डार्क जोन एरिया है, यहां मवेशियों को भी पानी की बड़ी समस्या है।

महोदय कोटा और रामगंजमण्डी में स्थापित उद्योगों को इस बात के लिए पाबन्द किया एवं ऐसी कोई नीति बने जिससे स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। महोदय, उद्योगों के प्रदूषण से व सीमेन्ट प्लान्टों से उड़ते सीमेन्ट से स्थानीय लोगों के खेत खराब हो रहे है व खेतों में लगातार पैदावार कम होती जा रही है महोदय उद्योगों के प्रदूषण की मार स्थानीय आदमी झेल रहा है और उनमें रोजगार पाने में स्थानीय व्यक्ति कों योग्यता होते हुए भी तवज्जोह नहीं दी जाती है।

महोदय, उद्योगों में श्रमिकों को सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं हैं। श्रमिकों की मौत होने पर मामले को रफा- दफा कर दिया जाता है ताकी मुआवजा न देना पड़े।

ठेका प्रथा से श्रमिकों के हो रहे शोषण पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। न श्रमिकों के पी.एफ. की कटौती होती है, न ESI की कटौती है। 8 घण्टे से ज्यादा काम लेकर ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता, साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता।

महोदय, खनन विभाग सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तुरन्त कार्यवाही करे। खनन कार्य के लिए सरकारी सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुले आम खनन नीति की अवहेलना है।

रायल्टी राशि जो पंचायतों को दी जाती है, उसका प्रतिशत बढ़ाया जाये और प्रति वर्ष पंचायतों को जारी की जाये।

रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में वर्षों पहले मसाला उद्योग के लिए भूमि एक्वायर की गई थी । करोड़ों–अरबों रुपये के इस मसाला उद्योग की इतनी धीमी गति है कि इसे विकसित होने में पांच वर्ष और लग जायेंगे। मेरा निवेदन है कि मसाला पार्क को शीघ्र चालू किया जाये।

रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुर गुन्दी में रीकों इण्डस्ट्रीज एरिया विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने योजना बनाई थी लेकिन इसमें कोई तरक्की अभी नहीं हुई है । इसे भी शीघ्र पूरा किया जाये।

अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश में आने वाले उद्योगों में से एक-दो मेरी विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में भी लगाया जायें, यहां बहुत गरीबी है, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

माननीय अध्यक्षजी, जनहित के काम में वन विभाग को कतई व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। अब तो स्टेट की वन विभाग की कमेटी भी बन चुकी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि स्टेट की कमेटी में ऐसे कार्य हेतु कुछ निर्णय लिये जाने चाहिए।

वन विभाग ने गांवों के चारों ओर खाइयां खोद डालीं। गांवों को चार-दीवारी में बंद करने की तैयारी वन विभाग ने कर ली गई है। गांव के पशु उस चार दीवारी में कैद नहीं रह सकते।

अत: ऐसी पंचायतों या गांवो से कम से कम 10km तक पशु चराई के लिए छोड़े जाने का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। जैसे कि घाटो लीव बोराबास, डोलिया, मानपुरा, आदि गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है।

वन विभाग में स्वीकृत सडकें 9 वर्ष बाद भी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। जगह पर गिटटी पड़ी है, डामर पड़ा है। अत: पूरे राजस्थान में वन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का काम भी जल्द शुरू होना चाहिए। यह निर्णय भी स्टेट की कमेटी द्वारा जल्दी लिया जाये तो जनता को आजाद भारत में रहने का अनुभव प्राप्त होगा। गांवों मे गर्भवती महिलायें दम तोडती नजर आती हैं।

माननीय अध्यक्षजी, रामगंजमण्डी विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हुआ है लेकिन कोई नोटिस नहीं कोई मुआवजा नहीं और गांवों के रास्ते बन्द कर दिये। ये कैसा न्याय? चारदीवारी हेतु राशि आबंटित हो चुकी लेकिन गांव वालों को कुछ मालूम नहीं। मेरा सरकार से

निवेदन है कि दरा गांव, दामोदरपुरा, लक्ष्मी पुरा, खरली बावड़ी, गिरधरपुरा, किशनपुरा आदि गांवों के बारे में विचार कर उन्हें न्याय दिलाया जाय।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग 43-खनिज और 09 -वन पर बोलने के लिए आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे-सीधे जो जनता और मेरे क्षेत्र की मांग हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में रूपनगढ़ उपखण्ड में नमक का बहुत बड़ा व्यवसाय है। अत: वहां पर नमक के लिए अलग से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में तिल्ली का तेल, मूंगफली और सरसों की रिफाइनरी लगाने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, ईंट, लकड़ी, सीमेन्ट एवं चूना उद्योगों को प्रोत्साहन व ऋण दिलाने हेतु अभियान चलाकर लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सिरेमिक्स का जोन बनाकर सिरेमिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने की प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता है। अजमेर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में निजी भूमि पर औद्योगिक संपरिवर्तन पश्चात् स्थापित सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं रीको द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कार्यरत हजारों श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता योजना की प्रभावी योजना बनाकर उन्हें आवास उपलब्ध कराने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में मसाला उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी कमीशन को पाबंद किया जाना चाहिए तथा प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता के लिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर जिले में उद्योगों को बढावा देने के लिए गैस पाइपलाइन लगाने की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

प्रदेश में सौर ऊर्जा की विपुल सम्भावनाओं के अधिकतम दोहन के लिए सौर ऊर्जा पैनल और बैटरी निर्माण उद्योग प्रदेश में लगाये जाने के लिए

विशेष प्रयासों की जरूरत है और सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनता को फायदा हो।

अजमेर में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार को ध्यान देना चाहिए। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में महिलाओं के रोजगार के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने के साथ ही स्वयं सहायता समूहों एवं व्यक्तिगत ग्रुप बनाकर लूगड़ी में पैचवर्क व कांच बनाने के कार्य को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगढ में नये औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने, पालरा रीको क्षेत्र का विस्तार करने तथा विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के करकेडी, नरवर, वीर, प्रकट में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा, विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के श्रीनगर में घोषित औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र ही प्लाट आबंटन करके औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की तरफ विशेष ध्यान देने के लिए भी माननीय मंत्रीजी ध्यान आकर्षित करता हूं। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में जिला उद्योग केन्द्र से उद्योग के लिए योजनाओं की जानकारी एवं प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। अजमेर जिले में उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी के लिए सी.पी.टी. टैंक बनाकर उस पानी को साफ करने की कार्य योजना बनायी जानी चाहिए ताकि जल प्रदूषण न हो। राज्य में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना पुन: चालू की जानी चाहिए जिससे रोजगार उपलब्ध हो।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में भूमि वाले काश्तकार को स्वयं की भूमि पर उद्योग लगाने की अनुमति देने हेतु भी मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रदेश में रीको द्वारा एकल खिड़की योजना में अधिक से अधिक उद्योगों को लगाने वालो आवेदकों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जानी चाहिए। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में शिक्षित बेरोजगारों के लिए उद्योग लगाने हेतु ऋण दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा, अजमेर जिले में बन्द पड़े उद्योगों को पुन: चालू कराने की भी आवश्यकता है।

खनिज

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की कायड माइंस में बहुत अधिक मात्रा में खनन हो रहा है। जिस समय कम्पनी ने खनन पटटा लिया, उस समय यह वादा किया था कि इसका

प्रोसेसिंग प्लांट अजमेर में ही लगाएंगे, लेकिन प्रतिदिन हजारों टन खनन करके भीलवाड़ा या अन्य जिलों में ले जाया जा रहा है, जिससे यहां के क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान जिंक लि. कायड़ का प्रोसेसिंग प्लांट अजमेर में ही लगाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और अजमेर जिले की राजस्व आय में वृद्धि हो सके।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्थानीय स्तर पर निकाले जाने वाले खनिजों से प्राप्त रायल्टी का हिस्सा ग्राम पंचायतों को देने की आवश्यकता है।

अजमेर जिले में स्थित खनिज क्षेत्रों के गांवों में एवं खनन क्षेत्रों तक सुलभ मूलभूत सुविधाओं, जैसे पक्की सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र, आदि की उपलब्धता कराने की आवश्यकता है, जिसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय पर खनिज विभाग का कार्यालय खोलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष् महोदय, अजमेर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में खान आबंटन सम्बन्धी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, प्रदेश में सैंडस्टोन के आबंटन के क्षेत्रफल को एक हैक्टेयर करने, विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में खनिज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिरेमिक हब की स्थापना करने की आवश्यकता है। साथ ही, प्रदेश में खान श्रमिकों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भू-विज्ञान विभाग द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं सामूहिक बीमा योजना, श्रमिकों को खनन जनित सिलिकोसिस, एस्बीटोसिस बीमारी व श्रमिकों के आश्रितों को देय राशि का भुगतान अविलम्ब करना चाहिए।

वन

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन की मांग पर निवेदन करना चाहता हूं कि तीर्थराज पुष्कर का अरण्य क्षेत्र प्रकृति का एक उपहार है। यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य का राजस्थान में दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। तीर्थराज पुष्कर सरोवर को नमन करने व नाग पहाड़ की पहाड़ियों में विचरण करने प्रति वर्ष लाखों की तादाद में विदेशी पक्षी यहां पर आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नाग पहाड़ एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में एक भव्य वन्य जीव अभयारण्य विकसित करने की आवश्यकता है।

वन विभाग में रिक्त पदों को भरने, खातेदारी भूमि पर वन भूमि के

लगे पैन्सिल नोट हटाने, वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने, वन क्षेत्र में योजना बनाकर पक्के चैक डैम बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, वनों को हरा-भरा करने के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था करने, अरावली पर्वत श्रेणियों पर वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग, आमजन, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य विभागों की संयुक्त कार्य योजना बनाकर आधुनिक कार्य योजना बनाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अजमेर जिले की समस्त मुख्य सड़कों के दोनों तरफ पौधे विकसित करने, विदेशी बबूलों को हटाकर उनकी जगह नये बबूल लगाने की भी आवश्यकता है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम)

उद्योग

राजस्थान के बीकानेर जिले के उद्योग विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहां का उत्पादन, उनकी गुणवत्ता व स्वाद न केवल भारत में, वरन विश्व में प्रसिद्ध हैं। बीकानेर जिले को एशिया की वूल मण्डी के नाम से जाना जाता है, बीकानेर के पापड़, रसगुल्ला व नमकीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेर जिले में उद्योग के विकसित होने एवं अन्य छोटे-मोटे उद्योगों को स्थापित करने में कुछ समस्याएं हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं :-

विद्युत विभाग से सम्बन्धित :-

1. रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के विद्युत बिलों में अरबन सैस के नाम पर एक ही कार्य के लिए दो बार ली जाने वाली के सम्बन्ध में–रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औघोगिक इकाइयों से विद्युत विभाग द्वारा रोड लाइट के एवज में अरबन सैस लिया जाता है, जबकि रीको द्वारा रोड लाइट आदि की सुविधाएं यहां की औद्योगिक इकाइयों को दी जाती हैं और इसके बदले औद्योगिक इकाइयों से सर्विस चार्ज लिया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि औद्योगिक इकाइयों के विद्युत बिलों मे आज तक यह शुल्क दो बार जोड़ा जा रहा है। कृपया अतिशीघ्र ही उचित कार्यवाही करके अरबन सैस के नाम पर जोड़ी गई राशि को हटाई जावे।
2. नवीन इकाई के लिए सी.टी./पी.टी. हेतु अनापति प्रमाणा–पत्र को स्थानीय कार्यालय से ही जारी करवाने बाबत:- महोदया जब कोई नवीन उद्यमी अपनी इकाई स्थापित करता है, तो उसके लिए सी.टी./ पी.टी. की आवश्यकता होती है। इसके लगवाने के लिए जब उद्यमी

आवेदन करता है तो उससे इस आशय के अनापत्ति प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसके लिए विद्युत विभाग जोधपुर से इसकी अनुमति लेता है। इससे कार्य में अनावश्यक समय व्यतीत हो जाता है। अत: निवेदन है कि स्थानीय कार्यालय से ही अनुमति जारी करने की कृपा करावें ताकि उद्यमी समय के अपव्यय से बच सकें।

3. छोटे विद्युत कनेक्शन हेतु विभाग द्वारा मांगे जाने वाले प्रदुषण विभाग के अनापत्ती प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त करने बाबत:- प्रदेश के अन्य जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नये विधुत कनेक्शन जारी करने हेतु राज्य सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेश दि. 3.1.2013 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त किया है। अत: राजस्थान के सभी जिलों में इस प्रकार की समान व्यवस्था लागू की, जाये ताकि नवीन उद्योगों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

4. विद्युत निरीक्षणालय द्वारा नवीन कनेक्शन जारी करने सम्बन्धी अनापत्ति के सम्बन्ध में:- बीकानेर में सम्भाग स्तरीय विद्युत निरीक्षणालय का कार्यालय स्थित है, जहां सहायक अभियंता बैठते हैं, फिर भी इसकी एन ओ सी जोधपुर से जारी होती है।

रीको लि. से सम्बन्धित :-

5. उद्योग विभाग एवं रीको लि. द्वारा औद्योगिक विकास की योजनाओं के सम्बन्ध मे सुझाव :-

उद्योगों हेतु भू-उपयोग परवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये । इसकी निश्चय सीमा तय हो।

औद्योगिक विवादों का समय सीमा में निपटान किया जाये।

साइट सेटबैक में नियमन शुल्क एक गुणा व फ्रंट सेटबैक मे दो गुणा ही रखा जाये ।

औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों का रख-रखाव सही ढंग से हो। सडकों के साइड में पार्किग हेतु वाल–टू–वाल इंटरलाकिंग टाइल्स लगाई जायें। डेनेज सिस्टम में सुधार हो। औद्योगिक क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या में सुधार की भी आवश्यकता हैं।

भूखण्ड आबंटन होने के बाद भूखण्ड के नियमन की कार्यवाही जयपुर की बजाय स्थनीय स्तर पर ही की जाये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित :-

6. खाद्य पदार्थों की जांच में तीव्रता लाने हेतु पूर्व की भांति बीकानेर में जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोलने के संबंध में:- बीकानेर में सम्भाग स्तर पर वर्ष 2000 तक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कार्यरत थी, किन्तु राज्य सरकार ने बीकानेर जोन की वर्षा से कार्यरत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को बंद कर दिया जिसका खामियाजा बीकानेर जिले व सम्भाग की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में खाद्य पदार्थों की जांच 1-2 दिन में ही जाती थी और जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री व मिलावटी पदार्थों पर अंकुश व जानकारी रहती थी, परन्तु अब प्रयोगशाला के अभाव में बीकानेर में योग्य व प्रशिक्षित कार्मचारी होने के बाद भी इसका खामियाजा बीकानेर जिले की इकाईयों को भुगतना पड़ रहा है तथा प्रयोगशाला के अभाव में अब सभी पदार्थों के सैम्पल जयपुर भेजने पड़ रहे है जिससे समय की अनावश्यक बर्बादी होती है।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित :-

7. करणी औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल (पीने का पानी) आपूर्ति शोभासर जल संयंत्र से किए जाने हेतु:- वर्तमान में करणी औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति रीको से की जाती है जो पीने योग्य पानी नही है। करणी औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ पानी की आपूर्ति शोभासर जलाशय से की जावे ।

8. रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र हेतु अतिरिक्त पानी की टंकी का निर्माण करवाकर पर्याप्त जलापूर्ति के सम्बन्ध में:- रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई टंकी का एस्टीमेट भी जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा जयपुर मुख्यालय को भिजवाया गया था। अत: जयपुर मुख्यालय से स्वीकृत जारी करवाकर अतिरिक्त पानी की टंकी का निर्माण करवाने की कृपा करें ।

स्वायत शासन विभाग/रीको लि. से सम्बन्धित :-

9. घड़सीसर में यू.आई.टी. द्वारा अग्निशमन केन्द्र हेतु आबंटित भूमि पर अतिशीघ्र अग्शिमन केन्द्र की स्थापना हेतु:- घडसीसर में अग्शिमन केन्द्र की स्थापना हेतु नगर विकास न्यास द्वारा भूमि का आवंटन किया जा चुका है। हमारा निवेदन है कि उक्त आबंटित भूमि पर नगर विकास न्यास, रीको लि. अथवा नगर निगम के मार्फत अतिशीघ्र अग्निशमन केन्द्र की स्थापन की जाये ताकि समय रहते

आगजनी पर काबू पाया जा सके और जान-माल की हानी से बचा जा सके ।

राजसिको से सम्बन्धित :-

10. बीकानेर के विकास हेतु स्वीकृत डाईपोर्ट का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने बाबत:- बीकानेर में स्वीकृत डाईपोर्ट के निर्माण की समस्त आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए रीको को नोडल एजेन्सी बनाकर करीब तीन वर्षो के बाद डाईपोर्ट निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था, किन्तु वर्तमान मे कार्य बन्द पड़ा है। बीकानेर जिले में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो बन जाने से जिला देश के मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखेगा।

राजस्थान वित्त निगम जयपुर से सम्बन्धित:-

11. राजस्थान वित्त निगम की ऋण ब्याज दरों कें सम्बन्ध में:- वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में कम ब्याज दरों के कारण निगम से ऋण लेने में उद्यमी–व्यापारी कम रुचि दिखा रहे हैं। अत: आपसे निवेदन कि राजस्थान वित निगम की ब्याज दरों में कटौती कर बैकिंग सेक्टर के समान कर दी जावे लघु उद्योगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बड़े उद्योगों को तो सभी बैंक लुभावने ढंग से ऋण वितरण कर रही है।

बीकानेर मे हवाई सेना के सम्बन्ध में:-

12. बीकानेर में हवाई सेवा आरम्भ करने हेतु:- बीकानेर के सर्वांगीण विकास हेतु हवाई सेवा प्रारम्भ की जानी आवश्यक है। वायु सेना आरम्भ होने से बीकानेर विश्व के मानचित्र में वायु मार्ग द्वारा जुड जायेगा, जिससे औद्योगिक विकास में तीव्रता आयेगी और बीकानेर का सर्वांगीण विकास होगा। बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी उन मण्डी के रूप मे भी जाना जाता है। साथ ही, सिरेमिक्स, पापड़, भुजिया, नमकीन आदि का कार्य भी तभी तीव्र हो सकता है, जब बीकानेर हवाई सेवा से जुडे। औद्यौगिक विकास तीव्र होने से अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियां भी यहां निवेश में अधिक रुचि दिखायेंगी, साथ ही पर्यटन उद्योग को भी बढावा मिलेगा।

13. कृषि आधारित उ़द्योंगों के विकास हेतु अन्य प्रान्तों से आयातित कच्चे माल पर लागू मण्डी शुल्क में छूट प्रदान करने एवं नियम 58(4) को पुन: लागू करवाने के लिए:- राजस्थान उत्पाद कृषि मण्डी एक्ट,

1961 के अन्तर्गत कृषि आधारित उद्योगो को कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु अन्य राज्यों सें आयातित कृषि जिंसो को धारा 58(4) के तहत दोहरे मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त थी। विगत 27 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 58 (4) को विलोपित करते हुए यह छूट समाप्त कर दी है, जिसके कारण राज्य के बाहर का कृषि उत्पादन आयात करने पर राज्य के कृषि आधारित उद्योगों को पुन: दूसरी बार 1.60 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क देय हो गया है।

हम आपका ध्यानाकर्षण करना चाहेंगे कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्, आदि राज्यों में भी कृषि उत्पाद आयात कर प्रसंस्करण करने पर मंडी शुल्क से छूट प्राप्त है। राजस्थान में भी यह छूट सन 1963 से लेकर 2005 तक प्रभावी रही थी, जिसे उक्त अधिसूचना के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

अत: आपसे निवेदन है कि धारा 40(ए) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यों में स्थापित कृषि उद्योगों को एक बार क्रय की गई वस्तु पर दो बार मंडी शुल्क न चुकाना पडे, इसलिए उद्योगों को कच्चे माल को अन्य राज्यों से आयात करने पर देय मंडी शुल्क में भूलक्षी प्रभाव से मुक्ति प्रदान करवायें ताकि राज्य का कृषि उद्योग पुन: प्रतिस्पर्धा में टिक सके व औद्योगिक इकाइयां पूरे देश में अपने उत्पाद का विपणन करने में सक्षम हो सकें।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर)

महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र जालौर जो ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, में लगभग 1500 इकाइयां चल रही हैं और 500 ग्रेनाइट इकाइयां लगाने हेतु और भी उद्योग पर्ति तैयार हैं। सभापति महोदया, अगर सरकार चतुर्थ फेज जालौर में लगाने को तैयार हो जाए जालौर शहर के पास किशनगढ़ रोड पर जमीन उपलब्ध है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो ग्रेनाइट उद्योग लगे हुए हैं उनसे निकलने वाली स्लरी का रोड पर ढेर लग जाता है जिसके कारण शहर व आस-पास के गांवों मे भी प्रदूषण फैल रहा है। महोदय, निवेदन है कि इसके लिए डम्पिंग यार्ड की सुविधा भी जालौर में उपलब्ध कराएं, जिससे पूरे जालौर शहर को प्रदूषण से मुक्त करवाया जा सके ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहती

हूं कि ग्रेनाइट उद्योग से जो स्लरी निकलती है, उसका अगर शोध करवाया जाए तो इसके कई तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसा करने से जालौर में एक बड़ा उद्योग लग सकता है। और हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और स्लरी से जालौर को प्रदूषण मुक्त करवाया जा सकता है ।

अत: मेरा अनुरोध है कि जालौर में ग्रेनाइट उद्योग के लिए चौथा फेज खोला जाए, साथ में, स्लरी पर शोध करवाकर उसका भी उपयोग हो।

महोदय, जालौर मुख्यालय के उप वन संरक्षक कार्यालय के पुराने वाहन, जिसमें बुलेट, जीपें व बड़े ट्रक कई वर्षो से पड़े हैं, ये वाहन आज पूरी तरह से नाकारा व खराब हो गये हैं तथा अब किसी काम के नहीं हैं। सरकार अगर चाहे तो इनकी नीलामी से विभाग को राशि प्राप्त होगी जिससे इसको पौधरोपण भवन निर्माण या किसी अन्य काम मे लिया जा सकता है।

महोदया वन विभाग द्वारा हर बार जालौर किले और अन्य जगह पर पौधरोपण किया जाता है। वन विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी आज भी पहाड़ पर नगण्य पौधे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वन विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी के कारण जालौर के आस पास वनों की कटाई हो रही है। उसको भी रोका जाए।

महोदय, जालौर, सिरोही, पाली व जैसलमेर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। इन आस–पास के जिलों से कच्चा माल जालौर लाया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, फिर परिवहन के लिए माल ट्रकों से भेजा जाता है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर जालोर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाता है तो बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

महोदय, जालौर के पास लेटा गांव है जहां पर खेसला (कम्बल) बनाया जाता है। यह सूती खेसले का उद्योग भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है।आज भी लेटा के खेसले कहीं नहीं मिलते। परन्तु आज यह उद्योग बंद होने की स्थिती में है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगर ऋण व कोई प्रोत्साहन राशि या सब्सिड़ी दे तो यह उद्योग वापस फलीभूत हो सकता है तथा कई लोगों को रोजगार मिल सकता है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे मांग संख्या 9, 42, 43, पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में नया औद्यौगिक क्षेत्र खोलने की योजना थी क्योकि यहां पर सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। यहां पर सरसों के तेल की मिलें लगाना चाहते है।

यहां पर सब्जी भी खूब पैदा होती है। अत: यहां पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की भी काफी सम्भावना है

साथ ही इस एरिया में क्वार्टज फैल्सपार का खनिज भी बहुत है। यह इंडस्ट्रीज भी काफी लगाने वाले है। टोटल Investment लगभग 200 करोड रुपये थी संभावना है। अत: इस क्षेत्र में RICCO क्षेत्र खोलने की कृपा करे।

मेरे क्षेत्र में बीसलपुर अभयारण में भी अलग से Budget दिलवाने की कृपा करे। यदि अभयारण 30 किलोमीटर लम्बा व 3 किलोमीटर चौड़ा है। इस अभयारण में गढ के बालाजी के रास्ते पर पहाड़ के ऊपर 2 बड़े तालाब हैं। इनकी मरम्मत के लिए भी राशि दिलवायें जिससे पहाड़ पर साल भर पानी रहे और हजारों जानवर पानी पी सके।

मंत्री महोदय से निवेदन है कि टोडारायसिंह क्षेत्र में बजरी का सबसे ज्यादा खनन हो रहा है। रोजाना 1000 ट्रक मेरे क्षेत्र भी रोडों से निकल रहे हैं। मेरे क्षेत्र की रोड टोडारायसिंह–बोटून्दा और टोडारायसिंह भासू बिलकुल खतम हो रही है। इस राशि, जो कि खनिज विभाग को मिली, दिलवायें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार)

विधान सभा क्षेत्र खण्डार जो कि अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रोजगार की दृष्टि से फलौदी सीमेन्ट फैक्ट्री बंद होने के बाद यहां पर कुछ नहीं है। वन विभाग के कारण किसानों की फसल में नुकसान होता है। अत: आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में रीको इंडस्ट्रीयल एरिया जल्दी से लाया जावे जिससे क्षेत्र के लोगो को रोजगार उपलब्ध हो सके। पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जो कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार में आता है, रेलवे ट्रैक से जुडा हुआ है। व्यवसाय की दृष्टि से रीको इडस्ट्रीयल एरिया या लोगों को व्यवसाय देने की दृष्टि से और कोई रोजगार नहीं है।

अवैध खनन राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में बजरी रायल्टी का नियम यह है कि ओवरलोड गाड़ी की रायल्टी नहीं कटनी चाहिए, जबकि वहां पर रायल्टी लेने वाले लोग निर्धारित मात्रा की रायल्टी काट लेते हैं और किन्हीं कारणों से ओवरलोड गाड़ी को छोड़ देते हैं। इससे सरकार का नुकसान होता है। क्षेत्र रोड की स्थिति यह है कि अपूर्व ओवरलोड 15 टन की गाड़ी के हिसाब से बनाये जाते हैं और गाड़ी 55 टन लोड लेकर चलती है, जिससे कि रोड जल्दी टूट जाती है। सरकार से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में खनन विभाग एवं बजरी के ट्रकों का ओवरलोड रुकवाये, जिससे हमारे यहां की रोड ठीक रहें; सरकार की रोड बार–बार न टूटें।

सवाई माधोपुर में खण्डार (विशेषकर सेंचुरी/पार्क से सटा एरिया) सीमेंन्ट फैक्ट्री बंद होने के बाद से बेरोजगारी का शिकार हुआ हैं। कुछ लोग पशु पालने का धन्धा करके उनसे प्राप्त दूध को बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। जंगल के नियम कठोर होने के कारण यह धंधा भी लुप्त होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त खेतीबाड़ी से अपना जीवनयापन करते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचने के पश्चात जंगली जानवर (सांभर, चीतल, सूर, नील गाय, आदि) फसल नष्ट कर देते हैं। मेरे क्षेत्र के ऐसे लगभग 120 गांव हैं।

1. वन विभाग वनों की सुरक्षा हेतु चारों ओर 8-8 फीट ऊंची दीवार अथवा चौकड़ी का जाल लगवायें ताकि जानवर बाहर नहीं निकले और सुरक्षित रहें।

2. किसानों को अपने-अपने खेतों की फेंसिंग कराने के लिए सब्सिडी दी जावे ताकि वे स्वयं सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

3. नुकसान वाले क्षेत्र का मुआवजा (पूर्ण वेरिफिकेशन उपरांत) दिया जावें।

4. वन क्षेत्र में जो जानवर जहा उपलब्ध हैं, उनके विशेष भोजन, चारा/ घास, दाना, आदि उपलब्ध करायी जावें, जिससे कि जानवर बाहर न आ सकें।

5. रोड की बात करें तो बहारबडा खुर्द से सवाई माधोपुर रोड 18 किमी पर लगभग 1.30 घंटे लगते हैं। वन विभाग द्वारा एन ओ सी नही दी जाती है।

6. महाराजपुरा से करौली रोड जो 8 किमी का है, जिसकी वजह से 100 किमी घूम के जाना पडता हैं।

7. जंगल के क्षेत्रफल के हिसाब से 20 प्रतिशत पर्यटक के लिए खोला जाता है, जबकि 16 प्रतिशत ही खुला हुआ है। कई वर्षों से खण्डार की मांग चली आ रही है, कि खण्डार का गिलाई सागर गेट फिर से पयर्टकों के लिए खोला जावें, जिससे हमारे खण्डार क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले दिनों सरकार ने घड़ियाल परियोजना को 1 करोड रूपये देकर विकसित कराया लेकिन खाली घड़ियाल परियोजना को देखने के लिए पयर्टन नहीं आता है।

8. जंगल के कारण गांव मे भी विकास कार्य नहीं हों पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग को अपने नियमों में कुछ संशोधन करना आवश्यक है, जिससे गांव के विकास में वन विभाग रोड़ा न बने ।

इस वर्ष बजट में वन विभाग की जन धन योजना में मुख्य मंत्री जी

ने 7 करोड़ 50 लाख व 2 करोड 25 लाख रुपये दिये हैं। अत: आपसे निवेदन है कि गांवों को वन विभाग द्वारा पैसे देकर विकास करने में सहयोग किया जावे।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली)

मांग संख्या 42

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है। विधान सभा क्षेत्र मावली में इस कार्यक्रम मे जो भी आवेदनकर्ता हैं, अधिकारी उन फार्मो को पास नही करते है। जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर के प्रबंधक बहानेबाजी कर दो-तीन वर्षों तक बेरोजगारों को भटकाते रहते हैं। जिनकी स्वीकृति हुई है, वो बैंक के चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए जब तक हमारे यहां जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं होगी, तब तक यहां राजस्थान में उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो सकते। उन अधिकारियों पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मै मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मावली विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योग लगवाएं जाएं। छोटे-छोटे लघु उद्योग में महिला और पुरुष दोनों उसमें काम कर सके। लघु उद्योग लगेगा तो हमारे वहां का लोकल एरिया जो ग्रामीण पड़ता है, उसमें अगर लगाएंगे तो उनको बाहर जाने की नौबत कम आएगी। लघु उद्योग में ऐसी योजना हो कि उसमें छूट मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, खेती उत्पादन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएं। खेती आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, दस्ताकारी और कुटीर उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अगर समुचित ध्यान दिया जाएं तो इस बढती हुई बेरोजगारी पर अंकुश पाया जा सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र रीको गुडली सनवाड लकडवास के पास केमिकल प्लांट लगे हुए हैं। इस दूषित पानी से कई लोगों में फ्लोराइड की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हिन्दुस्तान जिंक डैम एवं झामरकोटड़ा माइन्स डैम बने हुए हैं, जिनके अन्दर बोंरिग कर रखे हैं, जिसकी वजह से दूषित पानी जमीन में जाने से आसपास के करीब 25 गांवों में पानी पीने के लायक नहीं रहा है। इस माइन्स के दूषित पानी से जमीन बंजर हो गई है। कई जमीने खेती करने के योग्य नही हैं। जमीन के निचले स्तर का पानी भी काफी गंदा व पीला हो गया

है । कुओं का पानी भी खराब होने लग गया है, जो कि पीने योग्य भी नहीं रहा है। हरे–भरे पेडों को भी नुकसान हो रहा है। पूर्व में भी हिन्दुस्तान जिंक द्वारा जो पेड़ लगाये गये थे, वे पेड़ भी सूख चुके हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उक्त प्लाटों से निकलने वाले दूषित पानी की जांच करवाई जावे एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मावली विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले धुएं व प्रदूषित गैस से फसलों पर दुष्प्रभाव हो रहा है; दुषित चारा खाने से पशु अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं; स्थानीय निवासियों की आंखों में जलन, फोड़े, फुंसी, आदि बीमारियां हो रही हैं। अधिकारियों की मिलीभगत होने से मामलों में कार्यवाही नहीं करते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय, रीको ओद्योगिक क्षेत्र सुखेर में रीको द्वारा जो जमीन अवाप्त की गई, उसका मुआवजा अनेक स्थानीय निवासियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मावली विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक सीमेन्ट फैक्टरी तथा रीको औद्योगिक क्षेत्र उमरडा, सुखेर, गुडली, सनवाड़ा में जो उद्योग-धन्धे स्थापित हैं, उनमें बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाता है जिससे स्थानीय क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। अत: निवेदन है कि शिक्षित बेरोजगार स्थानीय निवासियों कों रोजगार दिया जाये।

भानसोल से घासा तक रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाय, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा।

देबारी बाइपास सुखेर से गुडली तक सीधी रोड निकाली जाय जिससे कि मार्बल व रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा तथा नये उद्योग धन्धे विकसित होंगे। सुखेर व गुडली औद्योगिक क्षेत्रों के आपस में जुडने से रोजगार के लिए आने जाने वाले स्थानीय निवासियों को सुविधा होगी। हिन्दुस्तान जिंक में जाने वाले वाहनों के कारण लगने वाले जाम व हादसों से निजात मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मावली विधान सभा क्षेत्र में स्थापित उद्योग धन्धों से मिलने वाले लाभांश का दो प्रतिशत हिस्सा मावली क्षेत्र में विकास के लिए लगाया जाय व आसपास के क्षेत्रों का विकास करवाया जावें।

एकल खिड़की योजना की स्थापना कर रखी है। हमारे अधिकारी उन उद्योगपतियों के पास जाकर उनको यहां लायें और उद्योग धन्धे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उनको आने वाली दिक्कतों को दूर करें और लाइसेंस दिया जावे।

अध्यक्ष महोदया, मावली विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्टरियों को पुन: चालू करने की कार्रवाई की जायं।

मांग संख्या 43

मैं खनिज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि खनन क्षेत्रों पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है। इस एकाधिकार को समाप्त कर ऐसी खनन नीति बनाई जाए जिससें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों को खनिज लीजें दी जाकर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके ।

मावली विधान सभा क्षेत्र के खनिज क्षेत्रों तक आवागमन के साधनों को बढ़ावा देने व खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा उस क्षेत्र मे बसे गांवों के लोगों की सुविधा के लिए खानों को जोड़ने वाली सड़कों को विकसित करने हेतु खेमली से देलवाडा, नठवा से चिरवा, नुरडा से पलानाखुर्द, ओडवाडिया से नाहरमगरा सड़कों का सुदृढ़ीकाण एवं डामरीकरण किया जाय।

खनिज विभाग में रिक्त पदों को भरा जाय।

मांग संख्या 9

अध्यक्ष महोदय, मावली विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जाय।

वन भूमि घोषित होने से पूर्व बसे किसानों को नियमित किया जाय।

मावली विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर बसे स्थानीय नागरिकों को आवासीय पट्टे दिये जायें ।

मावली विधान सभा क्षेत्र में जंगलों का वार्षिक प्लान बनाकर पक्के एनिकट व चैक डैम का निर्माण किया जाय।

सरकारी बंजर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाय।

वनों की अवैध रूप से हो रही कटाई को रोका जाय ।

वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोका जाय ।

वन क्षेत्र की भूमि पर वन विभाग द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया जाय जिससे अतिक्रमण करने वालों से निजात मिलेगी।

जंगली जानवर पैंथर से आमजन को होने वाली क्षति को रोका जाय।

वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जाय।

यही निवेदन करता हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद

श्री भंवरसिंह (कोलायत)

अध्यक्ष महोदया, मैं मांग संख्या 09–वन, 42–उद्योग एवं 43–खनिज के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीकोलायत में जिप्सम, बाल क्ले, लिग्नाइट व बजरी, आदि खनिजों का अथाह भण्डार है। केन्द्र सरकार ने 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया है, जिसमें जिप्सम भी शामिल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अपराध फैल रहा है। जिप्सम के खनन का अधिकार आज तक सिर्फ आर एस एम एम को तथा कुछ पी ओ पी औद्योगिक इकाइयों कों हैं। वर्ष 2014 के बजट घोषणा पत्र मे खातेदार किसानों को जिप्सम खनन पट्टे देने की घोषणा की गई है लेकिन एक वर्ष में एक भी खातेदार को खनन पट्टा नहीं दिया गया। जनवरी 2014 को जिप्सम अप्रधान खनिज घोषित हो गया। सरकार जिप्सम का रायल्टी ठेका करने जा रही है लेकिन इससे जिप्सम के अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा। खनिज विभाग व स्थानीय पुलिस के संरक्षण से अवैध खनन अंधाधुंध हो रहा है। अवैध खनन को रोकने की प्रभावी कार्य योजना बनाई जानी आवश्यक है।

मा. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में पिछली सरकार ने 1,000 कांस्टेबल भर्ती निकाली तथा लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद इस भर्ती को वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया। अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर क्षेत्र में अपराध व राजस्व हानि को रोका जाये ।

मा. अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2014 में बीकानेर जिले में सिरेमिक हब विकसित करने की बात कही गई, लेकिन आज तक जमीन भी चिन्हित नही की गई। कोलायत में बाल क्ले का अथाह भण्डार है। यहां सिरेमिक हब बनाने के लिए पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता है क्योंकि बिजली व डीजल से यहां औद्योगिक इकाइयां नही चल सकतीं। इसलिए बीकानेर जिले को रामगढ़ से गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाये जिससे यहां सिरेमिक हब वास्तविक रूप से बन सके। यहां हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

मा. अध्यक्ष महोदय, श्री कोलायत के पास गुडा गांव में वी एस एल पी का लिग्नाइट प्लान्ट कार्यरत है। यह प्लांट लिग्नाइट का खनन करता है। ओवरबर्डन के रूप में बाल क्ले निकलता है। पिछले कई वर्षों से यहां करीब 50

लाख टन क्ले के पहाड़नुमा पर्वत बन गये हैं। यह क्ले वर्षा, आंधी में खराब हो रही है। खनिज विभाग की उदासीनता की वजह से करोड़ों रुपये का क्ले बर्बाद हो रहा है। बाल क्ले के इस भण्डारण का उपयोग का सरकार को राजस्व में फायदा होगा ।

मा. अध्यक्ष महोदया बीकानेर में खनिज विभाग के 5 कार्यालय हैं, जिनमें से 4 कार्यालय किराय के भवन में चल रहे हैं, जबकि बीकानेर में खनिज भवन स्वीकृत है, जहां एक छत के नीचे सभी कार्यालय लगाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में जमीन आबंटित कर दी गई है। भवन के लिये पिछले कांग्रेस सरकार 50 लाख रुपये की प्रथम किश्त दे चुकी है। बीकानेर की जनता को इधर–उधर भटकना पड रहा है व सरकार को आर्थिक हानि हो रही है। कृपया जन हित में बीकानेर में खनिज भवन का निर्माण शीघ्र किया जाय।

मा. अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में सूखा बंदरगाह बनाने हेतु शहर के नजदीक जमीन आबंटित कर, राजसीको के माध्यम से पैसा जमा करा दिया गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन आज तक यह बंदरगाह नहीं बना। बीकानेर सम्भाग को यह बंदरगाह बनने से लाभ होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के उद्यमियों को खाद्य पदार्थों के सेम्पल जांच करवाने हेतु जयपुर जाना पड़ता है। बीकानेर में सन 2000 से लेबोरेटरी बनी हुई है, लेकिन 15 साल से बंद पड़ी है। उक्त लेबोरेटरी को चालू कर उद्यमियों को राहत देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्षजी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाने हेतु बेरोजगार युवाओं को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है, लेकिन पिछले एक वर्ष से खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से बहुत ही कम लोगों को ऋणों में अनुदान दिया जा रहा है। कृपया, मंत्रीजी, बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु लक्ष्य बढ़ाया जाये। पिछले वर्ष का बजट मात्र 35 लाख था, जो बहुत ही कम है।

बीकानेर जिले में मूंगफली, मोठ, मूंग, तिल, ग्वार, सरसों, आदि की पैदावार भारी मात्रा में होती है। यहां का वातावरण व जलवायु मिठाइयां व नमकीन बनाने के उद्योगों के लिये सुविधाजनक है। यहां खाद्य आधारित उद्योग बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। यहां के भुजिया व रसगुल्ला देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात किये जाते हैं। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन मुख्य धंधा है। यहां दूधभारी मात्रा में उपलब्ध है जिससे दूध पर आधारित उत्पादनों के निर्माण हेतु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। बीकानेर में इन

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मेगा फूड पार्क बनाकर खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देवें तथा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने की कृपा करें।

बीकानेर सहित मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। यहां के लोग भेड़पालन का कार्य करते हैं जिससे वर्षों से ऊन आधारित उद्योग स्थापित हैं, लेकिन इन उद्योगों को सरकार द्वारा अनुदान व सहायता नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। साथ ही, यहां के गलीचे व अन्य उत्पादन विदेशों में भी निर्यात किये जाते हैं। इन ऊन आधारित उद्योगों को बीकानेर में बढ़ावा देने के लिये टैक्सटाइल पार्क बनाकर प्रोत्साहन दिया जाये।

बीकानेर जिले में सूरज की रोशनी व गर्मी बहुत ज्यादा पडती है। वर्ष 2014 के बजट घोषणा पत्र में बीकानेर में सोलर हब बनाने की घोषणा की गई है लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद सोलर हब की जगह तक चिन्हित नहीं की गई है। बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में सोलर हब बनने से पूरे प्रदेश को विद्युत सप्लाई की जा सकती है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। अत: जन हित में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में सोलर पार्क बनाकर बजट घोषणा की क्रियान्विति की जाये।

कोलायत तहसील के अधिकांश क्षेत्र में लिग्नाइट, बाल क्ले, जिप्सम व बजरी का अथाह भण्डार है। अत: यहां तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाये जिससे कोलायत के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार के अवसर मिल सकें।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां)

वन विभाग राजस्थान

मानव जीवन में वनों की अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों के बिना मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वनों से ही होती है। मानव जीवन में जन्म से लेकर परण एवं परण से लेकर मरण तक हर मौके पर वन उत्पादों की आवश्यकता रहती है। जीवन के एक क्षण की भी वनों एवं वनस्पति के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

राज्य में वन एवं वन्यजीव प्रबन्ध का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं पुनीत कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही, वन एवं वन्यजीवों से सम्बन्धित तीन मुख्य अधिनियमों था राजस्थान वन अधिनियम 1953, वन

संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का राज्य में क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाता है।

देश के सबसे बड़े हमारे राज्य राजस्थान, जिसके अधिकांश भाग में शुष्क एवं अर्द्ध–शुष्क जलवायु विद्यमान है, में विकास एवं प्रबन्धन का कार्य अत्यन्त ही चुनौती भरा है, जिसके लिये विभिन्न वित्तीय, भौतिक एवं मानव संसाधनों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी भी अति आवश्यक है। पर्याप्त संसाधनों के अभाव में राजस्थान जैसी विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में वन विकास एवं प्रबन्धन का यह चुनौती भरा कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है। राजस्थान वन विभाग वर्तमान में वित्तीय, भौतिक एवं मानव सहित सभी संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है ।

राज्य के वन विभाग में वर्तमान में अधिकारियों की तो भरमार है परन्तु अधीनस्थ स्तर के वन कर्मियों विशेषकर वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों की अत्यन्त ही कमी है। जिससे वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

अधीनस्थ सेवा के जो वनकर्मी उपलब्ध हैं उनका मनोबल भी बुरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि उनको वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन हेतु आवश्यक व पर्याप्त मानव, वित्तीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं एवं न ही उच्च अधिकारियों (भारतीय वन सेवा के अधिकारियों) की तरह उनको समयबद्ध रूप से पदोन्नति मिल पाती है। पदोन्नति के अभाव में अधीनस्थ सेवा वनकर्मी 30-30 वर्षों से एक ही पद पर कार्य करने को मजबूर हैं, जबकि इसी अवधि में भारतीय वन सेवा के अधिकारी 4 से 5 पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। यह वन विभाग के अमले की मानव संसाधन विकास के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

राज्य में वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन हेतु जिम्मेदार वन विभाग की कार्यप्रणाली में व्यावहारिक एवं दूरदर्शी सोच का भी स्पष्ट अभाव नजर आता है, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-

1. जोधपुर जिले में कई ऐसी भूमियों को वनभूमियों के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है जिनमें पूर्व से ही कालोनियों बसी हुई हैं एवं विभिन्न राजकीय विभागों को भूमियों का आबंटन किया हुआ था जिससे कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न हो चुकी हैं। ऐसी भूमियों को अनारक्षित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

2. जोधपुर जिले में अधिसूचित अधिकांश वनभूमियों का आज तक मौके पर सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही राजस्व नक्शों में तरमीम हुई है, जिससे आये दिन आम जनता, विभिन्न राजकीय विभागों एवं वन विभाग के बीच विवाद कि स्थिति उत्पन्न होती है। लगभग 25 वर्ष पूर्व अधिसूचित इन वन भूमियों का आज तक सर्वे एवं वन बन्दोबस्त प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। समस्त वनभूमियों का तत्काल मौके पर सीमांकन करवाये जाने एवं इनकी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।
3. वन भूमियों में से विद्युत लाइन निकालने, पीने के पानी की पाइप लाइन डालने, आवागमन हेतु सड़क निर्माण, आदि जैसे जन हित के कार्यों के लिये स्वीकृत हेतु प्रक्रिया अत्यन्त ही लम्बी एवं जटिल है, जिससे इन जन हित के कार्यों में अत्यधिक विलम्ब होता है, जिससे जन आक्रोश पनपता है। इस प्रकार के जन हित के कार्यों हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने एवं स्वीकृति के अधिकार स्तर पर दिये जाने की आवश्यकता है।
4. जोधपुर जिले में वन विकास के कार्यो पर कार्य कर चुके श्रमिकों का पिछले चार वर्षों से भुगतान बकाया चल रहा है। मरु प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग जोधपुर द्वारा करवाये गये वानिकी विकास कार्यों के वर्ष 2011 व 2012 के भुगतान आज तक बकाया चल रहे हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मरू प्रसार परियोजना के अन्तर्गत राशि जिला परिषद, जोधपुर को जुलाई 2013 में ही उपलब्ध करवा दी गई, परन्तु जिला परिषद, जोधपुर द्वारा उक्त राशि आज तक वन विभाग, जोधपुर को उपलब्ध नही करवाई, जिससे श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों की उदासीनता, हठधर्मिता एवं लालफीताशाही का खामियाजा गरीब व बेसहारा मजदूरों एवं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जिला परिषद जोधपुर द्वारा उक्त राशि वन विभाग को उपलब्ध कराने के बजाय पुन: भारत सरकार को लौटाई जा रही है। यदि जिला परिषद जोधपुर द्वारा उक्त राशि भारत सरकार को लौटा दी जाती है तो उसके पुन: प्राप्त होने की कोई सम्भावना नही होगी एवं

गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान कभी भी नही होगा। अत: उक्त राशि भारत सरकार को लौटाने के बजाय वन विभाग जोधपुर का तत्काल उपलब्ध करवाई जाये ताकि श्रमिकों का बकाया भुगतान अतिशीघ्र किया जा सके ।

5. वन्यजीव बहुल क्षेत्र जोधपुर में वन्य जीवों कें संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाओं की भारी कमी है। आये दिन विभिन्न कारणों से घायल होने वाले वन्य जीव विशेषकर चिंकारों, मोरों, नीलगायों, आदि के उपचार एवं ऱेस्क्यू हेतु सुविधओं का अभाव है। इन घायल होने वाले वन्यजीवों के मौके से उपचार एवं बचाव हेतु लाने के लिए न तो पर्याप्त वाहन उपलब्ध हैं एवं न ही पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है एवं न ही पर्याप्त बजट उपलब्ध है जिससे आये दिन वन्यजीव प्रेमियों एवं आम जनता में आक्रोश पनपता है एवं उसका सामना वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करना पड़ता है। अधीनस्थ वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयं के स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ती है एवं उन्हें अपने वेतन से राशि खर्च करनी पड़ती है, जिसका पर्याप्त बजट के अभाव में लम्बे समय तक पुनर्भरण भी नहीं हो पाता है।

6. अधिकांश वन रेंजों, जो कि वन विभाग की रीड की हड्डी कही जाती है, में संसाधनों की भारी कमी है। रेंजों में अधीनस्थ स्टाफ की उपलब्धता नगण्य रह चुकी है। अधिकांश रेंजों में वनपाल हैं ही नहीं एवं वनरक्षक भी नाम मात्र के हैं। अधिकांश रेंजों में चारपहिया वाहन सुविधा उपलब्ध नही है एवं न ही बिजली, पानी एवं कार्यालय व्यय के लिये किसी भी प्रकार का बजट उपलब्ध करवाया जाता है। रोजमर्रा के कार्यालय कार्य हेतु रेंजों में लिपिक भी उपलब्ध नही हैं। ऐसी परिस्थितियों से आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि विभाग की यह रीड की हड्डी कितनी मजबूत एवं कारगर है। यदि विभाग की रीढ़ की हड्डी की ही यह हालत है, तो विभाग के हालात कैसे होंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा)

मैं मांग संख्या 42, 43 व 9 के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहता हूं,

उन्होंने बजट में तथा पिछले 1 वर्ष में राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में कैसे आगे आये, राजस्थान में रोजगार लोगों को कैसे मिले, राजस्थान एक विकसित राज्य कैसे हो, उसका उन्होंने प्रयास किया तथा आज देश-विदेश में औद्योगिक घराने राजस्थान में आ रहे हैं तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से राजस्थान में उद्योग धन्धे स्थापित कर रहे हैं। उसके लिये मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद है।

अध्यक्ष महोदय, मैं साथ-साथ, चूंकि मेरा क्षेत्र निम्बाहेड़ा पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। माइनिंग भी होती है तथा छोटी सादड़ी क्षेत्र में आदिवासी वन क्षेत्र होने से वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी काफी समस्याएं हैं।

1. पहले मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि निम्बाहेडा की औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत की जायें तथा नई सडकों का निर्माण व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करावें। साथ ही, बैंक की शाखा भी वहां खुलनी चाहिये थी ।

2. निम्बाहेडा चूंकि सीमेन्ट हब बनता जा रहा है और कई नये सीमेन्ट व अन्य कई उद्योग लग रहे हैं, मेरा निवेदन है कि निम्न बातों की घोषणा सरकार को करनी चाहिये :-

1. किसानों को जमीनों का मुआवजा सही मिले तथा उनके परिवार वालों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाये;

2. बेरोजगारों को प्रथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए। इसके लिए 50 प्रतिशत का स्थानीय लोंगो के लिये कोटा तय किया जावे;

3. पर्यावरण का ध्यान रखा जाए;

4. उद्योग के आसपास के क्षेत्र के पूर्ण विकास की जिम्मेदारी उनकी की जाए,

5. निम्बाहेड़ा में स्टोन पार्क की स्थापना की जाए; एवं

6. निम्बाहेड़ा में नया रीको औद्योगिक क्षेत्र खोला जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं वन व पर्यावरण व खनिज मंत्रीजी से निम्न निवेदन करना चाहता हूं:-

1. प्रमुख माइन्स अप्रोच सड़क रानीखेड़ा से मल्ला चारण का नवीनीकरण व डामरीकरण कराया जाए। इससे 50 हजार मजदूरों से सुविधा मिलेगी।

2. निम्बाहेड़ा के खनिज क्षेत्र में छोटे लाइसेंस–धारी उद्यमियों को

दिनांक 9.9.2013 के बाद पर्यावरण सर्टिफिकेट की बाध्यता को समाप्त किया जाये।

3. निम्बाहेड़ा स्टोन की रायल्टी कम की जाए तथा ई.एम.एफ. की वसूली बन्द की जाए।

4. खनन क्षेत्र में अनुपयोगी सामग्री के डम्पिंग के लिए डम्पिंग यार्ड की स्थापन की जाए।

अध्यक्ष महोदय, छोटी सादड़ी के वन क्षेत्र में फोरेस्ट के नाम पर आदिवासियों को परेशान किया जाता है। वहां पर-

1. जिन जमीनों पर आदिवासियों का कब्जा है, वे उनके नाम पर की जाएं।

2. 50 साल से मकान बने हुए हैं, उन्हें उसके पट्टे दिये जाएं।

3. आदिवासी क्षेत्रों का विकास करवाया जाए।

आपका धन्यवाद।